सातवां सम्मेलन विशेषांक

वर्ष 13 अंक 3 मर्च 1991 मूल्य: दस रुपये

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

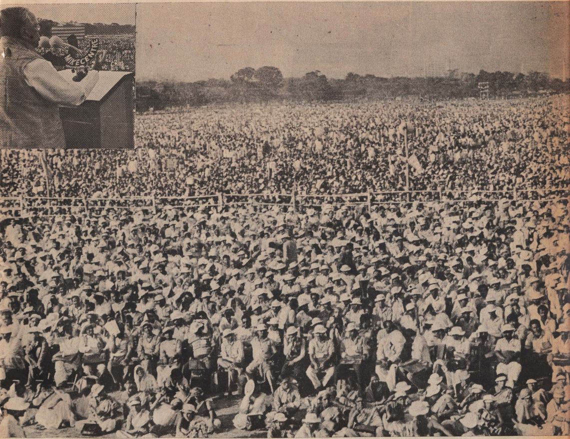

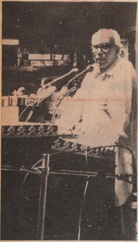

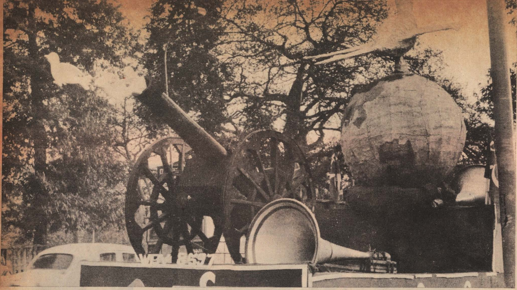

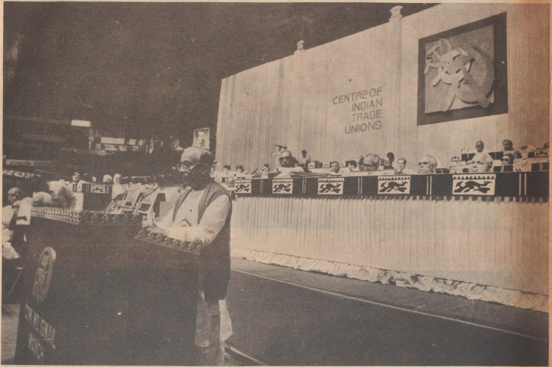
CENTRE OF
INDIAN
TRADE
UNIONS

DON'T
KILL
INNOCENT
PEOPLE
IN THE NAME OF
RELIGION .

सीआईटीयू का सातवां सम्मेलन

मजदूर वर्ग की संयुक्त कार्रवाई का आह्वान

पी० के० गांगुली

- चन्द्रशेखर सरकार को सत्ता से हटाओ
- साम्प्रदायिक और विघटनकारी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करो
- युद्ध के सौदागर अमरीकी साम्राज्यवाद का बहिष्कार करो
- शान्ति के लिये संघर्ष तेज करो
- समाजवाद की रक्षा करो
- महासंघ बनाने के लिए आह्वान

१३ फरवरी से १७ फरवरी १९९१ के दौरान कलकत्ता के नेताजी इनडोर स्टेडियम बी० टी० रणदिवे नगर में सीआईटीयू का सातवां अधिवेशन सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन में मजदूर वर्ग से आह्वान किया गया कि कांग्रेस(इ) समर्थित चन्द्रशेखर की कठपुतली सरकार को उखाड़ फेंके और वाम, जनवादी और धर्मनिरपेक्ष विकल्प के लिये संघर्ष करें और साम्प्रदायिक और विघटनकारी ताकतों को अलग-थलग करें।

२१ वर्ष पहले १९७० में कलकत्ता में ही सीआईटीयू की नींव रखी गई थी। इसकी पृष्ठभूमि में संशोधनवाद के विरुद्ध संघर्ष था। इसने वर्ग संघर्ष को आगे ले जाने तथा सर्वहारा के अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के झंडे को ऊंचा रखने के लिए मजदूर वर्ग की संयुक्त कार्रवाई का आह्वान किया। इन २१ सालों के दौरान सीआईटीयू का भरपूर विकास हुआ और इसने बहुत बड़े केन्द्रीय मजदूर संगठन का रूप धारण कर लिया और वर्ग संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए हजारों मजदूरों का मार्ग दर्शन किया। पश्चिम बंगाल में मजदूरवर्ग इस संघर्ष में लगातार अगली कतार में बना रहा, वर्ग संघर्ष के औजार के तौर पर इसने वाम मोर्चे वाली सरकार की स्थापना की और देश में सीआईटीयू के सबसे बड़े सीमा प्रहरी के रूप में काम किया।

२१ वर्षों के बाद कलकत्ता में सातवां सम्मेलन आयोजित किया गया जब मजदूरवर्ग नई चुनौतियों का सामना कर रहा था। अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर साम्राज्यवाद ने पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों में तोड़फोड़ की कार्रवाई करते हुए समाजवाद के खिलाफ जबर्दस्त अभियान चलाया।

सम्पूर्ण विश्व पर प्रभुत्व कायम करने की अपनी नीति के चलते और तेल के संपन्न क्षेत्र को अपने कब्जे में करने के उद्देश्य से खाड़ी क्षेत्र में इराक के विरुद्ध अमरीकी साम्राज्यवाद ने लड़ाई छेड़ दी।

देश के भीतर सभी प्रकार की साम्प्रदायिक और विघटनकारी ताकतों ने साम्राज्यवाद की मदद से प्रशासन का चक्का जाम कर दिया। इन लोगों ने देश के धर्मनिरपेक्ष संविधान और सामाजिक ढांचे के लिए खतरा पैदा कर। दिया चन्द्रशेखर की अगुवाई में धोखेबाजों और दलतोड़ने वालों की सरकार सत्ता में आई। कांग्रेस (ई) ने इस सरकार को संरक्षण दिया। ये योग उसी के खिलाफ चुनाव लड़े थे तथा जनता ने उसको ठुकरा कर इन लोगों को वोट दिया था। कांग्रेस (इ) की नीतियों के दबाव के कारण चन्द्रशेखर सरकार की निरंकुश कार्रवाई चरम सीमा साधने लगी और देश की आर्थिक स्थिति बर्बादी के कगार पर पहुंच गई। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोश की शर्तों के दबाव के कारण जनता पर आर्थिक मार और बढ़ गई।

सम्मेलन ने इन सारी नई चुनौतियों पर विचार किया और इनको स्वीकार किया तथा चन्द्रशेखर सरकार को सत्ता से हटाने के लिए बड़े पैमाने पर मजूरवर्ग को एकजुट होकर कार्रवाई करने का आह्वान किया। अमरीकी साम्राज्यवादियों की इस सम्मेलन में निन्दा की गई तथा मांग की गई कि खाड़ी युद्ध को तत्काल बंद किया जाए। यह मांग की गई कि अमेरिका और बहुराष्ट्रीय सैनिकों को वहां से एकदम हटा लिया जाए। इसने समूचे पश्चिमी एशिया क्षेत्र की समस्याओं को हल करने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किए। इसमें यह भी मांग की गई कि शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए फीलिस्तिनियों को उनके बसने की समस्या को सुलझाया जाए। इस सम्मेलन की एक मुख्य विशेषया यह थी कि इसमें फीलिस्तीनी राज्य के राजदूत, इराकी दूतावास के सलाहकार और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस (मुख्य) के प्रतिनिधि ने भाग लिया था और प्रतिनिधियों का अभिवादन किया। दूसरे मित्र देशों जैसे चीन, सोवियत रूस, डब्लयूएफटीयू, जापान और बांगला देश की ट्रेड यूनियों के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया था।

इस सम्मेलन की एक और विशेषता थी। इस सम्मेलन के पहले १२-१३ फरवरी को साल्टलेक स्टेडियम में कामकाजी महिलाओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जो इसी सम्मेलन का एक हिस्सा था।

राष्ट्रीय औद्योगिक महासंघों के नेताओं को इसमें आमन्त्रित किया गया था ताकि इस सम्मेल का आधार व्यापक बन सके।

बिरादराना केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि कमलापति राय (एटक), सुब्रत मुखर्जी (इंटक), भजन दासगुप्त (एचएमएस) तथा रासबिहारी मैत्र (बीएमएस) ने भी उद्घाटन सत्र का अभिवादन किया।

संगोष्ठियां सांस्कृतिक कार्यक्रम, जत्थे

पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी ने विभिन्न विषय पर ११-१६ के दौरान संगोष्ठियां आयोजित की, जैसे 'राष्ट्रीय विकल्प'। फरवरी इस संगोष्ठी को ईएमएस नम्बूदिरिपाद, एम फारूकी तथा अन्य कई नेताओं सम्बोन्धित किया। साम्प्रदायिकता पर आयोजित गोष्ठी को हरकिशन सिंह सुरजीत, शैलेन दासगुप्त, हालिम अब्दुल हलीम, सतपाल डांग, के एम पनिक्कर, हबीब तनवीर और वरुन दे ने सम्बोधित किया। समाजवाद पर आयोजित संगोष्ठी को विदेशी प्रतिनिधियों ने सम्बोधित किया। 'खाड़ी युद्ध' सर आयोजित संगोष्ठी को हीरेन मुखर्जी, बुद्धदेव भट्टाचार्य और अनिल विश्वास ने तथा 'आर्थिक नीति' विषयक संगोष्ठी को मधुदण्डवते, डा० अशोक मित्र, चित्तव्रत मजुमदार ने संबोधित किया।

नेताजी स्टेडियम के आसपास काफी बड़ी संख्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में देश के बड़े और जानेमाने कलाकारों ने भाग लिया।

इन कार्यक्रमों के अलावा सभी जिलों में टेब्लों तथा जत्थे आयोजित किए गए इनकी शुरुआत ११ फरवरी को हुई। १७ फरवरी को ब्रिगेड मैदान के परेड मैदान में खुले अधिवेशन के समय ये एकत्र हुए। इसके अलावा समूचे बंगाल में ज्योति बसु का टेप किया हुआ अध्यक्षीय भाषण बजाय गया। सारा शहर झण्डों, तोरणों और बंदनवारों आदि से सजाया गया था। इन सारे कार्यक्रमों से सम्मेलन के अभियान को काफी बल मिला। इसका संदेश शहर, राज्य और औद्योगिक केन्द्रों के कोने-कोने तक पहुंचाया गया।

झण्डारोहण

१३ फरवरी को दो पहर ठीक दो बजे पास के विस्तृत मैदान में बहुत बड़े जनसमूह के समक्ष समर मुखर्जी ने लाल झण्डा फहराया। इस अवसर विदेशी प्रतिनिधि भी मौजूद थे। आसमान गगन भेदी नारों से गूंज उठा तथा शहीदों के स्मारक पर फूलमालाएं अर्पित की गईं।

झण्डारोहण समारोह के बाद स्वयंसेवक, कामकाजी महिलाएं तथा कोइलरी के कामगारों ने अपनी-अपनी वर्दी में मार्च पास्ट किया और नेताजी जी इनडोर स्टेडियम में प्रतिनिधियों के साथ दाखिल हुए।

उद्घाटन सत्र

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ठीक सायं ४.०० बजे उद्घाटन सत्र शुरु हुआ। समर मुखर्जी ने इस सत्र की अध्यक्षता करने के लिए ज्योति बसु के नाम का प्रस्ताव रखा और पी० के० गांगुली ने इसका अनुमोदन किया।

सीआईटीयू के राज्य-अध्यक्ष और स्वागत समिति के सचिव मनोरंजन राय ने स्वागत भाषण दिया। उसके बाद का० ज्योति बसु ने अपना अध्यक्षीय भाषण दिया। अध्यक्ष की तरफ से जीवन राय ने का० बी० टी० रणदिवे, का० पी० राममूर्ति, का० सरोज मुखर्जी और का० मुहम्मद इस्माइल आदि तथा अन्य शहीदों की मौत पर शोक प्रस्ताव पढ़े। तालियों की गड़गड़ाहट और गगनभेदी नारों के बीच एम० के० पन्धे ने विदेशी प्रतिनिधियों का परिचय कराया। इसके बाद बिरादराना केन्द्रीय ट्रेड यूनियन के नेताओं ने सम्मेलन का अभिवादन किया। रंजित बसु ने उसके बाद विदेशी ट्रेड यूनियनों द्वारा भेजे गए शुभ कामना संदेश पढ़ कर सुनाए।

प्रस्ताव

अमरीकी साम्राज्यवादियों की भर्त्सना करते हुए तथा युद्ध को तुरंत खत्म करने की मांग करते हुए उद्घाटन सत्र में खाड़ी युद्ध पर एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया। यह प्रस्ताव एम० के० पंधे ने पेश किया और एम० एम० लारेंस ने इसका समर्थन किया।

प्रतिनिधियों का सत्र

मनोरंजन राय की अध्यक्षता में प्रतिनिधियों का सत्र आरम्भ हुआ। संचालन समिति के नाम पी० के० गांगुली ने प्रस्तावित किया। इसमें सचिवालय सदस्यों के नाम, प्रस्ताव समिति और संचालन समिति के सदस्यों के नाम थे। नामों की सूची इस प्रकार थी !

प्रस्ताव समिति : जवीन राय (संयोजक), ए० के० पद्मनाभन, पी० संजगिरि, सुनील बसु राय, वी० चेरियन, कानाई बनर्जी और बीरेन राय।

क्रेडेंशियल समिति : रंजित बसु (संयोजक), पी० सत्यनारायण, एन० पद्मालोचन, मृणाल बनर्जी और अजय चेत्री।

प्रस्ताव

पहले ही दिन दो और प्रस्ताव स्वीकार किए गए : पहला अमरीकी युद्ध पोतों की ईंधन लेने की सुविधा से सम्बन्धि था। इस प्रस्ताव को मनोरंजन राय ने पेश किया था तथा सुशीला गोपालन ने इसका अनुमोदन किया था। दूसरा प्रस्ताव सांप्रदायिकता के विरोध में था यह प्रस्ताव एन० प्रसाद राव ने पेश किया था तथा लक्ष्मी सहगल ने इसका अनुमोदन किया था।

महासचिव की रपट

इसके बाद महासचिव की रपट का० समर मुखर्जी ने प्रस्तुत की। इसमें महत्वपूर्ण बातों और मुद्दों को संक्षेप में रखा गया था। उन्होंने अपनी रपट में अन्तर्राष्ट्रीय स्थितियों का विवेचन करते हुए पूंजीवादी प्रेस और साम्राज्यवाद द्वारा चलाए गए इस अभियान का खंडन किया कि समाजवाद का अंत हो गया पूंजीवाद विजयी हो गया है। पूंजीवादी दुनिया के अन्दर गहराते संकट की ओर भी उन्होंने इशारा किया। उन्होंने समाजवाद की महान उपलब्धियों की याद दिलाई और इस बात पर जोर दिया कि सभी प्रकार के सुधार

समाजवादी ढांचे के अन्दर किए जाने चाहिए तथा इसका आधार मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त बनाया जाना चाहिए। उन्होंने समाजवाद की रक्षा का आह्वान किया क्योंकि सीआईटीयू का समाजवाद की रक्षा और साम्राज्यवाद के विरोध से गहरा संबंध है।

राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते हुए उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों का जिक्र किया जिनका विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ करते हैं। साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए उन्होंने व्यवहारिक तरीके से हस्तक्षेप करने को कहा। असम, पंजाब और त्रिपुरा में अलगाववादी और अर्ध-फासीवादी ताकतों के खिलाफ सीआईटीयू के बहादुराना संघर्ष की उन्होंने चन्द्रशेखर सरकार के तानाशाही कदमों की निन्दा की जिसमें उन्होंने असम तथा तमिलनाडु सरकारों को बर्खास्त कर दिया है। उन्होंने भारत की बिगड़ती हुई आर्थिक दशा की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके लिए सरकार की एकाधिकार परस्त, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हितवाली और सामन्त परस्त नीतियां जिम्मेदार हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोश द्वारा लगाई गई शर्तों और खाड़ी संकट के चलते इन स्थितियों के और बिगड़ने की सम्भावना है। उन्होंने मिलजुल कर संघर्ष छेड़ने का आह्वान किया और चन्द्रशेखर सरकार के इस्तीफे की मांग की। मूल्यवृद्धि बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष छेड़ने और असंगठित कामगारों तथा कामकाजी महिलाओं को संगठित करने की जरूरत को उन्होंने खास तौर पर रेखांकित किया। आधुनिक औद्योगिकी के प्रश्न को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। इसके स्वदेशीकरण की जरूरत पर भी उन्होंने जोर दिया। आधुनिकीकरण के चलते पैदा हुई बेकारी के खिलाफ भी संघर्ष चलाने के लिए उन्होंने कहा। सामूहिक और लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के जरिये सदस्य संख्या बढ़ाने और संगठन को मजबूत बनाने पर भी उन्होंने जोर दिया।

कोषाध्यक्ष की रिपोर्ट

ई. बालानन्दन ने कोषाध्यक्ष की रपट पेश की। साथ में उन्हों ने संगठन और सदस्यता सम्बन्धी कुछ मुद्दों की तरफ भी खास इशारा किया। बी टी आर स्मारक ट्रस्ट के लिए लोगों से एक दिन का वेतन देने और रु० १/- प्रति सदस्य सीआईटीयू फंड में चंदा देने की उन्होंने अपील की।

बिरादराना प्रतिनिधियों की ओर से अभिवादन

सम्मेलन के दूसरे दिन सोवियत ट्रेड यूनियन महासंघ के प्रतिनिधि एम सालिकोव ने प्रतिनिधियों का अभिवादन किया। का० सालिकोव ताजिक रिपब्लिकन ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। अखिल चीनी ट्रेड यूनियन महासंघ के सचिव का० फैंग जियादे ने भी प्रतिनिधियों का अभिवादन किया।

अन्य मित्र जनसंगठनों के जिन प्रतिनिधियों ने वहां अभिवादन किया उनके नाम इस प्रकार हैं: सुनीत चोपड़ा, अखिल भारतीय खेतमजदूर संगठन, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन के हन्नान मुल्ला, एसएफआई के नीलोत्पल वसु और अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के सुकोमल सेन। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष हरकिशन सिंह सुरजीत ने अपना लिखित सन्देश भेजा था। इसको रंजीत बसु ने पढ़ कर सुनाया। अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव रामनारायण गोस्वामी भी उद्घाटन सत्र में उपस्थित थे।

महासचिव की रिपोर्ट पर बहस

अधिवेशन के दूसरे दिन से इसकी अध्यक्षता बारी-बारी से उपाध्यक्षों ने की। मसलन पी संजगिरि, अहिल्या रांगनेकर, सुशीला गोपालन, सी कानन, एन प्रसाद राव, चण्डी प्रसाद, एस सूर्यनारायण राव तथा आर उमानाथ ने।

रपट में जो मुद्दे उठाए गए थे तथा उसमें जिन दिशाओं की ओर संकेत किया गया था, प्रतिनिधियों ने अपने-अपने अनुभव बताए और अब तक किए गए कार्य की समीक्षा की। यूनियन और मजदूरों पर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के विकास के प्रभाव का उनलोगों ने विश्लेषण किया। संगठन को मजबूत बनाने के विभिन्न पहलुओं पर, सदस्यता को बढ़ाने तथा लोकतांत्रिक तरीके से मिलकर काम करने के विषय में उन्होंने अपने-अपने विचार व्यक्त किए। प्रतिनिधियों ने अन्य जिन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया, संक्षेप में वे मुद्दे इस प्रकार थे: उद्योगों का बीमार होकर बंद हो जाना, उद्योगों के असंगठित क्षेत्र में मजदूरों को संगठित और लामबंद करना, वर्तमान संगठित उद्योगों में आधुनिक प्राद्योगिकी के आने के कारण उत्पन्न नई नई सदस्याएं, बेरोजगारी के सवाल, कीमतों के बढ़ने, आर्थिक परिस्थिति, कामगार महिलाएं, मजदूर यूनियनों की एकता के सवाल, लोकतांत्रिक और ट्रेड यूनियन के अधिकारों पर बढ़ते हुए हमले और इन सबसे अधिक साम्प्रदायिक और अलगाववादी ताकतों द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौतियों के सवाल।

वी. बी. चेरियन (केरल) ने रिपोर्ट के अन्तर्राष्ट्रीय पक्ष को लेकर अपनी बात कही और भटकाव को रोकने के लिए मार्क्सवादी-लेनिनवादी रास्ते पर चलने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विचारधारा-विहीन बनाना और राजनीति विहीन करना मजदूरवर्ग, ये को निहत्था करने के लिए जानबूझ कर किया गया काम है। उनका कहना था कि बाजार अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की ओर ले जानेवाला कदम है। इससे हालात और खराब होंगे।

ए. के पद्मनाभन (तमिलनाडु) ने संगठन में सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर अपने को केंद्रित रखा। उनका विचार था कि संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में सदस्य संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। सूती कपड़ा उद्योग में आए संकट

के विषय में उन्होंने संक्षिप्त विवरण पेश किया। उन्होंने सामूहिक रूप से तथा लोकतांत्रिक तरीके से काम करने पर विशेष बल दिया।

शांतश्री चटर्जी (पश्चिम बंगाल) ने रपट के अन्तर्राष्ट्रीय हिस्से का समर्थन किया। उन्होंने बीमार उद्योगों के बारे में अपने विचार रखे तथा वाममोर्चा सरकार की भूमिका पर विशेष प्रकाश डाला।

चन्द्रशेखर (पंजाब) ने खालिस्तानी अलगाववादियों से पंजाब के मजदूर किस प्रकार संघर्ष कर रहे हैं, इसका विवरण दिया। उन्होंने कहा कि हर तरह के आतंक का सामना करने और लोगों के शहीद होने के बावजूद पंजाब में हमारी सदस्य संख्या बढ़ी है।

चण्डीप्रसाद (बिहार) ने उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों में चलाए जा रहे संघर्षों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ,—भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद जैसी सांप्रदायिक ताकतों खिलाफ चलाए गए संघर्षों के विषय में भी बताया।

बीरेन राय (पश्चिम बंगाल) ने अन्तर्राष्ट्रीय पक्ष का समर्थन किया। उन्होंने प्रौद्योगिकी वाले सवाल का उल्लेख किया तथा इसका ठीक से अध्ययन करने की जरूरत को रेखांकित किया। उन्होंने स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास पर विशेष रूप से जोर दिया।

अन्य बोलने वाले लोगों में थे : सुबोध मेहता (गुजरात), ओ भरथन (केरल), हेतराम बेनीवाल (राजस्थान), रमणिका गुप्त (बिहार), एन पद्मलोचनन (केरल), प्रभाकर ढोढ़े (गोवा) तड़ित तोपदार (पश्चिम बंगाल), लंबोदर नायक (उड़ीसा), रवीन्द्र शुक्ल (राजस्थान) तथा दुष्यंत दास (उड़ीसा)।

प्रस्ताव

इस बैठक में सम्मेलन ने निम्नांकित प्रस्ताव स्वीकार किए :

पंजाब : यह प्रस्ताव बलवन्त सिंह ने पेश किया और बी० एन० सोलंकी ने इसका अनुमोदन किया।

असम : अमल घोष दस्तीदार ने पेश किया, बिमल सिन्हा ने इसका अनुमोदन किया।

त्रिपुरा : बैद्यनाथ मजुमदार ने प्रस्ताव रखा और लक्ष्मण सेठ ने इसका अनुमोदन किया।

मूल्यवृद्धि : अहिल्या रांगनेकर ने प्रस्ताव पेश किया और बीरेन राय ने इसका समर्थन किया।

बिहार के गवर्नर की बर्खास्तगी पर अध्यक्ष की ओर से प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

तमिलनाडु सरकार की बर्खास्तगी : नीरेन घोष ने प्रस्ताव रखा और रामकृष्णन ने अनुमोदन किया।

पी०एल०ओ० के साथ एकजुटता पर गोपाल आचार्य ने प्रस्ताव रखा और जीवन राय ने इसका अनुमोदन किया।

हवाई हमलों से बचने के शरणस्थल पर बम गिराने पर अध्यक्ष की तरफ से प्रस्ताव रखा गया।

बिरादराना प्रतिनिधियों द्वारा अभिवादन

१५ फरवरी को निकोलाई फारुपकिन ने अधिवेशन का अभिवादन किया। फारुपकिन डब्ल्यू० एफ० टी० यू० के सचिव हैं। उनके अलावा अभिवादन करने वालों में थे : ताकोमी किसीमोतो, सहायक सचिव, जेनरोमोन, जापान; श्न्यामा मरुयामा, मिकोरोरेन जापान के उपाध्यक्ष, एम० म्प्ले, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के मुख्य प्रतिनिधि और अब्दुल हुसेन, जातीय श्रमिक महासंघ, बंगलादेश के सचिव। इस अवसर श्यामली गुप्त एआई-डीडब्ल्यूए के महासचिव ने भी आगत सदस्यों का अभिवादन किया। आंगनबाड़ी कामगार महासंघ की महासचिव नीलिमा मोइत्रा ने भी अधिवेशन का अभिवादन किया तथा त्रिपुरा संघर्ष कोष के लिए रु० १०००/- का एक चेक भेंट किया। त्रिपुरा राज्य के अध्यक्ष बैद्यनाथ मजुमदार ने यह चेक लिया।

महासचिव की रपट पर बिचार-विमर्श

चित्तब्रत मजुमदार (पश्चिम बंगाल) ने इस रपट के मुद्दों पर विस्तार से अपने विचार पेश किए। मजदूरों की समाजवादी चेतना को बढ़ाने पर उन्होंने विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि बीमार कारखाने, कारखानों का बन्द होना और तालाबन्दी आदि राज्य की मुख्य समस्याएं हैं। आधुनिकीकरण के सवाल पर उन्होंने विस्तार से अपनी बात कही और खास इकाइयों में इसकी किस तरह की जरूरत है, इसके विशेष और गहन अध्ययन की जरूरत पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने दुर्गापुर इस्पात कारखाने का उदाहरण देते हुए कहा कि उसके आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। साथ में उन्होंने चेतावनी दी कि नौकरियों से लोगों को नहीं निकाला जाना चाहिए और देशी प्रौद्योगिकी की वकालत की। आगे कुछ बातों पर विशेष बल दिया जैसे प्रबंध में मजदूरों की वास्तविक और सच्ची भागीदारी, उद्योग के विषय में मजदूरों की शिक्षा, उत्पादन के मानकों को सहमति के आधार पर निर्धारित करना, निजीकरण के विरुद्ध संघर्ष। सदस्यों की संख्या बढ़ा कर संगठन की ताकत बढ़ाने का भी उन्होंने आह्वान किया। इसके साथ ही संगठन के लोकतांत्रिक और सामूहिक रूप से काम करने पर उन्होंने जोर दिया।

पी० संजगिरि (महाराष्ट्र) ने पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण के विरोध में चले आंदोलन के विरुद्ध संघर्ष का संक्षेप में विवरण दिया। इस पर उनके संगठन की वहां क्या स्थिति थी इस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला।

विचार-विमर्श में जिन दूसरे सदस्यों ने भाग लिया उनके नाम हैं, उषाकुमारी (केरल), जे० हेमचन्द्रन (तमिलनाडु), राजन (केरल),

लीला दास (पश्चिम बंगाल), बी० राघवुलु (आंध्रप्रदेश), जे० एस० मजुमदार (बिहार), एलम्मा करीम (केरल), सुनील बसु राय (प०बं०) एस० के० बक्शी (बिहार), सिंगारवेलु (तमिलनाडु), विजय मिश्र (पंजाब), सी० नांजुन्दप्पा (कर्नाटक), बादल सरोज (मध्यप्रदेश), एस० बी० भारद्वाज (दिल्ली) और निखिल मुखर्जी (पश्चिम बंगाल)।

प्रस्ताव

१५ फरवरी को निम्नांकित प्रस्ताव स्वीकृत किए गए :

शांति के लिए संघर्ष : इसको पी० के० गांगुली ने पेश किया तथा सुनील बसु ने इसका अनुमोदन किया।

श्रीलंका : डब्ल्यू० आर० वरदराजन ने पेश किया और पी० सत्यनारायण ने इसका अनुमोदन किया।

कश्मीर : मंगतराम पसला ने प्रस्तुत किया और जीवन राय ने इसका अनुमोदन किया।

छात्रों और नौजवानों के कार्यक्रम को समर्थन : अध्यक्ष ने पेश किया।

युगांतर और अमृतबाजार पत्रिका के बन्द होने पर : अध्यक्ष ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

चेकोस्लोवाकिया सरकार को तार

सत्र के दौरान डब्ल्यू० एफ० टी० यू० के प्रतिनिधियों को चेकोस्लोवाकिया सरकार से तार मिला था जिसमें उनसे कहा गया था कि वे प्राग से अपना मुख्यालय सदा के लिए हटा लें तथा उसे कहीं और ले जाएं। याद रखना चाहिए कि डब्ल्यूएफटीयू ने पिछले साल मास्को में एक अधिवेशन बुलाया था। उसमें चेकोस्लोवाकिया की सरकार से अपील की गई थी कि वे इस यूनियन को प्राग से काम करने की इजाजत दें। इस सम्मेलन ने एक प्रस्ताव तैयार (तार द्वारा भेजने के लिए) किया जिसमें चेकोस्लोवाकिया की सरकार की इस कार्रवाई के लिए भर्त्सना की गई थी। निन्दा प्रस्ताव के समय चेकोस्लोवाकिया की सरकार के विरुद्ध नारों से सभागार गूंज उठा।

१२ जुलाई समिति द्वारा अभिवादन रैली

१२ जुलाई समिति के अन्तर्गत संगठित हजारों की संख्या में मजदूरों ने १५ फरवरी को जुलूस निकाला तथा इस सम्मेलन के अभिवादन के लिए एकत्र हुए। समर मुखर्जी, मनोरंजन राय और एम० के० पंधे ने उनको सम्बोधित किया। नारे लगा कर बाहर से आए प्रतिनिधियों ने उनके अभिवादन का जवाब दिया।

महासचिव की रपट पर विचार-विमर्श

१६ फरवरी की बहस में जिन प्रतिनिधियों ने भाग लिया उनके नाम इस प्रकार हैं :

ज्वाय (केरल), रघुनाथ कुशारी (पश्चिम बंगाल), अमल घोष दस्तीदार (असम), विमल सिन्हा (त्रिपुरा), जी० रामकृष्णन (तमिलनाडु), बी० जे० के० नायर (कर्नाटक), मोहनलाल (दिल्ली), अजित चौधुरी (प० बंग), एस० एन० सोलंकी (हरियाणा), दौलत राम (उत्तर प्रदेश), शांति घटक (पश्चिम बंगाल), जोसेफ (केरल), ए० गफ्फूर (आंध्र प्रदेश), के० सी० मलवाड़े (महाराष्ट्र), मृणाल बनर्जी (पश्चिम बंगाल), परमेश्वरी (तमिलनाडु), राघवन पिल्लै (केरल), काली घोष (पश्चिम बंगाल), माइकेल लागू (असम), एस० पुण्यावती (आंध्रप्रदेश), एस० कुमार (मध्य प्रदेश), के० एम० तिवारी (दिल्ली), के० के० त्रिपाठी (बिहार), बी० चन्द्रचूड़न (अण्डमान और निकोबार) तथा अशोक वैद्य (हिमाचल प्रदेश)।

सीआइटीयू को एफएसयूआई द्वारा भेंट

फारवर्ड सीमेन्स यूनियन आफ इंडिया ने इस दिन सीआईटीयू को एक फोटो कापी मशीन भेंट दी। एफएसयूआई के महासचिव आशुतोष बनर्जी द्वारा इससे सम्बन्धित कागजात समर मुखर्जी को सौंपे गए।

प्रस्ताव

इस दिन सम्मेलन में निम्नांकित प्रस्ताव स्वीकार किए गए :

चन्द्रशेखर सरकार के त्याग पत्र पर : इसे पी० के० गांगुली ने पेश किया तथा कमल सरकार ने इसका अनुमोदन किया।

हो-ची-मिन्ह की जन्म शती पर : कनाई बनर्जी ने यह प्रस्ताव रखा तथा रजीत वसु ने इसका अनुमोदन किया।

कामकाजी महिलाओं के विषय में : आर० उमानाथ ने इसे पेश किया और नजीमुन्निसा ने इसका अनुमोदन किया।

सरकार की आर्थिक नीति पर : के० एन० रवीन्द्रनाथ ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा सी० नरसिंह राव ने इसका अनुमोदन किया।

जूट उद्योग के राष्ट्रीयकरण पर : मुहम्मद अमीन ने प्रस्तुत किया और शिव प्रसाद भट्टाचार्य ने इसका अनुमोदन किया।

वाम मोर्चा सरकार के साथ एकजुटता के विषय में : पी० संजगिरि ने प्रस्ताव रखा और एन० पद्मलोचन ने इसका अनुमोदन किया।

मजदूर वर्ग की संयुक्त कार्रवाई के लिए अपील : ई० बालानन्दन ने प्रस्ताव रखा और ए० के० पद्मनाभन ने इसका अनुमोदन किया।

समापन सत्र

१७ फरवरी को समापन सत्र के अवसर पर निम्नांकित दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकार करने के साथ सत्र की शुरूआत हुई :

रेलवे कर्मचारियों के विक्टिमाइजेशन पर : इसको कानाई बनर्जी ने पेश किया और विमल रणदिवे ने इसका अनुमोदन किया।

महासंघ के बारे में : एम० के० पन्धे ने प्रस्ताव पेश किया और नीरेन घोष ने इसका अनुमोदन किया।

इसके बाद रंजीत वसु और जीवन राय ने क्रमशः क्रेडेंशियल कमेटी और प्रस्ताव समिति की रपट पेश की।

पीएलओ तथा इराकी काउंसेलर द्वारा अभिवादन

फिलिस्तीनी राज्य के राजदूत डा० खालिद शेख तथा इराकी दूतावास के राजदूत यूसूप अल अनी ने सम्मेलन को अभिवादन किया और अमरीकी साम्राज्यवाद की भर्त्सना की और उनके संघर्ष में सीआईटीयू द्वारा पूरा समर्थन देने के लिए उसको धन्यवाद दिया।

समर मुखर्जी का उत्तर

इस बहस का जवाब देते हुए समर मुखर्जी ने संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस दौरान उद्योगों के बंद होने के बावजूद उन्होंने कहा कि सदस्यों की संख्या में पिछले सम्मेलन के बाद छः लाख की वृद्धि हुई है। लेकिन उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया कि अब भी सीआईटीयू की वास्तविक ताकत की तुलना में हम अभी काफी पीछे हैं। उन्होंने इस बात की ओर विशेष रूप से इशारा किया कि हमारी कार्यप्रणाली सभी स्तरों पर लोकतांत्रिक और सामूहिक होनी चाहिए। असंगठित मजदूर वर्ग पर उन्होंने खास जोर दिया। आधुनिक प्रौद्योगिकी के सवाल पर उन्होंने कहा कि रपट और प्रस्ताव दोनों ही ने इस सम्बन्ध में सीआईटीयू की स्थिति साफ कर दी है। एक बार और उन्होंने चन्द्रशेखर सरकार से इस्तीफे की मांग करते हुए संयुक्त कार्रवाई तथा समाजवाद की रक्षा का आह्वान किया।

उन्होंने आह्वान किया कि एक दिन की मजदूरी बीटीआर स्मारकनिधि को दी जाए तथा रु० १/- प्रति सदस्य सीआईटीयू फण्ड में देने के लिए कहा।

उन्होंने ३० मई को सीआईटीयू की स्थापना दिवस को भी मनाने के लिए कहा। ६ अप्रेल १९९१ को बी टी रणदिवे की बरसी के रूप में तथा १९ दिसम्बर को उनके जन्म दिन के रूप में मनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि १९ दिसम्बर जन्म दिन के रूप में सदा मनाया जाना चाहिए।

उन्होंने ने अन्य कई बातों के लिए आह्वान किया। १५ से २१ मार्च तक चन्द्रशेखर सरकार की आर्थिक नीतियों और उसके द्वारा उठाए गए तानाशाही कदमों के विरोध सप्ताह के रूप में मांनने के लिए कहा। २८ फरवरी से मूल्य वृद्धि विरोधी अभियान चलाने के लिए कहा। २३ मार्च से समूचे देश में छात्रों तथा नोजवानों के जत्था कार्यक्रम को सक्रिय समर्थन देने का आह्वान किया। यह कार्यक्रम बेरोजगारी के विरुद्ध और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए है। इसका समापन २२ अप्रेल को संसद के समक्ष एक रैली के रूप में होना है। वामपन्थी दलों द्वारा आयोजित २३ अप्रेल की रैली में पूरी भागीदारी का भी उन्होंने आह्वान किया।

इसके बाद महासचिव और कोषाध्यक्ष की दोनों रपटें एक मत से स्वीकार कर ली गईं।

चुनाव

उसके बाद पदाधिकारियों के चुनाव हुए। ये पदाधिकारी हैं जनरल कौंसिल के सदस्य तथा कार्यकारिणी के सदस्य। पदाधिकारियों के नामों का प्रस्ताव पी के गांगुली ने किया और उनका अनुमोदन एस.सूर्यनारायण राव ने किया। जनरल कौंसिल के पदाधिकारियों के नामों का प्रस्ताव जीवन राय ने किया और उनका अनुमोदन रंजीत बसु ने किया कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के नाम का प्रस्ताव विमल रणदिवे ने किया। और सी कानन ने उनका समर्थन किया। सभी चुनाव निर्विरोध हुए।

विदेशी प्रतिनिधियों के लिए उपहार

सीआईटीयू की ओर से सभी विदेशी प्रतिनिध्रियों को उपाध्यक्ष ज्योति बसु ने उपहार दिए और अपने भाषणों के बाद विदेशी प्रतिनिधियों ने भी सीआईटीयू को उपहार दिए।

ज्योति बसु का समापन भाषण

अपने समापन भाषण में ज्योति बसु ने यूनियनों के लोकतांत्रिक तरीके से काम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मजदूर को हड़ताल के अधिकार की रक्षा करनी होगी। लेकिन हड़ताल शुरू करने और वापस करने में लोकतांत्रिक तरीके से मजदूरों के विचार जानना जरूरी है। 'एकता और संघर्ष' जैसे नारे के अन्तर्गत उन्होंने ट्रेड यूनियनों की एकता और उनके संघर्ष पर विशेष बल दिया। सीआईटीयू ने अपनी स्थापना के समय १९७० में यही नारा बुलंद किया था। उन्होंने ट्रेड यूनियनों का महासंघ बनाने का आह्वान किया तथा कहा कि इस दिशा में परिश्रमपूर्वक कार्य करने की जरूरत है ताकि इसे साकार किया जा सके। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा करने के लिए संघर्ष चलाने पर जोर दिया। साथ ही मजदूरों का संघर्ष उद्योगों को सुदृढ़ बनाने की ओर भी अभिमुख होने चाहिए। आधुनिकीकरण के बारे में उन्होंने कहा, ट्रेड यूनियनों और मजदूरों को निर्णय करना चाहिए कि उनको किस प्रकार की प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। साथ ही नौकरी से निकालने या छंटनी के खिलाफ भी संघर्ष चलाया जाना चाहिए। संकटग्रस्त आर्थिक स्थिति, चन्द्रशेखर की कठपुतली सरकार द्वारा उठाए गए तानाशाही कदमों, जिसे कांग्रेस (इ) का समर्थन भी प्राप्त है, की ओर इशारा किया तथा सरकार से इस्तीफा मांगने के लिए बड़े पैमाने पर संयुक्त कार्रवाई का आह्वान किया। आगे उन्होंने खतरनाक और विघटनकारी सांप्रदायिक ताकतों की बढ़ोत्तरी की ओर इशारा किया और इनको अलग-थलग

करने और पराजित करने के लिए मजदूरवर्ग से संयुक्त कार्रवाई का आह्वान किया। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को ट्रेड यूनियन की छत्रछाया में लाने पर उन्होंने विशेष जोर दिया। उन्होंने मजदूरों की समाजवादी चेतना को ऊपर उठाने और साम्राज्यवाद के विरुद्ध लगातार संघर्ष चलाने के ऊपर जोर दिया।

ई. बालानन्दन का भाषण

नए चुने अध्यक्ष ई. बालानन्दन ने पूरे देश से आए प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया तथा अधिवेशन में किए गए निर्णयों को लागू करने का आह्वान किया। इसके लिए उन्होंने सभी मजदूरों तथा उनकी यूनियनों को मिलकर कार्रवाई करने का आह्वान किया।

अन्तर्राष्ट्रीय गीत के साथ इस सम्मेलन का समापन हुआ।

खुली रैली

१७ फरवरी को ब्रिगेड परेड ग्राउण्ड पर एक विशाल रैली आयोजित की गई। राज्य के विभिन्न हिस्सों से झंडियां तथा तख्तियां लिए लाखों की संख्या में मजदूर तथा औद्योगिक कर्मचारी जुलूस बनाकर पहुंचे। जगह-जगह बुश के पुतले जलाए गए। ई बालानादन, एम के पंधे, आर उमानाथ, मनोरंजन राय, समर मुखर्जी तथा ज्योति बसु ने इस रैली को सम्बोधित किया।

कामकाजी महिलाओं का कंवेन्शन

१२ तथा १३ फरवरी को कामकाजी महिलाओं का साल्टलेक स्टेडियम में कंवेन्शन आयोजित किया गया। १८ राज्यों से इसमें लगभग ४७० प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें मजदूरवर्ग तथा मध्यवर्ग की कामकाजी महिलाएं थीं।

मनोरंजन राय ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया तथा समर मुखर्जी ने सभा का उद्घाटन किया। इसके प्रेसिडियम का गठन किया गया। इसमें बीरेन्दर कौर (पंजाब), तांती (त्रिपुरा), अहिल्या रांगनेकर (महाराष्ट्र), परमेश्वरी (तमिलनाडु), पी. गंगम्मा (पश्चिम बंगाल), भानुमती (केरल) और सीता देवी (राजस्थान) को शामिल किया गया।

कामरेड सरोज मुखर्जी, कामरेड बी. टी. रणदिवे, कामरेड मुहम्मद इस्माइल और अन्य शहीदों के प्रति शोक व्यक्त किया गया। विमल रणदिवे ने रपट प्रस्तुत की। बहस में २५ प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

इसमें आर. उमानाथ ने पहले दिन भाषण दिया। उन्होंने कामकाजी महिलाओं की संयोजन समिति गठित करने का सुझाव दिया।

विमल रणदिवे के जवाब के बाद कुछ मामूली संशोधन के साथ सर्वसम्मति से रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई। ५६ सदस्यों की एक अखिल भारतीय संयोजन समिति का गठन किया गया और विमल रणदिवे को उसका सचिव चुना गया।

परिचय कमेटी की रपट

परिचय कमेटी की ओर से पेश की गई रपट में कहा गया है कि सीटू का सातवां अखिल भारतीय सम्मेलन कई मायनों में ऐतिहासिक सम्मेलन रहा।

सीटू की सदस्य-संख्या ने पहलीबार २० लाख के अंक को पार किया है। वस्तुतः उसने साढ़े २३ लाख की रेकर्ड सदस्यता के अंक को पार किया है। १९८३ के बाद सदस्य-संख्या निम्नलिखित रही है :—

१९८३—	१८,९०,९९३
१९८४—	१५,७५,२६४
१९८५—	१७,१५,९३६
१९८६—	१६,४३,५६३
१९८७—	१६,७९,६८४
१९८८—	१९,१६,०९५
१९८९—	२३,४०,८०६

(सम्भावना है कि यह संख्या और बढ़ेगी)

परिचय कमेटी के पास २७६ नयी यूनियनों से सीटू से संबद्धता के लिये आवेदन-पत्र जमा पड़े, जिनकी सदस्य संख्या ७८,०२३ थी। आवेदन पत्रों की जांच के बाद कमेटी ने पाया कि ६५,३०४ सदस्यों वाली २२४ यूनियनें सारी आवश्यक शर्तें पूरी करती हैं और उनके आवेदन पत्र हर दृष्टि से परिपूर्ण हैं। अतः इन्हें श्रेणी—'ए' में रखा गया है। १२,७१९ सदस्यों वाली ४९ यूनियनों ने आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं किया है, अतः उन्हें श्रेणी—'बी' में रखा गया है। इन यूनियनों की कमियों के बारे में सूचना संबंधित राज्यों को को दे दी गयी हैं और परिचय कमेटी को उम्मीद है कि राज्य कमेटियां फौरन संबंधित यूनियनों से आवश्यक शर्तें पूरी करने के लिये कहेंगी ताकि केन्द्रीय आफिस उन्हें सम्बद्धता प्रमाणपत्र जारी कर सके। विस्तारित राज्य वार रपट निम्नलिखित है।

सीआईटीयू सम्मेलन में २३४१ प्रतिनिधि तथा विशेष आमन्त्रितों समेत १२१ दर्शक उपस्थित थे। विशेष आमन्त्रितों में हमारे जनसंगठनों—छात्र, युवा, महिला, खेत मजदूर एवं किसानों के प्रतिनिधि तथा विभिन्न राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशनों के प्रतिनिधि। इसके अलावा विदेशों से आये १३ भाईचारे के प्रतिनिधि भी सम्मेलन में उपस्थित थे। परिचय कमेटी के पास कामगार महिलाओं के प्रतिनिधियों समेत अन्य प्रतिनिधियों से २,४६२ परिचय फार्म जमा पड़े। कुल २,४७५ परिचय फार्म वितरित किये गये थे।

राज्य	श्रेणी 'ए' यूनियनों की संख्या	सदस्य संख्या	श्रेणी 'बी, यूनियनों की संख्या	सदस्य संख्या
१. प० बंगाल	८८	२३,१५७	३	११०३
२. अंदमान-निकोबार	२	५४८	—	—
३. आसाम	३	२४६	१	२६५
४. आंध्र प्रदेश	१४	२८१३	८	८०७
५. दिल्ली	१०	३०८६	१२	४२५८
६. हरियाणा	६	८३०	—	—
७. हिमाचल प्रदेश	१	१०५	—	—
८. कर्नाटक	९	२०५१	२	११५०
९. बिहार	४	९९४	१	—
१०. केरल	६०	२२१३८	७	२२७६
११. महाराष्ट्र	७	२२९९	—	—
१२. मध्यप्रदेश	२	३३१	४	९६६
१३. उड़ीसा	५	१३९०	—	—
१४. पंजाब	४	४५९	२	२३३
१५. राजस्थान	३	६१४	२	१३०
१६. उत्तर प्रदेश	२	२८४	७	९३१
१७. त्रिपुरा	४	११५५	—	—
कुल	२२४	६५,३०४	४९	१२७१९

परिचय रिपोर्ट के सारांश को पेश करने से पहले मैं का० तपन लाहिड़ी, सौमेन राय, शेखररंजन दास, उमा श्रेष्ठ, आशीष तालुकदार, गौतम सेन, अमित चौधुरी डीपीएस (आंकड़ा विभाग) के कामरेडों का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा जिन्होंने का० शान्तनु सेनगुप्त के सुयोग्य समन्वय में दिन-रात अथक रूप से कम्प्यूटर पर काम करके यह दिलचस्प रिपोर्ट तैयार करने में परिचय कमेटी को भारी मदद की।

कुल प्राप्त फार्म—२४६२

आयु वर्ग :

१. २५ वर्ष से कम—३८
२. २५ से ३५—४२१
३. ३६ से ४५—९३८
४. ४६ से ५५—६६७
५. ५६ से ७०—३५६
६. ७० से ऊपर—४२

कुल दर्शक एवं आमन्त्रित—१९१
मर्द प्रतिनिधि—२३४१
महिला " — १२१

शिक्षागत योग्यता

१. नन मैट्रिक—७०७
२. नन ग्रेजुएट—९३२
३. ग्रेजुएट—६०४
५. पोस्ट-ग्रेजुएट—१४०
५. टेकनिकल—५९
६. अन्य—२०

उद्योग का स्वरूप

१. निजी क्षेत्र—१०३४
२. सार्वजनिक क्षेत्र—५५
३. राज्य सरकार क्षेत्र—८४
४. केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र—९६
५. अन्य —२८५

पद भार

१. यूनियन—२२९५
२. फेडरेशन—६३३
३. राज्य सीटू—१००७
४. अखिल भारतीय सीटू—३११

अन्य जानकारियां

१. कुल कर्मचारी—११०२
२. कुल पूर्व-कर्मचारी—५४६
३. कुल पूरावक्ती कार्यकर्त्ता—७८४
४. जेल गये कुल प्रतिनिधि—११३१
५. भूमिगत हुए कुल प्रतिनिधि—६५०

परिचय कमेटी के सदस्य

१) रंजीत बसु (संयोजक)
२) पारसा सत्यनारायणन
३) एन० पद्मलोचनन
४) के० बैद्यनाथन
५) एस० देवराय
६) एम० मृनाल बनर्जी

कलकत्ता, १३ फरवरी से १७ फरवरी १९९१

अध्यक्षीय भाषण

ज्योति बसु, उपाध्यक्ष

कामरेड प्रतिनिधिगण तथा बन्धु-मेहमानो,

अभी भी हम एक ऐसी स्थिति के साथ अपना मेल नहीं बैठा पाये हैं और न ही बिना कामरेड बी टी रणदिवे की हिस्सेदारी के सीआईटीयू के सम्मेलन के बारे में सोच पा रहे हैं। सीआईटीयू की स्थापना के बाद से उसके सभी छः सम्मेलनों में उसकी बहस को निर्देशित करने में कामरेड बीटीआर ने एक उल्लेखनीय भूमिका अदा की थी। उनके अध्यक्षीय भाषणों में दुनिया भर की सूचनाएं रहती थी तथा मजदूर वर्ग और ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिये वे बिल्कुल स्पष्ट दिशा निर्देशन किया करते थे। यद्यपि इस संकटपूर्ण मुकाम पर वे हमारे बीच नहीं रहे तथापि उन्होंने अपने पीछे जो समृद्ध विरासत छोड़ी है वह हम सबके लिये प्रेरणा और शिक्षा का स्रोत बनी रहेगी और आनेवाले सभी समय में हम उनकी याद को अपने दिलों में संजोये रहेंगे।

पिछले सम्मेलन के बाद के काल में हमने सीआईटीयू के एक और प्रमुख व्यक्ति कामरेड पी० राममूर्ति को गंवाया है जो हमारे संगठन के संस्थापक महासचिव थे। सीआईटीयू के प्रारम्भिक दिनों में उसे बनाने में उन्होंने जो अथक प्रयास किये उसे हम हमेशा याद रखेंगे। अपनी बीमारी के बावजूद उम्र की आखिरी सांस तक वे सक्रिय थे तथा सीआईटीयू के झंडे तले विभिन्न जन-आन्दोलनों में वे व्यापक स्तर पर दौरा किया करते थे।

सीआईटीयू के उपाध्यक्ष और लम्बे काल से सक्रिय प्रवीण ट्रेड यूनियन नेता कामरेड मोहम्मद इस्माइल नहीं रहे। एक मजदूर वर्ग के परिवार से आकर उन्होंने हमारे देश में ट्रेड यूनियन आंदोलन के निर्माण में एक नेतृत्वकारी भूमिका अदा की।

सीआईटीयू के सचिवों में अन्यतम कामरेड नृसिंह चक्रवर्ती जिनकी सीआईटीयू केन्द्र को मजबूत करने में विशिष्ट भूमिका को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। एक दंडीकृत रेल कर्मचारी के रूप में भारतीय रेल मजदूरों के आंदोलन में उनका योगदान उल्लेखयोग्य था।

बम्बई सम्मेलन के बाद हमारी वर्किंग कमेटी के दो महत्वपूर्ण सदस्य कामरेड कृष्णपद घोष और ई० पद्मनाभन हमारे बीच नहीं रहे। इसी काल में हमने अपनी जनरल कौंसिल के ३ सदस्यों, का० भोला बसु, सुबोध सेन तथा अजित चक्रवर्ती को भी गंवाया है।

त्रिपुरा, पंजाब, कश्मीर, पश्चिम बंगाल और असम में साम्प्रदायिक विभाजनकारी तथा अलगाववादी और प्रतिक्रियावादी राजनीतिक शक्तियों से लड़ते हुए हमारे बहुत से मूल्यवान कामरेडों ने अपने प्राण उत्सर्ग किये हैं। उनका अदम्य साहस तथा बलिदान हमें इन ताकतों के विरुद्ध हमारे संघर्ष में प्रेरणा देगा।

अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में शिथिलता

बम्बई सम्मेलन के बाद ही अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में राष्ट्रपति गोर्वाचोव द्वारा की गयी पहलकदमी के चलते उल्लेखनीय प्रगति आयी थी। हमारे पिछले सम्मेलन के छः महीनों के अन्दर ही १९८७ के अन्दर ही दुनिया ने आईएनएफ संधि पर हस्ताक्षर को देखा। यद्यपि इस संधि में नाभिकीय संधि के बहुत छोटे से हिस्से को समेटा गया था किन्तु इसने नाभिकीय शस्त्रों की समाप्ति तथा हथियारों के कटौती की अवधारणा को गति प्रदान की थी। विश्वव्यापी शांति आंदोलन ने इस अन्तर्राष्ट्रीय संधि को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका हासिल की थी।

लेकिन आईएनएफ संधि के प्रति अमरीकी साम्राज्यवादियों की प्रतिबद्धता ईमानदारीपूर्ण नहीं थी। रेगन प्रशासन ने निर्लज्जता के साथ अपने नक्षत्र-युद्ध प्रकल्प को जारी रखने के अपने फैसले का आह्वान किया था। जन-विनाश के नये-नये हथियारों को विकसित करने में अमरीकी प्रशासन खरबों डालर खर्च करता रहा। वह एक शक्तिशाली महाशक्ति के रूप में उभर आया है। एशिया में अमरीकी साम्राज्यवादी अपने सैनिक अड्डों को लगातार मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने फिलिस्तीनियों के विद्रोह, इंतिफदा की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर फिलिस्तीनियों पर इजरायली बर्बर हमले का नग्नता से समर्थन किया था। येरूशलम में एक सरेजमीन जांच के लिये दल भेजने के संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के बाद अमरीकी साम्राज्यवादियों और इजरायली सरकार ने उस दल को अनुमति देने से इंकार कर दिया। यहां तक कि पश्चिम एशिया समस्या पर एक सम्मेलन के प्रस्ताव पर भी अमरीकी साम्राज्यवादियों की मदद से इजराइल के विरोध की वजह के कारण अमल नहीं किया जा सका। उन्होंने इस सम्मेलन में पीएलओ की भागीदारी का विरोध किया था। ट्यूनीशिया में यासिर अराफात के दो वरिष्ठ सहयोगियों की षड्यंत्रपूर्वक ढंग से हत्या कर दी गयी जिसकी योजना स्पष्ट तौर पर अमरीकी तथा यहूदीवादी एजेंटों ने बनायी थी।

सारी दुनिया ने कुवैत पर इराक के कब्जे की निन्दा की थी तथा कुवैत से इराकी सेना के हट जाने की मांग की थी। लेकिन फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव पर अमल के बहाने जिनका इसके पहले अनेक बार उल्लंघन किया जा चुका है, बुश प्रशासन ने उस क्षेत्र में अपने साढ़े चार लाख सैनिकों को उतार दिया। यहां

अब मुद्दा पश्चिम एशिया के तेल-समृद्ध क्षेत्रों पर नियन्त्रण कायम करने का हो चुका है। सारी दुनिया में १००१.५ खरब बैरल के अब तक पता चल चुके तेल भंडार में ६५ प्रतिशत सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत तथा ईरान के पास है। अमरीकी उद्देश्यों का खोखलापन उस वक्त बिल्कुल जाहिर हो जाता है जब वही बुश प्रशासन फिलिस्तीनी जनता के सवाल पर संयुक्त राष्ट्र संघ के फैसले पर अमल के लिये तैयार नहीं होता। अमरीका, ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय राजधानियों में हुए बड़े बड़े प्रदर्शनों से युद्ध के खिलाफ तथा खाड़ी समस्या के शान्तिपूर्ण समाधान के पक्ष में वहां की जनता ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। खाड़ी युद्ध के प्रति सरकार की नीतियों का प्रतिवाद करते हुए फ्रांस के रक्षामन्त्री तथा इटली के नौसेना के प्रमुख ने त्यागपत्र दे दिये हैं। भारत के लिये यह अब भी जरूरी है कि वह इस शत्रुता की समाप्ति का आह्वान करने तथा सुरक्षा परिषद के जरिये शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश करने की ओर पहलकदमी करें। अमरीकी लड़ाकू विमानों को फिर से तेल भरने की सुविधा को भी सरकार बन्द करे। अमरीकी साम्राज्यवाद की चाटुकारिता का यह एक निर्लज्ज नमूना है। पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों के फलस्वरूप सीधे तौर पर भारतीय उपमहादेश में तनाव पैदा हुआ है। पाकिस्तान पंजाब और कश्मीर में आतंकवादियों को बिना अमरीकी सरकार की रजामन्दी के हथियारों की आपूर्ति तथा प्रशिक्षण नहीं दे सकता था। पाकिस्तान को अमरीकी सामरिक सहायता तथा वहां तानाशाहीपूर्ण निजाम के प्रति समर्थन ने शिमला समझौते के आधार पर कश्मीर प्रश्न के समाधान को अत्यन्त कठिन बना दिया है।

पनामा और ग्रेनाडा में नग्न अमरीकी सशस्त्र हस्तक्षेप से यह साफ पता चलता है कि वह लैटिन अमरीका के देशों की मौजूदा सरकारों को गिराने में किस हद तक जा सकता है। निकारागुआ में डेनियल ओर्तेगो के नेतृत्व की सैंडिनिस्ता सरकार को गिराने तथा चुनाव में प्रतिक्रांतिकारी शक्तियों को मदद देने में तथा अमरीकी सरकार और सीआईए द्वारा कोन्ट्रा को सशस्त्र सहायता प्रदान करने की तरह की घटनाएं अमरीकी दखलन्दाजी की नीति के उदाहरण हैं। निकारागुआ में जनतांत्रिक शक्तियों को पराजित करने में सीआईए तथा अमरीकी सरकार की भूमिका को सारी दुनिया के अखबारों ने खुलेआम स्वीकारा है।

दुनियाभर में फैले हुए सैकड़ों अमरीकी सैनिक अड्डे अनेक विकासशील देशों की सार्वभौमिकता पर खतरा पैदा कर रहे हैं।

सीआईटीयू की यह मान्यता है कि आज विश्व शान्ति और निःशस्त्रीकरण के लिये संघर्ष में शान्तिप्रिय शक्तियों का एक साथ मिलना फौरी जरूरत बन चुका है। क्योंकि सिर्फ यही विश्वयुद्ध को रोक सकता है। मजदूर वर्ग तथा ट्रेड यूनियन आन्दोलन को मजबूत करने में पहलकदमी करनी चाहिये ताकि विश्व पर प्रभुत्व कायम करने की अमरीकी साम्राज्यवादियों की योजना का सफलता के साथ मुकाबला किया जा सके।

समाजवादी क्यूबा की बहादुर जनता के खिलाफ अमरीका अपनी आक्रामक योजनाओं को चलाये हुए है। क्यूबा की आर्थिक नाकेबन्दी करने की निरन्तर कोशिशों से उन्हें कोई लाभ नहीं मिला है। पूर्वी यूरोप तथा सोवियत संघ की हाल की घटनाओं के कारण क्यूबा को मिलनेवाली सहायता में भारी कमी आ गयी है जिससे क्यूबा की अर्थव्यवस्था में गम्भीर कठिनाइयां पैदा हो गयी हैं। फिर भी क्यूबा की जनता इन कठिनाइयों से उबरने के लिये कामरेड फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में बहादुरी के साथ लड़ रही है। क्यूबा के लोग और उनकी सरकार समाजवाद के प्रति अडिग है। यह सभी लैटिन अमरीकी तथा कैरेबियन देशों की जनता के लिये प्रेरणा का उत्स है। चिली में एलिन्दे सरकार के एक खूनी विद्रोह के जरिये उखाड़ कर सत्ता पर बैठे तानाशाह पिनोचेट की पराजय एक ऐसी घटना है जिससे लैटिन अमरीका में अमरीकी साम्राज्यवादियों पर एक गम्भीर चोट लगी है। ट्रेड यूनियन तथा जनतांत्रिक अधिकारों के दमन में पिनोचेट सरकार को सीआईए और अमरीकी प्रशासन मदद कर रहे थे लेकिन चिली की जनतांत्रिक शक्तियों के लगातार तथा एकजुट संघर्ष के कारण वे वहां के नादिरशाही शासन को परास्त करने तथा एक जनतांत्रिक सरकार को स्थापित करने में सफल हुए हैं। चिली में जनतांत्रिक शक्तियों की जीत ने अमरीकी साम्राज्यवादियों तथा उनके दलालों के खिलाफ लैटिन अमरीका की जनता के संघर्षों को बल पहुंचाया है।

नस्लवाद-विरोधी बहादुराना संघर्ष

कामरेड, बम्बई सम्मेलन के वक्त हमें दक्षिण अफ्रीका के कोशाइ के प्रतिनिधिमंडल के स्वागत करने का अवसर मिला था जो अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जूझ रहे थे। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका की जनता ने घृणित बोथा सरकार के खिलाफ हथियार उठाकर लड़ाई की। हमारे कोयला खदान के मजदूरों तथा अधिकारियों ने एएनसी के शानदार संघर्ष के प्रति अपनी एकजुटता के नमूने के तौर पर उनके कोष में १ करोड़ रुपये का योगदान किया।

स्वतन्त्रता के स्वघोषित पुरोधा अमरीका ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कार्रवाइयों के संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की जनता का एकजुट आंदोलन इतना व्यापक हो गया कि अब वहां की काली बहुसंख्यक जनता को दबाकर रखना दक्षिण अफ्रीका के सरकार के बूते की बात नहीं रह गयी थी। दक्षिण अफ्रीका की नयी सरकार को नेल्सन मंडेला, वाल्टर सिसलू तथा अन्य राजनीतिक नेताओं को रिहा करना पड़ा, उन्हें एएनसी को स्वीकृति देनी पड़ी तथा दक्षिण अफ्रीका के लिये एक नये संविधान की रचना के लिये बातचीत शुरू करने के समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ा। ऐसा स्वागत योग्य समाचार मिल रहा है कि वहां के राष्ट्रपति ने नस्लवाद को समाप्त करने की दिशा में कदम रखने शुरू कर दिये हैं।

भारत की धरती पर १५ अक्तूबर १९९० को कामरेड नेलसन मंडेला का स्वागत करके हमें बेहद खुशी हुई थी। कलकत्ता में वाम मोर्चा सरकार द्वारा आयोजित प्रभावशाली रैली दक्षिण अफ्रीका के भाइयों और बहनों के प्रति भारत की जनता की आंतरिक भावनाओं को अभिव्यक्त कर रही थी। हम दक्षिण अफ्रीका में अपने कामरेडों की पूर्ण सफलता की कामना करते हैं जो नस्लवादी सरकार के पंजे से दक्षिण अफ्रीका को मुक्त करने के लिये एकजुट संघर्ष चला रहे हैं। नामीबिया की जनता ने दक्षिण अफ्रीका की सरकार के खिलाफ लगभग ७५ वर्षों तक संघर्ष करके १९८९ के नवम्बर महीने में स्वतन्त्रता हासिल की। महान् नेता सैम नुजोमा के नेतृत्व में स्वापो ने एक लम्बे और कठिन संघर्ष के जरिये इस स्वतन्त्रता को प्राप्त करने में उल्लेखनीय भूमिका अदा की है। अफ्रीकी महादेश में अमरीकी साम्राज्यवाद को यह एक बड़ा धक्का था।

जनतांत्रिक अग्रगति

सीआईटीयू ने उत्तर कोरिया की सरकार के द्वारा कोरिया की पितृ-भूमि के एकीकरण के लिये रखे गये प्रस्तावों का हमेशा समर्थन किया है। दक्षिण कोरिया में आधुनिक हथियारों से लैस ४०,००० अमरीकी सैनिकों की उपस्थिति तथा व्यापक अमरीकी पूंजी नियोजन राष्ट्रीय एकीकरण की राह की सबसे बड़ी बाधा है। दक्षिण कोरिया की सरकार के साथ मिलकर अमरीकी सैनिक अभ्यास ने इस क्षेत्र में और तनाव उत्पन्न कर दिया है। फिर भी दक्षिण कोरिया में जनतांत्रिक आंदोलन की अग्रगति की वजह से उस देश की सरकार को राष्ट्रीय एकीकरण के प्रश्न पर उत्तरी कोरिया की सरकार के साथ बातचीत शुरू करने को विवश होना पड़ा है। अमरीकी साम्राज्यवादी अभी भी दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था पर अपने कब्जे को बनाये रखने के लिये दो-कोरिया के विचार से खेल रहे हैं। दक्षिण कोरिया की जनता राष्ट्रीय एकीकरण तथा दक्षिण कोरिया से अमरीकी सैनिकों की वापसी के लिये अपने आंदोलन को जोरदार बना रही है। हम हार्दिक तौर पर यह आशा करते हैं कि उत्तरी कोरिया की सरकार के नये प्रस्तावों की लाईन पर दोनों सरकारों के बीच संवाद आगे बढ़ेगा तथा कोरिया की जनता का कृत्रिम विभाजन जितना जल्द सम्भव हो, समाप्त होगा।

अफगानिस्तान में जेनेवा संधि जनता के विभिन्न हिस्सों के बीच विवाद के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटना थी। संधि के अनुसार सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं को वापस हटा लिया लेकिन अमरीकी साम्राज्यवादी अभी भी मुजाहिद्दिनों को हथियार भेज रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप अफगानिस्तान की शांतिप्रिय जनता पर लगातार प्रतिक्रांतिकारी तत्वों के हमले हो रहे हैं। फिर नजीबउल्ला के नेतृत्व में अफगानिस्तान सरकार ने सही ढंग से परिस्थिति का मुकाबला किया है और सभी जनतांत्रिक हिस्सों को एकजुट करने की दिशा में कदम उठाये हैं। मुजाहिद्दिनों पर यह एक बड़ा प्रहार था। वे जनता से अलग-थलग हो रहे हैं। अमरीका तथा पाकिस्तान के षड़यन्त्रों को पराजित करने में तथा अपने देश में स्थिरता कायम करने में अफगानिस्तान की जनता के प्रयत्नों की हम पूर्ण सफलता की कामना करते हैं।

कम्बोडिया की समस्या के राजनीतिक समाधान का प्रश्न लम्बे अर्से से अधर में लटका हुआ है फिर भी १० सितम्बर १९९० को जाकार्ता में चार पक्षों की एक औपचारिक बैठक में सुप्रीम नेशनल कौंसिल के गठन पर हुए समझौते से कुछ अग्रगति हुई है। नवम्बर महीने में जाकार्ता और पेरिस में हुए वर्किंग सम्मेलन ने कम्बोडिया की समस्या के अन्तिम राजनीतिक समाधान के लिये एक उपयुक्त वातावरण तैयार किया था। लेकिन फिर कठिनाइयां उत्पन्न हो गयीं तथा पेरिस सम्मेलन आयोजित ही नहीं हो सका। हमें आशा है कि सभी पक्ष शान्तिपूर्ण ढंग से अपने मतभेदों को दूर कर लेंगे ताकि कम्बोडिया की सार्वभौमिकता को कायम रखते हुए जितना जल्द हो सके इस समस्या का शांतिपूर्ण समाधान हासिल कर लिया जाय। दक्षिण-पूर्व एशिया की परिस्थिति पर इस समस्या के समाधान से बहुत कुछ निर्भर करता है।

नेपाल में पिछले दिनों जनतन्त्र की हवा बहती रही है। वहां "पंचायती राज" पर नियन्त्रण कायम किये हुए राज्य के खिलाफ संघर्ष सफल हुआ तथा निर्मम दमन के बाद अन्त में नेपाल के राजा को देश में जनतांत्रिक व्यवस्था को मानने पर सहमत होना पड़ा। इस संघर्ष में नेपाली कांग्रेस तथा एकजुट वामपंथी मोर्चे की एकता ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पहली बार नेपाल में सच्ची ट्रेड यूनियन पैदा हुई हैं और खुली राजनीतिक गतिविधि की अनुमति दी गयी है। हम अपने इस उत्तरी पड़ोसी देश में सभी वामपंथी और जनतांत्रिक शक्तियों की सफलता की कामना करते हैं ताकि जनता के अधिकारों की रक्षा में वे और सफलताएं हासिल कर सकें। हमें आशा है कि नेपाल की घटनाएं भारत और नेपाल के संबंधों को भी सुधारेंगी।

नौ वर्षों तक इरशाद की तानाशाही के विरुद्ध एक खूनी संघर्ष के बाद बंगला देश की जनता वहां की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने तथा उस देश में जनतांत्रिक चुनावों का रास्ता सुगम करने में सफल हुई है। हमें आशा है कि बंगला देश के लोग अपने अधिकारों को स्थापित करने में सफल होंगे तथा बंगला देश में फिर सैनिक तानाशाही को नहीं आने देंगे। वहां के राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में बंगलादेश की वामपंथी और जनतांत्रिक शक्तियों द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत करने का हम पूर्ण समर्थन करते हैं।

बर्मा में सैनिक शासन के खिलाफ जनता का संघर्ष खून में डूबाकर भी वहां की तानाशाही सरकार को चुनाव कराने पर सहमत होना पड़ा। वहां की जनता ने चुनावों में सैनिक शासन को उखाड़ फेंका फिर भी वहां के सैनिक शासक चुने हुए प्रतिनिधियों को सत्ता सौंपने को तैयार नहीं है इसीलिये आज भी वहां

तानाशाही निजाम बना हुआ है। हमें आशा तथा विश्वास है कि वहां जनतांत्रिक शक्तियों की विजय होगी।

कामरेड, श्रीलंका की परिस्थिति भारत-श्रीलंका संधि पर अमल न करने की वजह से और भी बिगड़ गयी है। श्रीलंका में एलटीटीई ने जो एक एकपक्षीय युद्धबन्दी का ऐलान किया था वह बहुत ही अल्पकालिक रहा तथा वहां की इस अन्दरूनी लड़ाई में अनगिनत मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। सीआईटीयू का यह दृढ़ मत है कि श्रीलंका के दायरे में तमिलभाषी जनता को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करके ही इस समस्या का सही समाधान पाया जा सकता है।

फिजी में जनतन्त्र का दमन

फिजी में जनतन्त्र का दमन हमारे लिये गहरी चिन्ता का विषय है क्योंकि भारतीय मूल के वहां की आबादी के एक बड़े हिस्से को न्यूनतम नागरिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। सेना और पुलिस भारतीय मजदूरों का दमन कर रही है तथा तानाशाही निजाम ने उनकी ट्रेड यूनियनों को कुचल डाला है। चूंकि उस देश के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध तोड़ लिये गये हैं इसलिए फिजी की जनता के साथ सम्पर्क का भी कोई रास्ता नहीं रहा। जारी सैनिक शासन के खिलाफ तथा जनतांत्रिक अधिकारों के लिये फिजी की जनता के संघर्ष के प्रति हम अपना पूर्ण समर्थन जाहिर करते हैं।

कुछ समाजवादी देशों में उथल-पुथल

कामरेड, पूर्वी यूरोपीय देशों की घटनाएं हमारे लिये भारी चिन्ता का विषय है। प्रतिक्रियावादी कम्युनिस्ट विरोधी शक्तियां सत्ता पर आ गयी हैं तथा वे समाजवादी व्यवस्था को मटियामेट करके विकास के पूंजीवादी रास्ते के लिये काम कर रही हैं तथा आसमान सिर पर उठाये हुए हैं। लेकिन सिर्फ अनुभव ही वहां की जनता को सिखायेगा कि पश्चिम के पूंजीवादी देश उन्हें कितना ही उत्साहित क्यों न कर रहे हों इस रास्ते से उन्हें कोई मुक्ति नहीं मिल सकती।

सोवियत संघ की घटनाओं ने परिस्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। दुनिया की जनता ने यह देखा है कि कैसे १९१७ में पिछड़े हुए रूस में क्रांति के बाद पहले समाजवादी राज्य की स्थापना हुई तथा देश मजदूर वर्ग के नेतृत्व में जनता के बलिदानों और उत्साह के साथ दिन प्रतिदिन मजबूत से मजबूत होता चला गया। कई क्षेत्रों में वह बहुत से पूंजीवादी देशों के बराबर आ गया तथा कुछ में तो उन्हें पीछे छोड़ दिया। जबकि पूंजीवादी और साम्राज्यवादी देश कई वर्षों तक अपने सक्रिय हस्तक्षेप तथा बहिष्कार आदि से उसे समाप्त करने की लगातार कोशिशें करते रहे हैं। इससे पहले शोषण विहीन समाज ने एक नये युग का सूत्रपात किया तथा सारी दुनिया में मजदूर वर्ग और दबे-कुचले लोगों को शोषण और अन्याय के खिलाफ समाजवाद के लक्ष्य के लिये लड़ने की प्रेरणा दी। शांति की तरह ही युद्ध काल में भी फासीवाद विरोधी संघर्ष के काल में सोवियत जनता के बलिदानों और बहादुरी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में वहां की सरकार की भूमिका की सभी स्वतन्त्रताप्रेमी लोगों ने सराहना की थी। युद्धोत्तर काल में भी समाजवाद और फैला। महान चीनी क्रांति सफल हुई तथा दुनिया की सबसे बड़े आबादी वाले देश में एक समाजवादी राज्य की स्थापना हुई। एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका के मुक्ति संघर्षों को समाजवादी देशों से प्रेरणा मिलती रही है। लेकिन युद्धोत्तर काल में वैज्ञानिक और तकनीकी खोजों तथा नव-उपनिवेशवादी शोषण के चलते पूंजीवादी और साम्राज्यवादी देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को चंगा कर लिया तथा पूंजीवादी व्यवस्था के अन्तर्निहित संकट बढ़ती हुई बेरोजगारी और हमेशा से उनके साथ लगी हुई अन्य बीमारियों के बावजूद आर्थिक क्षेत्र में वे काफी प्रगति कर पाये। दूसरी ओर सोवियत संघ में जहां उल्लेखनीय वैज्ञानिक और तकनीकी अग्रगति हुई फिर भी वह मुख्यतः प्रतिरक्षा के क्षेत्र तक, अंतरिक्ष में शोध आदि तक सीमित रही। आधुनिक हथियारों के मामलों में सोवियत संघ अमरीका की बराबरी पर आ गया तथा उसकी इजारेदारी को तोड़ डाला। इससे युद्ध को रोके रखने तथा साम्राज्यवादियों की धमकी का मुकाबला करने में मदद मिली। लेकिन उत्पन्न हुई नयी परिस्थिति में सोवियत नेतृत्व ने जनता की आवश्यकताओं की अवहेलना की, कम्युनिस्ट पार्टी ने जनता के साथ अपने सम्पर्कों को गंवा दिया, सच्चाई को अनदेखा किया तथा सही वक्त पर आवश्यक सुधार और परिवर्तन नहीं किये और समाजवादी विचारधारा को काफी पीछे छोड़ दिया। इन परिस्थितियों में नयी पीढ़ी पर पश्चिम के उपभोक्ता समाज का असर पड़ा। उसने उस समाज की अन्य सभी बुराइयों को अनदेखा कर दिया। मैं यहां सोवियत पार्टी द्वारा इतिहास और बाद के घटना विकास के शुरू किये गये विश्लेषण पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं महसूस करता और न ही सोवियत पार्टी तथा सरकार के नये कार्यक्रम पर मैं कोई टिप्पणी करूंगा। लेकिन अबतक भी कोई स्पष्ट परिणाम सामने नहीं आये हैं तथा राष्ट्रीयताओं और जातीय समूहों के संदर्भों में नयी समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं जो सोवियत संघ को कई टुकड़ों में बांट देना चाहती हैं। वहां की कम्युनिस्ट पार्टी में भी खतरनाक विभाजन दिखाई देता है। सोवियत संघ के नेतृत्व के एक हिस्से की अब भी यह मान्यता है कि वह समाजवादी व्यवस्था के दायरे में ही परिवर्तन कर रहा है। लेकिन इसके विपरीत दूसरी ऐसी जोरदार आवाजें तथा मत भी हैं जो समाजवाद से भिन्न रास्ते पर चलना चाहते हैं। हम व्यग्रता के साथ सिर्फ परिणामों का प्रतीक्षा की सकते हैं। अमरीका की तुलना में महाशक्ति के रूप में उसकी स्थिति कमजोर हो चुकी है।

चीन

चीन में भी समाजवाद के निर्माण के दौरान गंभीर गल्तियां हुई हैं। वहां का नेतृत्व यह स्वीकार करता है कि सांस्कृतिक क्रांति

के कारण उन्होंने दस वर्ष व्यर्थ गंवा दिये तथा आर्थिक नीतियों के क्षेत्र में गम्भीर गल्तियां की गयीं। सोवियत संघ में परिवर्तन और पुनर्निर्माण के काम को अपनाने के पहले अपने खुद की परिस्थिति का आकलन करते हुए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने गंभीर सुधार के निवारक कदम समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत ही उठाये थे। वे खुद को "मार्क्सवाद-लेनिनवाद तथा माओत्सेतुंग" विचारधारा पर टिकाये हुए हैं। उन्होंने बुर्जुआ-जनतांत्रिक व्यवस्था तथा पूंजीवादी रास्ते को ठुकरा दिया है। थियेन मेन चौक की घटनाओं के बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और वहां की सरकार ने प्रति-क्रांतिकारी शक्तियों का मुकाबला करते हुए तथा उन्हें परास्त करते हुए ऐसे निदानकारी कदम उठाये जिनसे समाजवादविरोधी पूंजीवाद-परस्त विचारधारा से निपटा जा सके। चीन की घटनाओं पर हमें अपनी नजर रखनी है तथा हम समाजवाद को मजबूत करने में उसकी सफलता की कामना करते हैं।

क्यूबा, वियतनाम तथा उत्तरी कोरिया में समाजवाद के निर्माण में कई विकृतियों को सुधार लिया गया है जिसके कारण इन देशों में समाजवादी लाभों की रक्षा करना सम्भव हुआ है। इन सभी घटनाओं से भारत के मजदूर वर्ग तथा आम लोगों को उचित शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये तथा खुद अपने अनुभवों से भारत की ठोस परिस्थिति के अनुरूप ठोस कदम उठाते हुए समाजवाद एवं शोषण विहीन के समाज अंतिम लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना चाहिये। हम अपने मजदूर वर्ग की राजनीतिक चेतना को लगातार बढ़ाते जायेंगे। हमें उन्हें वैज्ञानिक समाजवाद तथा मार्क्सवाद-लेनिनवाद से दीक्षित करना होगा।

भारत-चीन सम्बन्धों में स्वागतयोग्य सुधार

कामरेड, बम्बई सम्मेलन के बाद से चीन के साथ भारत के सम्बन्धों में उल्लेखयोग्य सुधार हुआ है जिसका एशिया तथा तीसरी दुनिया के देशों की सामान्य परिस्थिति पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। दोनों पक्षों ने इस बात पर संतोष जाहिर किया है कि सीमा विवाद पर चल रही सरकारी स्तर की वार्ता सही ढंग से प्रगति कर रही है और उन्होंने यह इच्छा जाहिर की है कि वे बातचीत के जरिये सीमा-समस्या का समाधान कर लेंगे। विगत तीन वर्षों के दौरान सांस्कृतिक और आर्थिक सम्बन्धों में सुधार हुआ है तथा दोनों देशों के बीच प्रतिनिधियों का आवागमन पहले से ज्यादा हो गया है। सीमाई-वाणिज्य फिर से शुरू करने के बारे में दोनों देशों ने स्वागत योग्य निर्णय लिया है।

हमारी यह आंतरिक इच्छा है कि भारत और चीन के बीच मित्रतापूर्ण सम्बन्ध आगे और विकसित होते जायं। यह दोनों ही देशों के हित में है। अपनी स्थापना के वक्त से ही सीआईटीयू हमेशा इस बात पर बल देता रहा है कि दो प्राचीन देशों के बीच पड़े हुए विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है। इस इस दिशा में कोई भी स्वागतयोग्य प्रगति से हमें खुशी होगी।

विकासशील और साम्राज्यवादी देशों के बीच बढ़ता हुआ टकराव

विगत दो वर्षों में विकासशील तथा साम्राज्यवादी देशों के बीच टकराव में वृद्धि हुई है। अपने कुल राष्ट्रीय उत्पादन (जीएनपी) का कम से कम ०.६ प्रतिशत हिस्सा विकसित पूंजीवादी देश विकासशील देशों को सरकारी राहत के रूप में प्रदान करे, इस आशय के संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के बावजूद किसी भी विकसित पूंजीवादी देश ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। १९८८ के अंत तक अमरीका द्वारा दी गयी सहायता उसके जीएनपी का सिर्फ ०.२१ प्रतिशत थी जबकि ब्रिटेन और जापान ने क्रमशः ०.२८ और ०.३२ प्रतिशत सहायता प्रदान की है। इसके परिणामस्वरूप विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था और तेजगति से विकसित होने में असमर्थ है। कई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में विकासशील देशों ने आर्थिक सहायता में वृद्धि की जरूरत पर बल दिया है लेकिन विकसित पूंजीवादी देश इसकी कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं हैं।

विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरह की विकासशील देशों को कर्ज देने वाली दो एजेंसियां उन देशों पर ऐसी शर्तें लाद रही हैं जो इन विकासशील देशों के प्रतिकूल होती हैं और अक्सर उनके हितों से उनका कोई मेल नहीं बैठता। संयुक्त राष्ट्र संघ तथा आईएलओ द्वारा नयी विश्व-आर्थिक व्यवस्था की बात करने के बावजूद विकासशील देशों की गरीबी बढ़ती जा रही है जबकि विकसित पूंजीवादी देशों की समृद्धि बढ़ रही है। तथाकथित उत्तर-दक्षिण संवाद जिसका उद्देश्य विकासशील देशों में जीवन की परिस्थितियों में सुधार करना कहा जाता है वह सिर्फ कागज पर ही सीमित रह गया है।

विकासशील देशों पर विदेशी कर्ज प्रतिवर्ष नियम से बढ़ता चला जा रहा है तथा सरकारी आंकड़ों के अनुसार १९८८ के अंत तक यह राशि १३२० खरब डालर तक पहुंच गयी है। 'ग्रुप ७७' जो तीसरी दुनिया के देशों का प्रतिनिधित्व करता है, विकसित पूंजीवादी देशों की नीति में परिवर्तन की लगातार मांग करता रहा है। ब्याज की दरों में कमी, सबसे कम विकसित देशों पर से १९८७ के तर्क पहले सबका खारिज करने, कर्ज चुकाने के मामले में लचीलापन बरतने और उन्हें नये कर्ज प्रदान करने की उनकी मांगों को, विकसित पूंजीवादी देशों ने स्वीकार नहीं किया है। इसके फलस्वरूप विकासशील देशों पर विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है तथा कुछ देश इसी बीच कर्ज के फंदे में फंस चुके हैं।

विकासशील और विकसित देशों के बीच टकराव का दूसरा पहलू है असमान आर्थिक सम्बन्ध। विकासशील देशों को मूलतः बिल्कुल प्राथमिक उत्पादनों का निर्यात करना पड़ता है। इन सामग्रियों के दाम या तो गिर रहे हैं या कुछ मामलों में यदि बढ़

भी रहेहैं तो बे बिल्कुल नहीं के बराबर हैं। जबकि तैयार मालों का दाम बहुत तेज गति से बढ़ता जा रहा है। इसप्रकार प्राथमिक तथा तैयार मालों के दामों के बीच की खाई तेज दर से बढ़ती जा रही है। पिछले दशक के दौरान प्राथमिक मालों की कीमतों में ३० से ५० प्रतिशत्त की कटौती हुई है जिसके कारण विकासशील देशों को पहले जितनी ही विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये विकास-शील देशों को अधिक निर्यात करना पड़ता है।

जब विकासशील देशों को अधिक संरक्षण की जरूरत है तब विकसित पूंजीवादी देश अपने बाजारों में विकासशील देशों के मालों के प्रबेश को रोकने के लिये तथाकथित "वाणिज्य संरक्षण" का रास्ता अपना रहे हैं। तीसरी दुनिया के देशों के विदेश वाणिज्य पर इसका विध्वंसक असर पड़ा है।

अमरीकी कांग्रेस द्वारा "अनुचित" वाणिज्य व्यवहार को रोकने के नाम पर १९८८ में पारित किथा गया "ओम्निबश ट्रेड ऐक्ट" अमरीकी सरकार को उन देशों के खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करने का अधिकार देता है जो देश अमरीकी साम्राज्यवाद के निर्देश का अक्षरश: पालन नहीं करते। अमरीकी सरकार द्वारा भारत के खिलाफ लगाया गया सुपर ३०१ भारत सरकार पर अमरीकी सरकार के इशारों पर चलने के लिये दबाव डालने के आर्थिक ब्लैकमेल का एक उदाहरण था। यह धारा वस्तुतः विकासशील देशों के सार्व-भौमिकता के अधिकार की बुनियाद पर ही चोट करती है!

जनरल एग्रीमेंट आफ टैरिफ्स एण्ड ट्रेड (गैंट) की उरुग्वे चक्र की वार्ता सिर्फ इसीलिये आगे नहीं बढ़ पायी क्योंकि साम्राज्यवादी देश विकासशील देशों के शोषण को पहले की तरह ही जारी रखना चाहते हैं।

यह एक स्वागतयोग्य बात है कि विकासशील देश इन नीतियों के प्रति सतर्क होते जा रहे हैं तथा विकसित पूंजीवादी देशों पर उनकी नीतियों में परिवर्तन लाने के लिये जोर दे रहे हैं। ये विकासशील 'देश तकनीक के हस्तान्तरण की शर्तों को बदलना' चाहते हैं जिस पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का नियन्त्रण है। आंकड़ों के अनुसार पूंजीवादी दुनिया की वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतिभाओं के ९५ प्रतिशत पर तथा दुनिया के वैंज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान और विकास खर्च का ९४ प्रतिशत हिस्सा विकसित पूंजीवादी देशों के हाथ में है, जबकि विकासशील देशों के पास क्रमशः सिर्फ ११ प्रतिशत और ६ प्रतिशत हिस्सा है।

इसीलिये ट्रेड यूनियन आन्दोलन को तीसरी दुनिया के देशों में विकास की समस्याओं पर गहरी दिलचस्पी लेनी चाहिए ताकि विकसित पूंजीवादी देशों द्वारा शोषण के खिलाफ संघर्ष में प्रभाव-शाली ढंग से हिस्सा ले सकें और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की असमान शर्तों का मुकाबला कर सकें।

भारतीय राजनीतिक परिदृश्य

हाल ही में देश अनेक परिवर्तनों का साक्षी हुआ है। लेकिन मैं यहां आज उन सबकी समीक्षा करने नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ कुछ चीजों पर प्रकाश डालूंगा।

इन्दिरा गांधी की बर्बर हत्या के उपरान्त सारे देश में धिक्कार की भावना व्यक्त गयी थी तथा उस जघन्य हत्या के ठीक बाद ही लोकसभा के चुनाव हुए जिनमें श्रीराजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस (इ) विजयी बन कर सामने आयी। उसे सहानुभूति लहर के चलते भारी बहुमत मिला था।

लेकिन सरकार के कामों में कोई मेल नहीं था तथा अल्पकाल में ही उसका सर्वाधिकारवादी चरित्र प्रगट होने लगा। उस सरकार की जन-विरोधी नीतियों के चलते जनता का मोहभंग शुरू हो गया था। उस पर भ्रष्टाचार के भी कई आरोप लगे, खास तौर पर बोफोर्स तोपों की खरीद के मामले में किये गये प्रतिरक्षा सौदों में भ्रष्टाचार के आरोप ने जनता को व्यापक पैमाने पर उसके खिलाफ खड़ा कर दिया।

राजीव गांधी सरकार द्वारा अपनायी गयी आर्थिक नीतियां अपनी प्रतिगामी में पश्चगामी थी। उसने आयात में उदारतावाद की जिस नीति का प्रारम्भ किया। उससे भारतीय उद्योग पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। विदेशी पूंजी पर बढ़ती हुई निर्भरशीलता, इजारेदाराना पूंजी को और अधिक रियायतों के चलते चन्दलोगो के हाथ में पूंजी और ज्यादा संकेन्द्रित होने लगी। उस सरकार के अन्य आर्थिक कदमों ने और ज्यादा मुद्रा-स्फीति को बढ़ाया तथा आम लोगों के बोझ में और वृद्धि की क्योंकि वह रोजमर्रे की जरूरी सामग्रियों की कीमतों को प्रशासनिक आदेशों क्रमशः बढ़ाती चली गयी। श्री राजीव गांधी के नेतृत्व की सरकार ने बंद और बीमार उद्योगों की समस्याओं की कोई परवाह नहीं की तथा अधिक मजदूरों को काम देने वाले लघु एवं कुटीर उद्योगों की ओर ध्यान देने से उसने इन्कार कर दिया। एक सीमातक देश में बेरोजगारी की समस्या से निपटने की कोई कोशिश नहीं की गयी।

राजीव गांधी सरकार ने संसद में जो "औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक" पेश किया था। उसका लक्ष्य हड़ताल करने के मजदूरवर्ग के अधिकार को कुचलना था, जिसे देशभर में मजदूरों के आंदोलन ने सफलता के साथ रोक दिया।

शिक्षा के क्षेत्र में उस सरकार ने "सबको शिक्षा" के उद्देश्य की अवहेलना की और उसके बदले कुलीन शिक्षा पर बल दिया। सत्ता के विकेन्द्रीकरण की देशव्यापी मांग के विपरीत राजीव गांधी सरकार ने सरकारिया आयोग की रिपोर्ट को नजरंदाज करते करते हुए सत्ता के और अधिक केन्द्रीयकरण की नीति को अपनाया और इसप्रकार केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को और तनाव युक्त कर दिया।

राजनीतिक क्षेत्र में राजीव गांधी सरकार ने पंजाब समस्या के समाधान की दिशा में पहलकदमी नहीं की, जम्मू और कश्मीर की समस्या को और बिगड़ने दिया।

उस सरकार ने त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव की चन्दरोज पहले स्वतन्त्र और सही चुनावों की पीठ पर छुरा भोंकने के लिये सेना तैनात कर दी और इस प्रकार कांग्रेस (इ) को जिता दिया। यह साफ हो चुका है कि तत्कालीन केन्द्रीय इन्का सरकार ने वाम-मोर्चा सरकार को सत्ताच्युत करने के लिये टीएनवी के साथ मिलकर गुप्त षड़यन्त्र किया था। उसने चुनाव में तात्कालिक राजनीतिक लाभों के लिये विभाजनकारी, साम्प्रदायिक तथा तत्ववादी तत्वों के साथ समझौता किया। इन सबने जनता के विशाल हिस्सों को सरकार से अलग-थलग कर दिया और जब मौका आया तो विपक्ष की शक्तियों ने उसे परास्त कर दिया।

राजनीतिक लड़ाई में वी पी सिंह के नेतृत्व के जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चे ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जिन्हें वामपन्थियों का समर्थन प्राप्त था।

१९८९ के लोकसभा चुनाव में, जनता दल तथा राष्ट्रीय मोर्चे ने भी देश में व्यापक कांग्रेस (इ) विरोधी जन-भावनाओं की पृष्ठभूमि में भाजपा के साथ सीटों का समझौता किया ताकि, उनके अनुसार, गैर-कांग्रेस (इ) मतों में कोई बड़ी दरार न पड़ने पाये। लेकिन हम वामपंथी अपने निर्णय पर अटल रहे कि किसी भी परिस्थिति में हम चुनावों के दौरान भाजपा के साथ एक मंच पर नहीं जायेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मोर्चे ने सरकार बनायी, किन्तु यह कमजोरी रह गयी थी कि भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर भाजपा एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आ गयी थी। उस पार्टी ने यह साफ आश्वासन दिया था कि वह अपनी पार्टी के घोषणापत्र के कुछ मुद्दों पर अमल करने के लिये इस हद्तक दबाव नहीं डालेगी कि जिससे राष्ट्रीय मोर्चा सरकार गिर जाने की हद तक चली जाए। लेकिन सचाई में बिल्कुल यही घटित हुआ। अपनी शक्ति बढ़ा लेने के बाद भाजपा राष्ट्र के हितों के खिलाफ काम करने लगी तथा अपने वादों से मुकरने लगी। उसने बाबर द्वारा बनायी गयी मस्जिद को हटा कर उस स्थान पर 'राममन्दिर' बनाने की मांग उठानी शुरू कर दी।

इसके बाद ही हमने देखा कि किसप्रकार विहिप, आरएसएस और बजरंग दल द्वारा समर्थित श्री अडवाणी का रथ जिस रास्ते से गुजरता था, अपने पीछे खून की धार बहाता जाता था। मुस्लिम अल्पसंख्यकों की हत्याएं की गयीं, उन्हें उजाड़ दिया गया। हमारे पूर्ण समर्थन से वी० पी० सिंह सरकार ने भाजपा, विहिप आदि की मांग को स्वीकारने से इन्कार कर दिया। फलतः भाजपा ने उस सरकार के प्रति अपने समर्थन को वापस ले लिया। वी० पी० सिंह के इस रुख का स्वागत करने के बजाय श्री चन्द्रशेखर ने ५२५ सांसदों में से सिर्फ ६० के करीब सांसदों के लेकर कांग्रेस (इ) के साथ मिलकर साजिश करके अपनी सरकार बना ली। यह उन दोनों के लिये ही अनैतिकता और अवसरवाद था। उन्होंने मतदाताओं की राय को ठुकराया था। यह संसदीय जनतन्त्र के तमाम उसूलों के विरुद्ध था तथा मतदाताओं का अपमान था। अब जरूरी यह है कि फिर से जनता के पास जाकर उनकी राय ली जाए। जनता (समाजवादी) के सांसदों की संख्या घट कर अब ५२ हो गयी है क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष ने सिद्धान्त की कसौटी पर 'दल-बदल' विरोधी कानून के मातहत लोकसभा के ८ सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया है, जिनमें ५ केन्द्रीय मन्त्री शामिल हैं। लेकिन निर्लज्जता के साथ आज भी वे मन्त्री बने हुए हैं। हमारा देश उपहास का विषय बन गया है तथा आज दुनिया की नजरों में उसकी साख गिर चुकी है। अल्पमत की सरकार ने अपने किसी कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है और न ही कांग्रेस (इ) को इसकी कोई जरूरत महसूस हुई। यह है जनता के प्रति सम्मान की उनकी भावना का स्तर। अबतक उन्होंने जो तदर्थ निर्णय लिये हैं वे सभी जनता के हितों के खिलाफ गये हैं और अभी की अस्थिर तथा अनिश्चित परिस्थिति में केन्द्रीय सरकार कोई सुचिन्तित नीति नहीं अपना सकती है। किसी भी हालत में, ऐसी सरकार तभी तक टिकी रह सकती है जबतक कांग्रेस (इ) उसका समर्थन करती है।

चन्द्रशेखर सरकार ने एक के बाद एक चुनी हुई राज्य सरकारों को गिरा कर अपने एकाधिकारवादी चरित्र को नंगा कर दिया है। पहले उसने असम में अगप की सरकार को गिराया। हम वामपन्थी चुनी हुई सरकार को भंग करने के सदा विरोधी रहे हैं क्योंकि यह जनतन्त्र और संघवाद के उसूलों के खिलाफ है। असम के मामले में हमारा विरोध इस मूलभूत सिद्धान्त पर आधारित था।

मैंने श्री चन्द्रशेखर से यहां सवाल किया था कि क्या उन्होंने उल्फा के आतंकवादियों और अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिये, जो जरूरी हो चुका था, चुनी हुई अगप सरकार को समझाने की कोशिश की थी। प्रधानमन्त्री ने जोर देकर कहा कि उन्होंने आवश्यक निवेदन किया था। लेकिन असम के मुख्य-मन्त्री ने चुनाव के पहले कोई भी कार्रवाई करने से इन्कार कर दिया। मैं, किन्तु, नहीं जानता, वास्तव में क्या घटा था।

इस प्रकार की सिद्धांतविहीन और अवसरवादी सरकार, जो सत्ता पर श्री राजीव गांधी के नेतृत्व की कांग्रेस (इ) पार्टी की दया और समर्थन पर टिकी हुई है, उसने कांग्रेस (इ) तथा एआईए-डीएमके के गंठजोड़ को खुश करने के लिये ताकि वह कुर्सी पर बनी रहे, इस महीने के प्रारम्भ में तमिलनाडु की डीएमके सरकार को हटा दिया।

राजनीतिक नैतिकता से पूरी तरह अलग तथा मतदाताओं के प्रति कोई सम्मान का भाव न रखने वाली चन्द्रशेखर सरकार ने तमिलनाडु में डीएमके सरकार को गिरा दिया जिसे विधानसभा में

विशाल बहुमत प्राप्त था तथा जिसने एलटीटीई के लोगों के खिलाफ कदम उठाये थे। वहां राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना ही राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया जो जाहिरा तौर पर कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में भारत सरकार के मत से सहमत नहीं थे। देश के सभी सद-बुद्धि सम्पन्न लोगों ने केन्द्र द्वारा जनतन्त्र की इस हत्या के खिलाफ व्यापक प्रतिवाद संघर्षों में हिस्सा लिया। छः राज्यों में तमिलनाडु, बिहार, पांडीचेरी, आन्ध्रप्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में सम्पूर्ण बंद का पालन किया गया। पश्चिम बंगाल में हमने इस महीने की ६ तारीख को केन्द्र की इस खतरनाक कार्रवाई तथा साथ ही भारत में अमरीकी युद्ध विमानों को तेल भरने की सुविधा प्रदान करने के वर्तमान केन्द्रीय सरकार के कदम के खिलाफ एक सफल बन्द का पालन किया।

राजनीतिक अनैतिकता, जनतन्त्र पर हमले तथा भारत की विदेशी नीति के अधोपतन के इन कदमों के प्रति मजदूर वर्ग खामोश दर्शक बना नहीं रहा सकता है।

साम्प्रदायिक, तत्ववादी तथा विभाजनकारी तत्वों की वजह से परिस्थिति और भी जटिल हो गयी है। पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा असम में भारत को तोड़ने के उद्देश्य से विभाजनकारी आंदोलन चलाये जा रहे हैं। चुनावों में राजनीतिक लाभ हासिल करने तथा अवसरवादी कारणों से कांग्रेस (इ) ने वर्षों से अलगाववादी और तत्ववादी ताकतों को रियायतें दी है। कांग्रेस (इ) ने आदिवासियों तथा अन्य कमजोर तबकों को उनके न्यायोचित हकों से वंचित भी किया है। कई अवसरों पर उसने राज्यों के जनतान्त्रिक अधिकारों के खिलाफ दुर्व्यवहार किया तथा चुनी हुई सरकारों के खिलाफ एकाधिकारवादी कदम उठाये जिनके परिणामस्वरूप केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्धों में गिरावट आयी। मजदूर वर्ग इन घटनाओं को नजरन्दाज करके नहीं रह सकता। राष्ट्र के एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देश को इन घटनाओं के प्रति उसे स्वयं को पूरी तरह जागरूक रखना होगा तथा निर्लज्ज राजनीतिज्ञों द्वारा पैदा की गयी राजनीतिक समस्याओं के समाधान को पाने में मदद करनी होगी।

चूंकि समाज के रूपान्तरण तथा समाजवाद की स्थापना के लिये आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने में मजदूर वर्ग को एक बड़ी भूमिका अदा करनी है इसीलिये हमारे जनतन्त्र तथा देश की एकता को मजबूत करने के सभी आंदोलनों में उसे आगे रहना होगा।

वी० पी० सिंह सरकार के स्वागतयोग्य कदम

पहले की राजीव गांधी सरकार की उन्हीं आर्थिक नीतियों को अपनाने के बावजूद जैसा कि १९९०-९१ के सालाना बजट से प्रतिबिंबित हुआ था, वी० पी० सिंह सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाये थे जो आम जनता के लिये सहायक थे तथा देश में जनतांत्रिक प्रक्रिया की अग्रगति को बल पहुंचाते थे। अपनी सीमाओं के बावजूद प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी के विधेयक ने पहली बार मजदूरों के प्रतिनिधित्व को तय करने के लिये गुप्त मतदान का प्राविधान रखा था। सरकार ने काम के अधिकार को मूलभूत अधिकार के रूप में सिद्धांततः स्वीकार कर लिया था और उसे भारत के संविधान में लाने से वे सहमत हो गये थे। यद्यपि इस अधिकार पर अमल के लिये उस सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन उसने इस अधिकार को हासिल करने के लिये एक देशव्यापी बहस अवश्य शुरू कर दी थी। पिछले वर्ष इस विषय पर हुए दुर्गापुर कन्वेन्शन ने बिल्कुल साफ शब्दों में इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिये जरूरी नीतिगत पक्षों को सूत्रबद्ध किया था और उसे न सिर्फ ट्रेड यूनियनों ने ही बल्कि किसानों और खेत-मजदूरों के संगठनों, छात्रों-नौजवानों तथा महिलाओं के संगठन ने भी स्वीकार किया था।

राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने ट्रेड यूनियनों को मान्यता प्रदान करने के लिये गुप्त मतदान को स्वीकार किया था और संसद में इस आशय का एक विधेयक लाने की अपने फैसले की घोषणा की थी। उसने राजीव गांधी सरकार के औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक को फाड़ कर फेंक दिया तथा विकल्प प्रस्तावों को तैयार करने के लिये एक कमेटी तैयार की थी (यद्यपि वह कमेटी किसी सर्वसम्मत निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे पायी तथापि उसने सभी संगठनों के विचारों को संक्षिप्त रूप में पेश किया था)। सरकार ने निर्माण और खेतीहर मजदूरों के बारे में एक विधेयक लाने का वादा किया था ताकि इन महत्वपूर्ण उद्योगों में काम की शर्तों को शामिल किया जा सके।

वी पी सिंह सरकार राज्य सरकारों की स्वायत्तता का सम्मान करती थी तथा उसने उनके खिलाफ कोई भेदभाव नहीं बरता।

राष्ट्रीय विकास परिषद तथा वी पी सिंह सरकार के काल में ही गठित अन्तर-राज्य परिषद की बैठकों में परस्पर के प्रति सहानुभूति का वातावरण दिखाई देता था जो केन्द्र में कांग्रेस (इ) के शासन के दिनों में दुर्भाग्य से नहीं होता था। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने भूमि-सुधार कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करके उन्हें महत्व प्रदान किया।

प्रसार भारती विधेयक तैयार करने की दिशा में उस सरकार द्वारा की गयी पहलकदमी भी एक स्वागत योग्य कदम था।

ट्रेड यूनियन आंदोलन को अन्य हिस्सों के साथ मिलकर एक देशव्यापी आंदोलन छेड़ना होगा ताकि चन्द्रशेखर सरकार राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा भारत के मजदूर वर्ग और आम जनता को दिये गये वादों से मुकर न सके।

आरक्षण विरोधी आंदोलन

भारत में अन्य पिछड़ी हुई जातियों के लिये नौकरियों में २७ प्रतिशत आरक्षण की घोषणा के बाद ही देश का समूचा उत्तरी हिस्सा आरक्षण विरोधी आंदोलन की चपेट में आ गया। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में इस

(बाकी पृष्ठ ५० पर)

सी० आई० टी० यू० के ७वें सम्मेलन में

सहासचिव का रिपोर्ट

अध्यक्षमण्डल के कामरेडों, बन्धुत्वपूर्ण अतिथिगण तथा
कामरेड प्रतिनिधिगण,

१. हमारे पिछले सम्मेलन के बाद के काल में, हमें सन् १९७० में सीआईटीयू की स्थापना के बाद से अब तक का सबसे बड़ा धक्का लगा। हमने अपने स्थापना काल से चले आ रहे अध्यक्ष, सीपीआई(एम) के पोलिट ब्यूरो के वरिष्ठतम सदस्य कामरेड बी टी रणदिवे को गंवा दिया। ६ अप्रेल १९९० को वे हमें छोड़ कर चले गये। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के इस मुकाम पर जब साम्राज्यवाद की मदद से प्रतिक्रान्तिकारी शक्तियां समाजवाद पर हमला कर रही है तथा सुधारवाद का विध्वंसक तूफान आया है और राष्ट्रीय परिस्थिति के इस मुकाम पर जब साम्प्रदायिक और विभाजनकारी ताकतों ने देश को चुनौती दी है तथा धर्मनिरपेक्षता और देश की एकता और अखंडता की रक्षा के प्रश्न पर राष्ट्रीय मोर्चा सरकार गिर गयी, उस समय कामरेड बी टी रणदिवे की तरह के महान नेता और शिक्षक का चला जाना मजदूर वर्ग और कम्युनिस्ट आन्दोलन के लिये एक अपूरणीय क्षति है। कामरेड बी टी रणदिवे अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका क्रान्तिकारी दिशा-निर्देशन ट्रेड यूनियन आन्दोलन की रणनीति और कार्यनीति इस तेजी से बदलती राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में हमें राह दिखाती रहेगी। हम कामरेड बी टी रणदिवे के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं और उन्हें आन्तरिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमने एक बी टी रणदिवे मेमोरियल ट्रस्ट के गठन का फैसला किया है जिसके जरिये भविष्य में ट्रेड यूनियन आन्दोलन को बढ़ाने तथा निर्देशित करने का काम किया जायेगा। बी टी रणदिवे के लेखन का पहला खंड इसी बीच प्रकाशित हो चुका है। मेरा प्रस्ताव है कि सभी राज्य कमेटियां तथा यूनियनें ६ अप्रेल १९९१ को कामरेड बी टी रणदिवे के मृत्यु दिवस का पालन करें और १९९१ से प्रति वर्ष १९ दिसम्बर को उनका जन्म दिवस मनाये।

२. इसी काल में हमने सीआईटीयू के उपाध्यक्ष तथा सीपीआई(एम) के पोलिट ब्यूरो के पूर्व सदस्य और केन्द्रीय कमेटी के सदस्य कामरेड पी० राममूर्ति को भी गंवाया है। कामरेड पी० राममूर्ति भी सीआईटीयू के संस्थापकों में से एक थे और इसके प्रथम महासचिव थे। उन्हीं के महासचिव काल में सीआईटीयू ने एक आकार ग्रहण किया तथा वह भारतीय ट्रेड यूनियन आन्दोलन के एक नेतृत्वकारी केन्द्र के रूप में उभर कर आया। हम कामरेड पी राममूर्ति की मृत्यु पर शोक मनाते हैं और उनके प्रति अपनी आन्तरिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

३. मैं अपने वरिष्ठतम उपाध्यक्ष कामरेड मोहम्मद इस्माइल के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सचिव कामरेड नृसिंह चक्रवर्ती, कामरेड कृष्णपद घोष और कामरेड ई पद्मनाभन जो दोनों ही हमारी कार्यकारी समिति के सदस्य थे, सीपीआई(एम) के पोलिट ब्यूरो के सदस्य और पश्चिम बंगाल वाम मोर्चे के अध्यक्ष कामरेड सरोज मुखर्जी, सीपीआई(एम) की केन्द्रीय कमेटी के सदस्य कामरेड गुरचरणसिंह रंधावा और कामरेड शंकरदयाल तिवारी एवं मजदूर वर्ग, किसानों तथा देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन और अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन के अन्य कई प्रवीण नेताओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनका इसी काल में देहावसान हुआ है।

४. मैं पंजाब, कश्मीर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा असम में देश की एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए शहीद होनेवाले सभी कामरेडों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

५. कामरेड हमें निश्चित रूप से कांग्रेस(इ) के गुंडों द्वारा किये गये सबसे जघन्य अपराध की याद करते हुए उसकी निन्दा करनी चाहिये जब उन्होंने इसी बीच बर्बरता के साथ कामरेड सफदर हाशमी की हत्या कर डाली। कामरेड हाशमी सीपीआई(एम) के एक नौजवान प्रतिभाशाली तथा सांस्कृतिक कार्यकर्त्ता थे और देश के एक जानेमाने जन-नाट्य कर्मी थे। १ जनवरी १९८९ को उस वक्त उनकी हत्या की गयी जब उनकी मण्डली जन नाट्य मंच सीआईटीयू के संघर्ष के समर्थन में साहिबाबाद में एक नुक्कड़ नाटक खेल रही थी। सीआईटीयू ने वह संघर्ष असंगठित मजदूरों के लिये न्यूनतम वेतन की मांग के लिए चलाया था। कामरेड सफदर ने अपनी कला को मजदूर वर्ग और पिछड़े हुए लोगों की सेवा में समर्पित किया था। आप सबकी ओर से मैं उस महान प्रगतिशील कलाकार की स्मृति में अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

रिपोर्ट

६. कामरेड ! अब मैं अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिस्थितियों के बारे में अलग-अलग रिपोर्ट पेश करता हूं, जिसमें बम्बई सम्मेलन के बाद के काल की संक्षेप में समीक्षा की गयी है।

अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति

७. कामरेड ! हम यहां इस सातवें सम्मेलन में एक ऐसे अवसर पर एकत्रित हुए हैं जब साम्राज्यवाद और समाजवाद के बीच

अन्तर्विरोध उल्लेखनीय रूप से काफी तेज हो गये हैं जिसमें समाजवादी शक्तियों को एक काफी बड़ा धक्का लगा है। हमें बम्बई सम्मेलन के बाद के इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करना होगा।

शांति के लिये संघर्ष

८. बम्बई सम्मेलन में हमने कामरेड बीटीआर के अध्यक्षीय भाषण और साथ ही महासचिव की रिपोर्ट दोनों ने ही अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा उत्पन्न किये गये नाभिकीय युद्ध के बढ़ते हुए खतरे की रोशनी में अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति की समीक्षा की थी। हमने इस सदी के अन्त तक सभी नाभकीय तथा जन-विनाश के हथियारों को समाप्त करने के सोवियत संघ के सभी शांति प्रस्तावों को अपना पूर्ण समर्थन दिया था। हमने सोवियत शांति प्रस्तावों को स्वीकार न करने तथा नक्षत्र युद्ध प्रकल्प को चालू रखने के हठपूर्ण नजरिये के लिये अमरीकी साम्राज्यवादियों को कठघरे में खड़ा किया था। हमने बढ़ते हुए शांति संघर्ष को देखा था जो सारी दुनिया में नये-नये संगठनों को और जनता के विभिन्न हिस्सों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उस रिपोर्ट में विभिन्न राज्यों में सीआईटीयू द्वारा चलाये गये शांति के संघर्ष को महत्व के साथ रखा गया था। बहुत ही व्यापक पैमाने पर विभिन्न राज्यों में १ सितम्बर और मई दिवस के दो अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों के पालन के जरिये शांति-संघर्ष चलाया गया था। कुछ राज्य कमेटियों ने हिरोशिमा और नागासाकी दिवसों का भी पालन किया था। इसके बावजूद हमने देश में शांति संघर्षों की कमजोरी की ओर भी ईशारा किया था और अपनी यूनियनों से यह आह्वान किया था कि वे बढ़ते हुए साम्राज्यवादी खतरों की पृष्ठभूमि में इन संघर्षों को और भी जोरदार करें।

९. सोवियत संघ द्वारा शांति के लिये अथक संघर्ष और लगातार दबाव तथा साथ ही उसकी सुरक्षा तैयारियों के कारण रेगन-प्रशासन ने १९८७ के दिसम्बर महीने में मजबूर होकर आईएनएफ संधि पर हस्ताक्षर किया। हमने इस संधि का स्वागत किया था। लेकिन हमने उस वक्त भी शांति-संघर्षों में किसी प्रकार की कमी लाने की आत्मतुष्टि के विरुद्ध चेतावनी भी दी थी। आईएनएफ संधि दुनिया में कम और मध्यम दूरी की मार करने वाली नाभिकीय मिसाइलों के सिर्फ ४ से ५ प्रतिशत हिस्से को ही समाप्त किया था। अमरीकी साम्राज्यवादियों ने एसडीआई को हटाने से इंकार कर दिया। वे अपने वर्तमान नाभिकीय हथियारों का और भी आधुनिकीकरण कर रहे थे। हमने यह चेतावनी दी थी कि साम्राज्यवादी अपनी कपटपूर्ण चालों के लिये बदनाम है और वे विश्व पर प्रभुत्व पाने की अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं।

१०. बहरहाल १९८७ के अन्तिम तीन महीनों, अक्तूबर क्रांति की ७०वीं सालगिरह के बाद से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में परिस्थिति बदलनी शुरू हो गयी। सोवियत नेतृत्व द्वारा अमरीका और सोवियत संघ के बीच शीतयुद्ध की समाप्ति और साम्राज्यवाद के चरित्र के प्रति एक पूरी तरह गलत समझदारी पर आधारित साम्राज्यवाद और समाजवाद के बीच अन्तर्विरोधों में कमी आने की तरह के लगातार प्रचार ने साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष के एक हिस्से के रूप में चल रहे शांति संघर्ष की धार को कुंद कर दिया। गैर ट्रेड यूनियन संगठनों तथा अन्य शांति समितियों की बात तो जाने ही दीजिये, जो शांति संघर्षों में अधिक से अधिक हिस्सेदारी कर रहे थे। सन् १९८८ में अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों तक ने १ सितम्बर को शांति के लिये ट्रेड यूनियनों से संघर्ष के अन्तर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में बहुत ही दबे हुए ढंग से मनाया। यह सचाई है कि १ सितम्बर को साम्राज्यवाद विरोधी दृष्टिकोण से मनाये जाने का डब्ल्यूएफटीयू का पहले की तरह का जुझारू आह्वान अब नहीं रह गया था। हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इसका असर सीआईटीयू सहित भारत पर भी पड़ा। पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब की तरह के कुछ राज्यों को छोड़कर अन्य प्रायः सभी राज्यों में १ सितम्बर के प्रदर्शन में पहले की तरह की संगठित और जुझारू धार नहीं थी जैसी कि १९८७ तक दिखाई देती थी। केन्द्र से निर्देश मूलक सरकुलरों के जाने के बावजूद १९८८ से यह कार्यक्रम महज एक औपचारिकता बनकर रह गया। १९८८ से ही हमारी पत्रिका 'वर्किंग क्लास' में इस दिन के पालन की कोई रिपोर्ट तक नहीं छप पायी। १९९० में तो पश्चिम बंगाल में भी १ सितम्बर का पालन नहीं किया गया।

११. यहां तक कि मई दिवस के पालन में भी, जिसके बारे में शिकागो हत्याकांड की शतवार्षिकी के सन्दर्भ में बम्बई सम्मेलन में हमने विस्तृत योजना बनायी थी, वह अपनी क्रांतिकारी परम्परा के साथ विदेश में नहीं मनाया गया। समाजवादी शक्तियों को लगे धक्के की पृष्ठभूमि में १९९० में यह शतवार्षिकी आयोजन बिना किसी प्रकार के तामझाम के ही गुजर गया। भारत में निःसन्देह हमारी राज्य कमेटियों तथा यूनियनों तथा अन्य यूनियनों ने इन तमाम वर्षों में यथासम्भव अच्छे ढंग से इस दिन को मनाया ताकि अपनी क्रांतिकारी प्रतिज्ञा को दोहरा सके।

१२. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परिस्थिति तेजी के साथ बिगड़ती चली गयी। मैं यहां उन सभी परिवर्तनों का विस्तृत ब्यौरा देने नहीं जा रहा हूं लेकिन एक संक्षिप्त ब्यौरा जरूरी है क्योंकि इन परिवर्तनों का अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन आंदोलन पर प्रत्यक्ष तथा तात्कालिक तौर पर विपरीत असर पड़ा है। हमारे संघर्ष के लक्ष्य के रूप में समाजवाद के होने के नाते वहां किये जा रहे परिवर्तनों तथा प्रस्तावनाओं के कुछ पक्षों की आलोचना करना जरूरी है ताकि हम भटकावों और विकृतियों के खिलाफ संघर्ष शुरू कर सकें और पूरी दृढ़ता के साथ सभी प्रकार की उलझनों तथा संभावित निराशा से उबरते हुए समाजवाद के रास्ते पर अपने ट्रेड यूनियन आंदोलन को जारी रख सके।

पूर्वी-यूरोप की घटनाएं

१३. पूर्वी यूरोप में सुधारवादी रुझान, मजदूरवर्ग के राज्य तथा समाजवादी जनतन्त्र के संचालन में मार्क्सवादी-लेनिनवादी रीति-नीति के लगातार उल्लंघन ने कम्युनिस्ट पार्टियों को वहां की जनता से अलग-थलग कर दिया था। इसके साथ ही सोवियत नेतृत्व द्वारा अतीत की अविवेकशील और अनैतिहासिक आलोचना, विकृतियों तथा भटकावों ने अतीत के काल में समाजवाद की जोरदार उपलब्धियों की पूरी तरह से अवहेलना ने साम्राज्यवाद को यह अवसर दिया कि वह समाजवाद की विफलता तथा पूंजीवादी व्यवस्था की श्रेष्ठता के बारे में काफी जोर-शोर से एक अभियान शुरू कर सके। साम्राज्यवादियों के इस अभियान को इस तथ्य से और भी बल मिला कि मजदूरों की विचारधारात्मक शिक्षा आवश्यकता के अनुरूप नहीं हुई थी। इसके अलावा ग्लासनोस्त ने वास्तव अर्थों में अन्दरूनी प्रतिक्रियावादियों तथा प्रति क्रांतिकारियों को ही बढ़ावा दिया ताकि वे साम्राज्यवाद की मदद से समाजवादी राज्यों पर हमला शुरू कर सकें। ७ नवम्बर १९८९ के बारे में लिखते हुए 'वर्किंग क्लास' के अक्टूबर ८९ के अंक में कामरेड बी टी आर ने निम्नलिखित शब्दों में इस समूचे अन्तर्राष्ट्रीय घटनाचक्र के व्यक्त किया था :

१४. "सभी समाजवादी देशों का अनुभव यह बताता है कि सुधारों तथा निदानदारी कदमों की सफलता की उस वक्त तक कोई गुंजाइश नहीं है जब तक वे समाजवाद तथा समाज के समाजवादी ढांचे के मूलभूत सिद्धान्तों के साथ संगतिपूर्ण नहीं होंगे। ये सिद्धान्त हैं मार्क्सवाद-लेनिनवाद, मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टी का नेतृत्व, उत्पादन और वितरण के समाजवादी साधन तथा मजदूरवर्ग के नेतृत्व की राजसत्ता।"

१५. चीन में जनतन्त्रवादी आन्दोलन के नाम पर प्रतिक्रांतिकारी विद्रोहियों ने साम्राज्यवाद की मदद से समाजवादी राजसत्ता के खिलाफ अन्दरूनी प्रतिक्रियावादियों के हमले का प्रारम्भ किया था। हमें चीन की लोक गणतांत्रिक सरकार का अभिनन्दन करना चाहिये कि उसने सफलता के साथ प्रतिक्रांतिकारियों के हमले का मुकाबला किया और कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में समाजवादी राज्य की रक्षा की। हम क्यूबा, वियतनाम और उत्तरी कोरिया का भी अभिनन्दन करते हैं कि वे पूर्वी यूरोप में लगे धक्के तथा उनके खिलाफ की जा रही साम्राज्यवादी साजिशों के प्रतिकूल आर्थिक प्रभावों के बावजूद अपने राज्यों की रक्षा तथा विकास के लिये समाजवाद के रास्तों पर अटल हैं। लेकिन ये अन्दरूनी प्रतिक्रियावादी शक्तियां पूर्वी यूरोप में समाजवादी राज्यों को ढहाने में सफल हुई हैं और अब बाजारू अर्थव्यवस्था के नाम पर विकास के पूंजीवादी रास्ते पर कदम बढ़ा रही हैं।

ट्रेड यूनियनों का प्रभाव : डब्ल्यू एफ टी यू कांग्रेस

१६. पूर्वी यूरोप और सोवियत संघ में चल रहे परिवर्तनों का उन देश के ट्रेड यूनियन केन्द्रों पर तत्काल असर पड़ा है। अब तक के पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों के सभी ट्रेड यूनियन केन्द्रों को बंद कर दिया गया है। यहां तक कि नयी ट्रेड यूनियनों ने डब्ल्यू एफ टी यू को त्याग दिया है। सिर्फ पोलैंड डब्ल्यू एफ टी यू में रह गया है। चेकोस्लोवाकिया की नयी सरकार ने डब्ल्यू एफ टी यू से अपने देश से उनका मुख्यालय हटा लेने की मांग तक की है।

१७. सोवियत संघ में अक्टूबर १९९० की एक असाधारण कांग्रेस में आल यूनियन सेंट्रल काउंसिल आफ ट्रेड यूनियन (एयूसीसीटीयू) को भंग कर दिया गया है तथा जनरल कनफेडरेशन आफ ट्रेड यूनियन्स आफ यूएसएसआर का गठन किया गया है। इस कांग्रेस में यह घोषणा की गयी कि ट्रेड यूनियनें अब और 'साम्यवाद की स्कूल ? के छात्रों के रूप में नहीं रहना चाहती तथा इस कांग्रेस का कार्य' नये जनतांत्रिक सिद्धान्तों के आधार पर ट्रेड यूनियन आंदोलन की एक नयी अवधारणा की विस्तृत रूपरेखा तैयार करना है।" इसमें "पहले की तरह राजनीतिक लक्ष्यों के प्रभुत्व के बजाय बाजारू अर्थव्यवस्था में संक्रमण के सन्दर्भ में उठने वाले व्यावहारिक सवालों" पर बल दिया गया। इस कनफेडरेशन ने यह घोषणा की कि वह राजनीतिक संगठनों तथा राजनीतिक आंदोलनों से स्वतन्त्र होगा। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कनफेडरेशन ने "ट्रेड यूनियन सम्बन्धों के अतिरिक्त राजनीतिकीकरण को ठुकराते हुए, राजनीतिक तथा ट्रेड यूनियन बहुलतावाद के नये सन्दर्भ में परस्पर विरोध के दृष्टिकोण को ठुकराते हुए नये सिरे से कार्य करने की पद्धति अपनाने" की मांग की है। कांग्रेस ने यह आशा व्यक्त की कि "बारहवीं वर्ल्ड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, डब्ल्यू एफ टी यू के एक वास्तविक पुनर्नवीकरण का शिलान्यास कर सकती है ताकि इन मानवीय लक्ष्यों के लिये एकजुट होकर संघर्ष और कार्य कर सकें;"

डब्ल्यू एफ टी यू कांग्रेस

१८. इसप्रकार डब्ल्यू एफ टी यू कांग्रेस को एक नयी निर्देशक लाइन दे दी गयी। १३-२० नवम्बर १९९० को मास्को में यह कांग्रेस सम्पन्न हुई। सीआईटीयू के एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने कांग्रेस में शिरकत की। इस प्रतिनिधिमण्डल में का० एम० के० पंधे के नेतृत्व में विमल रणदिवे, पी के गांगुली, सुनील बसुराय तथा ए० के० पद्मनाभन शामिल थे। सीआईटीयू के प्रतिनिधिमण्डल के अलावा आल इण्डिया स्टेट गवनमेंट इम्पलाइज फेडरेशन के सुकोमल सेन, अखिल भारतीय किसान सभा के राम

नारायण गोस्वामी तथा अखिल भारतीय खेतिहार मजदूर यूनियन के टी० आराशू भी कांग्रेस में उपस्थित थे। एटक, इन्टक, एचएमएस, यूटीयूसी (लेनिन सरणी), यूटीयूसी, टीयूसीसी, एनएफआईटीयू, एनएलओ तथा बीएमएस के प्रतिनिधियों को भी निमन्त्रित दिया गया था। लेकिन आईएनटीयूसी, एचएमएस और एनएलओ इसमें शामिल नहीं हुए। इस कांग्रेस के दस्तावेज के कुछ पक्षों की मैं यहां एक संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत करूंगा।

१६. दस्तावेज का प्राक्कथन इन शब्दों से शुरू होता है, "१९९० के बाद के नये दशक के प्रारम्भ होने के साथ ही, विश्व में ट्रेड यूनियन आन्दोलन महान परिवर्तनों के सम्मुखीन हैं। एक सामान्य आकांक्षा हर जगह व्यक्त हो रही है— जनतन्त्र की, इस शब्द के व्यापकतम अर्थ में।" इसमें आगे कहा गया है, "८० के दशक में हुए परिवर्तनों में एक सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन सोवियत संघ में पेरोस्त्राइका था। यह परिवर्तन जाहिरा तौर पर पूर्वी यूरोप में हो रहे व्यापक पैमाने पर परिवर्तन से जुड़ा हुआ था। पूर्वी यूरोप के उन परिवर्तनों से नये राजनीतिक और आर्थिक शासनों की स्थापना हुई है। पेरेस्त्रोइका नये राजनीतिक सोच को प्रेरित करता है जो सोच अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के ढांचे में आमूल परिवर्तनों की ओर, परस्पर शत्रुता और टकराव को बढ़ानेवाले दो विशाल विचारधारात्मक और सामरिक शिविरों के बजाय मानवीय स्वरूप के तथा प्रगतिशील सामाजिक सार तत्व से भरपूर नये अन्तराष्ट्रीयतावाद की ओर जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में इन नयी अवधारणाओं के उदय को विश्व की ट्रेड यूनियनों को मद्दे नजर रखना होगा।"

२०. दस्तावेज आगे कहता है "विश्व में हो रहे ये आमूल रूपान्तरण स्पष्ट तौर पर ट्रेड यूनियन आंदोलन के मूलभूत मूल्यों, जिनमें राजनीतिक पार्टियों के सन्दर्भ में ट्रेड यूनियन की स्वायत्तता और स्वतन्त्रता भी शामिल है, को रेखांकित करते हैं।

२१. यह गौर करने लायक बात है सोवियत संघ की ट्रेड यूनियनों के नये महासंघ तथा डब्लूएफटीयू ने यद्यपि ट्रेड यूनियनों की राजनीतिक पार्टियों से स्वतन्त्रता की बात कही है, तथापि यह पूरा दस्तावेज सीपीएसयू के नेतृत्व द्वारा निरूपित "नये विचार और समाजवाद की नयी अवधारणा" का पूरी तरह से अन्धानुकरण कर रहा हैं। इस दस्तावेज में मजदूरों के संघर्ष के वर्गीय सार का सर्वथा अभाव है। वस्तुतः इसमें वर्गों के तथा भिन्न-भिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं के अस्तित्व तक को अस्वीकृत किया गया है और इस प्रकार मजदूर वर्ग के वर्ग संघर्ष को नुकसान पहुंचाया गया है। इसी प्रकार, विश्व साम्राज्यवाद का कहीं कोई नामोल्लेख तक नही है! शान्ति और निरस्त्रीकरण के समूचे प्रश्न को शांतिवादी ढंग से रखा गया है, साम्राज्यवादियों की कारस्तानियों तथा विश्व प्रभुत्व के लिये अमरीकी साम्राज्यवाद की आक्रामक योजनाओं को पूरी तरह से नजरन्दाज किया गया है। इसमें बेशर्मी के साथ साम्राज्यवाद से विचारधारात्मक "टकराव" की नीति को त्यागने का आह्वान किया गया है।

२२. इस दस्तावेज में ट्रेड यूनियन आन्दोलन को विचारधारा विहीन तथा राजनीति विहीन बनाने और ट्रेड यूनियनों की राजनीतिक पार्टियों से स्वतन्त्रता की बात कही गयी है। दस्तावेज में बल देकर कहा गया है कि यह ट्रेड यूनियन एकता के लिये आवश्यक है। प्रश्न उठता है कि ट्रेड यूनियन एकता का उद्देश्य क्या है? क्या वर्ग सहयोग के लिये ट्रेड यूनियन एकता? जाहिरा तौर पर नहीं। बिना अपनी वर्गीय विचारधारा के क्या मजदूर एकजुट हो सकते हैं? अपनी वर्गीय विचारधारा के लगातार प्रचार के जरिये पूंजीपति वर्ग तथा साम्राज्यवादी शिविर ही ट्रेड यूनियन आन्दोलन में दरार डाल रहा है। बिना अपनी वर्गीय विचारधारा के क्या मजदूर इस लगातार विचारधारात्मक अभियान का जवाब दे सकते हैं? इसके लिये मजदूर वर्ग की निश्चित तौर पर अपनी राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए जो उसका मार्ग दर्शन करें। इसके लिये ट्रेड यूनियनों को उसका पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है। विचारधारा विहीनता तथा राजनीतिक पार्टियों से स्वतन्त्रता का आह्वान वस्तुतः बुर्जुआ का वही पुराना भटकानेवाला प्रचार है ताकि ट्रेड यूनियनों को कम्युनिस्ट पार्टियों के प्रभाव से निकाल कर बुर्जुआ पार्टियों का पिछलग्गू बनाया जा सके। और उन्हें बुर्जुआ विचारधारा से दिग्भ्रमित किया जा सके। यह मजदूर वर्ग की राजनीतिक भुजा को निष्प्रभावी बनाने की एक कोशिश है।

२३. सोवियत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के दस्तावेज ने इस बात की जरूरत पर बल दिया है कि ट्रेड यूनियनें राजनीतिक लक्ष्यों से हट कर बाजारू अर्थव्यवस्था में संक्रमण के सन्दर्भ में "व्यवहारिक मसलों" पर आ जाए। एडब्लूएफटीयू कांग्रेस के दौरान एक प्रश्नोत्तर अधिवेशन में हमारे सीआईटीयू प्रतिनिधि के एक प्रश्न का जवाब देते हुए सोवियत संघ के ट्रेड यूनियन नेतृत्व एड़ी-चोटी का पसीना बहाकर बाजारू अर्थव्यवस्था की पैरवी तथा निजीकरण की गतिशील भूमिका की तारीफ की। यह और कुछ नहीं, समाजवाद तथा उत्पादन की समाजवादी पद्धति की भर्त्सना करना था, तथा समाजवाद की उपलब्धियों को ठुकाराना और मजदूर वर्ग तथा आम जनता पर पूंजीवादी रास्ते की बदौलत पड़नेवाले कुप्रभावों और प्रतिकूल असर को पूरी तरह से नजरन्दाज करना था।

२४. डब्लूएफटीयू का दस्तावेज तो इस हदतक चला गया कि उसमें समाजवादी योजना को एकाधिकारवादी योजना तक करार दिया गया। यह गौर करने की बात है कि १२वीं कांग्रेस का यह दस्तावेज पहले के दस्तावेजों के साम्राज्यवादविरोधी तथा समाजवादी दृष्टिकोण से पूरी तरह भिन्न है। यह मुख्यतः आईएलओ के ढांचे पर आधारित है, जिसकी एयूसीसीयू ने चन्द वर्ष पहले तीखी आलोचना की थी। बहुराष्ट्रीय निगमों, बेरोजगारी के खिलाफ, कामकाजी महिलाओं के लिये, रोजगार पर नयी तकनीक के प्रतिकूल

असर, प्रदूषण आदि पर संघर्ष के सारे नुक्ते यहां मौजूद है। लेकिन ये सारे संघर्ष मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की समाज व्यवस्था को बदलने की बिना कोई कोशिश के चलाने होंगे। सारी चीजें पूंजीवादी ढांचे की सीमाओं में "मानवीय और जनतांत्रिक विकल्प" के लिये बाजारू अर्थव्यवस्था की प्रगति के साथ ताल-मेल रखते हुए करनी होगी।

२५. सीआईटीयू इस दस्तावेज से सहमत नहीं हुआ और उसने इसके पक्ष में वोट नहीं दिया। कामरेड पंधे ने अपने भाषण में इसे स्पष्ट कर दिया। हमारे सीआईटीयू प्रतिनिधिमण्डल ने कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सभी अलग-अलग आयोगों में प्रश्नोत्तर काल में तथा प्रस्तावों पर दृढ़ता के साथ सीआईटीयू के विचारों को रखा। विभिन्न प्रस्तावों में स्वीकारना पड़ा। तीसरी दुनिया के देशों के अधिकांश वक्ताओं ने साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष को तेज करने की बात कही। उन्होंने अपने देशों की मौजूदा परिस्थितियों का जिक्र करते हुए बाजारू अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर प्रहार किया तथा वर्ग संघर्ष और समाजवाद के लिये संघर्ष को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। विकसित पूंजीवादी देशों के बहुत से वक्ताओं ने भी इसी प्रकार की बातें कहीं। क्यूबा, वियतनाम, उत्तरी कोरिया चीन आदि के प्रतिनिधियों ने समाजवाद पर तथा सुधार और निवारक कदमों के लिये समाजवादी ढांचे के प्रति अपनी आस्था को दोहराया। कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में बाजारू अर्थव्यवस्था अपनाने के सोवियत संघ निर्णयों पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की तथा इसके खिलाफ चेतावनी दी।

डब्लूएफटीयू को मजबूत करो

२६. जो भी हो, दस्तावेज में भटकावों तथा विवादास्पद विचारों के बावजूद डब्लूएफटीयू सभी महादेशों के ट्रेड यूनियन आन्दोलन के एक एकजुट केन्द्र के रूप में यथावत रहा। यह सच है कि पूर्वी यूरोप के परिवर्तनों तथा पूर्वी यूरोप के ट्रेड यूनियन केन्द्रों द्वारा इसे छोड़ देने के कारण इस संगठन में गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। गम्भीर वित्तीय संकट भी है। जैसा कि हमने पहले ही बताया, उसके मुख्यालय तक को दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ सकता है। ट्रेड यूनियन अन्तर्राष्ट्रीय का भविष्य अनिश्चित है। लैटिन अमरीका, एशिया और अफ्रीका के देशों के विभिन्न ट्रेड यूनियन केन्द्रों के अलावा, जो तीव्रतर अन्तर्विरोधों के अन्तर्गत साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्यूबा, वियतनाम, उत्तरी कोरिया आदि की तरह के समाजवादी देशों के ट्रेड यूनियन केन्द्र डब्लूएफटीयू को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन की एसएफटीयू सम्बद्ध न होने पर भी उसने पहली बार कांग्रेस में शिरकत की। मुख्य दायित्व किन्तु सोवियत ट्रेड यूनियनों का है।

२७. सीआईटीयू डब्लूएफटीयू से सम्बद्ध नहीं है। लेकिन हम यह कामना करते हैं कि डब्लूएफटीयू अपने को मजबूत करें। हमने दस्तावेज का विभिन्न पक्षों की आलोचना की ताकि भटकावों की ओर संकेत किया जा सके और चेतावनी दी जा सके। स्मरणीय है कि डब्लूएफटीयू का गठन १९४५ में, द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर सोवियत संघ की पहल पर इसलिये किया गया था ताकि विश्व ट्रेड यूनियन आंदोलन को एकजुट किया जाए और अन्तराष्ट्रीय मजदूर वर्ग विश्वशान्ति के लिये साम्राज्यवाद के विरुद्ध, समाजवादी शक्तियों को मजबूत करने तथा साम्राज्यवाद समर्थित तीसरी दुनिया के देशों की फासिस्ट और तानाशाह सरकारों के खिलाफ राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों को समर्थन प्रदान करने के संघर्ष को आगे ले जा सके। उसने साम्राज्यवाद के विरुद्ध सबसे बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन शक्ति के रूप में बखबी अपने कर्त्तव्य का पालन किया, यद्यपि इसमें दरार भी पड़ी। अब अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के इस मुकाम पर, जब साम्राज्यवाद ने समाजवाद पर उसकी मृत्यु का ऐलान करते हुए सबसे गम्भीर हमला छेड़ा है, विश्व ट्रेड यूनियन आंदोलन चौराहे पर आ खड़ा हुआ है। किस दिशा की ओर उसे जाना है, डब्लूएफटीयू को इसका निर्णय करना है। यही प्रश्न सोवियत ट्रेड यूनियनों के सामने भी है, क्योंकि उन्हें ही मुख्य रूप से बोझ उठाना है। सीआईटीयू एक अदना शक्ति है। वह भारत के सिर्फ २० लाख मजदूरों का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन विश्व ट्रेड यूनियन आंदोलन के इस मुकाम पर सीआईटीयू में कोई भटकाव नहीं है, क्योंकि सीआईटीयू काफी दृढ़ता के साथ साम्राज्यवाद-विरोध और समाजवाद के हित से जुड़ी हुई है। सीआईटीयू को यह विश्वास है कि यदि डब्लूएफटीयू अपने साम्राज्यवाद-विरोधी मत को मजबूत करती है तो वह अपनी ताकत को मजबूत कर सकती है।

सोवियत संघ की परिस्थिति

२८. कामरेड! जैसा कि आप देख ही रहे हैं सोवियत संघ की परिस्थिति उससे कहीं ज्यादा गम्भीर है उसका अनुमान हम ट्रेड यूनियन आंदोलन से लगा सकते हैं। परिस्थिति की गम्भीरता को आप इसीसे समझ सकते हैं कि इस वर्ष वहां सबसे जबरदस्त फसल होने के बावजूद खाद्यान्न की कमी इतनी अधिक है कि विकसित पूंजीवादी देशों से मदद तो क्या यहां तक कि भारत को भी खाद्य सहायता देने के लिये दौड़ना पड़ रहा है। राष्ट्रीयताओं के सवाल पर परिस्थिति तो सबसे ज्यादा गम्भीर बनी हुई है। यह सत्य की विडम्बना ही है कि सन् १९८२ में सोवियत समाजवादी गणतन्त्र के संघ के गठन की ६०वीं सालगिरह के अवसर पर हमने इसीलिये सोवियत संघ का अभिनन्दन किया था कि उसने समाजवादी सिद्धांतों पर सही ढंग से अमल करके राष्ट्रीयताओं की अपनी समस्या का समाधान कर लिया है। कामरेड बीटीआर ने 'वर्किंग क्लास' में लिखे गये अपने एक लेख में भारत की जातीय समस्याओं पर विचार करते हुए सोवियत का उदाहरण प्रस्तुत किया था लेकिन आज यह सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जब सोवियत संघ अपनी स्थापना के ७०वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है तब उसके टूट जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। यदि

ऐसा हो जाता है तो यह समाजवादी शक्तियों के लिये एक और धक्का होगा और स्वाभाविक रूप से विश्व ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिये भी धक्का होगा। तथा दुनिया पर प्रभुत्व कायम करने के अमरीकी साम्राज्यवादियों का रास्ता प्रशस्त होगा। मैं यहां इस परिस्थिति के कारणों का विश्लेषण करने तथा निवारक कदम सुझाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा हूं लेकिन सच्चाइयां सारी दुनिया के सामने हैं। अब तक जो भी सुधार तथा निवारण की कार्रवाइयां की गयी है उनसे परिस्थिति सिर्फ और बिगड़ी ही है। समाजवादी क्रांति के अग्रदूत को उसने आज के इस संकटपूर्ण मुकाम पर ला खड़ा कर दिया है। इस विध्वंस से बचने के लिये सोवियत संघ जो भी उपाय कर रहा है हम उसके प्रति अपना पूर्ण समर्थन जाहिर करते हैं। हम सिर्फ यही आशा करते हैं कि लेनिनवादी सिद्धांतों पर दृढ़ता से डटे रहकर और उनका सही ढंग से पालन करके सोवियत संघ अपने इन प्रयत्नों में सफल होगा।

समाजवाद की जबरदस्त उपलब्धियां

२९. कामरेड! इसमें कोई शक नहीं है कि पूर्वी यूरोप के देशों तथा सोवियत संघ में घट रही घटनाओं ने मजदूर वर्ग के आंदोलन पर निराशा के बादल छाये हुए हैं। समाजवाद की मृत्यु के बारे में साम्राज्यवाद और बुर्जुवा अखबारों के जोर-शोर से चलाये जा रहे प्रचार ने हमारे समर्थकों तथा कार्यकर्ताओं में उलझन भी पैदा कर दी है। लेकिन हमें याद रखना चाहिये कि समाजवाद के लिये मजदूर वर्ग के संघर्षों की सारी प्रक्रिया तथा सफल क्रांति के बाद समाजवादी निर्माण समाजवाद के वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित है। मैं यहां फिर आपका ध्यान कामरेड बीटीआर के उस उद्धरण की ओर दिलाना चाहूंगा जिसका उल्लेख मैंने पहले किया था। इसीलिये प्रत्येक देश की परिस्थितियों के अनुरूप इन सिद्धांतों की सही समझ और उनपर व्यवहारिक अमल में यदि भारी गल्तियां होंगी और लम्बे काल तक अगर वे जारी रहेंगी तो इसका विपरीत प्रभाव निश्चित तौर पर दिखाई देगा। ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिये भी ये शिक्षाएं प्रासंगिक है क्योंकि हमने अभी से उसपर पड़नेवाले प्रभावों को देख लिया है। हमें ट्रेड यूनियन आंदोलन में प्रवेश कर रहे सभी भटकावों को बेपर्द करना होगा तथा उनके विरूद्ध लड़ना होगा।

३०. इसके साथ ही हमें समाजवाद की उन जबरदस्त उपलब्धियों का भी स्मरण करना होगा जो मजदूर वर्ग के संघर्षों के लिये प्रकाश स्तम्भ का काम करती हैं।

३१. अक्तूबर क्रांति ने पहले सफल सर्वहारा राज्य, सर्वहारा के अधिनायकत्व की स्थापना की, जो सोवियत संघ में समाजवाद की स्थापना और विकास के लिये एक अनिवार्य शर्त थी। समाजवादी योजना द्वारा किये गये चौतरफा सामाजिक आर्थिक विकास ने सोवियत संघ को बिल्कुल बदतर स्थिति से उबारकर दुनिया के एक सबसे विकसित देश में तब्दील कर दिया। 'वर्किंग क्लास' के नवम्बर १९८७ के अंक में अक्तूबर क्रांति पर लिखते हुए कामरेड बीटीआर ने कहा था, "एक के बाद एक उपलब्धियां इसलिये सम्भव हुई क्योंकि मजदूर वर्ग और राज्य मार्क्सवाद-लेनिनवाद के वैज्ञानिक सिद्धान्तों द्वारा चालित थे तथा पार्टी उस सिद्धांत से जुड़ी हुई थी।" फासीवाद के विरूद्ध कामरेड जोसेफ स्तालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के मजदूर वर्ग तथा सोवियत संघ की जनता की जबरदस्त जीत से समाजवादी शिविर का उदय हुआ। भारत सहित अनेक देशों में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों की जीत हुई, करोड़ों लोग साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्त हुए तथा वर्गीय शक्तियों का परस्पर सम्बन्ध मजदूर-वर्ग के पक्ष में हो गया और विश्व पूंजीवाद एक आम संकट के चरण में डाल दिया गया।

३२. लेनिन की शांति संबंधी घोषणा पर आधारित मजदूर वर्ग के राज्य की विदेश नीति जिसने सभी राष्ट्रों के बीच शांति का, युद्ध को त्यागने, अन्य देशों द्वारा किसी देश पर कब्जा करने तथा उसे गुलाम बनाने। की नीति को त्यागने का आह्वान किया था वह शांति के लिये, राष्ट्रीय संघर्षों के लिये साम्राज्यवाद के विरूद्ध तथा सोवियत संघ की प्रगति को आपस में जोड़ने का एक शक्तिशाली कारक बन गया था। सोवियत संघ ने विगत लगभग सात दशकों से लेनिन की इस नीति का पालन किया और इस शब्द को स्थापित कर दिया कि समाजवाद जहां शांति के आधार पर फलता-फूलता है वहीं साम्राज्यवाद युद्ध और विध्वंस पर टिका रहता है। उस प्रारम्भिक काल में ही देखा गया कि सोवियत संघ सभी संकटों और बेरोजगारी से मुक्त हो गया है। जनता की भौतिक उन्नति तथा एक मजबूत औद्योगिक आधार के साथ विकास की तीव्र गति ने पहले के सारे रेकार्ड को मात कर दिया। उन्होंने जमीन जोतनेवाले को दी, काम, मुफ्त शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य तथा सभी समाजिक सुरक्षाओं को सुनिश्चित किया जिनमें बुढ़ापे का पेंशन भी शामिल है। कोई भी पूंजीवादी देश यह सुनिश्चित नहीं कर पाया था। सोवियत संघ की बढ़ी हुई आर्थिक और भौतिक शक्ति ने अन्य समाजवादी देशों तथा तीसरी दुनिया के नव-स्वाधीन देशों की अर्थ-व्यवस्था को मजबूत करने में सहायता प्रदान की और इस प्रकार विश्व पर प्रभुत्व कायम करने की अमरीकी साम्राज्यवादियों के रास्ते के बाधक के रूप में काम किया।

पूंजीवाद का संकट

३३. कामरेड! पूंजीवादी माध्यमों द्वारा समाजवाद की विफलता और पूंजीवाद की सफलता का चलाया जा रहा साम्राज्यवादी अभियान मजदूरवर्ग को दिग्भ्रमित करने की एक सोची-समझी कोशिश है। वर्तमान घटनाचक्र की पृष्ठभूमि में यह जानबूझ कर जनता को दिया जा रहा एक धोखा है। वे जितना भी प्रचार क्यों न करे सच्चाई यही है कि '८० के दशक के दौरान विकसित पूंजीवादी देशों का आर्थिक विकास ७० और ६० की तुलना में कम रहा है जबकि उन्होंने वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति का पूरा

लाभ उठाया तथा तीसरी दुनिया के देशों का अधिक से अधिक शोषण किया। प्रत्यक्ष औपनिवेशिक शोषण की समाप्ति के साथ ही बहुराष्ट्रीय निगमों के जरिये उसने नव उपनिवेशवादी शोषण के नये रूप विकसित कर लिये है। विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष तीसरी दुनिया के देशों पर ऐसी ऐसी शर्ते लादते हैं जिनसे इन देशों में बहुराष्ट्रीय निगमों का प्रवेश सुगम हो जाय और वे इन देशों के संसाधनों तथा जनता को वाणिज्य की प्रतिकूल शर्तों के जरिये अधिकतम शोषण कर सके। इनमें से बहुत से विकासशील देश इसी बीच ऋण के फंदे में फंस चुके हैं। उन्हें भारी मात्रा में कर्ज सिर्फ पहले के कर्ज को चुकाने के लिये ही लेना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक मदद कम हो जाती है और उन्हें आगे और ऋण लेने के लिये मजबूर होना पड़ता है तथा के इसप्रकार के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। '८० के दशक में ऋण पर सूद आदि के रूप में विकासशील देशों को १४५६ खरब डालर की विशाल राशि चुकानी पड़ी थी। कुछ विकासशील देशों पर कर्ज का इतना बोझ लदा हुआ है जो उन देशों के कुल राष्ट्रीय उत्पादन से आधे के बराबर है। इसी सच्चाई से साम्राज्यवादियों के शोषण का अनुमान लगाया जा सकता है कि विकासशील देशों पर कुल ऋण १.५ महापद्म (ट्रीलियन) डालर तक पहुंच चुका है जो आगे और भी बढ़ता जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप तीसरी दुनिया की जनता में गरीबी तथा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और साथ ही बहुराष्ट्रीय निगमों की संपत्ति बढ़ रही है। इसने साम्राज्यवाद के साथ अन्तर्विरोधों को और तेज कर दिया है।

३४. उपरोक्त प्रक्रिया के अलावा पूंजीवाद का विकास सैन्यवाद और हथियारों की बिक्री तथा एक शक्तिशाली सामरिक औद्योगिक समुच्चय के उदय के साथ हुआ था।

३५. लेकिन पूंजीवाद का अन्तर्निहित संकट उसमें जान फूंकने की सारी कोशिशों के बावजूद लगातार गहरा होता चला गया है। ओइसीडी देशों अर्थात अमरीका और जापान सहित २४ विकसित पूंजीवादी देशों में बेरोजगारी ४ करोड़ तक पहुंच चुकी है। अकेले इन्हीं देशों में १ करोड़ ५ लाख लोग बेरोजगार हैं। अमरीका में ७० लाख लोग बेरोजगार हैं। 'कालअप' द्वारा कराये गये एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि अमरीका में ४ करोड़ ५० लाख लोग गरीबी की सीमा-रेखा के नीचे वास करते हैं। यह अमरीकी सरकार द्वारा दिये गये आंकड़े से १ करोड़ ६० लाख अधिक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अध्ययन के अनुसार १९९० में अमरीका और कनाडा में बेरोजगारी बढ़ने लगी है। नेशनल एसोसियेशन आफ बिजनेस इकोनोमिस्ट के अनुसार अमरीका में १९९० में में बेरोजगारी ५.५ प्रतिशत से बढ़कर ६.१ प्रतिशत हो जायेगी। कनाडा में यह दर ९.१ प्रतिशत है, ईडीसी देशों में अस्थायी काम प्रतिवर्ष १५ से २० प्रतिशत की दर से बढ़ रहे हैं जबकि स्थायी काम समाप्त होते जा रहे हैं। यह तथ्य इंटरनेशल का फेडरेशन आफ टेम्परेरी बर्क इंटरप्राइसेस (सीआईइटीटो) ने दिया है। फ्रांस के आय और व्यय अध्ययन केन्द्र (सीइआरसी) के अनुसार १९८२ से १९८८ के बीच फ्रांस में १० लाख पूरा वक्ती काम समाप्त हो गये। काम की असुरक्षा ने नौजवानों को खासतौर पर प्रभावित किया। इस काल के दौरान असुरक्षित काम (अस्थायी अथवा पार्टटाइम) ५ प्रतिशत से बढ़कर १० प्रतिशत हो गये हैं। जनवरी १९९० में फ्रांस की कुछ कार्यशक्ति का ९.४ प्रतिशत बेरोजगार था। स्पेन में १५.९ प्रतिशत, इटली में १०.९ प्रतिशत बेल्जियम में ९.१ प्रतिशत, नीदरलैंड में ९ प्रतिशत डेनमार्क में ६.४ प्रतिशत, ब्रिटेन में ६.१ प्रतिशत तथा पश्चिम जर्मनी में ५.४ प्रतिशत लोग बेरोजगार थे। पश्चिम जर्मनी में २० लाख लोगों की सीमा को पार करके अब बेरोजगारों की संख्या २१ लाख ९१ हजार तक पहुंच चुकी है। १९९० के जुलाई महीने में जर्मनी के एकीकरण के बाद पूर्वी जर्मनी में १५ लाख लोग बेरोजगार हो गये हैं। विश्लेषण कर्ताओं के अनुसार आने वाले दो वर्षों में यह आंकड़ा ४० लाख लोगों तक पहुंच जायेगा। तालाबंदी और छंटाई हर रोज की बात हो गयी है। यह प्रक्रिया हम उन सभी अब तक के समाजवादी देशों में भी देखते हैं जो अब बाजारू अर्थव्यवस्था में चले गये हैं। प्रति महीने दिन-दूनी-रात चौगुनी गति से बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी तथा उसके साथ ही नयी तकनीक के अपनाने की वजह से बढ़ने वाली फालतू लोगों की संख्या, सामाजिक सुरक्षा लाभों में कटौती, ट्रेड यूनियन अधिकारों तथा हड़ताल के अधिकार पर हमला और महंगाई के अनुरूप मजदूरों के वेतन में वृद्धि की मांगों को न स्वीकारने की कोशिशों—इन सब ने मिलकर सभी पूंजीवादी देशों जिनमें बिल्कुल नव स्वाधीन किये गये बाजारू अर्थव्यवस्था के देश शामिल हैं—में मजदूरवर्ग तथा शासक पूंजीवादी जमात के बीच अन्तर्विरोध काफी तेज हो गये हैं। इसीके परिणामस्वरूप इन देशों में बड़े पैमाने पर संगठित मजदूरवर्ग द्वारा हड़ताल संघर्ष छेड़े जा रहे हैं।

३६. संयुक्त राष्ट्र संघ के उसी अध्ययन के अनुसार १९९० में विश्व अर्थव्यवस्था धीमी पड़ गयी जिसमें १९८८ के बाद पहली बार प्रति व्यक्ति उत्पादन में गिरावट आयी है तथा पूरे विश्व के स्तर पर १९९० में उत्पादन सिर्फ १ प्रतिशत की दर से बढ़ा है जबकि १९८९ में यह दर ३ प्रतिशत थी और १९८८ में ४ प्रतिशत से भी ज्यादा थी। मुख्य रूप से यह धीमापन अमरीका और पश्चिमी यूरोप में दिखाई पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार इस धीमेपन का प्रमुख कारण खाड़ी संकट नहीं बल्कि प्रमुख औद्योगिकृत देशों में मन्दी है। इन देशों द्वारा किये जाने वाले निर्यात में १९९० के दौरान सिर्फ ५.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि १९८९ में ७ प्रतिशत वृद्धि हुई थी। प्रति व्यक्ति उत्पादन में गिरावट वाले इन देशों में आबादी १९८९ में ७ करोड़ से बढ़कर १९९० में १२ करोड़ हो गयी। विकसित बाजारू अर्थव्यवस्था में विकास की दर गिरकर १९९० में लगभग २ प्रतिशत हो गयी। यह गिरावट

अमरीका और कनाडा में विशेष रूप से तेजी से हुई है जहां १९८९ में २.५ प्रतिशत की तुलना में १९९० में सिर्फ १ प्रतिशत उत्पादन हुआ है। ब्रिटेन में भी यह २ प्रतिशत से गिरकर १ प्रतिशत हो गया है। १९८७ से इन देशों में मुद्रास्फीति क्रमश बढ़ती जा रही है। प्रमुख सात औद्योगिक देशों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में १९९० में ५ प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि १९८० में यह वृद्धि ४ प्रतिशत तथा १९८८ में ३.२ प्रतिशत हुई थी।

३७. पूंजीवादी देशों में संकट इतना गहरा हो गया है कि जिसके परिणामस्वरूप खुद विकसित पूंजीवादी देशों के बीच अन्तर्विरोध तीखे होते जा रहे हैं। अपने प्रभाव तथा पूंजी के क्षेत्रों में पुनर्वितरण के लिये अमरीका, जापान तथा ईईसी देशों में चल रहा वाणिज्य युद्ध इस हद तक तेज हो गया है कि इसके परिणामस्वरूप हाल की गेटवार्ता में कृषि को क्षतिपूर्ति देने के सवाल पर वार्ता ही टूट गयी। जर्मनी का एकीकरण तथा १९९२ में हो रहा अखंड यूरोप इन अन्तर्विरोधों के और भी तेज होने के संकेत देते हैं।

३८. अमरीका की अर्थव्यवस्था की परिस्थिति बहुत कठिन है। आर्थिक तथा वाणिज्यिक गतिविधि के प्रायः तमाम क्षेत्रों में जापान अमरीका को मात दे रहा है। जापान का येन धीरे-धीरे अपने प्रभाव के क्षेत्र को बढ़ाता जा रहा है जबकि अमरीकी डालर पीछे हट रहा है और बदहवाश होकर अपनी श्रेष्ठता को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। अखबारों की खबरों के अनुसार, रेगन जब सत्ता में आये थे तब अमरीका पर १००० खरब डालर का कर्ज था। रेगन के बाद के ८ वर्षों तथा बुश के दो वर्षों के बाद यह राशि ३००० खरब डालर पर पहुंच गयी है। अमरीकी कांग्रेस के बजट कार्यालय की आशंका के अनुसार १९९१ के द्वितीय वर्ष में उनके बजट का घाटा २५३ खरब डालर की भयावह हद तक पहुंच सकता है। खाड़ी में युद्ध की स्थिति में, अमरीका का युद्ध का खर्च प्रति दिन १ खरब डालर पड़ सकता है। जापान अब सबसे बड़ा निर्यातकर्त्ता देश बन चुका है। अमरीका और जापान के बीच १९८९ के दौरान १३८.२ खरब डालर के कुल व्यापार में जापान के पक्ष में ४९ खरब डालर का अतिरिक्त भाग रहा है। अमरीका का सुपर ३०१ मूलत जापान की ओर लक्षित था। लेकिन जापान के साथ वाणिज्य विवाद में अमरीका को ही मात खानी पड़ेगी। अमरीका में जापानी पूंजी नियोजन पर रोक लगाने से वहां बेरोजगारी बढ़ेगी जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में और गिरावट आयेगी और अमरीकी मालों का दाम और बढ़ेगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। आज दुनिया का सबसे बड़ा ऋणकर्त्ता देश होने के नाते अमरीका और उसके नागरिकों पर प्रति व्यक्ति १०,५०० डालर का कर्ज है। पिछले १० वर्षों के दौरान अमरीका के समृद्ध परिवारों की प्रति व्यक्ति आय ७४,००० डालर से बढ़ कर ९०,००० डालर हो गयी है जबकि कम आय समूह के लोगों की आय ९००० डालर से घट कर ८००० डालर हो गयी है। यदि आबादी के बड़े हिस्से की आय में यह गिरावट जारी रहती है तो यह निश्चित है कि खुद अमरीकी बाजार में ही अमरीकी मालों के लिये कोई जगह नहीं रह जायेगी।

३८. उपरोक्त तस्वीर का अर्थ यह कदापि नहीं है कि जापान की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। अपनी तकनीक की शक्ति के बावजूद जापान की अर्थव्यवस्था बहुत कठिन हालत में है क्योंकि बजट का घाटा और राष्ट्रीय ऋण उस पर एक असाध्य रोग की तरह लगा हुआ है। इस घाटे तथा विशाल कर्ज को कम करने के लिये जापान की सरकार ने बजट की भारी राशि को दूसरी मदों में ले जाकर अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण का काम हाथ में लिया है। यह राशि सभी सामाजिक कार्यक्रमों के लिये तय की गयी राशि से अधिक तथा विज्ञान और शिक्षा के लिये निर्धारित राशि से दुगुनी है। जापान में कर देनेवाले प्रमुख लोग शारीरिक श्रम करनेवाले या कर्मचारी तबके के लोग हैं। उनकी आय के स्रोत से ही कर काट लिया जाता है। सामरिक खर्च में वृद्धि के कारण भी जापान की अर्थव्यवस्था डोल रही है। १९८१ से १९८५ के मध्य उसके सामरिक खर्च में ४५ प्रतिशत की वृद्धि की गयी है तथा १९९० में उस पर १.९ महापद्म (त्रिलियन) येन खर्च किया गया है। अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण का रोजगार पर बुरा असर पड़ा है। बेरोजगारी ३ प्रतिशत तक बढ़ गयी है। जापानी वाणिज्य शोध केन्द्र नोमुरा के अनुसार १९९० में बेरोजगारी ४ से ५ प्रतिशत तक जा सकती है।

साम्राज्यवाद के खिलाफ तथा समाजवाद के लिये संघर्ष को आगे बढ़ाओ :

३९. मैंने पूर्वी यूरोप और सोवियत संघ के घटनाचक्र के सन्दर्भ में विश्व की घटनावली का संक्षेप में विश्लेषण करने का प्रयास किया है। समाजवादी कायदे-कानूनों में गल्तियां और भटकाव का अर्थ समाजवाद की विफलता या समाप्ति तथा पूंजीवाद और साम्राज्यवाद की विजय नहीं है। न ही इसका अर्थ अन्तर्विरोधों का कम हो जाना है। उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति का आधार शोषण और निजी मुनाफा होने के कारण, संकट इस व्यवस्था में सदा अन्तर्निहित होता है और इसीलिये अन्तर्विरोधों का बढ़ना अवश्यम्भावी है। जबकि समाजवादी उत्पादन पद्धति शोषण का अन्त करती है। इसीलिये अक्तूबर क्रान्ति के बाद के इस युग में प्रमुख अन्तर्विरोध समाजवाद और साम्राज्यवाद के बीच बना हुआ है। इसीलिये समाजवादी व्यवस्था की समस्याओं या गल्तियों या भटकावों का उत्तर सुधार या विकल्प विकास का पूंजीवादी रास्ता या बाजारू अर्थव्यवस्था नहीं हो सकता। समाजवाद के लिये तथा पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के लिये संघर्ष वैज्ञानिक चिन्तन पर आधारित एक ऐतिहासिक जरूरत है। दो शत्रु शिविरों के बीच इस प्रकार शत्रुतामूलक संघर्ष का रास्ता इसीलिये हमेशा बहुत ही

सीधा या सपाट नहीं हो सकता। जैसा कि लेनिन ने कहा था अनेक मौकों पर पीछे की ओर लम्बी छलांग लगानी पड़ सकती है। इसीलिये हमें यह समझना होगा कि समाजवाद को लगा हुआ यह वर्तमान धक्का एक अस्थायी चरण है लेकिन पूंजीवाद का डूबना उसके अपने ही अन्तर्निहित अन्तर्विरोधों के चलते अवश्यम्भावी है। सिर्फ समाजवाद ही है जिसमें इस प्रकार का कोई अन्तर्विरोध नहीं होता तथा मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का एक देश द्वारा अन्य देश के शोषण का वह अन्त करता है। वही पूंजीवाद और साम्राज्यवाद द्वारा किया जा रहे शोषण से मजदूर वर्ग तथा समाज के मेहनतकश लोगों को मुक्त कर सकता है। सीआईटीयू इसीलिये अपनी सभी इकाइयों से यह आह्वान करता है कि वे समाजवाद के खिलाफ साम्राज्यवादी और बुर्जुआ प्रचार का जवाब दे तथा समाजवाद के हित की रक्षा के अपने संघर्ष को तेज करे।

खाड़ी युद्ध

४०. कामरेड ! हम खाड़ी क्षेत्र में अमरीकी प्रशासन द्वारा शुरू किये गये पूर्ण स्तरीय युद्ध की पूरी तरह भर्त्सना करते हैं। विश्व पर प्रभुत्व कायम करने के अमरीकी साम्राज्यवाद के लक्ष्य के बारे में हमारे विचारों के सन्दर्भ में खाड़ी की समस्या की ओर संकेत करना जरूरी है जिसने अमरीकी साम्राज्यवाद के चरित्र को बिल्कुल नंगा कर दिया है तथा शीत युद्ध की समाप्ति और अन्तर्विरोधों में कमी की सारी बातों की धज्जियां उड़ा दी है। इसमें कोई शक नहीं है कि २ अगस्त को इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा एक आक्रमणकारी कार्रवाई थी और हम बेहिचक रूप में यह मांग करते हैं कि इराकी सेनाएं कुवैत से हटें तथा २ अगस्त के पहले वाली स्थिति पर चली जायं। लेकिन अपनी विशाल सेनाओं के दुनिया के दारोगा के रूप में काम करते हुए अमरीका ने हस्तक्षेप करके ही अरब देशों द्वारा स्वयं इस समस्या के समाधान में बाधा डाली है जिसके साथ ही इसराइल द्वारा हथियाये गये क्षेत्र से इसराइल के हटने तथा फिलिस्तीनियों की मातृभूमि के प्रश्न का समाधान भी हो जाना था। लम्बे काल से अमरीका अपने देश के बहुराष्ट्रीय तेल शाहों के हित में खाड़ी के समृद्ध तेलभंडारों का दोहन करने के लिये इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करता रहा है। अरब दुनिया को आपस में लड़ाते रहने की उसकी हमेशा की चाल रही है। उसने सफलता के साथ मिस्र के अलावा सऊदी अरबिया, कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात के शाही निजामों को अपनी ओर ले लिया तथा वह एक ऐसे मौके की तलाश में था जिसके बहाने वह इस क्षेत्र में कूद जाता। विवादास्पद रोनाल्डे तेल क्षेत्रों तथा अन्य हिस्सों के सवाल पर कुवैत के खिलाफ इराक की कार्रवाई ने अमरीका को वह अवसर प्रदान कर दिया। जहां तक सोवियत संघ का सवाल है उसका शांति के लिये साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष, पिछले ४५ वर्षों से अमरीका की युद्ध की कोशिशों में बाधक के रूप में काम करता रहा है तथा उसने फिर से युद्ध छिड़ने को रोका है। यद्यपि, सोवियत संघ इराक के विरुद्ध युद्ध में शामिल नहीं हुआ है तथापि अन्तर्विरोधों में कमी के उसकी नयी सोच तथा नयी अवधारणा के चलते यह आश्चर्य की बात नहीं लगती कि उसने सुरक्षा परिषद में इराक के खिलाफ शक्ति के प्रयोग के पक्ष में मत दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात जाने दीजिये सोवियत संघ ने यहां तक कि फिलिस्तीनियों की जमीन पर इसराइल के कब्जे तथा उनकी मातृभूमि के प्रश्न तक को नजरअन्दाज किया है। इसीलिये अब अमरीका के लिये जो इस वक्त संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी मुट्ठी में लेने में समर्थ एकमात्र महाशक्ति है, अमरीका के लिये इस बात को आसान कर दिया कि वह इराक के खिलाफ युद्ध की घोषणा पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्वीकृति प्राप्त कर ले, जबकि फिलिस्तीनियों के सवाल पर इतने सारे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव बिना अमल के पड़े हुए हैं। सारी दुनिया की जनतांत्रिक शक्तियों को दिमाग में अभी भी पनामा पर अमरीकी हमले तथा पश्चिमी तट और गाजा पट्टी पर आज भी इसराइल को दिये जा रहे आज भी बेशर्म समर्थन तथा फिलिस्तीनियों से उनकी मातृभूमि को छीन लेने की सारी घटनाओं को देखते हुए शांति तथा कुवैत की सार्वभौमिकता के बारे में अमरीका के तमाम घड़ियाली आंसुओं ने उसकी मिथ्याचारिता तथा उसके जंगखोर चरित्र को बिल्कुल नंगा कर दिया है। यह गम्भीर चिन्ता की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक विश्व निकाय होने पर भी युद्ध के खिलाफ खड़े होने में असमर्थ रहा तथा उसने एक ऐसे युद्ध को स्वीकृति दे दी जिसका सारी दुनिया पर एक विध्वंसकारी असर पड़ेगा। अपने हवाई हमले के पहले दौर में ही अमरीका तथा इसकी सहयोगी शक्तियों ने बागदाद पर १८,००० टन बारूद फेंक दिया है जो हिरोशिमा पर फेंके गये एटम बम से लगभग डेढ़ गुना अधिक शक्तिशाली है।

४१. लेकिन यह सब अमरीका के लिये उतना आसान मामला नहीं होगा। सिवाय ब्रिटेन को छोड़कर उसके पश्चिमी सहयोगी विभाजित हैं। अरब दुनिया अपने बिखराव के बावजूद उसके पास अमरीका द्वारा समर्थित इसराइली हमले का यथेष्ट अनुभव है। सारी दुनिया में तथा स्वयं अमरीका में बड़े-बड़े युद्ध-विरोधी और अमरीका-विरोधी आंदोलन चल रहे हैं। यह अमरीका के लिये दूसरा वियतनाम साबित हो सकता है। सीआईटीयू के सेक्रेटेरियट द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति के आह्वान पर दिल्ली, पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों ने इसी बीच विरोध आंदोलन शुरू कर दिया है।

४२. इस प्रश्न पर किन्तु, हमें निश्चित रूप से भारत की चन्द्रशेखर के नेतृत्व की वर्तमान सरकार की भूमिका की निन्दा करनी चाहिये क्योंकि उसने अमरीका के इस प्रकार कूद पड़ने की बिना निंदा किये एक पक्षीय ढंग से इराक की निन्दा की है। प्रधानमन्त्री तो इस हद तक चले गये कि इस प्रश्न को फिलिस्तिनियों के सवाल के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। यह

और भी गम्भीर चिंता का विषय है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी आज एक ऐसे मौके पर जब तीसरी दुनिया के एक सदस्य देश पर अमरीका ने हमला किया है, खड़ा होने में विफल रहा है। सीटू सेक्रेटेरियट ने भारत सरकार से यह आह्वान किया था कि वह सुरक्षा परिषद तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक सदस्य होने के नाते युद्ध की समाप्ति तथा खाड़ी से अमरीका और उसके सहयोगी देशों की वापसी की मांग के लिए सुरक्षा परिषद की एक बैठक बुलाने की मांग करे और अधिकृत क्षेत्रों से तथा फिलिस्तीनियों की मातृभूमि से इसराइल के हटने सहित खाड़ी की समूची समस्या के समाधान को सुगम बनाये।

४३. खाड़ी संकट ने सारी दुनिया तथा भारत पर बहुत ही विपरीत असर डाला है। भारत को आज प्रति बैरल कच्चे तेल के लिये दुगुनी से भी ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ रही है। हजारों भारतीयों के लौट आने के कारण बड़ी मात्रा में आने वाली विदेशी मुद्रा में यहां तेजी से गिरावट आयी है। १४,००० करोड़ रुपये के सर्वोच्च घाटे तथा भुगतान संतुलन की बुरी स्थिति को देखते हुए खाड़ी संकट ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक गम्भीर दिशा में डाल दिया है। वामपन्थी-जनतांत्रिक मोर्चे की केरल की सरकार खास तौर पर प्रभावित हुई है। अकेले केरल में ८०,००० लोग खाड़ी से लौट आये हैं जो अभी बेरोजगार हैं। इसने राज्य की वित्तीय स्थिति पर बहुत ही बुरा असर डाला है। अगर युद्ध लम्बा चला तो परिस्थिति और भी बदतर हो जायेगी। खाड़ी संकट का समाधान एक फौरी आवश्यकता है।

फिलिस्तीनियों का संघर्ष

४४. इसी काल के दौरान मातृभूमि के लिये फिलिस्तीनियों के संघर्ष ने साम्राज्यवाद और राष्ट्रीय मुक्ति-आंदोलनों के बीच तेज हो रहे अन्तर्विरोध को प्रकाश में ला दिया है। फिलिस्तीनियों का विद्रोह 'इंतिफदा' दिसम्बर १९९० में अपने चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। यहूदीवादी सरकार ने इस दिन का जवाब मनमाने ढंग से गोलियां चलाकर तथा तीसरे स्तर की यातनाएं देकर दिया है। लगभग ६० लाख फिलिस्तीनियों के पास उनका अपना कोई घर नहीं है। करीबन १० लाख फिलिस्तीनी पश्चिमी तट पर और ६ लाख ५० हजार गाजापट्टी में रहते हैं जिन क्षेत्रों को इसराइल ने हथिया लिया है। ७ लाख ५० हजार इसराइल में हैं तथा बाकी सारी दुनिया में छितरे हुए हैं। पश्चिमी तट और गाजापट्टी में वे इसराइली सैनिक शासन के अधीन हैं। इसराइल में वे दोयम दर्जे के नागरिक हैं तथा अरब देशों में शरणार्थियों की तरह रह रहे हैं। अमरीका ने इस बात की भरसक कोशिश की कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद इसराइली दमन के विरुद्ध कोई प्रस्ताव पारित नहीं करने पाये तथा यरूशलम में सरे-जमीन जांच के लिये कोई शिष्टमण्डल न भेजने पाये। लेकिन वह इसमें विफल रहा। यहूदीवादी सरकार ने किन्तु, शिष्टमंडल को आने देने की अनुमति प्रदान करने से इंकार कर दिया। पश्चिम एशिया पर प्रस्तावित सम्मेलन इसलिये अबतक शुरू ही नहीं हो पाया है क्योंकि अमरीका और इसराइल इस बात को स्वीकारने के लिये तैयार नहीं है कि फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन (पीएलओ) इस सम्मेलन में शामिल हो। फिलिस्तीनी किन्तु अडिग हैं तथा अपनी मातृभूमि प्राप्त करने के लिये वे संकल्प लिये हुए हैं। सीआईटीयू इसराइली बर्बरताओं तथा उन्हें प्राप्त अमरीकी समर्थन की निन्दा करता है और पीएलओ तथा उसके नेता यासर अराफात द्वारा चलाये जा रहे संघर्ष को अपना पूर्ण समर्थन देता है।

रंगभेद के खिलाफ संघर्ष

४५. अपने बम्बई सम्मेलन में जहां कोशातू (सीओएसटीयू) के प्रतिनिधि उपस्थित थे हमने नेलसन मंडेला की मुक्ति की मांग के लिये तथा दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के समूचे ढांचे को तोड़ डालने के लिये संघर्ष को और तेज करने का जोरदार आह्वान किया था। एएनसी के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका में बढ़ते संघर्षों के साथ ही वहां के भूतपूर्व नस्लवादी तानाशाह बोथा को गद्दी छोड़नी पड़ी और उसके स्थान पर आये एफडब्ल्यूडी क्लार्क को नेलसन मंडेला को आजाद करना पड़ा। ११ फरवरी, १९९० का दिन दुनिया का एक खुशियों भरा दिन था जब इस अद्वितीय पुरुष मंडेला को बिना शर्त रिहा किया गया।

४६. अमरीका और ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पूर्ण प्रतिबंध लगाने के संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों के खिलाफ बार-बार वीटो का प्रयोग किया। एएनसी के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका की कम्युनिस्ट पार्टी, कोशातू, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, नटाल इंडियन कांग्रेस तथा अन्य रंगभेद विरोधी संगठनों द्वारा चलाया गया सशस्त्र संघर्ष उनखोंतो-विसिज्वे, राष्ट्र का बल्लम—अप्रतिरोध्य था। विश्व समुदाय, समाजवादी शक्तियों, गुट-निरपेक्ष आंदोलन तथा अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग ने जीवन और मृत्यु के इस संघर्ष को अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया।

४७. भारत में सीआईटीयू तथा अन्य ट्रेड यूनियनों ने सभी राज्यों में इस सन्दर्भ में विभिन्न कार्यक्रम अपनाये। २१ मार्च को शार्पेविल्ला हत्याकांड के खिलाफ तथा १६ जून को स्वेतो हत्याकांड के खिलाफ रंगभेद विरोधी दिवस बड़े पैमाने पर मनाया गया। नेलसन मंडेला की ७०वीं सालगिरह १८ जून १९८८ को सभी राज्यों में तथा विभिन्न यूनियनों और संघों द्वारा मनायी गयी। कोशातू के प्रतिनिधि इसी दौरान जब दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और त्रिवेन्द्रम के दौरे पर आये तो उनका शानदार अभिनन्दन किया गया।

४८. १५ अक्तूबर का दिन भारत में एक उत्सव का दिन था जब अपनी रिहाई के बाद नेलसन मंडेला भारत की यात्रा पर आये थे। दिल्ली में उनको दिये गये अभिनन्दन में हमारे कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। कलकत्ता में वाम मोर्चा सरकार

द्वारा किया गया अभिनन्दन स्वयं में अनोखा था। ऐतिहासिक इडेन गार्डन मैदान में किये गये इस अभिनन्दन में लगभग १ लाख मजदूरों तथा आम लोगों ने हिस्सा लिया।

४९. नेलसन मंडेला की मुक्ति के पहले वाल्टर सिसलू को आजाद किया गया था। ७ अगस्त १९९० को नस्लवादी सरकार को एएनसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर के लिए मजबूर होना पड़ा जिसके अनुसार सभी राजनीतिक बन्दियों को रिहा कर दिया जायेगा और विदेशों में भागकर रह रहे लोगों को वापस बुला लिया जायेगा। इसके साथ ही एएनसी के अध्यक्ष आलीवर टाम्बो अपने लम्बे प्रवास के बाद देश वापस लौट आये। रंगभेदी सरकार एक नये संविधान के लिये बातचीत शुरू करने पर भी सहमत हो गयी है। जिस सविधान से सभी रंगभेदी प्राविधानों को हटा देने की उम्मीद है। इस समझौते के बाद ही एएनसी ने अपने सशस्त्र संघर्ष को स्थगित कर दिया है।

५०. फिर भी यह गौर करने लायक बात है कि दक्षिण अफ्रीका में अभी भी रंगभेदी ढांचा बना हुआ है। नस्लवादी सरकार और पुलिस की शह पर जुलू इंखता ने एएनसी पर हिंसक हमले शुरू कर दिये हैं। सीआईटीयू को किन्तु यह विश्वास है कि एएनसी तथा अन्य रंगभेद विरोधी संगठन सारी बाधाओं के बावजूद समूचे रंगभेदी ढांचे को ढहाने तथा अपने आजादी की घोषणापत्र के अनुरूप एक स्वतन्त्र जनतान्त्रिक गैर नस्लवादी दक्षिण अफ्रीका के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

नामीबिया की स्वतन्त्रता

५१. कामरेड! हमारे पिछले सम्मेलन के बाद इस काल में १९८९ के नवम्बर महीने में नामीबिया की स्वतन्त्रता दुनिया के उत्पीड़ित जनों के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों के इतिहास की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। स्वापो तथा उसके प्रवाद पुरुष सैम नुजेमा के नेतृत्व में हुई इस जीत ने अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन के अन्तिम अवशेष को समाप्त कर दिया। इसके लिये उन्हें उसी दक्षिण अफ्रीका की घृणित रंगभेदी सरकार के खिलाफ स्वतन्त्रताकामी जनता का एक सबसे तीखा संघर्ष चलाना पड़ा था। अमरीका के नेतृत्व में साम्राज्यवादियों की मदद से दक्षिण अफ्रीका लगभग ७४ वर्षों से नामीबिया पर अपना कब्जा जमाये हुए था। हम नामीबिया की जनता का अभिनन्दन करते हैं और आज भी नस्लवादियों द्वारा समर्थित डेमोक्रेटिक टर्न हेल एलायंस द्वारा पैदा की जा रही सभी बाधाओं का मुकाबला करते हुए अपने देश के पुनर्निर्माण में उनकी पूर्ण सफलता की कामना करते हैं।

अफगानिस्तान

५२. अफगानिस्तान एक और ऐसा देश है जो इस काल में भारी उथल-पुथल के मध्य से गुजरा है। उसे अमरीका द्वारा खुलेआम समर्थित और मददप्राप्त तथा पाकिस्तान के सैनिक शासकों की सहायता प्राप्त प्रतिक्रांतिकारियों के घृणित हमलों का मुकाबला करना पड़ा है। अफगानिस्तान के बारे में जेनेवा समझौता हो जाने तथा सोवियत सेनाओं के वापस चले जाने के बाद भी अमरीकी साम्राज्यवादी नजीबुल्ला सरकार को हटाने के लिये पूरी तरह से तोड़-फोड़ की कार्रवाई में लगे हुए हैं। अमरीका समर्थित प्रतिक्रांति-कारियों के खिलाफ देश की सार्वभौमिकता और अखंडता की रक्षा की कड़ी लड़ाई में हम अफगानिस्तान के लोक-गणतांत्रिक जनतन्त्र के प्रति अपना पूर्ण समर्थन और एकजुटता जाहिर करते हैं।

उत्तर कोरिया (डीपीआरके) तथा वियतनाम

५३. हम मार्क्सवाद-लेनिनवाद के रास्ते तथा मजदूर वर्ग और कम्युनिस्ट पार्टियों की नेतृत्वकारी भूमिका के अन्तर्गत इन समाजवादी राज्यों की रक्षा के लिये तथा साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई के प्रति उत्तरी कोरिया और वियतनाम की दृढ़ प्रतिबद्धता का हार्दिक अभिनन्दन करते हैं। १९९० में हमारी विभिन्न राज्य कमेटियों ने हो-ची मिन्ह के जन्म शतवर्ष का पालन किया। खासतौर पर पश्चिम बंगाल में १४ जनवरी १९९१ को वियतनाम के उपाध्यक्ष तथा दीयेन वियेन फू के ऐतिहासिक युद्ध के नायक, जिस युद्ध में फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों को धूल चटा दी गयी थी, जनरल वो न्युबेन गियाप का कलकत्ता में एक शानदार अभिनन्दन किया गया। कम्बोडिया की अन्दरूनी समस्या का समाधान खुद कम्बोडिया की जनता बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के कम्बोडिया की सर्वोच्च राष्ट्रीय परिषद के फैसले के आधार पर करे इस आशय के वियतनाम के फैसले का और उसकी भूमिका की भी हम प्रशंसा करते हैं।

५४. हम एक महासंघ के झंडे तले दोनों कोरिया के पुनर्एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में उत्तरी कोरिया के प्रस्तावों का पूर्ण समर्थन करते हैं। अमरीकी साम्राज्यवादी और उसकी कठपुतली दक्षिण कोरिया की सरकार इन प्रस्तावों का विरोध कर रही है। अमरीका ने दक्षिण कोरिया में अपने ४०,००० सैनिकों को तैनात कर रखा है जिनके पास तमाम प्रकार के आधुनिक नाभिकीय हथियार हैं। यह उत्तर कोरिया तथा समूचे कोरियाई भूखण्ड पर लगातार मंडरा रहा एक खतरा है। दक्षिण कोरिया के मजदूरों और वहां की जनता पर बेइन्तिहां जुल्म ढाये जा रहे हैं। इस सम्मेलन से हम अमरीकी सेनाओं को हटाये जाने की मांग करते हैं ताकि उत्तरी कोरिया के प्रस्ताव के अनुसार एकीकरण की प्रक्रिया सुगम हो सके।

लैटिन अमरीका में साम्राज्यवादी हस्तक्षेप

५५. कामरेड! इसी दौरान लैटिन अमरीका और कैरेबियन द्वीपों के क्षेत्र ऐसे इलाके रहे हैं जहां अमरीकी साम्राज्यवादी अधिक हस्तक्षेप करते रहे हैं। उन्होंने निकारागुआ में डैनियल ओर्तिगो के नेतृत्व की सैंडनिस्ता सरकार को हटाने की कोशिश की। हमारी राज्य कमेटियों तथा यूनियनों ने सैंडिनिस्ता सरकार के पक्ष में अनेक

कार्यक्रम आयोजित किये और निकारागुआ कोष में उदारता के साथ चंदा दिया। अकेले पश्चिम बंगाल ने निकारागुआ की मदद के लिये १ लाख रुपये दिये। हम सैंडिनिस्ताओं के प्रति तथा निकारागुआ के मजदूर वर्ग और वहां की जनता के प्रति अपना पूर्ण समर्थन प्रदान करते हैं। उन्होंने चुनाव में हुई पराजय के बावजूद निकारागुआ की क्रांति को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है।

५६. चिली में अमरीका द्वारा समर्थित फासिस्ट तानाशाह अगस्तो पिनोचेट को सत्ता से खदेड़ बाहर किया जाना तथा जनतांत्रिक शक्तियों की जीत इस काल की एक महत्वपूर्ण घटना है।

५७. ग्रेनेडा और पनामा पर अमरीका के हमले ऐसी घटनाएं हैं जिससे अपने साम्राज्यवादी हितों के लिये लैटिन अमरीका पर अपना प्रभुत्व कायम करने तथा उसके संसाधनों का शोषण करने का अमरीका का इरादा पूरी तरह से बेपर्द हो गया। इन घटनाओं से साम्राज्यवाद के साथ तीसरी दुनिया के अन्तर्विरोध तेज हुए हैं।

५८. क्यूबा पर लगातार अमरीकी खतरा छाया हुआ है। अमरीका अब क्यूबा को दी जानेवाली सोवियत संघ की सारी मदद को बंद करने के लिये सोवियत संघ से ब्लैकमेल कर रहा है। क्योंकि पूर्वी यूरोप में समाजवादी राज्यों के उखड़ जाने के कारण सोवियत संघ को वाणिज्य में हुए नुकसान के चलते उसे गम्भीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम क्यूबा तथा उसके बहादुर नेता फिदेल कास्त्रो को अपनी हार्दिक बधाइयां तथा अभिनंदन प्रेषित करते हैं कि वे इन तमाम धमकियों के बावजूद दृढ़ता से टिके हुए हैं तथा समाजवाद के रास्ते पर अडिग रहकर क्यूबा की क्रांति की रक्षा कर रहे हैं।

बंगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान

५९. कामरेड! बम्बई सम्मेलन के बाद के इस काल में हमारे दो पड़ौसी देशों में जनतांत्रिक शक्तियों की विजय हुई है। बंगलादेश में मुजीबर रहमान की हत्या के बाद लम्बे संघर्षों के जरिये वहां की जनता ने सैनिक शासन को समाप्त किया। है और इरशाद की ९ वर्षों की सैनिक तानाशाही को उखाड़ फेंका है। वह इसीलिये सम्भव हुआ क्योंकि जनतन्त्र को पुनर्स्थापित करने के लिये संघर्ष कर रही सभी राजनीतिक पार्टियां एकजुट हो चुकी थी। अब वे एक नयी सरकार के चुनाव की तैयारिया कर रहे हैं। ट्रेड यूनियनों ने सैनिक शासन की समाप्ति में एक बड़ी भूमिका अदा की है हम बंगलादेश के मजदूरवर्ग तथा वहां की जनता का उनकी जीत के लिये अभिनन्दन करते हैं और यह आशा करते हैं तथा उम्मीद करते हैं कि वे जनतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिये इस एकता को और ताकतवर बनायेंगे।

६०. इसीप्रकार नेपाल में संयुक्त वामपन्थी मोर्चे और नेपाली कांग्रेस ने अपने देश की राजशाही के स्वैच्छाचारी शासन के खिलाफ सफलतापूर्वक संघर्ष किया ताकि एक जनतांत्रिक राजनीतिक व्यावस्था की स्थापना हो सके। हम उनका अभिनन्दन करते हैं और यह कामना करते हैं कि वे इस संघर्ष के सारे फलों को सहेजने में पूरी तरह सफल हों। हमारा विश्वास है कि इन जनतांत्रिक परिवर्तनों से भारत के साथ इन देशों के सम्बन्ध में सुधार होगा।

६१. पाकिस्तान ने इस दौरान काफी उथल-पुथल देखी है। बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में वहां एक जनतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई थी। लेकिन इसे सेना की मदद से इस्लामिक गठजोड़ द्वारा हटा दिया गया। पाकिस्तान के साथ भारत के सम्बन्ध आज भी तनावपूर्ण हैं। पंजाब और कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों के जरिये हमारे देश में अस्थिरता पैदा करने की साम्राज्यवादी साजिश को अभी भी पाकिस्तान का समर्थन मिल रहा है। हम भारत और पाकिस्तान के मजदूरवर्ग और अवाम से यह उम्मीद रखते हैं तथा तहेदिल से यह आशा करते हैं कि वे अपनी समझ और संघर्ष की एकता के जरिये पाकिस्तान की नयी सरकार को शिमला समझौते की भावनाओं की कद्र करने के लिये मजबूर करेंगे जिससे दोनों देशों के बीच एक नयी समझ और मित्रता कायम होगी तथा अमरीकी साम्राज्यवादियों की वे सारी चालें विफल होंगी जिनके जरिये वे इस उपमहादेश में अपना प्रभुत्व कायम करने के साम्राज्यवादी हितों की सेवा के लिये परस्पर शत्रुता पैदा कर रहे हैं।

श्रीलंका

६२. कामरेड! श्रीलंका की परिस्थिति हमारे पिछले सम्मेलन के बाद से लगातार बिगड़ती जा रही है। इससे इस क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने को साम्राज्यवादियों की कोशिश को मदद मिली है। एलटीटीई तथा श्रीलंका की सेनाओं के बीच हुई सशस्त्र मुठभेड़ों में अधिक से अधिक यात्री मारे जा रहे हैं। भारत श्रीलंका समझोते के अनुसार श्रीलंका में भारत की जो शांति रक्षा सेना गयी थी उसे समझौते पर पूर्ण अमल से पहले ही वापस लौट आना पड़ा है। क्योंकि प्रेमदासा सरकार और एलटीटीई ने अन्तर्घातमूलक चालें खेलनी शुरू कर दी थी। वहां की उत्तर-पूर्वी प्रान्तीय परिषद को सत्ता नहीं दी जा सकी। प्रेमदासा सरकार ने एलटीटीई को फांसकर विभिन्न तमिल गुटों को आपस में लड़ाना शुरूकर दिया। एलटीटीई के लोग तमिलनाडू में घुस आये थे तथा उन्होंने मद्रास में इपीआरएलएफ के सभी नेताओं की हत्या कर डाली। हमारी तमिलनाडू राज्य कमेटी अवश्य ही सफलता के साथ राज्य में हर तरह के अंध राष्ट्रवादी रूझान के खिलाफ लड़ रही है। हम दृढ़ता के साथ इस समस्या के एक जनतांत्रिक समाधान के पक्ष में हैं जो भारत और श्रीलंका दोनों के ही हित में है। यह समाधान बातचीत के जरिये ही हो सकता हैं जिसमें सभी तमिल गुटों को शामिल किया जाना चाहिये। हम अपनी तमिलनाडू राज्य कमेटी तथा यूनियनों से अंध-राष्ट्रवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली सभी तोड़क शक्तियों के खिलाफ तथा तमिल जनता की एकता की रक्षा के लिये सदा चौकरन रहने का आह्वान करते हैं।

६३. कामरेड! अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति की उपरोक्त समीक्षा

से यह देखा जा सकता है कि हमारे बम्बई सम्मेलन के बाद के काल में साम्राज्यवाद और पूंजीवाद तथा उनका विरोध करनेवाली शक्तियों के बीच अन्तर्विरोध और भी तेज हुआ है। इसके साथ ही पूंजीवादी व्यवस्था के गहराते हुए संकट ने खुद पूंजीवादी देशों के बीच के अन्तर्विरोध को और तेज कर दिया है। साम्राज्यवाद ने विचारधारात्मक तथा साथ ही साथ अन्दरूनी प्रतिक्रान्तिकारी शक्तियों को मदद देकर समाजवाद के खिलाफ नग्न हमला छेड़ दिया है। इसके साथ ही साम्राज्यवादी शक्तियां और सत्ताधारी पूंजीवादी गुटों ने इस संकट के बोझ को तीसरी दुनिया के देशों तथा खुद अपने देश के मजदूर वर्ग पर लादने की कोशिश की है। ऐसी कठिन परिस्थिति में साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के विरुद्ध तथा समाजवाद और मजदूर वर्ग तथा जनता के हितों की रक्षा के लिये संघर्ष को तेज करने की सम्भावना और ज्यादा बढ़ गयी है। सीआईटीयू तथा उसकी सभी यूनियनों को इन घटनाओं पर गौर करना होगा और उसीके अनुरूप संघर्षों को आगे ले जाने के लिये तैयार रहना होगा।

राष्ट्रीय परिस्थिति

कांग्रेस(इ) के खिलाफ आन्दोलनों का ज्वार

६४. कामरेड, अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति की भांति ही राष्ट्रीय परिस्थिति भी हमारे पिछले बम्बई सम्मेलन के बाद के काल में घटनापूर्ण रही है। इसमें एक ओर मजदूर वर्ग तथा मेहनतकश जनता के तमाम हिस्सों तथा दूसरी ओर शासक वर्गों तथा राजीव गांधी के नेतृत्व की उनकी कांग्रेस(इ) सरकार के बीच अन्तर्विरोध तेज हुए है तथा राजीव सरकार को सत्ता से हटना पड़ा है!

६५. बम्बई सम्मेलन में ही कामरेड बी टी रणदिवे के अध्यक्षीय भाषण तथा महासचिव की रिपोर्ट, दोनों में ही जनता के साथ राजीव सरकार के बढ़ते हुए अलगाव की ओर इशारा किया गया था। कामरेड बी टी रणदिवे ने अपने भाषण में कहा था, राजीव को लोकसभा में जितना बड़ा बहुमत प्राप्त है, कांग्रेस(इ) के इसके पहले के किसी भी नेता को उतना बड़ा बहुमत नहीं मिला था। यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू भी स्वतन्त्र भारत के पहले चुनाव में इतना विशाल बहुमत पाने में असमर्थ रहे। लेकिन दो वर्षों के अन्दर ही राजीव गांधी तेजी से जनता का समर्थन गंवाने लगे हैं, तथा उसका संसदीय बहुमत ऐसा बहुमत होता जा रहा है जो तेजी के साथ लोकप्रिय समर्थन खो रहा है।"

६६. विकास के पूंजीवादी रास्ते के बढ़ते हुए संकट तथा निजी क्षेत्र के अनियन्त्रित विकास को अनुमति देने, सार्वजनिक क्षेत्र को बदनाम करने तथा उच्च तकनीक के नाम पर बहुराष्ट्रीय निगमों को अधिक से अधिक नियन्त्रण देनेवाली राजीव गांधी की आर्थिक नीति के चलते यह अवश्यम्भावी था। ये सारी नीतियां विश्व बैंक और आईएमएफ की मांगों के अनुसार तैयार की गयी थीं। उसके शासन के दो वर्षों के अन्दर ही बेरोजगारी, तालाबन्दी, औद्योगिक रुग्णता, महंगाई और किसान जनता की बढ़ती हुई कंगाली अपनी अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गयी थी। इसके साथ ही कांग्रेस(इ) की समझौते की लाईन के चलते सभी प्रकार की विभाजनकारी शक्तियां बढ़ती जा रही थीं तथा उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार के कांड बढ़ते जा रहे थे। व्यापक आन्दोलन के लिये परिस्थिति पक कर तैयार हो चुकी थी, तथा उस सम्मेलन ने ऐसे आन्दोलन का आह्वान किया।

६७. उसके बाद और भी तेज गति से परिस्थिति बिगड़ने लगी। चन्द महीनों बाद ही, १९८७ के दिसम्बर महीने में जब हम चंडीगढ़ में वर्किंग कमेटी की मीटिंग में मिले, उस समय सारे देश से लाखों की संख्या में मजदूर, किसान, खेतिहर मजदूर, छात्र, युवा तथा महिलाएं देश के विभिन्न कोनों से ६ जत्थों में राजधानी में इकट्ठा हो रहे थे। उन्होंने ९ दिसम्बर को संसद के सामने अबतक का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का आह्वान संयुक्त रूप से सीपीआई(एम), सीपीआई, आरएसपी और फारवर्ड ब्लाक, इन चार वामपंथी पार्टियों तथा उनके जन-संगठनों ने किया था। सभी राज्यों से सीआईटीयू की भागीदारी विशाल थी। वामपंथी दलों और उनके जनसंगठनों द्वारा आयोजित यह सबसे विशाल रैली थी जिसमें लगभग १० लाख के करीब मजदूर तथा अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। रैली में १५ मार्च १९८८ को भारत बन्द का आह्वान किया गया। मजदूर तथा जनता के सभी हिस्सों की मांगों को लेकर एक १४ सूत्री मांग पत्र जारी किया गया। इसकी पहली मांग थी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करो तथा केन्द्रीय मांग राजीव सरकार का इस्तीफा थी। सिर्फ इंटक और बीएमएस को छोड़ कर उस दिन अन्य सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने औद्योगिक हड़ताल का आह्वान किया। सार्वजनिक क्षेत्र की यूनियनों ने भी १४ से १६ मार्च तक, ३ दिनों की हड़ताल का तथा कोयला मजदूरों ने १५ मार्च से एक सप्ताह की हड़ताल का आह्वान किया। कांग्रेस (इ) सरकार ने इसका जवाब असभ्यतापूर्ण बदले की भावना से दिया। उसने डेढ़ लाख लोगों को गिरफ्तार किया जिसमें अकेले तमिलनाडु में ४० हजार गिरफ्तार किये गये। गोलीकांड में १० मजदूर मारे गये। इस दमन के बावजूद, बन्द ने सारे देश को हिला दिया तथा कांग्रेस(इ) को अपदस्थ करने के लिये लगातार संघर्ष में मजदूर मैदान में उतर पड़े। इन जनआन्दोलनों में पश्चिम बंगाल के वाम मोर्चे तथा केरल के वामपंथी जनतांत्रिक मोर्चे के साथ ही सीआईटीयू तथा अन्य जनसंगठनों ने नेतृत्वकारी भूमिका अदा की।

६८. इसके बाद फिर जैनरल कौंसिल की धनबाद बैठक ने राजीव सरकार के इस्तीफे की प्रमुख मांग के साथ सीआईटीयू की

स्वतन्त्र गतिविधियों को शुरू करके संघर्ष को आगे ले जाने का आह्वान किया। जनआंदोलन का बढ़ता हुआ ज्वार ३० अगस्त १९८९ को अपने एक और चरम बिन्दु पर पहुंचा। सीएजी की रिपोर्ट के जरिये बोफोर्स से सम्बन्धित भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होने तथा राजीव सरकार द्वारा इस्तीफा देने से इंकार करने के बाद ही लोकसभा में विपक्ष के सांसदों द्वारा इस्तीफा दिये जाने से इस आंदोलन को एक नयी शक्ति मिली। बंगाल ने ३० अगस्त को बंगाल बंद का आह्वान करके इसमें नेतृत्व लिया। केरल ने भी इसके बाद ही उसी दिन केरल बंद का आह्वान किया। यह गौर करने लायक बात है कि पहले के बंद का आह्वान वामपन्थी पार्टियों तथा उनके जनसंगठनों ने किया था और कुछ विपक्षी पार्टियों ने उसका समर्थन किया था जबकि ३० अगस्त के बंद का आह्वान संयुक्त रूप से वामपन्थी और विपक्षी पार्टियों द्वारा किया गया। बंद की तैयारी के रूप में ९ अगस्त को भारत बचाओ दिवस मनाया गया।

६९. सीआईटीयू ने बंद का तत्काल समर्थन किया और एनसीसी की बैठक बुलाने में पहलकदमी की। एनसीसी के कुछ घटकों ने किन्तु कुछ ढुलमुलपन दिखाया। सीआईटीयू लेकिन बंद की तैयारियों में जुटा रहा। शुरू के ढुलमुलपन के बाद तथा फिर विभिन्न संघों के साथ बृहत्तर बैठक में एनसीसी के ६ घटकों ने बंद का समर्थन किया तथा ३० अगस्त को औद्योगिक हड़ताल का आह्वान किया। बीएमएस किंतु संयुक्त आह्वान से पीछे हट गया। उसने अलग से हड़ताल के बजाय सिर्फ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। उसने न बंद का समर्थन किया और नहीं राजीव गांधी सरकार के इस्तीफे की मांग की। इंटक ने हमेशा की तरह बंद का विरोध किया। जाहिरा तौर पर यह बंद पहले की तुलना में काफी ज्यादा सफल रहा। सीआईटीयू के अथक परिश्रम के चलते अधिकांश उद्योगों में भारी संख्या में मजदूरों ने हड़ताल में हिस्सा लिया।

७०. १९८९ के सितम्बर महीने में कल्याणी में हुई वर्किंग कमेटी की बैठक में हमने भारत बंद के लिये चल रहे आंदोलन की समीक्षा की तथा शीघ्र होने वाले चुनावों में राजीव सरकार को सत्ता से हटाने के अपने आह्वान को दोहराया। हमने ट्रेड यूनियन आंदोलन तथा वामपंथी और धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के साथ और अधिक सहयोग करने का आह्वान किया तथा साम्प्रदायिक और विभाजनकारी शक्तियों को अलग-थलग करने की घोषणा की।

७१. इसके बाद ही आंदोलनों के विकास में तेजी आयी। सीआईटीयू ने अधिक से अधिक संख्या में ट्रेड यूनियनों को शामिल करके देशव्यापी पैमाने पर कई आंदोलनों को शुरू किया। असंगठित मजदूरों, सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों, कामकाजी महिलाओं आदि के आंदोलन चलाये गये जिनमें मजदूरों की बढ़ती हुई मांगों के साथ ही राजीव सरकार को हटाने की मांग को केन्द्र में रखा गया। इसके बाद हुए चुनाव में बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक दंगे हुए। भाजपा ने राम जन्मभूमि को चुनाव का मुद्दा बना लिया। रामशिला पूजन की जुलूसों के साथ ही बिहार (भागलपुर), उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश आदि में बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक दंगे शुरू हो गये। दूसरी ओर कांग्रेस ने एक धर्मनिरपेक्ष रवैया अख्तियार करने तथा अदालत की राय पर अडिग रहने के बजाय विश्व-हिंदू परिषद के हाथों में खेलना शुरू कर दिया। सरकार ने विहिप को प्रस्तावित राममन्दिर में उस स्थान पर शिलान्यास करने की अनुमति दे दी जिसे इलाहबाद हाई कोर्ट ने विवादास्पद स्थल करार दिया था। साम्प्रदायिक परिस्थिति पर मैं बाद में आउंगा।

कांग्रेस (इ) की पराजय

७२. जुलाई १९९० में हुई जनरल कौंसिल की कानपुर बैठक में हमने नवम्बर १९८९ के पिछले चुनावों के बाद की नयी परिस्थिति की समीक्षा की। जनता के बीच कांग्रेस (इ) विरोधी भावनाओं ने कांग्रेस (इ) को सत्ता से उखाड़ फेंका। उत्तरी भारत में उसका पत्ता साफ हो गया था किन्तु कुछ दक्षिणी राज्यों में उसे लाभ भी हुआ। एक सर्वाधिकारवादी जनविरोधी तथा भ्रष्ट-कांग्रेस (इ) के चले जाने तथा वामपंथ के समर्थन से नयी वाम-मोर्चा सरकार की स्थापना इसकाल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी। यह जनआंदोलनों के लगातार दो वर्षों से चले आरहे ज्वार के चलते ही सम्भव हुआ था था, जो आंदोलन दो महान भारत बंदों को वक्त अपने चरम विंदू पर पहुंचे थे।

अल्पकालिक राष्ट्रीय मोर्चा सरकार

७३. सन् १९९० के आने के साथ ही देश के मजदूर वर्ग और मेहनतकश अवाम में भारी आशाएं जगी थीं। उम्मीद थी कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार कांग्रेस (इ) के लम्बे काल से चले आ रहे शासन से पैदा की गयी भयावह परिस्थिति को समाप्त करेगी। वामपन्थी पार्टियों ने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को इस शर्त पर समर्थन किया कि वह अपने खुद के घोषणापत्र पर अमल करेगी। वह घोषणापत्र ही मजदूर वर्ग तथा अवाम की काफी भलाई कर सकता था। २० दिसम्बर १९८९ को संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के भाषण में पेश की गयी निर्देशक नीतियां निःसन्देह कांग्रेस (इ) के द्वारा चलाई जा रही नीतियों से एक स्वागतपूर्ण अलग रास्ते का संकेत देती थी। हम राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा उठाये गये कुछ कदमों का स्वागत भी करते हैं। जैसे उन्होंने संविधान के ५९वें संशोधन को समाप्त कर दिया जो जनता पर आपातकाल लादने की सदा लटकती हुई एक निर्दयी तलवार की तरह था। भूमिसुधार कानूनों को ९वीं अनुसूची में शामिल किया गया ताकि जमींदार और निहित-स्वार्थी तत्व अदालतों में जाकर उन्हें चुनौति न दे सके। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक बुलायी गयी। अन्तर राज्य परिषद का गठन किया गया। प्रसार भारती विधेयक, लोकपाल विधेयक लाये गये। रामजन्मभूमि तथा कश्मीर और पंजाब

की तरह के सवालों का सभी दलों की सर्वसम्मति के आधार पर समाधान करने के प्रयत्न किये गये। राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठकें बुलायी गयी। ये सारे कदम काफी अर्से से चली आरही जनता की जनतांत्रिक मांगों के हिस्से थे। इसके अलावा वाम मोर्चा सरकारों के प्रति नजरिये में भी एक स्वागत योग्य परिवर्तन दिखाई दिया था। कांग्रेस (इ) के शासन के दौरान इन सरकारों पर लगातार हमले, उनके विरुद्ध गंदा प्रचार तथा उनके प्रति अन्याय किया जाता था।

७४. मजदूर वर्ग तथा ट्रेड यूनियनों की भी काफी अर्से से पड़ी हुई कई मांगों को सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया गया और उन पर अमल की पहल कदमी की गयी। कांग्रेस (इ) सरकार अब तक इनसे इंकार कर रही थी। ये मांगे थीं ट्रेड यूनियनों को गुप्त मतदान के जरिये स्वीकृति प्रदान की जाय; पश्चगाम औद्योगिक सम्बन्ध वापस लिया जाय तथा एक नये कानून की सिफारिश करने के लिये एक द्विपक्षीय कमेटी का गठन किया जाय, समान अधिकारों तथा गुप्त मतदान के जरिये प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी करायी जाय; खेतीहर मजदूरों और निर्माण मजदूरों के लिये केन्द्रीय कानून बनायें जाय आदि। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने सिद्धान्ततः काम के अधिकार को भी स्वीकारा तथा उसे संविधान में मूलभूत अधिकार के रूप में शामिल करने का वादा किया था। इस सरकार के गिरने के पहले ही उसने १९८०-८१ की हड़ताल के वक्त संविधान के पश्चगामी प्राविधाना ३१० और ३११ (क ख ग) पर आधारित डीएआरके दमनकारी नियम १४(२) के मातहत नौकरी से निकाल दिये गये रेलवे मजदूरों को फिर से नौकरी देने के फैसले की भी घोषणा की थी। चन्द्रशेखर सरकार अभी तक इसे अटकाये हुए है। इस प्रकार लम्बे काल से चले आ रहे तथा लगातार बढ़ रहे एकाधिकारवादी ढांचे और कांग्रेस (इ) की आजादी के ४३ वर्षों बाद चली आ रही मजदूरवर्ग विरोधी प्रतिक्रियावादि नीतियों को बदलने की कोशिश की गयी थी।

७५. आर्थिक तथा औद्योगिक नीति के मामले में किन्तु राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने कोई नई दिशा नहीं ली। उल्टे उसने और भी उत्साह के साथ कांग्रेस (इ) की उसी नीति का अनुसरण किया। मैं आर्थिक नीति तथा उससे उत्पन्न परिस्थिति पर बाद में चर्चा करूंगा।

राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का धर्मनिरपेक्ष मत

७६. कामरेड! हमें वी पी सिंह के नेतृत्व की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा अपनाये गये दृढ़ धर्मनिरपेक्ष मत की प्रशंसा करनी ही होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि इस मत के प्रति उसे दृढ़ता से कायम रखने में सीपीआई (एम) के नेतृत्व में वामपन्थी पार्टियों तथा सीआईटीयू और अन्य जनसंगठनों ने एक उल्लेखनीय भूमिका अदा की थी। संयुक्त वामपन्थ की शक्ति ही थी कि जिसने धर्म-निरपेक्षता के प्रश्न पर उस सरकार पर इसप्रकार की अनुकूल छाप डाली, यद्यपि वह सरकार गिर गयी।

७७. ७ नवम्बर १९९० का दिन भारतीय संसद के इतिहास में धर्मनिरपेक्षता पर बलात्कार के एक दिन के रूप में गण्य होगा। पहली बार एक सरकार सिर्फ धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर गिरा दी गयी। यद्यपि वह सरकार सिर्फ वामपन्थ के समर्थन पर ही नहीं भाजपा के समर्थन पर भी टिके होने के कारण उसी वक्त गिर चुकी थी जब लालकृष्ण अडवाणी की गिरफ्तारी के बाद ही भाजपा ने अपने समर्थन को वापस ले लिया। तथापि, वी पी सिंह बिल्कुल सही रूप में जनता को यह दिखाना चाहते थे कि धर्मनिरपेक्षता के प्रश्न पर कौन कहां खड़ा हुआ है। उन्होंने दृढ़ता के साथ यह ऐलान किया कि सरकार गिर सकती है किन्तु सरकार के प्रमुख के नाते वे भाजपा, आरएसएस, विहिप की तरह के जघन्य साम्प्रदायिक तत्वों के साथ इस बात पर कोई समझौता नहीं कर सकते कि बाबरी मस्जिद के मलबे पर राम मन्दिर का निर्माण किया जाय। सारे देश ने यह देखा कि जो कांग्रेस(इ) गला फाड़ कर अडवाणी की गिरफ्तारी तथा उसकी रथयात्रा को रोकने की मांग कर रही थी उसीने सरकार को गिराने के लिए उसी भाजपा के साथ मिल कर मतदान किया। सारे देश ने लम्बी चौड़ी हांकनेवाले 'धर्म-निरपेक्ष' चन्द्रशेखर और उसके गुट की कारस्तानियों के इस नजारे को भी देखा जो चुनाव में कांग्रेस विरोधी टिकिट पर जीत कर आने के बाद इस सरकार को गिराने तथा जनता दल को तोड़ कर कांग्रेस(इ) के समर्थन से एक अत्यन्त अल्पमत सरकार के प्रधानमन्त्री बन गये। इसी कांग्रेस(इ) के विरुद्ध मजदूर वर्ग और देश की अवाम ने विगत तीन वर्षों तक लगातार संघर्ष करके अन्त में वोट के जरिये उसे सत्ताच्युत किया था। इसीलिये कामरेड हम घूमफिर कर फिर वहीं पहुंच गये हैं जब वस्तुतः कांग्रेस(इ) ही अपने कठपुतलों के जरिये सरकार चला रही है। वी पी सिंह सरकार के पतन ने निश्चित रूप से साम्प्रदायिक और विभाजनकारी ताकतों को बल पहुंचाया है। देश की एकता और अखंडता पर खतरा पैदा किया है और देश को अस्थिर करने की साम्राज्यवादियों की चालों के लिए अच्छी-खासी जमीन तैयार कर दी है। इस परिस्थिति ने ट्रेड यूनियन आन्दोलन के सामने एक चुनौती प्रस्तुत की है जिस पर अब हम विचार करेंगे।

साम्प्रदायिक और विभाजनकारी शक्तियों का बढ़ाव

७८. कामरेड! एक दशक से भी अधिक समय से सीआईटीयू यूनियनों का ध्यान सभी तरह की विभाजनकारी ताकतों के बढ़ाव तथा उनसे लड़ने की आवश्यकता पर दिला रही थी। जब हम १९८३ में कानपुर में ५वें सम्मेलन के वक्त मिले थे, उस समय

आसाम में पृथकतावादी ताकतों की चुनौती शिखर पर थी। पंजाब की परिस्थितियां भी बंद से बदतर हो रही थीं। कानपुर सम्मेलन के बाद पंजाब के हालात और बिगड़ने लगे। भिंडरांवाले के नेतृत्व में खालिस्तानियों ने स्वर्ण मन्दिर तथा अन्य गुरुद्वारों पर कब्जा कर लिया और उन्हें अस्त्रागार में तब्दील कर दिया। उसे मर जाना पड़ा। इसके बाद खालिस्तानियों की शह पर इन्दिरा गांधी की इन्हीं के अपने सुरक्षा कर्मी द्वारा हत्या कर दी गयी। हमने बम्बई सम्मेलन में स्थिति की समीक्षा की। उस समय तक त्रिपुरा में टीएनवी ने हमारे कार्यकर्त्ताओं का अपहरण और हत्याओं का सिलसिला शुरू कर दिया था। पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड का मसला उठा और हमारे कार्यकर्ताओं की जीएनएलएफ के लोगों द्वारा हत्याएं की गयी। कश्मीर समस्या तथा रामजन्मभूमि के मसले खतरनाक ढंग से सामने आ रहे थे। कानपुर तथा बम्बई सम्मेलनों के मध्य कई स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे हुए जिनमें सबसे बड़ा दंगा महाराष्ट्र के भिवंडी और थाने में हुआ था। इसे मुख्य रूप से शिवसेना तथा आरएसएस ने भड़काया था। गुजरात में सबसे बुरे जातीय दंगे हुए जिनमें हरिजनों और आदिवासियों की हत्याएं की गयी। बम्बई सम्मेलन के बाद से परिस्थिति हर दृष्टि से बिगड़ी है।

७९. त्रिपुरा और पंजाब में अलगाववादियों और विभाजनकारियों की गतिविधियां बढ़ती जा रही थीं और राजीव सरकार उन्हींके साथ समौता करने के लिये पागल हो रही थी। प० बंगाल केरल और हरियाणा में १९८७ के चुनाव में परास्त होने के बाद कांग्रेस (इ)-टीयूजेएस के साथ मिल गयी और उसके उग्रवादी गुट टीएनवी के साथ फरवरी १९८८ के त्रिपुरा के चुनाव के ठीक पहले एक साठ-गांठ की। कुछ ही दिनों के अंदर गैर आदिवासी १०० लोगों को मार डाला गया ताकि आबादी के उस हिस्से में आतंक पैदा किया जा सके। फिर चुनाव के ठीक तीन दिन पहले उसने पूरे राज्य को उपद्रवग्रस्त अंचल घोषित कर दिया और अर्द्धसैनिक शासन के मातहत बहुत उच्चस्तरीय धांधली करके उन्होंने वाम मोर्चे से सत्ता हड़प ली। तभी से राज्य में अर्द्ध-फासिस्ट आतंक चल रहा है। पिछले स्वायत्त जिला परिषद के चुनाव के बाद यह और भी तेज हो गया है। बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ताओं की हत्याएं जा रही हैं। उनके घरों को जलाया जा रहा है, सम्पत्ति को लूटा जा रहा है, महिलाओं पर बलात्कार किये जा रहे हैं तथा यूनियनों पर कब्जा किया जा रहा है। हमारी शिकायत पर आईएलओ तक ने कांग्रेस (इ) को अभियुक्त किया है। राज्य का दौरा करने वाली जनता दल कमेटी की रिपोर्ट ने भी उस राज्य में चलाये जा रहे हमलों की अर्द्ध-फासिस्ट प्रकृति को उजागर किया है। यही परिस्थिति इसी प्रकार अब भी जारी है। आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच दरार डालने तथा उन्हें एकजुट करने वाले कम्युनिस्ट आंदोलन को कुचल डालने की कोशिश की जा रही है। अब मुस्लिम अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर उनके खिलाफ दंगे भड़काये जा रहे हैं। त्रिपुरा में हमारी राज्य कमेटी तथा यूनियनें एक कठिन लड़ाई लड़ रही हैं।

८०. पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद परिस्थिति और भी बिगड़ गयी थीं। वह अब खतरनाक हदों तक बिगड़ती चली जा रही है। इसीकाल में हजारों मासूम लोगों की हत्या की गयी है, जिनमें सीआईटीयू, सीपीआई (एम) तथा सीपीआई के कार्यकर्ता और नेता तथा कई महत्वपूर्ण व्यक्ति, लेखक और स्वतन्त्रता सेनानी भी शामिल हैं। राजीव-लोंगोवाल संधि को लागू करने की बजाय राजीव गांधी की तत्कालीन कांग्रेस (इ) सरकार ने खालिस्तान के प्रवक्ताओं, पांच मुख्यग्रन्थियों को रिहा कर दिया। उसकी कोशिश थी कि उनके साथ किसी प्रकार का समझौता कर लिया जाय। उग्रवादी जनता अलग-थलग होने के बावजूद आपरेशन ब्लैक थंडर के बाद पैदा हुई परिस्थिति का लाभ उठाने में वह पूरी तरह से विफल रही। आतंकवादियों के दमन के नाम पर उसने संविधान में ५९वां संशोधन किया और आपातकालीन अधिकार प्राप्त कर लिये तथा जनतांत्रिक और ट्रेड यूनियन आंदोलन पर हमले शुरू कर दिये। बहुत ही थोड़े समय तक रही वी पी सिंह की सरकार ने सभी पार्टियों के बीच सहमति के आधार पर कुछ तरीके निकालने की कोशिश की थी लेकिन उसके बाद वह कोई कदम नहीं उठा सकी। अब चन्द्रशेखर सरकार के अन्तर्गत परिस्थिति और तेजी के साथ बिगड़ रही है। पाकिस्तान आधारित पंथिक कमेटी अपना पूरा कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। उस कमेटी ने अखबारों, दूरदर्शन तथा रेडियो को निर्देश दिया है कि बे उग्रपन्थी शब्द का इस्तेमाल न करें बल्कि उन्हें 'खाड़कूओं' (स्वतन्त्र सेनानी) के रूप में चित्रित किया जाना चाहिये। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि पंजाब में सिर्फ पंजाबी में ही समाचार का प्रसारण किया जाय, हिंदी में नहीं। इसीप्रकार सरकार को भी निर्देश दिया गया है कि बे राज्य में सिर्फ पंजाबी का प्रयोग करे हिंदी का नहीं। स्कूलों में में हिंदी न पढ़ाने का उन्होंने निर्देश जारी किया ही, यहांतक कि स्कूलों में राष्ट्रीय गीत का गायन भी नहीं किया जा सकता। छात्राओं से उन्होंने सिर्फ सलवार कमीज और दुपट्टा पहनने को कहा है। उन्होंने सीमाई जिलों में 'राजस्व' वसूलना भी शुरू कर दिया है। अब ये उग्रपन्थी कश्मीर के उन उग्रपन्थियों के साथ अपनी गतिविधियों का समन्वय करने की फिराक में हैं जो पाकिस्तान पर आश्रित है तथा जिन्हें साम्राज्यवादियों से मदद मिल रही है। बे जानबूझकर आतंक पैदा करते हैं ताकि हिंदू पंजाब से चले जाय और सिख अन्य सभी राज्यों से पंजाब में आ जाय जिससे 'खालिस्तान' के लिये एक सामाजिक आधार तैयार हो सके।

८१. इसी पृष्ठभूमि में चन्द्रशेखर सरकार ने सिमरनजीत सिंह मान के साथ बातचीत शुरू की। इसी मान ने खुलेआम संविधान

की धारा ५१ के आधार पर जो विदेशी राष्ट्रों के साथ भारत के सम्बन्धों से सम्बन्धित हैं 'आत्मनिर्णय' के अधिकार की मांग उठायी है। उसने और भी आगे जाकर यहां तक कहा है कि 'सिख राज्य' भारत और पाकिस्तान के बीच एक निरपेक्ष राज्य की भूमिका अदा करेगा और यह भी मांग की है कि बातचीत में उग्रपंथियों को भी शामिल किया जाय। इस प्रकार उन्होंने बिना शर्त तथा भारतीय एकता के ढांचे के अन्तर्गत वार्ता शुरू करने से इंकार कर दिया है। यह एक खतरनाक लक्षण है।

८२. आतंकवादियों की सारी गतिविधियों तथा धमकियों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए हमारी पंजाब राज्य कमेटी तथा यूनियनें देश की एकता और अखंडता की रक्षा तथा पंजाबी जनता और मजदूर वर्ग की एकता की रक्षा के लिये लगातार सक्रिय है। इसी काल में बड़ी संख्या में हमारे सीपीआई(एम) के कार्यकर्ता शहीद हुए हैं। बम्बई सम्मेलन के ठीक बाद एक संयुक्त ट्रेड यूनियन शिष्टमण्डल पंजाब गया था और उसने अमृतसर, जालंधर तथा लुधियाना में बड़ी-बड़ी रैलियों को सम्बोधित किया। स्वतन्त्र रूप से तथा अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर दोनों रूप में बड़ी-बड़ी रैलियां और प्रदर्शन आयोजित किये गये। राज्य सीआईटीयू ने इसी काल में दो विशाल राज्यव्यापी जत्थों को संगठित किया जिसे जनता का भारी समर्थन मिला।

८३. असम दूसरा राज्य है जो १९७९ से ही, जब असम आन्दोलन शुरू हुआ था, अव्यवस्थित रहा है। बम्बई सम्मेलन के बाद से वहां की परिस्थिति ने गम्भीर मोड़ लिया है। इस काल में यहां कई अलगाववादी, अन्धराष्ट्रवादी और साम्प्रदायिक संगठन उठ खड़े हुए हैं। बोडोलैंड के लिये आन्दोलन ने महीनों तक समूचे कोकराझड़ जिले को ठप कर दिया, एक के बाद एक बन्द वहां हुआ करते थे। अब अगप के साथ सांठ-गांठ करके उल्फा एक नये आतंकवादी आन्दोलन के संगठन के रूप में उभर कर आया है। इन आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ, अपनी सारी कमजोरियों से उबरते हुए हमारी सीआईटीयू यूनियनें बहादुरी से लड़ रही हैं। इस काल में इन आतंकवादी शक्तियों द्वारा हमारे पांच कामरेडों की हत्या की गयी तथा अनेक को जख्मी कर दिया गया, कइयों को यातनाएं दी गयीं। अमानवीय हत्याएं करनेवाले तथा रुपये ऐंठनेवाले उल्फा के खिलाफ दृढ़ता से लड़ते हुए हमारे कामरेड उन क्षेत्रों तक में प्रवेश करने में सफलता हुए है जहां जाना इसके पहले तक मुमकिन नहीं था, वे सिर्फ हमारे कामरेडों को ही अडिग रखने में सफल नहीं हुए हैं, बल्कि उन असमिया मजदूरों को भी सीआईटीयू के झंडे तले लाने में सफल हुए हैं, जिन्हें पहले अलगाववादी आन्दोलनों ने अपनी ओर खींच लिया था।

८४. जहां तक कश्मीर का प्रश्न है, हमने पहले ही कहा है कि किस प्रकार पाकिस्तान वहां अस्थिरता पैदा करने के लिये खुले आम अलगाववादियों की मदद कर रहा है। कश्मीर ऐसा क्षेत्र है जहां जी० एम० शाह को सत्ता सौंपने की कांग्रेस(इ) की नीति ने स्थिति को बदतर बनाया हैं। जी० एम० शाह एक जाने-माने अलगाववादी व्यक्ति है। इस काल में परिस्थिति इतनी गम्भीर हो गयी है कि समूची कश्मीर घाटी को उपद्रवग्रस्त इलाका घोषित करना पड़ा है। राष्ट्रपति शासन ने परिस्थिति को और बिगाड़ा है। पंजाब की तरह ही यहां भी मासूम और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की हत्याएं की जा रही हैं। प्रशासनिक कदमों से बहुत कुछ हांसिल नहीं हो पाया है। खतरा यह है कि सिर्फ जम्मू और कश्मीर मुक्ति मोर्चा ही नहीं बल्कि इस्लामिक तत्ववादी, जमाते इस्लामी भी आतंकवादी गतिविधियों को नेतृत्व दे रहे हैं। भाजपा संविधान की धारा ३७० को समाप्त करने की मांग करके परिस्थिति को और बिगाड़ने पर तुली हुई है। उनकी इस मांग से कश्मीर की जनता का अलगाव और बढ़ेगा तथा अलगाववादियों को मदद मिलेगी। हमें निश्चित तौर पर भाजपा के प्रचार का जवाब देना होगा तथा कश्मीर की जनता को यह आश्वासन देना होगा कि उनकी अस्मित की रक्षा की जायेगी तथा धारा ३७० के मातहत राज्य को जो विशेष स्थिति प्राप्त है, वह जारी रहेगी। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कश्मीर में हमारी कोई राज्य कमेटी नहीं है। हमारे पास जो थोड़े से वामपंथी कार्यकर्त्ता हैं उन्हें अपने काम का केन्द्र जम्मू ले आना पड़ा है, क्योंकि श्रीनगर में यूनियन कार्यालयों पर हमले हो रहे हैं।

८५. बम्बई सम्मेलन में हमने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में गोरखालैंड की मांग पर अलगाववादी जीएनएलएफ के आतंकवादियों द्वारा की जा रही हिंसा की बात बतायी थी। हमारे चाय बगान के मजदूरों ने उनके खिलाफ बहादुरी के साथ संघर्ष चलाया। लगभग १०० कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गयी तथा हजारों को बेघरबार बना दिया गया। राजीव सरकार ने शुरू में उनके साथ एक दुरभिसन्धिमूलक समझौता करने की कोशिश की थी। लेकिन उसने सीआईटीयू तथा वाम मोर्चा सरकार को जनता के समर्थन की शक्ति को कम करके आंका था। चाय मजदूरों के दृढ़ संघर्ष तथा वाम मोर्चा सरकार द्वारा अपनाये गये सिद्धान्तनिष्ठ मत के कारण ही इसी काल में एक समझौता हुआ। यह नोट करने लायक बात है कि वाम मोर्चा सरकार खुद ही क्षेत्रीय स्वायत्तता और पर्वतीय विकास परिषद की मांग करती रही है, जिन पर यह समझौता हुआ।

८६. इसी काल में आनन्द मार्गियों ने भी अपनी हिंसक गतिविधियां बढ़ा दी। उन्होंने यहां तक कि कामरेड ज्योति वसु को अपने हमले का लक्ष्य बनाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग झारखंड राज्य की मांग कर रहा है।

साम्प्रदायिक परिस्थिति

८७. कामरेड, विगत कई बरसों से हम रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के सवाल पर चेतावनी देते रहे हैं। कामरेड बी टी

रणदिवे ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था "इन तीन वर्षों में मजदूर वर्ग और वामपन्थी आन्दोलन को न सिर्फ विभाजनकारी शक्तियों से ही लड़ना पड़ा है बल्कि उन्हें साम्प्रदायिक शक्तियों, मुस्लिम और हिन्दू तत्ववादियों की चुनौती का भी सामना करना पड़ा है। शाहबानो के मामले तथा बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के मामले में राजीव गांधी की समझौता परस्त नीति ने सारे देश में साम्प्रदायिक माहौल को और तीव्र कर दिया है और अनेक शहर और इलाके जैसे बारूद पर टिके हुए किसी भी क्षण विष्फोटित होने की स्थिति में चले गये हैं। मजदूर वर्ग और ट्रेड यूनियन आंदोलन को इस स्थिति को समझना होगा और आनेवाले हमले का जवाब देना होगा।" कामरेड बीटीआर की चेतावनी सच साबित हुई है।

८८. उनकी चेतावनी के दो वर्षों के अन्दर ही हमने देखा कि जब पिछले चुनाव हुए तो इसी राम जन्मभूमि सवाल पर अभूतपूर्व दंगे भड़क उठे। हमने देखा कि किस प्रकार इसी प्रश्न पर वी पी सिंह सरकार गिर गयी।

८९. आरएसएस-भाजपा-विहिप गठजोड़ जिन के साथ ही शिवसेना की तरह के उनके नये सहयोगी शामिल हैं सिर्फ एक घृणित सांप्रदायिक शक्ति के रूप में ही नहीं एक फासिस्ट शक्ति के रूप में सामने आ रहे हैं। वे न तो अदालत की राय मानने को तैयार हैं और न ही देश के धर्मनिरपेक्ष संविधान को मानने को तैयार हैं! बल्कि एक पूरी तरह से गलत धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पर वे बाबरी मस्जिद के मलबे पर ही राम मन्दिर बनाने के लिये अटल हैं। साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाने की कमेटी की १२ सितम्बर दिल्ली में हुई बैठक में बीजेपी भी शामिल थी। उस कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि एक सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से अयोध्या में राममन्दिर के स्थान पर विचार और फैसला करने के लिये लगातार बातचीत और विचार विमर्श चलाया जाय। उसने यह भी सिफारिश की थी कि अदालत के फैसले को माना जाना चाहिये और इस बीच पहले से चली आ रही साम्प्रदायिक स्थिति को भड़काने की कोई कोशिश नहीं की जानी चाहिये। इस बैठक में लालकृष्ण अडवाणी शामिल थे और बैठक की अध्यक्षता अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। लेकिन बैठक के तुरन्त बाद ही इन सिफारिशों को अखबारों में प्रकाशन को बहाना बनाकर भाजपा ने राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक का बहिष्कार कर दिया जो २२ सितम्बर को मद्रास में हुई थी। फिर उसके बाद जनता की अपील की बिना कोई परवाह किये अडवाणी राममंदिर बनाने के घोषित उद्देश्य के साथ रथयात्रा पर निकल पड़े। इसके पीछे उनकी कुमंशा किन्तु हिंदू कार्ड के साथ अपना चुनाव प्रचार करने की थी। अडवाणी की रथयात्रा के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप साम्प्रदायिक आग भड़क उठी। अडवाणी ने धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ जेहाद बोल दिया था तथा हिंदू राष्ट्र का एलान किया था। रथ यात्रा के पहले राम-ज्योति और फिर कार-सेवा के लिये की गयी हिंसक कोशिशों तथा बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचाने या उड़ा देने के प्रयास और अब अस्थिकलश के साथ जुलूसों तथा जघन्य हिंदू साम्प्रदायिकता का प्रचार करते हुए पूरी बेशर्मी के साथ वीडियो और ओडियो कैसेटों के वितरण से पता चलता है कि वे कितने योजनाबद्ध ढंग से अपना काम कर रहे हैं। इससे एक ऐसा साम्प्रदायिक उन्माद उत्पन्न हुआ है जो स्वतन्त्रतापूर्व के दंगोंतक में नहीं देखा गया था।

९०. सैकड़ों मासूम लोगों की इसी बीच हत्या की जा चुकी है। सम्पत्तियों को लूटा तथा जलाया गया है। यह गहरी चिंता का विषय है कि ये दंगे कानपुर, हैदराबाद, अहमदाबाद, बड़ौदा, रांची, कोटा, जमशेदपुर, जयपुर, ब्यावर आदि की तरह के औद्योगिक शहरों में भड़के। कई स्थानों पर वे ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल गये। उन्होंने बंगाल और केरल की तरह के राज्यों को भी प्रभावित किया है। लेकिन यही अंत नहीं है। उन्होंने मथुरा, वाराणसी आदि में अन्य मन्दिरों को 'मुक्त' कराने का भी एलान किया है। यह आने वाले दिनों में और भी गंभीर परिस्थिति पैदा करेगा। देश की अखंडता को खतरे में डाल देगा तथा उसे अस्थिर बनाने के लिये साम्राज्यवादियों के लिये उपयुक्त जमीन तैयार करेगा। उन्हें कार सेवा के नाम पर सत्याग्रह करने की अनुमति दी गयी है। चन्द्रशेखर गुट तथा उसके लेफ्टिनेंटों मुलायम सिंह और चिमनभाई पटेल के विश्वासघात और कांग्रेस (इ) के इस अवसरवादी रूख ने कि शिलान्यास के विवादास्पद स्थल पर मन्दिर का निर्माण करने दिया जाय, इन साम्प्रदायिक शक्तियों को काफी बढ़ावा दिया है।

९१. यहां यह स्मरण करना जरूरी है कि पिछले सम्मेलन में कामरेड बीटीआर की दी गयी चेतावनी को समझते हुए ही अन्य वामपथी शक्तियों के साथ सहयोग करते हुए सीआईटीयू इन साम्प्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध चेतावनी देती रही है। हमने दोनों भारत बंदों के दौरान इसे प्रथम प्रश्न के रूप में उठाया था। पिछले चुनावों के वक्त भी हम सिर्फ कांग्रेस (इ) को पराजित करने के लिये ही नहीं बल्कि साम्प्रदायिक और विभाजनकारी शक्तियों को अलग-थलग करने के लिये सचेष्ट थे।

९२, हमारी राज्य कमेटियों तथा यूनियनों को इस बात का श्रेय जाता है कि इसी लक्ष्य को मद्दे नजर रखते हुए उन्होंने इन तमाम वर्षों में विशेषकर १९८९ के अन्तिम दिनों से लेकर १९९० के दौरान इन विषयों पर लगातार कार्यक्रम अपनाये हैं। हमारी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बिहार, असम, पंजाब, त्रिपुरा, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा अंडमान और निकोबार राज्य कमेटियों ने भी इन विषयों पर अभियान चलाये। साम्प्रदायिक सद्भाव मार्च, कन्वेन्शनों, नुक्कड़-सभाओं आदि का आयोजन किया। बंगाल और केरल ने तो इन तमाम वर्षों, में लगातार बड़े-बड़े कार्यक्रम अपनाये। उत्तरप्रदेश में

कार-सेवा के पहले हुई जिलावर रैलियों में शामिल होने के अलावा हमारी राज्य कमेटी ने स्वतन्त्र कार्यक्रम भी अपनाये। दिल्ली, बंगाल, केरल, कर्नाटक, त्रिपुरा आदि में विशाल मानव शृंखलाएं बनायी गयीं। बम्बई में एक एकता यात्रा संगठित की गयी। पटना में सद्भावना मार्च निकाला गया। इनके अलावा १६ सितम्बर को दिल्ली में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कन्वेन्शन में अच्छी खासी संख्या में सभी राज्यों से हमारे कामरेडों ने शिरकत की तथा साम्प्रदायिक सद्भाव सप्ताह के कार्यक्रम में भी भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया जो कार्यक्रम ३० अक्टूबर को कार-सेवा के दिन अपने चरम बिन्दू पर पहुंचा था। सभी राज्य कमेटियों तथा यूनियनों ने इसका सफलता के साथ पालन किया। यूनियनों ने संयुक्त रूप से वामपन्थी पार्टियों के तत्वावधान में हुए साम्प्रदायिकता विरोधी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इन सभी कार्यक्रमों में दसियों हजार मजदूरों और कर्मचारियों ने शिरकत की। हमारी यूनियनों तथा राष्ट्रीय संघों ने भी राज्यों तथा जिलों में उपरोक्त सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के अलावा अलग से स्वतन्त्र रूप में भी अपने कार्यक्रम तैयार किये। जनरल कौंसिल के आह्वान पर हमारी अधिकांश राज्य कमेटियों ने त्रिपुरा दिवस का पालन किया। कोष भी इकट्ठा किया जा रहा है।

९३. लेकिन इन सबके बावजूद हम बिगड़ती हुई स्थिति को नहीं रोक सके। हिन्दी भाषी क्षेत्र, आंध्रप्रदेश, गुजरात तथा कर्नाटक भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उत्तरप्रदेश और राजस्थान में दंगों की वजह से हमारे राज्य सम्मेलनों को टाल देना पड़ा है। बड़ौदा में राज्य सम्मेलन के वक्त आयोजित की गयी एक हाल मीटिंग को भी रद्द कर देना पड़ा। विभिन्न राज्यों में अन्य अनेक कार्यक्रमों पर अमल नहीं किया जा सका। बेरोजगारी, महंगाई, तालाबंदी आदि के विरुद्ध तथा कई उद्योगों में हमने जो कार्यक्रम अपनाये थे उनपर अमल नहीं किया जा सका।

अन्य पिछड़े हुए वर्गों (ओबीसी) के प्रश्न पर आरक्षण विरोधी आंदोलन

९४. हाल के दिनों में हमने सिर्फ साम्प्रदायिक शक्तियों द्वारा जनता को विभाजित करने के दृश्य को ही नहीं देखा बल्कि आरक्षण विरोधी आंदोलन के अत्यन्त घिनौने दृश्यों को भी देखा जिसमें वी पी सिंह सरकार द्वारा घोषित अन्य पिछड़े हुए वर्गों के लिये केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में २७ प्रतिशत आरक्षण के प्रश्न पर निचली जातियों के प्रति ऊंची जातियों की घृणा पूरी तरह से खुलकर सामने आयी। पहले हमने गुजरात तथा अन्य राज्यों खासकर हिन्दी भाषी राज्यों में जातीय दंगों को देखा था। बम्बई सम्मेलन ने इस सवाल पर तफसील से विचार किया था। इस बार ऊंची जातियों का यह आंदोलन पूरे देश में, खासकर पूरे उत्तरी भारत में इस भयावहता के साथ फैल गया कि जिसका बयान नहीं किया जा सकता। उसी भाजपा तथा कांग्रेस (इ) ने छात्रों को दिग्भ्रमित किया जिन्होंने वैसे तो इस सवाल पर अपना समर्थन दिया था। काफी संख्या में नौजवान, छात्र आत्मदाह करके मारे गये। वस्तुत आरक्षण विरोधी आंदोलन समाजविरोधियों के हाथ में चला गया था। सामान्य जीवन तथा सरकार के अन्य सभी कार्यक्रम प्राय ठप से हो गये थे।

९५. नौकरियों के प्रश्न पर सीआईटीयू की हमेशा से यह स्पष्ट राय रही है कि एक के बाद एक सरकारों द्वारा अपनाये गये विकास के पूंजीवादी रास्ते के फलस्वरूप बढ़ती हुई बेरोजगारी की स्थिति ने पिछड़ी हुई जातियों को खासतौर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया है। वे लगातार चले आ रहे जातीय जुल्मों तथा सदियों से किये जा रहे भेदभाव के शिकार रहे हैं। इन परिस्थितियों में सीआईटीयू २२.५ प्रतिशत नौकरी के आरक्षण के पक्ष में रही है और इस आरक्षण के विरुद्ध होनेवाले किसी भी आन्दोलन के खिलाफ रही है। लेकिन जहां तक ओबीसी का प्रश्न है जिन्हें अब २७ प्रतिशत नौकरी में आरक्षण दिया गया है, सीआईटीयू ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि इन तबकों के आर्थिक तौर पर समृद्ध हिस्सों की अनुसूचित जातियों और जनजातियों से तुलना नहीं की जा सकती है। सीआईटीयू ने इसीलिये राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से यह अर्ज की थी कि वह आरक्षण के लाभों को देते वक्त ओबीसी के मामले में आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखे। फिर भी हम घोषित आरक्षण का विरोध नहीं करते हैं। इसीलिये हमने आरक्षण विरोधी आन्दोलन का विरोध किया। इसके साथ ही किन्तु हमें अपने कार्यकर्ताओं को यह बता देना होगा कि सिर्फ आरक्षण बेरोजगारी की इस विशाल समस्या का समाधान नहीं कर सकता। जैसा कि इस तथ्य से ही जाहिर है कि आजादी के बाद से ही चली आ रही आरक्षण की नीति के बावजूद बेरोजगारों की संख्या विशेषकर पिछड़ी हुई जातियों में बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ती चली गयी है। आरक्षण सिर्फ एक तरह की अन्तरिम राहत है जो जरूरी भी है। हमें इस प्रकार की प्रेरणाएं देकर पिछड़ी हुई जातियों के लोगों को ट्रेड यूनियन आन्दोलन में सम्मिलित होने के लिये प्रेरित करना चाहिये। और उन्हें यह बताना चाहिये कि समस्या का वास्तविक समाधान सिर्फ सरकार की जमीन्दारपरस्त, इजारेदारपरस्त आर्थिक नीति के बदलने में है तथा सच्चे भूमि सुधार से शुरू की गयी योजना ही और अधिक रोजगार की गारंटी दे सकती है।

प्रत्यक्ष हस्तक्षेप आवश्यक

९६. साम्प्रदायिक शक्तियों और अन्य विभाजनकारी शक्तियों के खिलाफ हमारे संघर्ष को इसीलिये और तेज करना होगा। मजदूरों तथा जनमत को गोलबन्द करने के हमारे पहले से, चले आ रहे कार्यक्रम को तेज करने के अलावा यह वह वक्त है जब हमें सीधे

तौर पर हस्तक्षेप करने की कोशिश करनी चाहिए तथा दंगों को रोकने के लिये साम्प्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध उतरना चाहिये। पिछली १३-१४ दिसम्बर को सीआईटीयू के सेक्रेटेरियट ने अपनी बैठक में राज्य कमेटी तथा यूनियनों को यही निर्देश दिया है। इन साम्प्रदायिक गुंडों से अल्पसंख्यकों को बचाने में प्रशासन विफल रहा है। उल्टे राज्य मशीनरी, उत्तर प्रदेश में पीएसी तथा राजस्थान में आरएसपी अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपना गुस्सा उतारने में बदनाम रही है। इस परिस्थितियों में सीआईटीयू को पहलकदमी करके दंगों के खिलाफ उतरी हुई एक शक्ति के रूप में सभी मजदूरों और अन्य ट्रेड यूनियनों को गोलबन्द करना होगा। इस मामले में पश्चिम बंगाल और केरल प्रकाश-स्तम्भ की तरह हैं मजदूरों को हड़ताल सहित सभी प्रकार के कदम दंगों को रोकने के लिये उठाये जाने चाहिये।

वामपन्थी और धर्म-निरपेक्ष शक्तियों से सहयोग

९७. हमें नोट करना चाहिए कि ट्रेड यूनियन आन्दोलन की कमजोरी तथा अधिकांश राज्यों में वामपंथी शक्तियों की कमजोरी के कारण ही कांग्रेस(इ) के अलगाव का साम्प्रदायिक और प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने भरपूर लाभ उठाया है। यह जरूरी है कि सभी राज्यों में कांग्रेस (इ) के जनता से अलगाव का लाभ उठाने के लिये सीआईटीयू परिश्रम के साथ वामपन्थी और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के साथ सहयोग करें। संघर्ष की सिर्फ इसी प्रक्रिया के जरिये हम कांग्रेस (इ) के साथ ही साम्प्रदायिक और विभाजनकारी ताकतों को भी अलग-थलग कर पायेंगे और वामपन्थी तथा धर्मनिरपेक्ष ताकतों को कांग्रेस (इ) के वास्तविक विकल्प के रूप में पेश कर पायेंगे। वामपंथी पार्टियों तथा राष्ट्रीय मोर्चे के बीच कायम हुई समन्वय समिति इस दिशा में एक स्वागत योग्य घटना है। हाल में बिहार उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और कलकत्ता में वामपंथी पार्टियों तथा राष्ट्रीय मोर्चे के नेताओं ने जिन रैलियों को सम्बोधित किया उनमें भारी संख्या में लोग सम्मिलित हुए थे। इस नये मंच पर मजदूरों तथा अन्य ट्रेड यूनियनों को गोलबन्द करने में सीआईटीयू को पहल लेनी होगी।

आर्थिक परिस्थिति

९८. भारतीय अर्थव्यवस्था के संकट ने एक गंभीर रूख ले लिया है। परिस्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि वह आत्म-निर्भरता के अस्तित्व पर खतरे पैदा कर रही है। पहले से ही अकथनीय कष्ट उठा रही भारतीय जनता आनेवाले दिनों में और भी अधिक दरिद्रता तथा दुर्दशा, जिसकी पहले चर्चा नहीं सुनी गयी। सामना करने वाली ही।

९९. १९८०-८१ से लेकर १९८८-८९ तक के तमाम वर्षों में जो बजट का घाटा चला आ रहा है वह ५,०७,१११ करोड़ रुपये के चौंका देने वाले औसत पर पहुंच गया है। अब अकेले १९९०-९१ में १५००० करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान है; वाणिज्यिक घाटा खतरनाक अनुपात में बढ़ता जा रहा है। १९८१-८२ में ५८०२ करोड़ रुपये से बढ़कर १९८९-९० में यह ७७३१ करोड़ रुपये हो गया है तथा चालू वर्ष में अनुमान है कि यह राशि १०,००० करोड़ रुपये तक चली जायेगी।

१००. हम पर विदेशी कर्ज की स्थिति क्रमशः हमें ऋण के फंदे की ओर ढकेल रही है। १९८९ के अन्त तक यह राशि १,२५,००० करोड़ रुपये तक पहुंच गयी है। एक दशक पहले जहां हमने अपनी कुल विदेशी मुद्रा की आय का ९.२ प्रतिशत हिस्सा विदेशी कर्ज पर सूद आदि चुकाने में खर्च किया था वहीं १९८९ में यह अनुपात तीन गुना अर्थात ३० प्रतिशत हो गया है। इसके अलावा अन्य मुद्राओं की तुलना में रुपये का विनिमय मूल्य क्रमशः गिरता चला जा रहा है। मार्च १९८९ से लेकर १९९० के मध्य नवम्बर के बीच डालर के बदले रुपये की कीमत ५ प्रतिशत पौंड, स्टरलिंग और येन के बदले में रुपया की कीमत में २० प्रतिशत गिरावट आयी है।

१०१. इस काल के दौरान आईएमएफ और विश्व बैंक के लगातार दबाव के चलते उदारतावाद की नीति काफी जोरों पर चलती रही है। विदेशी साझा समझौतों की संख्या पहले जहां ५२६ थी वहीं १९९९ में बढ़कर ९२६ पर पहुंच गयी। १९८० में साझा समझौते में लगा हुआ कुल पूंजी नियोजन जहां ८९२ लाख रुपये था वही १९८८ में वह बढ़कर २३,९७५.७५ लाख हो गया। मुनाफा लाभांश, रायल्टी, तकनीकी जानकारी शुल्क तथा सूद के रूप में बाहर जाने वाली राशि १९८०-८१ में २०४ करोड़ रुपये से बढ़ कर १९८६-८७ में ८१३.५ करोड़ रुपये पहुंच गयी। उदारतावाद की नीति आत्मनिर्भरकारी आर्थिक विकास को तबाह कर रही है।

१०२. इन तमाम कारणों से हमारी विदेशी मुद्रा का कोष बिल्कुल नीचे के स्तर पर पहुंच गया है। २५०० करोड़ रुपये का चालू कोष बमुश्किल हमारे दो हफ्ते के आयात की जरूरत पूरी कर सकता है। खाड़ी संकट के चलते परिस्थिति ने भयावह रूप ले लिया है। वित्त मंत्रालय के विभिन्न आकलनों के अनुसार यदि कच्चे तेल का दाम ३५ डालर प्रति बैरल तक चला जाता है तो इससे हमारे भुगतान संतुलन पर साढ़े तीन खरब डालर का असर पड़ेगा। देश के अंदरूनी स्तर पर भी हमारा कर्ज काफी बढ़ चुका है। १९८७-८८ में भारत सरकार पर देशी कर्ज १,४४,५९३ करोड़ रुपये के अकल्पनीय अंक तक पहुंच गया है जो १९७०-७१ के अंदरूनी कर्ज से १४ गुणा ज्यादा है। इसी प्रकार १९८८-८९ में सरकार द्वारा भुगतान किये गये सूद की राशि १२१९९ करोड़ रुपये की गगनचुंबी ऊंचाई तक पहुंच गयी है जो १९७०-७१ की तुलना में ६० गुना ज्यादा है। विदेश से कर्ज अब पुराने कर्ज के एवज में

किये जाने वाले भुगतानों को चुकाने के लिये जाने वाले अधिक से अधिक कर्ज का रूप ले चुका है। ऋण का फंदा बाही और तीतरी दोनोंस्तरों पर कसता चला जा रहा है।

जनता की जीवन परिस्थितियां

१०३. इस काल के दौरान जनता की कीमत पर संकट के समाधान की निर्दयतापूर्ण कोशिश चलती रही है। मुद्रास्फीति की दर पहले ही दो अंकों को पार कर चुकी है। १७ नवम्बर १९९० को समाप्त हुए हफ्ते तक में पिछले वर्ष के इसी काल की तुलना में मुद्रास्फीति की दर ७.४ प्रतिशत के बजाय १०.२ प्रतिशत तक चली गयी थी। कीमतों में प्रशासनिक आदेशों से की गयी वृद्धियां, पेट्रोल की कीमतों, दूरसंचार और रेलबे की दरों, बजट के करों, जनवितरण प्रणाली के जरिये आपूर्ति किये जानेवाले गेहूं और चावल की बिक्री के दामों में की गयी लगातार वृद्धियों, कुल अंकों में अप्रत्यक्षकरों के हिस्से में होनेवाली जबर्दस्तवृद्धि जो पहले के वर्षों के १८ प्रतिशत से बढ़ कर १९८९-९० में ७०.२६ प्रतिशत हो गया—इन सब ने मिलकर रोज मर्रे की जरूरी सामग्रियों की कीमतों में मारक रूप से बढ़ोतरी कर दी है। दो वर्षों के काल में ३० से ७० प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।

१०४. हम एक ऐसी परिस्थिति के सम्मुखीन हैं जब १९८९ में खाद्यान्नों के उत्पादन में १७०० लाख टन की सबसे बड़ी वृद्धि होने तथा १९९० में १८५० लाख टन तक इसके चले जाने की सम्भावना के बावजूद खाद्य-पदार्थों के दाम अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही, विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये जरूरी सामग्रियों के निर्यात की सरकारी नीति ने परिस्थिति को और बिगाड़ दिया है तथा कीमतें बढ़ा दी है। औद्योगिक सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि तथा किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य न मिलने के कारण वाणिज्य की शर्तें भारी रूप में देहाती जनता के विरुद्ध हो गयी हैं। फलतः देहाती जनता पर कर्ज का भार कई गुना बढ़ गया है।

१०५. संकट के बोझ को आम जनता पर डाल देने की नीति ने जनता की शहरी और देहाती, दोनों क्षेत्र के गरीबों की दुर्दशा और मुसीबत को इतना बढ़ा दिया है, जितना पहले कभी नहीं था। दूसरी ओर छः सबसे बड़े इजारेदार घरानों की सम्पत्ति पिछले दशक के दौरान सालाना औसतन १५ प्रतिशत की दर से बढ़ती रही है।

राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की आर्थिक नीति

१०६. कामरेड, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, जनतान्त्रिक प्रक्रिया को पुनःस्थापित करने तथा ट्रेड यूनियन आन्दोलन की कुछ जनतान्त्रिक मांगों को सिद्धान्ततः स्वीकारने के कुछ सकारात्मक कदम उठाने के बावजूद राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने राजीव सरकार की पश्चगामी आर्थिक और औद्योगिक नीतियों तथा संसाधन संग्रहक नीतियों को बदलने के लिये कोई कदम नहीं उठाया। वस्तुतः अपने ११ महीने के अल्पकालिक शासन में और भी तीव्रता के साथ वह उन नीतियों पर चली। यह राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के रेलबे और आम बजट में प्रतिबिम्बित हुआ। सरकारी आदेश पर कीमतों में वृद्धि में यह जाहिर हुआ। हम जहां कांग्रेस (इ) सरकार की इस नीति की आलोचना करते थे कि उसने सुनियोजित ढंग से चीनी की खुले बाजार में बिक्री के कोटे को ३५ प्रतिशत से बढ़ाकर ५० प्रतिशत कर दिया, वहीं राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने एक ही धक्के में इसे ७५ प्रतिशत तक बढ़ा दिया। इसका जन वितरण प्रणाली पर और बुरा असर पड़ा। इन सबने जनता की दुर्दशा को और बढ़ा दिया।

१०७. सीआईटीयू के सेक्रेटारियट ने कांग्रेस की उसी पुरानी लाईन, जनता पर कर लादने की लाइन पर चलने की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की नीति पर गम्भीर चिन्ता जाहिर की थी। अपने एक बयान में इस बात को समझते हुए कि कांग्रेस (इ) के लम्बे शासन द्वारा प्रायः तबाह कर दी गयी अर्थव्यवस्था में फिर से जान फूंकना राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के लिये एक अत्यन्त कठिन काम था, सेक्रेटारियट ने यह मांग की थी कि सरकार पेट्रोल, डीजल तथा डाक की दरों और रेलबे किराये और माल भाड़े में की गयी प्रस्तावित वृद्धि को वापसले ले। वामपन्थी पार्टियों ने भी यही मांगें की थी। लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वामपंथी पार्टियों के आह्वान का समर्थन करते हुए सीआइटीयू ने राज्य कमेटियों तथा यूनियनों से १६ मई को महंगाई के खिलाफ प्रतिवाद दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। उसदिन अपनाये गये कार्यक्रमों के बारे में कुछ राज्य कमेटियों ने सूचनाएं भेजी है। बंगाल और केरल ने कुछ अतिरिक्त कार्यक्रम भी अपनाये। कानपुर के जनरल कौंसिल बैठक में परिस्थिति की समीक्षा की गयी। तब तक प्रायः सभी चीजों के दाम काफी बढ़ चुके थे। कानपुर बैठक से मूल्य वृद्धि के खिलाफ आंदोलन को तेज करने तथा २३ आगस्त १९९० को मूल्य-वृद्धि विरोधी दिवस मनाने का आह्वान किया गया। लेकिन, विभिन्न राज्यों से आयी खबरों में यह देखा गया कि मूल्य-वृद्धि विरोधी दिवस मनाये जाने के बावजूद बड़े रूप में कोई लागातार। संघर्ष का कार्यक्रम नहीं अपनाया जा सका। बंगाल के अलावा बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, असम कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात तथा त्रिपुरा में यह दिवस मनाया गया। कुछ राज्यों में महंगाई के प्रश्न को कमजोर, लाक-आउट तथा सामान्य तौर पर अन्य आर्थिक और औद्योगिक नीतियों से जोड़ा गया, जबकि कानपुर की जनरल कौंसिल ने इन-मांगों के एक हिस्से के रूप में इस मांग को अलग से रखा था। फिर भी, जैसा कि मैंने पहले कहा, उस कार्यक्रम पर इसलिये अमल नहीं किया जा सका क्योंकि ओ बी सी तथा राम जन्मभूमि के प्रश्न पर परिस्थिति बदतर हो चली थी जिससे

जातिवादी और साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। इसने हमारे ध्यान को पूरी तरह से दूसरी ओर बंटा दिया तथा इन प्रश्नों पर संकेन्द्रित होने पर राज्य कमेटियों को मजबूर किया।

राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की औद्योगिक नीति

१०८. राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की आर्थिक नीति का सबसे नुकसान देह हिस्सा उसकी औद्योगिक नीति था, जो बड़े पूंजीपतियों के पक्ष की थी। उसमें उदारतावाद तथा निजीकरण के लगातार अभियान चलाया जा रहा था जिससे आत्मनिर्भरता और सार्वजनिक क्षेत्र को नुकसान हो रहा था। आईएमएफ और विश्व बैंक को तुष्ट करने के लिये उसने ४० प्रतिशत तक कि विदेशी इक्वीटी हिस्सेदारी की अनुमति दे दी तथा निर्यात की बिना किसी शर्त के ही उसने स्वत: न्यूनतम आयात करने के अधिकार को दे दिया। ७५ करोड़ रुपये तक के पूंजी नियोजन के लिये लाइसेंसिंग व्यवस्था समाप्त कर दी गयी तथा प्लांट और मशीनरी के एवज में ३० प्रतिशत राशि तक की मशीनों और कच्चे मालों के आयात को अनुमति दे दी। लघु स्तरीय क्षेत्र में नियोजन की सीमा को उसने ६० लाख रुपये तक तथा सहायक इकाई (एंशीलियरी) के मामले में ७५ लाख रुपये तक बढ़ा दिया। इससे इस क्षेत्र में इजारेदारों के प्रवेश का रास्ता और सुगम हो गया। इसके अलावा, इस नीति में कहीं भी औद्योगिक बीमारी के निदान कोई चर्चा तक नहीं थी। उल्टे, उद्योग मशीने यह ऐलान कर दिया कि किसी भी बीमार इकाई का अधिग्रहण नहीं किया जायेगा। दरअसल, योजना आयोग को दर-किनार करते हुए इस पश्चगामी नीति की घोषणा की गयी थी। योजना आयोग के साथ एक बैठक में सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने इस नीति की कड़ी आलोचना की थी। सीआईटीयू सेक्रेटेरियट ने अपने एक बयान में कहा था कि आज जब अमरीका भारत को अपनी सुपरइन तथा स्पेशल ३०१ का निशाना बना रहा है तब इस प्रकार की एक नीति इस खतरे का संकेत है कि सरकार अमरीका की धमकी सामने घुटने टेक रही है। वामपंथी पार्टियों ने भी इस नीति को बुरी तरह फटकारा था। हमारी कुछ राज्य कमेटियों ने इसके खिलाफ अभियान चलाया। कई औद्योगिक संघों ने भी इस प्रश्न को उठाया। लेकिन ये सभी सिर्फ प्रतिकात्मक प्रतिकार थे और इनका सरकार पर उस तरह का कोई असर नहीं पड़ा। उल्टे सरकार ने अपने पक्ष की पैरवी की और कैबिनेट ने उसे अनुमोदित भी कर दिया।

वर्तमान गम्भीर आर्थिक परिस्थिति तथा चन्द्रशेखर सरकार

१०९. केन्द्र में एक दलबदलू सरकार होने से जो जनता के प्रति जवाब देह नहीं है तथा पूरी तरह से कांग्रेस(इ) पर आश्रित है, अर्थव्यवस्था एक भयावह रूप ले चुकी है।

११०. चन्द्रशेखर सरकार का पहला कार्य यह घोषणा थी कि उदारतावाद की नीति जारी रहेगी। वी पी सिंह सरकार के समय उन्होंने जो रुख अख्तियार किया था उससे वे पलट गये। इसके बाद ही यह घोषणा की गयी कि वे नया कर्ज लेने के लिये आईएमएफ के पास जा रहे हैं। जिसका अर्थ है कि हमारे देश पर और भी शर्तों को लाद दिया जायेगा। यह गौर करने लायक दिलचस्प बात है कि चन्द्रशेखर ने आईएमएफ से कर्ज लेने के लिए तथा उदारतावाद की नीति शुरू करने के लिये इन्दिरा गांधी की सरकार की आलोचना की थी। राजीव गांधी ने भी उसी नीति को और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाया था। अब किन्तु प्रधानमन्त्री बनने के बाद वही चन्द्रशेखर इन्दिरा गांधी के ही उसी तर्क को दोहरा रहे हैं कि यह कर्ज सिर्फ वर्तमान कठिन भुगतान सन्तुलन की स्थिति से उबरने के लिये लिया जा रहा है। लेकिन आईएमएफ द्वारा आयातों के मामले में उदारतावाद की शर्तों से देश कर्ज के फंदे के नजदीक चला जायेगा, जैसा कि मैंने पहले कहा है। अब हम भी उसी अनुभव के दौर में प्रवेश करने वाले हैं जो आज कई तीसरी दुनिया के देशों का है, जो देश सिर्फ पहले के कर्ज को चुकाने के लिये कर्ज लिया करते हैं। इसप्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था एक चौराहे पर आ खड़ी हुई है या तो आईएमएफ का कर्ज लिया जाय तथा विदेशी पूंजी पर और निर्भरशीलता बढ़ायी जाय और कर्ज के फंदे के कुचक में पड़ा जाय या इन नीतियों को उलट दिया जाय। कलम की एक नोंक से एक वर्ष के अन्दर आबकारी और उत्पादन शुल्कों को इतना बढ़ा दिया गया है कि जिससे १४३० करोड़ रुपये की अतिरिक्त उगाही हुई जिसका अर्थ है कीमतों का और भी गगन-चुम्बी होना।

१११. इसके साथ ही वित्त मन्त्रालय गंभीरता के साथ क्षति-पूर्तियों को कम या पूरी तरह से समाप्त कर देने के रास्ते पर जा रहा है जो जन-वितरण व्यवस्था के लिये हानिकारक होगा। इसी बीच सरकार के एक सलाहकार ने जन-वितरण प्रणाली को आंशिक तौर पर समाप्त करने तथा जिन लोगों की आय २५०० रुपये प्रतिमाह से ज्यादा है उन्हें राशन व्यवस्था के दायरे से बाहर कर देने की सिफारिश की है। सर्वोपरी अब प्रधानमन्त्री तथा वित्तमन्त्री लगातार जनता से अपनी जरूरतों को कम करने की मांग कर रहे हैं।

११२. स्टेट्समैन की खबर के अनुसार खाड़ीयुद्ध के पहले ही सालाना मूल-बिंदुओं तथा सरकारी थोक मूल्य सूचकांक (१९८१-८२=१००) के आधार पर कूती गयी मुद्रास्फीति की ताजा दर ११.४ प्रतिशत रही है जो विगत एक दशक के दौरान हुई मूल्यवृद्धि की सबसे अधिक ऊंची दर कही जा सकती है। सामान्य वित्तीय परिस्थिति इतनी निराशाजनक है कि इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिये कि कर्ज-भुगतान की जरूरतों को पूरा करने के लिये ही सरकार को कोष जुटाने के लिये नये सिरे से कई कर आदि लगाने पड़ सकते हैं। अब जबकि युद्ध भड़क उठा है, १६ जनवरी को

राष्ट्र के नाम प्रधानमन्त्री ने अपने भाषण में बार-बार एक इसी बात को दोहराया है कि डर की कोई वजह नहीं है। खाद्यान्न और अन्य जरूरी सामग्रियों का यथेष्ट भंडार मौजूद हैं तथा कीमतें बढ़ने का कोई कारण नहीं है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बिना किसी लाग-लगाव के जनता से कहा कि पेट्रोलियम सामग्रियों की आपूर्ति में अव्यवस्था होने से कीमतों में होने वाली वृद्धि का बोझ उन्हें उठाना पड़ेगा। यहां यह स्मरणीय है कि दिसम्बर महीने में केन्द्रीय वित्तमन्त्री ने जनता को यह आश्वासन दिया था कि मुद्रास्फीतिकारी दबावों से गरीब तथा वेतनभोगी तबके को बचाने के लिये सभी जरूरी कदम उठाये जायेंगे। उनके द्वारा सुझाये गये उपायों में जन-वितरण प्रणाली के जरिये वनस्पति तेल, दालों तथा अन्य कई जरूरी सामग्रियों का वितरण किया जायेगा जो निश्चित रूप से मुद्रास्फीतिकारी दबाव से गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों को बचायेगा। लेकिन अबतक सरकार ने इन कदमों पर अमल के लिये कुछ नहीं किया है।

११३. इन सबका अर्थ है मजदूर वर्ग तथा आम जनता की जीवन परिस्थिति पर जबरदस्त हमला होने वाला है। रोजगार के अवसरों तथा मजदूरों के वर्तमान ट्रेड यूनियन अधिकारों पर एक गंभीर हमले की तैयारी की जा रही है।

११४. कामरेड ! इसके परिणामस्वरूप हम एक व्यापक तथा जुझारू जन अभ्युत्थानों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। जब इन नये हमलों के विरुद्ध मजदूर वर्ग तथा जनता के अन्य हिस्सों को उठ खड़े होना होगा। मजदूर वर्ग के व्यापक एकजुट संघर्षों को संगठित करने के लिये पहलकदमी करने के अनुरूप सीआईटीयू को स्वयं को तैयार करना होगा ; उसे जनता के अन्य हिस्सों के संघर्षों के पक्ष में एकजुट कार्रवाइयों के लिये मजदूरों को तैयार करना होगा। कांग्रेस (इ), जनता राष्ट्रीय मोर्चा तथा वर्तमान चन्द्रशेखर सरकार के अन्तर्गत लगातार गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, छंटाई, तालाबंदी आदि के शिकार मजदूर और मेहनतकश जनता यह जानना चाहेगी कि उनकी इन मुसीबतों के लिये कौनसी नीतियां जिम्मेदार हैं। सीआईटीयू के लिये यही उचित अवसर है जब मजदूर वर्ग के संघर्षों को नेतृत्व देते हुए उन नीतियों के चिन्हित तथा बेपर्द कर सके जो इन स्थितियों के लिये जिम्मेदार हैं तथा इन नीतियों को बदलने के लिये मजदूर वर्ग को गोलबन्द कर सके, जो कर्ज के फंदे से बाहर निकालने तथा अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और स्वतन्त्र तथा एकजुट आंदोलन तैयार करने के लिये हमें जिन विषयों को केन्द्र में लाना होगा, वे हैं :

—आईएमएफ और विश्व बैंक के कर्जों पर निर्भरशीलता समाप्त करो।

—उदारतावाद की नीति बंद करो।

—निजीकरण बंद करो।

—बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश को रोको तथा आत्मनिर्भरकारी अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिये सार्वजनिक क्षेत्र की नेतृत्वकारी भूमिका को सुनिश्चित करो।

—स्वदेशी तकनीक को विकसित करने की प्रक्रिया पर ध्यान दो।

—अप्रत्यक्ष करों को कम करो और प्रत्यक्ष करों को बढ़ाओ।

—जन-वितरण प्रणाली को मजबूत करो तथा सभी रोजमर्रे की जरूरत की सामग्रियों को इसके अन्तर्गत लाओ तथा सर्वोपरि घरेलू बाजार को विकसित करने तथा रोजगार उत्पन्न करने के लिये वास्तविक भूमि सुधार पर ध्यान केन्द्रित करो।

यह सम्मेलन जैसा कि ऊपर बताया गया है उस आधार पर हमारे कार्यों की दिशा में निश्चित रूप से एक गम्भीर मोड़ लानेवाला सम्मेलन साबित हो।

११५. कामरेड ! सरकार की आर्थिक नीति तथा विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा निजीकरण के लिए डाले जा रहे दबावों को देखते हुए यह जरूरी है कि हम सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा के लिये हमारी गतिविधियों की संक्षिप्त रूप में समीक्षा करें।

सार्वजनिक क्षेत्र

११६. बम्बई सम्मेलन में हमने सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा के लिए संघर्ष छेड़ने के प्रश्न पर विचार किया था। तब राजीव गांधी की नयी आर्थिक नीति आयी थी जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को बदनाम करते हुए निजीकरण की ओर बढ़ने की बात कही गयी थी। विश्व बैंक के दबाव से सार्वजनिक क्षेत्र को बदनाम करने के सरकार के कदम को बेनकाब करने में तब सीआईटीयू ने पहलकदमी की थी। घाटे पर चलानेवाली इकाइयों को उठा देने तथा निजीकरण की नीति से मेल बिठाते हुए प्रमुख क्षेत्र (कोर-सेक्टर) की परिभाषा को विकृत करने की सिफारिश करती हुई अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी की रिपोर्ट के प्रकाशन, इस्पात उद्योग के निजीकरण की सिफारिश करती हुई विश्व बैंक की गुप्त रिपोर्ट को प्रकाशित कर देने से सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों के बीच सीआईटीयू इज्जत बढ़ी थी। सीआईटीयू ने बंगलौर और हैदराबाद स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों ने एनसीसी के घटकों तथा गैर एनसीसी के ट्रेड यूनियन घटकों को साथ लाने और सीपीएसयू का गठन करके अक्तूबर १९८६ में आर्थिक मांगों को निजीकरण रोकने की मांग के साथ जोड़कर दिल्ली में एक विशाल कंवेंशन करने में सीआईटीयू ने एक प्रमुख भूमिका अदा की थी। २१ जनवरी १९८७ की हड़ताल सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों का पहला संयुक्त आन्दोलन की जिसे अधिकारियों के भी बड़े हिस्से का समर्थन प्राप्त था। इसके बाद भारत बन्द के दौरान १४ से १६ मार्च १९८८ की तीन दिन की हड़ताल एक और बड़ी संयुक्त कार्रवाई थी। इस हड़ताल का आह्वान सीपीएसटीयू ने किया था यह मांग करते हुए कि बीपीई की निर्देशक नीति को

समाप्त किया जाय और मांगपत्र पर फौरन समझौता किया जाय, सभी अधिकृत इकाइयों जिनमें केन्द्रीय महंगाई भत्ते के अन्तर्गत पड़नेवाली इकाइयां भी शामिल हैं को अन्तरिम राहत प्रदान की जाय, बढ़ते हुए जीवनमान के बढ़ते हुए खर्च को पूरी तरह से समाप्त करना सुनिश्चित किया जाय, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण तथा उनकी महता को कम करना बन्द किया जाय आदि। सीआईटीयू की पहल पर इस हड़ताल को कांग्रेस(इ) की नीतियों के विरुद्ध प्रतिवाद के तौर पर भारत बन्द के साथ जोड़ा गया। बहुत ही बड़ी संख्या में अधिकारियों के हिस्से ने भी इस आन्दोलन में शिरकत थी। यह हड़ताल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता को बचाने के लिये संयुक्त एकजुट कार्रवाई का एक अनूठा प्रदर्शन था। इस हड़ताल ने सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों पर गहरा प्रभाव डाला। लेकिन बेतन समझौतों पर सरकार की विलम्ब की नीति तथा बीपीई की निदेशक नीति को लादने की कोशिशों के चलते मजदूरों को बेतन समझौते पर बाध्य होकर अपने संघर्षों को छोड़ना पड़ा। हड़ताल की दुबारा धमकी के बाद बीपीई की निर्देशक नीतियों को दरकिनार करते हुए बेतन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद बेतन समझौतों के पर सरकारी अनुमोदन के लिये और संघर्ष शुरू किये गये। बीपीई ने अब भी पेंशन स्कीम की तरह के कुछ सवालों पर अन्तिम फैसले में अड़चनें पैदा की। महंगाई भत्ते के सवाल पर सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों के संघर्ष ने एक नया मोड़ लिया। सरकार ने अब यूनियनों की लगातार चली आ रही मांगों पर विचार करने के लिये कि सिर्फ सबसे नीचे के स्तरों पर नहीं बल्कि सभी स्तरों पर महंगाई के बेतन पर असर को पूरी तरह से समाप्त करने की योजना बनायी जाय एक त्रिपक्षीय महंगाई भत्ता कमेटी (डीएमके) का गठन किया। लेकिन सरकार ने डी ए कमेटी को दरकिनार करते हुए इकतरफा १.९० रुपया सिंगल डी ए की घोषणा कर दी। हड़ताल की धमकी के बाद डी ए कमेटी को फिर से जान डाली गयी। लेकिन अभी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है।

११७. इस काल में सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों ने भी विभिन्न तरह के संघर्ष किये। इनमें हड़ताल, अपनी विभिन्न मांगों तथा निजीकरण के विरुद्ध प्रधानमन्त्री निवास के सामने धरना भी शामिल है। सीआईटीयू ने उनके इस संघर्ष का अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया। एक ओर जहां सार्वजनिक निगमों की विभिन्न यूनियनों और मजदूरों में एकता को मजबूत किया गया, वह दूसरी और सार्वजनिक निगमों के अधिकारियों और मजदूरों में भी परस्पर अच्छे रिश्ते निर्मित हुए।

११८. सर्विस सेक्टर में सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार पर लगातार हमले होते रहे हैं। केंद्र की कांग्रेस (इ) सरकार ने १९८१ में एक कानून बना कर एलआईसी के कर्मचारियों से उनके सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को छीन लिया था। इसके बाद एक और कानून के जरिये जीआइसी कर्मचारियों का भी यही अधिकार उनसे छीन लिया गया। दोनों मामलों में सरकार ने कर्मचारियों के बेतन तथा नौकरी शर्तों को तय करने का एकाधिकार हासिल कर लिया। एआईआईईए के कर्मचारी इन निरंकुश कानूनों के विरुद्ध लम्बे समय से हड़ताल सहित संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार वादा करने के बावजूद स्थिति को बदलने तथा कर्मचारियों के अधिकार को फिर से बहाल करने में असमर्थ रही। सेवा शर्तों में और भी आपत्तिजनक तथा जनतन्त्रविरोधी प्रावधान है। इनका जनतांत्रिककरण करने की जरूरत है।

११९. लेकिन इस एकता के बावजूद, हम लगातार इस बात को चिन्हित करते रहे हैं कि सार्वजनिक निगमों में हमारा संघर्ष केवल तात्कालिक आर्थिक मांगों तो हासिल करने तक सीमित नहीं रह सकता है। आत्मालोचना के तौर पर हमें यह स्वीकारना होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र में हमने जो एकता विकसित की उसे निजीकरण के विरुद्ध एक जोरदार संघर्ष के स्तर तक विकसित नहीं किया जा सका। बहुत से राज्यों में हम राज्य स्तर तक समन्वय समिति का निर्माण तक नहीं कर पाये हैं। यह सिर्फ अखिल भारतीय स्तर पर ही है। बम्बई सम्मेलन के बाद कांग्रेस (इ) तथा अल्पकालिक राष्ट्रीय मोर्चा सरकार दोनों ने ही निजीकरण की ओर गम्भीरता से कदम बढ़ाये हैं। सभी कोर सेक्टर मसलन इस्पात, कोयला, ऊर्जा फर्टीलाइज से या तो प्रभावित हुए हैं या उन्हें धमकाया जा रहा है। विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों में योजनाबद्ध ढंग कामों का निजीकरण किया जा रहा है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि नयी उद्योग नीति सुनियोजित ढंग से सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण तथा उनकी महता को कम करने तथा सार्वजनिक क्षेत्र में निजी प्रतिष्ठानों भारतीय और विदेशी दोनों को प्रवेश कराने का एक कदम था। विनिन्न राज्यों में राज्य क्षेत्र की इकाइयों को निजी उद्यमों को बेचा जा रहा है। अब कृषि में बहुराष्ट्रीय निगमों के बड़े पैमाने पर प्रवेश का भी कदम उठाया जा रहा है। सर्वजनिक क्षेत्र के खिलाफ चलाये जा रहे जोरदार प्रचार और अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय योजना तथा आत्मनिर्भरता को चन्द इजारेदारों और बहुराष्ट्रीय निगमों की योजना में बदल देना है। सार्वजतिक क्षेत्र की हमारी यूनियनों को, इस तथ्य को अनुभव करना चहिए कि यदि हम सार्वजनिक क्षेत्र को नहीं बचा सकते हैं तो हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रक्षा नहीं कर सकते। इसके बाद ही इजारेदारों और बहुराष्ट्रीय निगमों के हाथों मजदूरों तथा आम जतना का निर्मम शोषण होगा। मजदूर अपनी आर्थिक मांगों की भी रक्षा नहीं का पायेंगे।

१२०. इस पृष्ठभूमि में काफी लम्बे अर्से बाद बंगलौर में दिसम्बर १९९० को सीआईटीयू ने सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों का कन्वेंशन किया। कन्वेंशन ने परिस्थिति पर विचार किया तथा फौरी आर्थिक मांगों के साथ ही निजीकरण के खिलाफ संघर्ष को पुनर्निर्मित करना होगा। उसने सार्वजनिक क्षेत्र की कार्य-कुशलता

को बेहतर बनाने तथा प्रबन्ध में मजदूरों की प्रभावी हिस्सेदारी की मांग करके प्रबन्ध द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करने का भी निर्णय लिया। दूसरा सकारात्मक पक्ष यह था कि पहलीबार प्रमुख कन्वेंशन के एक हिस्से के रूप में ही सार्वजनिक क्षेत्र में लगी कामकाजी महिलाओं का अलग से एक कन्वेंशन आयोजित किया गया ताकि सार्वजनिक क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं को संघर्ष में उतारा जा सके। हमें आशा है कि सीआईटीयू द्वारा शुरू किया गया सार्वजनिक क्षेत्र का संघर्ष सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा में एक नया मोड़ लायेगा।

बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष

१२१. कामरेड, हम विकास के पूंजीवादी रास्ते के गहराते हुए संकट के प्रतिबिम्ब के रूप में देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर विचार, विमर्श करते रहे हैं। हम इस बात पर बल देते रहे हैं कि पूंजीवादी रास्ते के खिलाफ लड़ने के लिये हमें अपने ट्रेड यूनियन आंदोलन के विषय के नियमित हिस्से के रूप में बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष जारी रखना होगा। बम्बई सम्मेलन ने विस्तार के साथ इस विषय पर विचार किया। का० बीटीआर ने अपने अध्यक्षीय भाषण में संगठित ट्रेड यूनियन आन्दोलन की जरूरत पर बल दिया था कि वह बेरोजगारी के खिलाफ काम के अधिकार तथा बेरोजगारी राहत की मांग पर बेरोजगारों के विशाल हिस्सों को अपने आंदोलन में शामिल करे। उन्होंने यह चेतावनी दी थी कि ऐसा करने में हमारी अवहेलना बेरोजगारों को साम्प्रदायिक और जातिवादी शक्तियों का शिकार बना देगी। हाल के साम्प्रदायिक और जातिवादी दंगों में इस सच्चाई का जिस पर हम पहले ही विचार कर चुके हैं, स्वाद मिला। इसीलिये उन्होंने बेरोजगारों के लिए संघर्ष के कार्यक्रम अपनाने का आह्वान किया और संसद मार्च में अन्य संगठनों के साथ ही उन्हें शामिल करने के लिए कहा। मैं यहां कामरेड बीटीआर के भाषण के अंशों को उद्धृत करूंगा।

१२२. "कामरेड हमारी ट्रेड यूनियनों ने बेरोजगारी की विशाल चुनौती को सही ढंग से नहीं देखा है। वे अक्सर स्वयं को तालाबंदी तथा छटाई द्वारा पैदा की गई बेरोजगारी की समझ तक ही सीमित रखते हैं। हम इस बात को नहीं देखते कि श्रम के बाजार में जो लाखों की संख्या में नये लोग उतर रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार का उत्पादक कार्य करने का अवसर नहीं दिया जाता। इन लोगों ने किसी कारखाने या कंपनी के अन्दर जाकर भी कभी नहीं देखा है। उनके पास मजदूर वर्ग की एकता एवं एकजुटता की कोई परम्परा नहीं है। इस परिस्थिति में उनके साथ ट्रेड यूनियनआंदोलन अपने संबंधों को कायम नहीं कर सकता तो उनका आसानी से मजदूर वर्ग की एकता को तोड़ने तथा संघर्ष के दौरान प्रतिरोध के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ...क्या हमें इस पर आश्चर्य होना चाहिए कि यही नौजवान तब का साम्प्रदायिक और जातिवादी शक्तियों का शिकार बन जाता है अथवा खुद को जीवित रखने के लिए ही अपराध कार्यों में उतर पड़ता है।" उन्होंने एक विशाल बेरोजगारी प्रदर्शन का सुझाव दिया था "ताकि समूचे मजदूर वर्ग की, देहाती गरीबों, रोजगार और बेरोजगार लोगों की एकता। उस प्रदर्शन में प्रतिबिम्बित हो सके।

१२३. बम्बई सम्मेलन के आह्वान के बाद बेरोजगारी के खिलाफ आन्दोलन ने आकार ग्रहण करना शुरू किया। हमने इस दिशा में राज्य कमेटियों द्वारा अपनाये गए कार्यक्रमों की समीक्षा की। दिसम्बर १९८७ में चंडीगढ़ में हुई वर्किंग कमेटी की बैठक में हमने देखा कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में कंवेंशन आदि आयोजित किये गए। सितम्बर १९८८ की धनबाद में हुई जनरल कौंसिल की बैंक में हमने देखा कि पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु तथा आंध्रप्रदेश ने आन्दोलन की निरन्तरता को जारी रखा। सितम्बर १९८९ की कल्याणी में हुई वर्किंग कमेटी की बैठक में उपरोक्त राज्यों के अलावा मध्यप्रदेश उड़ीसा तथा असम ने भी कंवेंशन और धरने आदि आयोजित किये। इसके बाद कानपुर की जुलाई १९९० में हुई जनरल कौंसिल की मीटिंग के पहले तक महाराष्ट्र तथा अन्य स्थानों पर भी कार्यक्रम अपनाये गये। लेकिन निरन्तरता सिर्फ पश्चिम बंगाल केरल तथा तमिलनाडु की तरह के कुछ राज्यों में ही बनायी रखी गयी।

१२४. सीआईटीयू के आह्वान को स्टील वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया ने पूरी गम्भीरता के साथ लिया है। फेडरेशन ने सभी इस्पात संयंत्रों में बेरोजगारी दिवस का पालन किया। फिर काम के अधिकार पर उन्हीं की पहल पर दुर्गापुर में २ और तीन अप्रेल को अखिल भारतीय कंवेंशन का आयोजन का किया गया। उस वक्त तक राष्ट्रीय मोर्चा सरकार सत्ता में आ चुकी थी और उन्होंने काम के अधिकार को संविधान में एक मूलभूत अधिकार के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। दुर्गापुर कंवेंशन में देशभर से लगभग एक हजार प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था जो सीआईटीयू की विभिन्न राज्य कमेटियों तथा केन्द्रीय और राज्य कर्मचारियों सहित नेशनल फेडरेशनों की ओर से आये थे। कामरेड बी० टी० रणदिवे ने अपने अन्तिम दस्तावेज में कंवेंशन को बेरोजगारी के विरुद्ध संघर्ष की निर्देशक नीति दी थी। विभिन्न राष्ट्रीय फेडरेशनों की तैयारी समिति ने जिसने इस कंवेंशन को संगठित किया था का० बी० टी० रणदिवे की निर्देशक नीतियों के आधार पर एक भूल दृष्टिकोण का आलेख तैयार किया था। कंवेंशन ने एक व्यापक संचालन समिति का गठन किया जिसमें फेडरेशनों छात्रों नौजवानों महिलाओं तथा किसान एवं खेतिहर मजदूरों की यूनियन के प्रतिनिधियों को रखा गया। कंवेंशन ने जिन्दगी के विभिन्न क्षेत्रों तथा अन्य ट्रेड यूनियन केन्द्रों के व्यक्तियों को नियन्त्रित करके एक राष्ट्रीय सेमिनार संगठित करने का फैसला किया ताकि बेरोजगारी के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाया जा सके। उसने राज्यवार जिलावार तथा उद्योगवार कंवेंशनों का भी आह्वान किया ताकि

अधिक से अधिक संख्या में मजदूरों, ट्रेड यूनियनों, नौजवानों, छात्रों, महिलाओं, खेतिहर मजदूरों, किसानों तथा शहरी एवं देहाती क्षेत्रों के बेरोजगारों को गोलबन्द किया जा सके। यह सब बम्बई सम्मेलन में परिकल्पित संसद मार्च की तैयारी को मद्देनजर रखते हुए किया गया था।

१२५. लेकिन इस कार्यक्रम पर सही ढंग से अमल नहीं किया जा सका। संचालन समिति के कुछ सदस्यों ने कई बार बैठकें की। दिल्ली में एक सेमिनार किया गया। लेकिन अन्य दो ट्रेड यूनियन केंद्रों के अलावा। जिन्दगी के अन्य क्षेत्रों के लोगों से सम्पर्क नहीं साधा जा सका। असम, बिहार, तमिलनाडु, केरल तथा नागपुर में राज्य कन्वेन्शन किये गये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फेडरेशन आफ इन्डिया ने भी एक कन्वेन्शन आयोजित किया।

१२६. यह सच है कि उसके बाद से स्थिति बिगड़ती चली गयी, साम्प्रदायिक और जातिवादी दंगे भड़क उठे और फिर राष्ट्रीय मोर्चा सरकार गिर गई। लेकिन हमें यह स्वीकारना होगा कि हम सही ढंग से दुर्गापुर कन्वेन्शन में किए गए वादे को पूरा नहीं कर सके और सफलता को आगे नहीं ले जा सके। हमें बम्बई सम्मेलन के आह्वान का स्मरण करना होगा कि अन्य सभी जनसंगठनों, देहाती और शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को लेकर राज्यों में व्यापक संघर्ष कार्यक्रम अपनाया जाय जिससे राज्यों की राजधानियों से दिल्ली मार्च की तैयारियां की जा सकें। उसके लिए राज्य तथा जिला स्तरों पर बहुत ही सुव्यवस्थित और संगठित काम की जरूरत होगी तथा अन्य जनसंगठनों और बेरोजगारों को शामिल करते हुए लगातार कार्यक्रम अपनाने होंगे ताकि बेरोजगारी के खिलाफ और काम के अधिकार के लिए एक व्यापक देशव्यापी आन्दोलन तैयार किया जा सके। सवाल उठता है कि हमारी राज्य कमेटियां अपनी बैठकों में उसे एक नियमित विषय के रूप में रखती रही हैं या नहीं तथा उन्होंने संघर्ष के कार्यक्रमों की योजना बनायी है या नहीं? राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने जो वादा किया था चंद्रशेखर सरकार अभी से उसके प्रति नकारात्मक रवैया जाहिर कर चुकी है। बेरोजगारों की संख्या इसी बीच क्रमशः बढ़ती रही है। मुझे विश्वास है कि इस आन्दोलन को तैयार करने के लिए सभी राज्य कमेटियां और यूनियन तहेदिल से इस मुद्दे को अपनायेंगी।

तालाबन्दी औद्योगिक बीमारी

१२७. कामरेड, बेरोजगारी के साही, तालाबन्दी, औद्योगिक बीमारी एक ऐसा, घटनाचक है जो देश में कैंसर की तरह फैलता जा रहा है। यह काम में लगे मजदूरों को बेरोजगार बनाकर बेरोजगारों की संख्या में की वृद्धि में योगदान करता है। जैसा कि राज्यों की रिपोर्ट से ही जाहिर है हमारी सभी राज्य कमेटियां इनमें एक भी अपवाद नहीं हैं मिलबन्दी, बीमारी तथा तालाबन्दी के खिलाफ लगातार और कठिन संघर्ष में लगी रही हैं। इस नुक्ते पर नये औद्योगिक सम्बन्ध कानून के लिए बनी द्विपक्षीय कमेटी में काफी गर्म बहस हुई तथा सीआईटीयू ने उस वक्त संविधान में इस प्रकार के संशोधन तक करने की मांग की जो मिलबन्दी पर रोक लगा सके, जब प्रबन्धकों ने कारखाने को बन्द कर देने के अपने संवैधानिक अधिकार की ओर इशारा किया। औद्योगिक बीमारी अब इजारेदारों का एक काफी लाभदायक धंधा बन चुकी है। जितनी औद्योगिक बीमारी बढ़ रही है उसी अनुपात में उनकी पूंजी बढ़ती जा रही है। बम्बई सम्मेलन के दौरान हमने यह नोट किया कि १९८५ तक बीमार इकाइयों की कुल संख्या ११९६०६ थी। अब तीन वर्षों के अन्दर इनकी संख्या २ लाख को पारकर गई है। दिसम्बर १९८८ तक बीमार इकाइयों की कुल संख्या २४१८१४ तक पहुंच गई जिसमें २४०५७३ इकाइयां लघु पैमाने की हैं तथा १२४१ इकाइयाँ गैर लघु स्तरीय उद्योगों की हैं। मजदूरों को हो रहे इस नुकसान के प्रति सरकार में किन्तु कोई चिन्ता नहीं हैं। कांग्रेस (इ) की सरकार ने बीमार इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए बीआईएफआर का गठन किया था लेकिन व्यवहार में यह संस्था बीमारी और दिवालियेपन को मान्यता प्रदान करने वाली एक वैज्ञानिक संस्था बन गई जब तक कि मजदूर बहुत बड़ी कीमत अदा करने के लिए तैयार न हों। बीआईएफआर के पास प्रबन्धकों की ओर से ही सैकड़ों मामले भेजे जाते हैं। जिनका उद्देश्य वास्तव में अपने "व्यवसाय" को जारी रखने के लिए वित्तीय संस्थाओं से और कर्ज ऐंठना भर होता है। इसके बदले में बीआईएफआर निजी सलाहकारों से "विशेषज्ञों की राय" लेती है तथा उनकी सलाह के मुताबिक इकाइयों को फिर से खोलने के लिए कई वर्षों तक बेतन जाम कर देने या महंगाई भत्ते को जाम कर देने, कारखाने की कुछ इकाइयों को बन्दकर देने तथा कुछ मजदूरों की छंटाई कर देने की तरह के मजदूर विरोधी शर्तों को लाद देते हैं। बीमारी के अतिरिक्त सीधे तौर पर मिल बन्दी या अघोषित मिलबन्दी से भी प्रत्येक राज्य में अधिक से अधिक संख्या में मजदूर प्रभावित हो रहे हैं। इसी प्रकार तालाबन्दी की वजह से होने वाले कार्य दिवसों के नुकसान की संख्या हड़तालों की वजह से होने वाले कार्य दिवसों से बढ़ती जा रही है। ये सब चीजें पूंजीवादी रास्ते के संकट से उत्पन्न एक और घटनाचक है जिसे मजदूरों पर लाद दिया जा रहा है।

१२८. कानपुर की जनरल कौंसिल की बैठक में हमने अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर देश व्यापी संघर्ष का कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक संयुक्त कन्वेन्शन करने का निर्णय लिया था लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा, साम्प्रदायिक परिस्थिति की वजह से इस प्रश्न पर कार्यक्रम अपनाने में हम विफल रहे। फिर भी राज्यों में जारी संघर्षों के साथ ही हमें अब बिना विलंब किए इस प्रश्न को साथ-साथ उठाना होगा।

असंगठित मजदूर

१२९. कामरेड, अब लगभग एक दशक बीतने को है जब हमने, हमारे राज्य कमेटियों को उद्योगों के विशाल असंगठित क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को फैलाने के निर्देश दिये थे। इस क्षेत्र में हमारी कार्यशक्ति का लगभग ९० प्रतिशत हिस्सा लगा हुआ है। सदस्यता की दृष्टि से ही बल्कि जुझारूपन की दृष्टि से भी सीआईटीयू की शक्ति बढ़ायी जा सकती है यदि हम इस असंगठित क्षेत्र के कामगारों को अपने ट्रेड यूनियन आंदोलन में शामिल कर पाते हैं। यह इसलिए और भी जरूरी है क्योंकि इन मजदूरों का विशाल हिस्सा पिछड़ी हुई जातियों से आता है जो गरीबी की सीमारेखा के नीचे वास करते तथा बिना किसी श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षाकारी कदमों का संरक्षण पाये काम करने के लिए मजबूर होने के अलावा सामाजिक तौर पर भी उत्पीड़ित हैं। कानपुर सम्मेलन तथा फिर खास तौर पर बम्बई सम्मेलन के बाद हमारे लगातार प्रयत्नों से इस दिशा में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीच हमारे काम में स्वागत योग्य विकास हुआ है।

१३०. बम्बई सम्मेलन के बाद पहला जुझारू आंदोलन दिल्ली राज्य कमेटी ने छेड़ा जिसमें १९८७ के नवम्बर महीने में तीन दिन की हड़ताल की गयी। इसके बाद आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में आंदोलन शुरू हुआ। केरल, त्रिपुरा और बंगाल में असंगठित मजदूरों को गोलबन्द करने के लगातार प्रयत्न किये गये। धीरे-धीरे तमिलनाडु और कर्नाटक भी सामने आ गये। नवम्बर १९८८ के फिर दिल्ली ने एक सात दिन की हड़ताल की। पुलिस और मालिकों के गुण्डों द्वारा तीव्र दमन के बावजूद यह जबर्दस्त रूप में सफल रहा। दिल्ली हड़ताल ने अखिल भारतीय स्तर पर बड़ा असर डाला। इस बीच हमने कई बैठक की ताकि आन्दोलन को एक अखिल भारतीय रूप दिया जा सके। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने एकजुटता हड़तालें की। बंगाल ने प्रदर्शन किये। तब तक १०५० रुपये न्यूनतम मासिक वेतन के लिये जो संघर्ष चलाया जा रहा था, दिल्ली हड़ताल के बाद वह यहां लोकप्रिय हो गयी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में सीआईटीयू ने हड़ताल संघर्ष किये। मध्य प्रदेश ने तीन दिन तक विधानसभा घेराव किया। असम, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा अन्य कई राज्यों में प्रदर्शन और कन्वेन्शन किये गये। कर्नाटक तथा अन्य कई स्थानों पर रास्ता रोको आदि की तरह के कार्यक्रम अपनाये गये। हमने तब ३ जुलाई १९८९ को दिल्ली में हमारे राज्य नेताओं तथा यूनियनों की एक अखिल भारतीय कन्वेन्शन और उसके बाद एकदिन की हड़ताल का फैसला किया। इस बैठक में एक पूरा १२ सूत्री मांग पत्र तैयार किया गया। इस चरण पर किन्तु एनसीसी ने हमारे सामने संयुक्त आंदोलन का प्रस्ताव किया। हम लोग उनकी बात से सहमत हो गये और दिल्ली में २३ सितम्बर १९८९ को एक संयुक्त कन्वेन्शन का आयोजन किया गया। लेकिन कन्वेन्शन हड़ताल का आह्वान करने में असमर्थ रहा। उसने उत्साह को कम करने का काम किया। यद्यपि बाद में हम हड़ताल के लिये तैयार हो गये लेकिन लोकसभा के चुनावों की अचानक घोषणा के चलते यह संभव नहीं हो सकी। चुनावों के बाद कानपुर में जनरल कौंसिल की बैठक के समय एक और अखिल भारतीय बैठक हुई। कानपुर की जनरल कौंसिल की बैठक में मांगपत्र को अंतिम रूप दिया गया जिसमें न्यूनतम वेतन को भी शामिल किया गया और मांग सप्ताह पालन करने तथा अखिल भारतीय हड़ताल की तैयारी के तौर पर राज्य स्तरीय कन्वेंशनों के आयोजन का फैसला लिया गया। राज्य कमेटियों की रिपोर्टों के अनुसार प्राय सभी राज्यों में मांग सप्ताह पालित किया गया। पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों में कन्वेंशन तथा रैलियों का आयोजन किया गया। कलकत्ता में असंगठित मजदूरों की विशालतम रैली २५ अक्तूबर १९९० को हुई जिसमें १ लाख से भी अधिक मजदूरों ने हिस्सा लिया। इस रैली को कामरेड ज्योति बसु ने सम्बोधित किया। बहुत से राज्यों में अब विभिन्न ट्रेड यूनियनें संयुक्त कार्रवाई के लिये सामने आयी हैं। दिल्ली में अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर २२ और २३ जनवरी को एक हड़ताल का अह्वान किया गया है।

१३१. आन्दोलन का जो एक उल्लेखनीय पहलू है वह यह है कि बहुत से राज्यों में मसलन— पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली, त्रिपुरा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा आदि में हमारी साखा असंगठित मजदूरों के बीच काफी बढ़ी है। लेकिन अभी हमें असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करने के लिये बहुत लम्बी दूरी तय करनी होगी। सभी राज्यों को तहेदिल से आन्दोलन को आगे बढ़ाना होगा तथा संयुक्त आंदोलन के लिये प्रयत्न करने के साथ ही साथ सीआईटीयू की एक स्वतन्त्र गतिविधियों को बढ़ाना होगा।

कामकाजी महिलाएं

१३२. कामरेड! हम सभी राज्य कमेटियों तथा यूनियनों का ध्यान कामकाजी महिलाओं को आम ट्रेड यूनियन गतिविधियों के साथ जोड़ने के महत्वपूर्ण काम तथा उनकी विशिष्ट समस्याओं को उठाने तथा उनकी मांगों को बल देने की ओर दिलाते रहे हैं। इस उद्देश्य के लिये हम राज्य, जिला और यूनियन स्तर पर कामकाजी महिलाओं की समन्वय समिति बनाने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। हम इस बात पर भी बल दे रहे हैं कि कामकाजी महिलाओं को संघर्षों के अग्रिम मोर्चे पर लाया जाय, उन्हें ट्रेड यूनियन आन्दोलन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के पदों पर कार्य-भार सौंपे जाय। बम्बई सम्मेलन में हमने पूरा एक दिन का अधिवेशन कामकाजी-महिलाओं की समस्याओं की चर्चा पर केन्द्रित किया था। इस कलकत्ता सम्मेलन के पहले भी कामकाजी महिलाओं के लिये हम एक दिन का सम्मेलन कर रहे हैं। हमारे सभी प्रयासों का

लक्ष्य ट्रेड यूनियन आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए महिला श्रम शक्ति को एक समान भागीदार के रूप में बनाने का है न कि उन्हें सिर्फ पुरुषों लिये आरक्षित रखने का है।

१३३. बम्बई सम्मेलन के बाद इस दिशा में सीआईटीयू क्रमशः प्रगति कर रही है। आसाम, दिल्ली, त्रिपुरा, केरल, पंजाब, गुजरात और कर्नाटक राज्यों ने अपनी राज्य की रिपोर्टों में इस दिशा में अपनी गतिविधियों और प्रयासों का जिक्र किया है। तमिलनाडु ने अपनी राज्य की रिपोर्ट में इस संबंध में उल्लेख नहीं किया है यद्यपि हम जानते हैं कि वह इस दिशा में सभी प्रयास कर रहा है। उन सभी राज्यों ने जिन्होंने रिपोर्ट भेजी नहीं है, उनमें भी हम जानते हैं कि हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश आदि में इस दिशा काम हो रहा है।

१३४. तथापि इस काल में कामकाजी महिलाओं ने बहुत से राज्यों में विभिन्न संघर्ष किये हैं और सभी महत्वपूर्ण मसलों पर हुए अखिल भारतीय संघर्षों में हिस्सा लिया है। दो भारत बन्दों तथा दूसरे हड़ताल संघर्षों में सभी राज्यों में कामकाजी महिलाओं के काफी बड़े हिस्से ने शिरकत की और अपने पुरुष मजदूर साथी के साथ भयंकर दमन के सम्मुखीन हुई। बहुत से असंगठित औद्योगिक क्षेत्रों जैसे बीड़ी, खदान, निर्माण, जंगलात, लघु उद्योगों आदि की महिला मजदूरों ने सब तरह के दमन का सामना करते हुए जबरदस्त जुझारू संघर्ष किये। आसाम की चाय बगान की मजदूरों में बहुत से संघर्ष किये। इसी तरह त्रिपुरा और बंगाल की महिलाओं ने भी संघर्ष किये। इस काल में संगठित क्षेत्रों तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा अधिकृत सार्वजनिक क्षेत्रों के मध्यमवर्ग की महिला कर्मचारियों की ट्रेड यूनियन संघर्षों में भूमिका एक उल्लेखनीय बात रही। उल्लेख के तौर पर केन्द्रीय और राज्य सरकारी विभागों में महिला कर्मचारियों के संघर्ष, रेलबे, डाक और तार, बैंक, एलआईसी, विमान परिचारिकाओं, नर्सों द्वारा उनकी विषिष्ट मांगों जैसे मातृत्व लाभ, क्रेशे और भेदभाव के विरुद्ध किए गए संघर्ष उल्लेखनीय थे। एलआईसी राज्य और केन्द्रीय सरकार के विद्युत विभागों, डाक और तार विभागों, ओडिट्स एंड अकाउन्ट्स, रेलबे और इस्पात उद्योगों आदि की यूनियनों और फेडरेशनों ने बहुत से सम्मेलन कंवेंशन और सभाओं का आयोजन किया। खास तौर पर तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल का विशेष रूप में उल्लेख जरूरी है जहां पर एलआईसी की सभी शाखाओं ने कामकाजी महिलाओं के सम्मेलन किये। हमारी राज्य कमेटियों ने विभिन्न राज्यों में सम्मेलन और कंवेंशन आयोजित किये। उड़ीसा में १९८९ में कामकाजी महिलाओं का दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। बिहार में भी एक कंवेंशन किया गया। दिल्ली में धारावाहिक रूप से आन्दोलन किए गए जिसमें शोसल वेलफेयर महिला कर्मचारी यूनियन द्वारा चलाया गया लम्बा और सफल आन्दोलन भी शामिल है। मध्यप्रदेश में कामकाजी महिलाओं के कंवेंशन आयोजित किए गए। बम्बई में फरवरी १९८६ में कामकाजी महिलाओं का सम्मेलन हुआ। इसके बाद अप्रेल में एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया जिसमें ५००० कामकाजी महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस काल में विभिन्न राज्यों में हर वर्ष ८ मार्च अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में पालित किया गया। बंगलौर में अप्रेल १९९० में एक कंवेंशन हुआ जिसमें २००० कामकाजी महिलाओं ने हिस्सा लिया। केरल में जुलाई १९९० में कामकाजी महिलाओं का राज्य कंवेंशन आयोजित किया गया। दिल्ली में ८ सितम्बर को एआईडीडब्लूए और एआईसीसी-डब्लू के संयुक्त तत्वावधान में बुलाई गई रैली में सभी राज्यों से भारी संख्या में कामकाजी महिलाओं ने हिस्सा लिया।

१३५. एक और उल्लेखनीय विकास सार्वजनिक क्षेत्रों की महिलाओं को संगठित करने तथा मांगों को समर्थन देने का था। एयरइंडिया में सेवा निवृत्ति की आयु के सम्बन्ध में पुरुषों के विमान परिचालिकाओं के साथ किए जा रहे भेदभाव के विरुद्ध उनके संघर्ष में सीआईटीयू और एआईसीसीडब्लू द्वारा उनकी समर्थन दिया जाना था, इस संघर्ष को बंगलौर में अधिकृत सार्वजनिक क्षेत्रों की कामकाजी महिलाओं का कन्वेन्शन सार्वजनिक क्षेत्रों के संघर्षों में तथा निजीकरण के विरुद्ध कामकाजी महिलाओं को संगठित करने की दिशा में एक आगे की ओर बढ़ा हुआ कदम था।

१३६. इस काल में आंगनबाड़ी महिलाओं का संघर्ष एक महत्वपूर्ण घटना थी। दिल्ली में २२ और २३ अप्रेल १९८६ को आंगनबाड़ी महिलाओं का अखिल भारतीय कन्वेन्शन तथा उसके बाद वोट क्लब पर उनकी रैली सारे देश के स्तर पर महिलाओं के इस हिस्से को संगठित करने की एक सफल कार्रवाई थी। १० जुलाई को मांग-दिवस के रूप में मनाने का जो कार्यक्रम कन्वेन्शन में लिया गया उसपर अधिकांश राज्यों ने सफलता के साथ पालन किया। कन्वेन्शन में आंगनबाड़ी महिलाओं के एक अखिल भारतीय फेडरेशन के निर्माण का भी निर्णय लिया गया और इस उद्देश्य के लिये एक तैयारी समिति भी गठित की गयी। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री से मांगपत्र को लेकर एक प्रतिनिधिमण्डल भी मिला। ७ अगस्त १९९० को दिल्ली में एक और अखिल भारतीय प्रदर्शन संगठित किया गया। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के मन्त्रियों को फिर मांग पत्र दिया गया। उदयपुर में ५,६ जनवरी १९९१ को हुए स्थापना सम्मेलन में फेडरेशन का गठन किया गया। अब दूसरी ट्रेड यूनियनें आगनबाड़ी महिलाओं की मांगों के लिये सीआईटीयू के पास संयुक्त आंदोलय की खातिर आ रही हैं।

१३७. फिर भी उपरोक्त रिपोर्ट से आशा नहीं करना चाहिये कि कामकाजी महिलाओं के मोर्चे पर हमारा काम बहुत आगे बढ़ गया है या कि हमलोग बहुत संगठित ढंग से इस मोर्चे पर काम कर रहे हैं। हकीकत यह है कि संघर्षों में हिस्सेदारी की महिलाओं की बढ़ती हुई इच्छा के बावजूद हमारी बहुत सी राज्य कमेटियों ने

कामकाजी महिलाओं की राज्य समन्वय समितियों का गठन नहीं किया है। आसाम, बंगाल, त्रिपुरा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि इस बात के उदाहरण हैं। हम लगातार इस बात की ओर ध्यान दिलाते रहे हैं कि कामकाजी महिलाएं श्रमशक्ति का एक महत्वपूर्ण भाग हैं तथा यह श्रम शक्ति कमजोर हिस्सों से सम्बन्ध रखता है। वे श्रम-शक्ति के सबसे अधिक शोषित हिस्सों में हैं। यही हिस्सा छंटाई और हमलों का सबसे पहला शिकार होता है। इसके अलावा मजदूर वर्ग की आम मांगों के अलावा इनकी अपनी खास मांग और समस्याएं होती हैं जिनका समाधान मालिकों के विरुद्ध ट्रेड यूनियन आंदोलन के जरिये ही किया जा सकता है न कि एआईडीडब्ल्यूए द्वारा जैसी कि धारणा कुछ राज्यों में है। उनकी समस्याओं का समाधान राज्य कमेटियों और यूनियनों द्वारा चलाये जानेवाले आम ट्रेड यूनियन आंदोलन से नहीं हो सकता। यह बिल्कुल आवश्यक है कि राज्य और यूनियन स्तर पर सीआईटीयू के निर्देशन में और देखरेख में समन्वय समितियों का निर्माण हो। मैं आशा करता हूं हमारी सभी राज्य कमेटियां इस दिशा में सकारात्मक अग्रगति हासिल करेंगी।

धोखेभरी मूल्य सूचकांक शृंखला

१३८. कमरेड, बम्बई सम्मेलन में हमने १९८२ पर आधारित नये उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार किया था, जो शीघ्र ही लागू होने वाला था। हमने ट्रेड यूनियनों के साथ पूरी तरह बातचीत किये बिना इसके जारी करने के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन की मांग की थी, क्योंकि इसकी तैयार करने का तरीका धोखाभरी और दोषपूर्ण थी। इसके अलावा यह १९६० की शृंखला पर आधारित था जिसे खुद आठ बिंदुओं के सुधार की जरूरत थी। इसप्रकार इससे मजदूरों को डीए के मामले में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कांग्रेस (इ) सरकार ने मजदूरों के वेतन पर हमला करने की नयी विधि के रूप में इस नयी शृंखला को लाने का निर्णय लिया था चूंकि मजदूर उपभोक्ता-मूल्य सूचकांक तथा डीए के निर्धारण की गणना पद्धति से अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं इसलिये यह हमने यह निर्णय किया कि सीआईटीयू को इस सम्बन्ध में एक पुस्तिका का प्रकाशन करना चाहिये। कामरेड पंधे द्वारा लिखित पुस्तिका का प्रकाशन किया गया। कुछ आंदोलन तथा इसी तरह कुछ त्रिपक्षीय बैठकें हुईं। लेकिन ट्रेड यूनियनों के सारे विरोध के बावजूद, जब १९८८ में नयी शृंखला लायी गयीं सारे आंदोलन ठप हो गये। एनसीसी, जो कि आंदोलनों की अगुवाई कर रही थी, मांग खड़ी हुई। यहां तक कि सेक्रेटरियट के द्वारा बार-बार जोर दिये जाने कि बावजूद सीआईटीयू भी आंदोलन नहीं कर सकी। सिर्फ २१ अप्रेल १९८९ को प्रतीकात्मक विरोध दिवस मनाया गया। सिर्फ महाराष्ट्र राज्य सीटू ने १७ मई १९८९ को एक सफल हड़ताल की। यद्यपि आत्मालोचना करनी होगी कि मजदूर वर्ग का इस बात के प्रति जाग्रत करके कि उन्हें कितना भारी नुकसान हो रहा है, हम मजदूर वर्ग के प्रति न्याय करने में असफल रहे हैं, जबकि वे वेतन वृद्धि तथा इसके विरुद्ध होने वाले किसी भी हमले के विरुद्ध जुझारू संघर्षों में हमेशा शरीक होते रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारे राज्य तथा यूनियन नेताओं को अगर दूसरी यूनियन साथ नहीं देतीं तो इस दिशा में फिर से स्वतन्त्र कार्रवाई के जरिये नये सिरे से कोशिश करनी चाहिये।

ट्रेड यूनियनों में अल्पसंख्यक

१३९. कामरेड! हम विगत कई वर्षों से इस सवाल पर जोर देते रहे हैं। बम्बई सम्मेलन में भी कामरेड बीटीआर ने धार्मिक और अन्य अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा में हमारी कमजोरियों की ओर ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने दिल्ली में सिख-विरोधी दंगों तथा महाराष्ट्र में हुए दंगों आदि का जिक्र किया था, जहां हमारी ट्रेड यूनियनें अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में असफल रहीं। उन्होंने पश्चिम बंगाल केरल और त्रिपुरा का भी उदाहरण दिया जहां हमारी राज्य कमेटियां तथा यूनियनें स्थिति की जरूरत के अनुरूप काम करती हैं। और अब ताजा साम्प्रदायिक और जातीय दंगों ने फिर हमारी कमजोरियों को उद्‌घाटित कर दिया है। हमने पहले इस विषय में विस्तार से चर्चा की है।

१४०. कुछ सकारात्मक काम भी हुए हैं। आसाम, त्रिपुरा, पंजाब, केरल और कर्नाटक की रिपोर्ट से पता चलता है कि हमारी राज्य कमेटियों में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों की श्रमशक्ति को संगठित करने तथा पूरे जोर के साथ उन्हें ट्रेड यूनियन आंदोलन में शामिल करने तथा उनकी विशेष समस्याओं और मामलों को उठाने का काम शुरू किया है। मैं आशा करता हूं कि सभी राज्य कमेटियां इस सवाल को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में हुई प्रगति के सम्बन्ध में रिपोर्ट देंगी।

किसानों के साथ एकजुटता

१४१. कामरेड! हमारी सबसे नजदीकी सहयोगी शक्ति, किसान और खेतीहर मजदूर अपनी महत्वपूर्ण मांगों, जैसे भूमि सुधार लाभकारी मूल्य, बेरोजगारी के विरुद्ध खेतीहर मजदूरों के लिये एक केन्द्रीय कानून न्यूनतम वेतन, बेदखली के खिलाफ हदबन्दी कानूनों के चोर-दरवाजों को बन्द करने आदि के लिये लगातार संघर्षरत हैं। बम्बई सम्मेलन के बाद उन्होंने एकजुट होकर १९८७ और १९८८ में बड़े संघर्ष किये। १९८८ में किसानों और खेतीहर मजदूरों के एकजुट संघर्ष ने और विस्तार लिये। जब चार वामपंथी पार्टियों ने अपने किसान तथा खेतीहर मजदूरों को एक साथ संगठित किया। उस समय देशव्यापी स्तर पर भूमि दखल की गयी तथा देशभर में लाखों की संख्या में गिरफ्तारियां दी गयीं। हमारी सभी राज्य कमेटियों ने उनके संघर्षों में सक्रिय भागीदारी हजारों की संख्या में उनके साथ गिरफ्तारी देकर तथा आर्थिक और भौतिक मदद देकर उनको शानदार समर्थन दिया। पंजाब से लेकर केरल, आसाम,

त्रिपुरा, बंगाल और महाराष्ट्र की राज्य कमेटियों की रिपोर्ट से पता चलता है कि हमारे मजदूरों ने उन संघर्षों में हिस्सा लिया था। देश में जुझारू मजदूर-किसान गठजोड़ निर्मित करने के हमारे प्रयासों का यह एक अच्छा प्रदर्शन था।

१४२. इस काल में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के सत्ता में आने के बाद कुछ अच्छे कदमों की शुरूआत की गयी। खेतीहर मजदूरों पर एक अखिल भारतीय सेमिनार में सरकार खेतीहर मजदूरों के लिये एक केन्द्रीय कानून बनाने की बात पर सहमत हो गयी। एक नयी कृषि नीति पर विचार किया जाने लगा और भूमि-सुधार कानूनों को संविधान की नौवीं सनुसूची में शामिल करने का वादा किया गया। लेकिन सरकार के पतन के बाद परिस्थिति बदल गयी है। किसान और खेतीहर मजदूर नये संघर्षों के लिये कमर कस रहे हैं। हमारी सभी राज्य कमेटियों को उनके साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़ा होना चाहिये और उनके जारी संघर्षों को अपना पूरा समर्थन देना चाहिये।

प्रबन्धन में मजदूरों की भागीदारी

१४३. कामरेड! जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने प्रबन्धन में मजदूरों की भागीदारी से सम्बन्धित विधेयक पेश किया था। यह इस विषय के सम्बन्ध में जनवरी १९९० में हुए राष्ट्रीय सेमिनार का फल था। लेकिन विधेयक सेमिनार के निष्कर्षों को पूरी तरह प्रतिबिम्बित नहीं करता था। विधेयक में बोर्ड स्तर पर मजदूरों के समान संख्या में प्रतिनिधित्व के निर्णय को भी छोड़ दिया गया था। यह मालिकों के विरोध के चलते हुआ था जिन्होंने सेमिनार के बाद ही हुए इंडिया लेबर कांफ्रेंस में स्पष्ट तौर पर अपना रुझान जाहिर कर दिया था। तथापि हमने विधेयक में अपने संशोधनों को पेश किया है। जो दो महत्वपूर्ण संशोधन हमने दिये हैं वे हैं बोर्ड स्तर पर समान संख्या में मजदूरों का प्रतिनिधित्व तथा सभी स्तरों पर गुप्त मतदान द्वारा मजदूरों का प्रतिनिधित्व।

१४४. लेकिन सरकार के पतन के बाद विधेयक का भविष्य अनिश्चित हो सकता है। कांग्रेस(इ) के समर्थन पर आसीन चन्द्रशेखर सरकार हमारे संशोधनों को खारिज कर सकती है। चूंकि सभी स्तरों पर मजदूरों की भागीदारी तथा गुप्त मतदान द्वारा प्रतिनिधित्व की हमारी मांगें लम्बे अर्से से चली आ रही मांगें हैं इसलिये हमारी सभी यूनियनों द्वारा इन मांगों की खातिर अपने संघर्षों को तेज करना आवश्यक है।

नया औद्योगिक सम्बन्ध कानून

१४५. सिर्फ इंटक को छोड़ कर पूरे ट्रेड यूनियन आन्दोलन के लगातार संघर्ष के चलते राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के श्रममन्त्री ने इंडियन लेबर कानफरेंस में राजीव सरकार द्वारा लाये गये प्रतिगामी औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक को वापस लेने की घोषणा की थी। इसके साथ ही इंटक के रामनुजम की अध्यक्षता में नये औद्योगिक सम्बन्ध कानून की सिफारिश करने के लिये एक द्विपक्षीय कमेटी का गठन किया गया। कामरेड एम के पंधे और कामरेड पी के गांगुली सीआईटीयू की तरफ से सदस्य तथा विकल्प सदस्य थे। इस द्विपक्षीय कमेटी की कई बैठकें हुई लेकिन यह किसी भी सर्वसम्मत राय पर पहुंचने में असमर्थ रही। मालिकों के प्रतिनिधि मजदूरों की हड़ताल के अधिकार तथा अन्य ट्रेड यूनियन अधिकारों पर रोक लगाने के लिये और कड़े प्राविधान चाहते थे तथा मिल बंदी तथा तालाबन्दी आदि के अपने अधिकारों को जोर से स्थापित करना चाहते थे। हमने इसका विरोध किया और मौजूदा कानूनों में सुधार की मांग की ताकि मजदूरों के हड़ताल के अधिकार, सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार पर हमला न हो सके। हमने तालाबंदी और हड़ताल को एक ही तराजू में तौलने से इंकार कर दिया। हम मिलबंदी के मालिकों के अधिकार पर रोक लगाना चाहते थे। रामानुजम द्वारा रखी गयी अंतिम रिपोर्ट एक पक्षीय थी और इसमें हमारे पक्ष को ठीक से नहीं रखा गया था। वामपंथी ट्रेड यूनियनों, सीआईटीयू, एआईटीयूसी, यूटीयूसी, टीयूसीसी और यूटीयूसी (एलएस) ने रिपोर्ट से असहमति व्यक्त करते हुए संयुक्त रूप से अपनी असहमति को नोट कराया।

१४६. इसी समय राष्ट्रीय मोर्चा के श्रममन्त्री ने यह घोषणा की कि वे ट्रेड यूनियनों को मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में संसद में एक विधेयक लायेंगे। यह भी हमारी बहुत पुरानी मांग रही है। लेकिन सरकार के पतन के बाद द्विपक्षीय कमेटी के सुझाव हमारी असहमति के नोट सहित तथा गुप्त मतदान के जरिये मान्यता सम्बन्धी विधेयक भी अधर में लटक गये हैं। इन्टक ने अभी से नयी श्रम नीति के लिये नये सिरे से अभियान शुरूकर दिया है। हमें भी इस सम्बन्ध में हमारी मांगों को मनवाने के लिये सघर्षों को तेज करना होगा।

कपड़ा और जूट उद्योग

१४७. कामरेड! हम समस्याओंसे जर्जरित कपड़ा और जूट उद्योग पर अपनी सभी बैठकों तथा सम्मेलनों में चर्चा करते रहे हैं। कामरेड बीटीआर ने इन उद्योगों पर विशेष रूप से जोर दिया था ताकि हम इन उद्योगों को बचाने के लिये अपने संघर्षों को तेज कर सकें। बम्बई सम्मेलन के बाद हमने कपड़ा उद्योग के मजदूरों को संगठित करने तथा उन्हें संघर्ष में उतारने की दिशा में कुछ अग्रगति हासिल की है। कल्याणी में हुई वर्किंग कमेटी की बैठक में कामरेड पी के गांगुली द्वारा कपड़ा उद्योग पर तैयार की गयीं विस्तृत रिपोर्ट को रखा था। हमने पहले दूसरी ट्रेड यूनियनों के साथ संयुक्त आंदोलन करने की कोशिश की। हमने इंटक से भी कहा। लेकिन अंत में सिर्फ एआईटीयूसी एचएमएस और यूटीयूसी ने ही हमारे प्रस्ताव को स्वीकारा। कानपुर में अक्तूबर १९८८ में एक संयुक्त कन्वेंशन का आह्वान किया गया। इसके अलावा कपड़ा

उद्योग बचाओ दिवस पालन करने तथा १ लाख से अधिक हस्ताक्षर संग्रह करके पीटिशन कमेटी को भेजने के कार्यक्रम भी हुए। लेकिन उनमें दूसरी ट्रेडयूनियनों की भागीदारी उत्साहजनक नहीं थी। जो १ लाख २० हजार हस्ताक्षर संग्रहित किये गये उसमें ८८,००० से अधिक सीआईटीयू संग्रहित किये थे। इसके बाद हमने अप्रेल १९८९ में दिल्ली में अपनी यूनियनों की एक अखिल भारतीय बैठक बुलायी और यह निर्णय लिया कि हम स्वतन्त्र रूप में अपने कार्यक्रम करेंगे। उद्योग के सभी क्षेत्रों, हैंडलूम, पावरलूम, एनटीसी मिलों के लिये एक विस्तृत मांगपत्र बनाया गया जिसमें कपड़ा उद्योग के के राष्ट्रीयकरण करने की केन्द्रीय मांग भी शामिल थी। जैसा कि तय किया गया था हमने पावरलूम मजदूरों का एक अलग कन्वेंशन शोलापुर में तथा हैंडलूम और एनटीसी मजदूरों का कन्वेंशन दिल्ली में किया तथा प्रधानमन्त्री निवास के सामने करीब ३००० मजदूरों का विशाल प्रदर्शन किया। पिछले चुनावों के बाद हमने अपने कार्यक्रमों में फिर जान फूंकी। हमारे समन्वय समिति का निर्माण किया गया। कानपुर में जनरल कौंसिल की मीटिंग के वक्त, समन्वय समिति की बैठक बुलायी गयीं। बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार सप्ताह व्यापी मांग दिवस का पालन किया गया। लेकिन कपड़ा उद्योग की समस्या गहराती जा रही है। उद्योगों का बंद होना आम बात हो गयी है। पावरलूम मजदूरों को बहुत कम कम वेतन मिलता है तथा वे सभी श्रम कानूनों से वंचित हैं। हैंमलूम क्षेत्र भी यही हाल है जहां मजदूरों की दरिद्रता बढ़ती जा रही है।

एनटीसी की अधिकांश मिलें बीमार हैं और उनपर बन्द होने की खतरा मडरा रही है। सरकार कुछ एनटीसी मिलों को एक साथ मिलाने की योजना बना रही है। राज्यों की रिपोर्ट से पता चलता है कि सभी क्षेत्रों के मजदूर संघर्ष कर रहे हैं। हमें अखिल भारतीय स्तर पर अपने संघर्षों को इस उद्योग में तेज करना होगा। समन्वय समिति को नियमित रूप से मिलना चाहिये ताकि संघर्षों को आगे बढ़ाया जा सके। हमें अपनी स्वतन्त्र कार्रवाइयों के बढ़ाने के साथ ही साथ, लेकिन दूसरी ट्रेड यूनियनों के साथ संयुक्त आंदोलनों को भी समान रूप से चलाना होगा।

१४८. इसी तरह चटकल उद्योग जो आज भी २५० करोड़ रुपये की वार्षिक विदेशी मुद्रा की आय का श्रोत है तथा घरेलू बाजार में जूट उत्पादों के कुल उत्पादन का लगभग ६० फी सदी खपा सकती है, एक गम्भीर संकट में है—कुछ जूटशाहों की अनुचित मुनाफाखोरी के चलते। बढ़ती हुई मिल बन्दी तथा रेशनेलाइजेशन और आधुनिकीकरण के जरिये मजदूरों की संख्या में लगातार कटौती इस उद्योग की आम बात हो गयी है। पैकेजिंग मेटेरियल के रूप में सिंथेटिक फाइबर के आयात की अनुमति देने की सरकार की नीति ने स्थिति को और भी बिगाड़ दिया है। जूट फाइबर की जगह सिंथेटिक फाइबर के प्रयोग के चलते ४० लाख जूट उत्पादकों की स्थिति दयनीय हो गयी है। प्लास्टिक के थैलों को चालू करने की कोशिशों ने स्थिति को और भयावह दिया है। सरकार द्वारा अधिग्रहण न करने की नीति से उत्साहित होकर मिल मालिकों ने मिलबन्दी के जरिये सुनियोजित ढंग से हजारों मजदूरों को सड़क पर फेंक दिया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने से इंकार करने से उत्साहित होकर वे मिलों को फिर से खोलने के लिये मजदूरों पर अपमानजनक शर्तें आरोपित कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में हजारों चटकल मजदूर, बंगाल चटकल मजदूर यूनियन, आल इंडिया जूट वर्कर्स फेडरेशन तथा पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार भी यह मांग करती रही है कि जूट उद्योग का सम्पूर्ण राष्ट्रीयकरण किया जाय। इसमें पाट की खरीददारी से लेकर जूट उत्पादों के निर्माण और घरेलू तथा विदेशी बाजार में उनकी बिक्री तक शामिल हो। इस मांग की खातिर बीसीएमयू ने बड़े बड़े संघर्ष किये हैं। फेडरेशन के द्वारा इस संघर्ष को अखिल भारतीयस्तर तक ले जाना होगा।

वाम मोर्चा सरकारों को समर्थन

१४९. कामरेड! बम्बई सम्मेलन के बाद हमारी वाम मोर्चा सरकार काफी उथल-पुथल से गुजरी है। त्रिपुरा सरकार को कांग्रेस(इ)-टीयूजेएस के गुंडागिरोह ने हड़प लिया। वहां हमारे कामरेड जनतन्त्र की पुनर्स्थापना और अर्द्धफासिस्ट आतंक के विरुद्ध जीवन-मरण का संग्राम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल और केरल की सरकारों को अपनी शानदार विजय के बाद कांग्रेस(इ) द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही है, उनके विरुद्ध कुत्सा तथा भेदभाव जारी है।

१५०. इस काल में पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार द्वारा अपनी दीर्घकाल से लम्बित ५ सूत्री मांगों जिनमें हल्दिया पेट्रोकेमिकल, बक्रेश्वर विद्युत परियोजना को स्वीकृति देना भी शामिल है, को लेकर चलाया गया आन्दोलन काफी महत्वपूर्ण घटना थी। लगातार अभियान, बोट क्लब पर धरना, बगाल बन्द आदि में केन्द्र की कांग्रेस(इ) सरकार द्वारा किये जा रहे भेदभाव के प्रति जनता के ध्यान को आकर्षित किया। यह एक अभूतपूर्व दृष्टान्त है, जब पूरा मन्त्रिमंडल, विधायक, सांसद राजधानी में अपनी मांगों के लिये एक साथ इकट्ठे हुए। बाद में केरल ने भी ऐसा ही किया।

१५१. पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार तथा केरल की वाम जनवादी मोर्चा सरकारों ने केन्द्रीय सरकार के भेदभाव के के विरुद्ध तथा राज्यों को और अधिक धन देने तथा केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को बदलने की मांग पर मजदूरों के व्यापक हिस्से को लामबन्द किया। इसके बाद १९९० में कलकत्ता नगर निगम के चुनावों में वाम मोर्चा सरकार ने शानदार विजय हासिल की। केन्द्र में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के आने के बाद केन्द्र-राज्य संबंधों में स्वागतयोग्य परिवर्तन हुए। लेकिन, चन्द्रशेखर के आने से स्थितियों में परिवर्तन का खतरा फिर पैदा हो गया है। पूंजीपति-

जमीन्दारपरस्त संविधान की सीमाओं के बावजूद पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार और केरल की वाम जनवादी मोर्चा सरकार का जनतन्त्र, राष्ट्रीय एकता और जनता के हितों की रक्षा में उनकी शानदार उपलब्धियों के लिये हम उनका अभिनन्दन करते हैं। हमारी सभी यूनियनों को अपने सभी राज्यों में वर्गीय नजरिये से इन सरकारों के प्रति अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में समर्थन जाहिर करना चाहिये और इनकी रक्षा के लिये संघर्ष करना चाहिये।

सरकारी कर्मचारियों का संघर्ष

१५१. इस काल में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संघर्ष ने कोई उल्लेखनीय अग्रगति हासिल नहीं की। यद्यपि पश्चिम बंगाल में उनका आंदोलन उनकी दो खास मांगों को लेकर काफी अच्छा रहा है। इनमें पहली मांग संविधान की धारा ३१० और ३११(२)(ए)(ब)(सी) जो मालिकी-गुलाम सम्बन्धों की आभास देती है और इस मनमानी नीति का सहारा लेकर अधिकारी किसी भी कर्मचारी को बिना कोई कारण बताये और उसे बचाव का कोई मौका दिये बगैर बरखास्त कर सकता है तथा उनकी दूसरी मांग अधिकृत सार्वजनिक क्षेत्रों के कर्मचारियों के बराबर मांग से संबंधित है। आसाम तथा दूसरे राज्यों में भी कुछ आन्दोलन काफी अच्छे हुए। कुछ कट्टर सुधारवादी नेताओं के चलते सभी राष्ट्रीय आंदोलनों और हड़तालों में उनकी हिस्सेदारी बहुत निराशाजनक रही। भारत बन्द के समय, यद्यपि कनफेडरेशन ने इसका समर्थन दिया था, लेकिन वे इसमें हिस्सा लेने में असमर्थ रहे। कुछ विभागों में एक छोटा जुझारू तबका संघर्षों में नयी जान फूंकने के लिये कड़ी मेहनत कर रहा है। सीआईटीयू तथा एनसीसी इन कर्मचारियों को जिनकी संख्या ३५ लाख के ऊपर है, को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के अन्दर, खास कर काम के अधिकार के लिये संघर्ष में शामिल करना चाहता है। उन्होंने दुर्गापुर कनवेंशन में भी हिस्सा लिया था।

१५२. लेकिन ६५ लाख राज्य सरकारी कर्मचारियों ने आल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाइज फेडरेशन के नेतृत्व में हड़ताल सहित जुझारू आंदोलन किये। संविधान की उपरोक्त प्रतिगामी धाराओं को हटाने सहित उनकी अन्य मुख्य मांगें थीं, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर बेतन और केन्द्रीय सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को कोष कों हस्तांतरित करना। बहुत से राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु आदि में जुझारू हड़ताल संघर्षों के जरिए बराबर बेतन की मांग की हासिल करने में वे सफल रहे। तमाम धमकियों के बावजूद उन्होंने भारत बन्द में हिस्सा लिया। वे काम के अधिकार पर बनी स्टीयरिंग कमेटी में भी हैं। सीआईटीयू उनके संघर्षों को पूरा समर्थन दे रही है।

तकनीक के प्रति ट्रेड यूनियनों का नजरिया

१५३. कामरेड! हमने अभी तक तकनीकी परिवर्तनों के चलते हमारे मजदूरों और यूनियनों को जिन समास्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उस पर गहराई से विचार नहीं किया है। आधुनिकीकरण-कम्प्यूटरीकरण और नयी तकनीक के अभियानों के चलते यह जरूरी हो गया है कि हम उद्योगों और ट्रेड यूनियन आंदोलन पर इनसे पड़ने वाले प्रभाव पर गहराई से विचार करें। विश्व के स्तर पर नयी तकनीक के विकास ने तकनीक के प्रति कई नीतिगत समस्याओं को खड़ा कर दिया है। ट्रेड यूनियन आंदोलन को एक सही तकनीक नीति को अपनाना होगा जिससे लोगों के जीवनस्तर में सुधार हो सके तथा जो मजदूर वर्ग तथा लोगों के हितों की भी रक्षा कर सके। नयी तकनीक ने खासकर तीसरी दुनिया के देशों के लिये इसके प्रति नजरिये को लेकर कई समस्याएं खड़ी कर दी हैं। मजदूर वर्ग और लड़ाकू ट्रेड यूनियनें तकनीक के नाम का ही विरोध करती हैं, जैसा कि शासक वर्ग द्वारा अभियोग लगाया जा रहा है। यह बात लेकिन सही नहीं है।

१५४. बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जो कि प्रायः सभी नयी तकनीकी खोजों तथा पेटेन्ट नियन्त्रण रखती हैं वे तकनीक को देने के लिये अनाप-शनाप दाम वसूल करती हैं।

इसके परिणामस्वरूप विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के देशों के लिये अपनी सस्ती मजदूरी की दरों के बावजूद बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की तकनीक से प्रतियोगिता में टिकना मुश्किल हो गया है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जब तकनीक देती हैं तो बहुत सी उसके अन्दर की सामग्रियों को अपने हाथ में रख लेती है और इस तरह विकासशील देशों को इन उत्पादों के लिये अपने पर निर्भर बनाये रखती है और उसके एवज में अपना हिस्सा वसूल लेती हैं। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय कम्पनियां विकासशील देशों को नवीनतम तकनीक का निर्यात नहीं करती हैं बल्कि वे द्वितीय या तीसरे दर्जे की उस तकनीक को देती हैं जिसे वे खुद या तो छोड़ने वाली होती हैं या छोड़ चुकी होती हैं। बहुधा तकनीक को देने के नाम पर ऐसे उपकरणों और पुर्जों को दिया जाता है जो विकासशील देशों की परिस्थिति के अनुरूप नहीं होते। इससे तकनीक का इस्तेमाल या तो लाभ-दायक ढंग से नहीं हो पाता है या बहुत ही महंगा पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, कोयला उद्योग में भारी मात्रा में उपकरण बेकार पड़े हैं, क्योंकि भारत की भौगोलिक खनन परिस्थितियों से उस तकनीक और उपकरण का मेल नहीं बैठ रहा है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का अनुभव साफ तौर पर बताता है कि उपकरणों और मशीनों पर काफी दाम अदा करने पर भी वह संयंत्र कभी भी उत्पादन की स्थापित दर को हासिल नहीं कर पाया है।

१५५. नयी तकनीक के प्रवेश से आम तौर पर भारी संख्या में अतिरिक्त श्रमशक्ति पैदा हो जाती है। हर नयी तकनीक के साथ बेरोजगारी बढ़ती है। मजदूर वर्ग के प्रतिरोध के दबाव से

यद्यपि मजदूरों की छंटाई नहीं हो पाती है, तथापि स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति के उपायों और प्राकृतिक रूप से कमी के सिद्धांतों के आधार पर खाली होने वाले पदों को न भरके मालिक मजदूरों की संख्या को काफी कम करने में सक्षम होते हैं। तकनीकी अग्रगति के साथ ही, उत्पादक क्षमता भी बढ़ायी जाती है तो मजदूरों को उत्पादन के विस्तारित कार्यक्रम में कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ मुनाफे के उद्देश्य से प्रेरित मालिक नयी तकनीक के आने से मजदूरों के सामने पैदा होने वाली समस्याओं पर विचार नहीं करता है। देश में बेरोजगारों की भारी संख्या के कारण, बाजार दिन प्रति दिन सिकुड़ता जा रहा है तथा नयी तकनीक से यदि अधिक माल का उत्पादन भी हो जाये तो उसके लिये बाजार नहीं मिल पाता है। इसीलिये पुनः उत्पादन में कटौती करनी पड़ती है। और अधिक बाजार के उपलब्ध न होने की दशा में, नयी तकनीक अक्सर उद्योग में अप्रयुक्त क्षमता को बढ़ाने में ही मदद देती है जो देश के आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचाती है। आधुनिकीकरण के बाद मजदूरों की पुनर्नियुक्ति मजदूरों के लिये एक बहुत ही कष्टदायी प्रक्रिया हो जाती है। अत्यंत दक्ष मजदूरों को अकुशल मजदूरों का काम सौंप दिया जाता है तथा उन्हें नयी उत्पादन प्रक्रिया के निचले स्तर पर डाल दिया जाता है जो उनकी दक्षता के स्तर पर बुरा असर डालती है।

१५६. इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पहलू है। तकनीकी परिवर्तनों से मजदूर वर्ग की संरचना में भी बदलाव आता है। कुशल और अत्यन्त कुशल मजदूरों का एक नया समुदाय तैयार हो गया है। वर्गीय दृष्टि से हमें यह खोज करनी होगी कि उन मजदूरों को हमारी यूनियनें ट्रेड यूनियन संघर्ष में कितना ला पायी हैं तथा आन्दोलनों के जुझारूपन को बनाये रख पायी है।

१५७. बहुराष्ट्रीय कम्पनियां बहुधा विकासशील देशों में ऐसी तकनीकें भर दिया करती हैं जो वास्तव में उन देशों को जरूरत नहीं होती है। उस तकनीक के बिना ही विकासशील देश अपनी आबादी के काफी बड़े हिस्से को लाभजनक कामों में लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर साबुन, माचिस, बिस्कुट आदि के उत्पादन में अत्यन्त आधुनिक तकनीक की देश के विकास के लिये कोई जरूरत नहीं है। इस तकनीक के बिना ही भारत का काम चल सकता है तथा हमारे पास जो इतने कम संसाधन हैं, उनका इंजीनियरिंग, इस्पात, तेल तथा अन्य क्षेत्रों के भारी उद्योगों के निर्माण में उपयोग किया जा सकता है।

१५८. नयी तकनीक के आगमन ने विकासशील देशों के मजदूर और अवाम के लिये अनेक मुसीबतें भी लायी हैं। शोध कार्य से यह स्थापित हो चुका है कि कम्प्युटरीकृत उपकरणों में वीडियों प्रदर्शन से निकलने वाली कैलोड किरणें उनपर काम करने वाले लोगों की आंखों पर गम्भीर असर डालती हैं। ये किरणें गर्भवती औरतों को भी प्रभावित करती हैं और नवजात शिशुओं में इनसे शारीरिक विकृतियां पैदा हो जाती है। इंगलैंड, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों में ट्रेड यूनियन आंदोलनों ने संयुक्त रूप से यह मांग की है कि इन मशीनों पर गर्भवती औरतों से काम नहीं लिया जाना चाहिये। कम्पन, भारी आवाज, अतिरिक्त ताप तथा धूल के उत्पादन से मजदूरों को कई स्वास्थ्य सम्बन्धी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। फिर भी नयी तकनीक के साथ उचित रूप में सुरक्षात्मक उपकरणों को नहीं लाया जाता है। इसने पेशे से जुड़ी बीमारियों को बढ़ा दिया है और अब यह पूरी तरह से साबित हो चुका है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनिया खुद अपने देश में जिन सुरक्षा उपायों का प्रयोग करती हैं विकासशील देशों में तकनीक को भेजने के वक्त उन सुरक्षा उपायों को साथ में नहीं भेजती हैं। पेशे से जुड़ी इन मुसीबतों के अलावा परिवेश, प्रदुषण, वातावरण आदि के अध्ययन की भी जरूरत है।

१५९. जिन चीजों में स्वदेशी तकनीक उपलब्ध है उनमें बिना सोचे-समझे ढंग से नयी तकनीक को लाने से स्वदेशी तकनीक के विकास को नुकसान पहुंचता है जिसके परिणामस्वरूप विकासशील देश विकसित देशों पर अधिक से अधिक निर्भर होते चले जाते हैं। इसीलिये अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता को हासिल करने के लिये यह निर्विवाद है कि स्वदेशी तकनीक का विकास किया जाय और जहां स्वदेशी तकनीक उपलब्ध है वहां विदेशी तकनीक को न घुसने दिया जाय। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की तरह के प्रमुख संगठनों के प्रभावशाली ढांचे के बावजूद, जिसका इस उद्देश्य से निर्माण किया गया था कि औद्योगिकीकरण के लिये विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल की जायेगी, उसके विशाल संसाधनों तथा क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हमारी बहुत सी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संगठनों की क्षमताओं का इस उद्देश्य के लिये पूरी तरह इस्तेमाल किया गया हैं। इसीलिये ट्रेड यूनियन आंदोलन जिस चीज का विरोध करता है वह नयी तकनीक नहीं बल्कि उस नीति का विरोध है जो मनमाने तथा बिना सोचे-समझे ऐसी तकनीक को लाती है जिससे हमारी आत्मनिर्भरता खतरे में पड़ जाती है औद्योगिक विकास तथा स्वदेशी तकनीक का विकास धीमा हो जाता है, नौकरी की सुरक्षा और सम्भावना पर खतरा पैदा हो जाता है, बचाव और सुरक्षात्मक उपायों की अवहेलना होती है। केन्द्र की विभिन्न सरकारें आईएमएफ और विश्व-बैंक के दबाव के सामने घुटने टेकते हुए इसी नीति पर चल रही है।

१६०. ट्रेड यूनियन आंदोलन को इसीलिये इस बात की गारंटी करनी चाहिये कि तकनीक का चुनाव उपरोक्त समझदारी के आधार पर हो तथा तकनीक का चुनाव देश के आर्थिक विकास की जरूरतों के अनुरूप हो तथा जो जनता के हितों की रक्षा करे। यह सब ट्रेड यूनियनों के साथ सलाह मशविरा करके तय किया जाना चाहिये। इन मामलों में ट्रेड यूनियनों की बातों का पूरा वजन

होना चाहिये। जब तक देश में बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न करने के कार्यक्रम के साथ नयी तकनीक लाने का कार्यक्रम नहीं लाया जाता है तब तक नयी तकनीक के लाने से विकासशील देशों को कोई मदद नहीं मिलेगी।

१६१. इस मामले पर हमने राज्य कमेटियों को एक प्रश्न पत्र भेजा था। सिर्फ असम, पंजाब और केरल ने उसका उत्तर दिया है। यद्यपि, सभाओं और पत्रिकाओं में रोजगार पर इनसे पड़ने वाले असर के बारे में प्रचार किया जा रहा है, किन्तु किसी भी प्रकार का उपयुक्त अध्ययन नहीं किया गया है। केरल में दक्ष मजदूर सदस्यता के लिये सीआईटीयू के पास आ रहे हैं। इस बात पर विचार किया जाना चाहिये और भविष्य के काम तथा जरूरी अध्ययन को शुरू करना चाहिये और मजदूरों को इसके बारे में शिक्षित किया जाना चाहिये।

झुग्गी झोंपड़ी निवासियों के लिये आवास

१६२. कामरेड! इसके पहले कि मैं किसी अन्य विषय पर जाऊं, मैं झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों के आवास के इस नये सवाल को उठाना चाहूंगा जिसे पहले कभी भी गम्भीरता से नहीं लिया गया है। हमें इस सच्चाई को देखना चाहिये कि झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों के के लिये आवास हर बीतते समय के साथ एक बहुत गंभीर समस्या बन चुका है। हमें इसे न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में सभी पूंजीवादी देशों में विकास के पूंजीवादी रास्ते की एक सबसे बड़ी बीमारी के रूप में लेना चाहिये। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बेघर लोगों के लिये घर की खातिर अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष पालन करने का आह्वान किया था। झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोग जनता के सबसे कमजोर तबके के लोग हैं। हम अपने ट्रेड यूनियन आंदोलन को सिर्फ संगठित मजदूरों तक ही सीमित नहीं रख सकते हैं। हमें इन तबकों के हितों को भी हाथ में लेना होगा, अन्यथा विभिन्न तथाकथित स्वयंसेवी संगठन। जिन्हें विदेशों से कोष मिलता है तथा जिनका सरकार समर्थन करती है, परिस्थिति का लाभ उठाकर झुग्गी झोंपड़ी निवासियों को ट्रेड यूनियन आंदोलन के खिलाफ उतार दे सकती है।

१६३. इसके अलावा हमें यह भी नोट करना चाहिये जिसे हम अक्सर भूल जाया करते हैं कि इन झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों में बहुसंख्यक हिस्सा पिछड़ी हुई जातियों का है तथा वे उद्योग के विभिन्न असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं जिन्हें हम अपने ट्रेड यूनियन आंदोलन में गोलबन्द करने की कोशिश कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये कानपुर की जनरल कौंसिल की मीटिंग में तैयार किये गये मांगपत्र में आवास की मांग को भी शामिल किया गया है। इसके लिये यह जरूरी है कि हम इस मांग को आगे बढ़ायें तथा केन्द्रीय सरकार से झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों के लिये आवास उपलब्ध कराने हेतु यथेष्ट कोष मुहैय्या कराने की मांग करें।

ट्रेड यूनियन एकता के लिये संघर्ष

१६४. कामरेड! जैसा कि आप जानते हैं ट्रेड यूनियन एकता का प्रश्न १९७० में सीआइटीयू ने अपने गठन के ठीक बाद ही एकता और संघर्ष के नारे के साथ उठाया था। हमें एकता के लिये संघर्ष करना होगा। एकता के लिये अपने संघर्ष के जरिये हम ट्रेड यूनियनों की संयुक्त परिषद (यूसीटीयू) तथा ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान कमेटी (एनसीसी) का मजदूर वर्ग के एकजुट संघर्ष के विकास के अलग-अलग चरणों में गठन कर पाये हैं।

१६५. एकजुट ट्रेड यूनियन आंदोलन के विकास में एनसीसी ने एक उल्लेखनीय भूमिका अदा की है। बम्बई सम्मेलन के बाद से एनसीसी ने मजदूरों की विभिन्न समस्याओं पर कई अभियान चलाये। मजदूर वर्ग के बीच इसकी लोकप्रियता अत्यधिक है तथा एनसीसी में जो यूनियनें शामिल नहीं हैं उन्हें भी साझा प्रश्नों पर संयुक्त आन्दोलनों में उतारने में वह सफल रही है। फिर भी एनसीसी के उदय ने कुछ समस्याएं खड़ी की है। कई उद्योगवार फेडरेशन जिनकी सदस्य संख्या एनसीसी के किसी भी घटक से ज्यादा है, यह शिकायत करते हैं कि एनसीसीकी की गतिविधियों तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी बातों को उचित महत्व नहीं दिया जाता है। यद्यपि कुछ विस्तारित बैठकें आयोजित की गयीं तथापि एनएसीसी मूलतः केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के परस्पर नजदीक आने पर ही आधारित है। उद्योगवार फेडरेशनों को इसमें दूसरा दर्जा प्राप्त है।

१६६. एनसीसी के फैसले आम तौर पर सर्वसम्मति से किये जाते हैं और यदि किसी भी संगठन का कोई विरोध होता है तो एनसीसी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाती है। उदाहरण के तौर पर बीएमएस १५ मार्च १९८८ के भारत बन्द के आह्वान से सहमत नहीं हुई थी। इसीलिये एनसीसी बन्द का अधिकृत रूप में आह्वान नहीं कर पायी। सिर्फ ६ ट्रेड यूनियनों से संयुक्त रूप से बन्द का आह्वान किया।

१६७. ऐसे भी अवसर आये हैं जब एकजुट आंदोलनों में इंटक की यूनियनों को शामिल करना सम्भव हुआ है, लेकिन एनसीसी के कुछ घटक उनमें शामिल नहीं हुए। मसलन साम्प्रदायिकता के प्रश्न पर यह मुमकिन नहीं था कि बीएमएस के साथ मिलकर हम कोई कंवेंशन आयोजित करते लेकिन केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों द्वारा आयोजित कन्वेंशनों में हम आईएनटीयूसी के साथ जरूर मिल सके। एक और अनुभव हमें यह मिला है कि कुछ मौकों पर एनसीसी के कुछ घटकों के विरोध के कारण सीधी कार्रवाई का आह्वान करना मुमकिन नहीं हुआ है। मसलन जैसा कि मैनें पहले ही कहा है, एनसीसी के आह्वान पर आयोजित असंगठित मजदूरों के कंवेंशन में एनसीसी के घटकों के विरोध के कारण सीआईटीयू ने असंगठित मजदूरों की एक दिन की औद्योगिक

हड़ताल का जो प्रस्ताव पेश किया था उसे लागू नहीं कराया जा सका।

१६८. इन सारे उतार-चढ़ावों के बावजूद यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि इस काल के दौरान एनसीसी से भी अधिक विस्तृत, लेकिन एनसीसी के सारे घटकों को लेकर सीपीएसटीयू के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के मोर्चे पर एक अखिल भारतीय एकता कायम हो पायी है। सीपीएसटीयू के जरिये एकजुट अखिल भारतीय कार्रवाइयों का विवरण में पहले ही संक्षेप में सार्वजनिक क्षेत्र पर विचार करते वक्त दे चुका हूं। ट्रेड यूनियन आन्दोलन के लिए इसके प्रभाव और परिणामों को कम करके नहीं कूता जाना चाहिये। इस एकता तथा एकजुट कार्रवाइयों के साझा संघर्ष में आईएनटीयूसी के मजदूरों को भी उतारा जा सका जबकि आईएनटीयूसी का नेतृत्व सीपीएसटीयू में शामिल नहीं हुआ था। इसने वेतन पर विचार विमर्श के दौरान प्रबन्धकों के खिलाफ आईएनटीयूसी सहित ट्रेड यूनियनों की साझा समझ को सुगम बनाया। इन एकजुट कार्रवाइयों की सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों को भी प्रेरित करने में एक भूमिका रही जिन्होंने खुद को ट्रेड यूनियन की नीतियों के आधार पर एकजुट किया तथा धरना, प्रदर्शन, व्यापक पैमाने पर छुट्टियां लेने और हड़ताल आदि के संघर्ष के मजदूरों के तरीकों को अपनाया। इससे अधिकारियों और मजदूरों के बीच की दूरी कम हुई, भाईचारे के सम्बन्ध कायम हुए और स्थिति इस स्तर तक पहुंच गयी कि ११ अक्तूबर, १६६० को सबने मिल कर संयुक्त रूप से अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया। सीपीएसटीयू को किन्तु उसके घटक द्वारा एक पक्षीय ढंग से हड़ताल वापस ले लेने तथा कुछ दूसरे घटकों के ढुलमुल रवैये के कारण हड़ताल को टाल देना पड़ा लेकिन अधिकारियों ने ११-१२ अक्तूबर को दो दिन की हड़ताल की। उस दिन अगर यह संयुक्त कार्रवाई हुई होती तो सार्वजनिक क्षेत्र में यह एक ऐतिहासिक औद्योगिक कार्रवाई होती।

१६६ कुछ ऐसे कामरेड हैं जो अधिकारियों और मजदूर संगठनों के बीच एकता और भाईचारे के इस रूझान के महत्व को सही ढंग से नहीं समझते हैं, क्योंकि कुछ अधिकारी मजदूरों के खिलाफ रहे हैं तथा सर्वोच्च प्रबन्धकों के कुछ कुकर्मों में शामिल भी रहते हैं। इन चन्द अधिकारियों के इन गलत व्यवहारों से लड़ते हुए ही हमें अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय कायम करना होगा ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य में सुधार में हम प्रमुख भूमिका अदा कर सकें और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता को मजबूत कर सकें।

१७०. एकजुट संघर्षों की घटनाओं को देखकर ही का० बीटीआर ने एनसीसी के विस्तार की सलाह दी थी। उन्होंने सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियन तथा फेडरेशनों को मिलाकर एक महासंघ के गठन तक अपने विचार को विकसित किया था, जहां श्रम और आर्थिक नीतियों सम्बन्धी सभी मुद्दों पर खुलकर विचार किया जा सके और एकमत से निर्णय लिये जा सके। बम्बई सम्मेलन में का० बीटीआर ने यही कहा था। लेकिन, सिर्फ नारा देकर ही महासंघ का गठन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि ट्रेड यूनियन आन्दोलन के सामने समस्या यह है कि कैसे अलग-अलग राजनीतिक दृष्टिकोणों तथा पृष्ठभूमियों के सभी ट्रेड यूनियन केन्द्रों और फेडरेशनों को, जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के बारे में भिन्न-भिन्न धारणाएं हैं तथा स्वयं ट्रेड यूनियन आन्दोलन पर जिनका अलग दृष्टिकोण है, एक साथ लाया जाए। इसीलिये उन्होंने विभिन्न रूपों, अलग-अलग उद्योगों तथा अलग-अलग ट्रेड यूनियनों की साझा सहमति के नुक्तों पर ट्रेड यूनियन एकता की जरूरत पर बल दिया था। ये मुद्दे आर्थिक मुद्दे हो सकते हैं, मसलन महंगाई, मिलबन्दी, तालाबन्दी तथा औद्योगिक बीमारी, वामपन्थी, जनतान्त्रिक और धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के साथ सहयोग, अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न आदि भी हो सकते हैं। किसी भी ट्रेड यूनियन के साथ इन मुद्दों में से किसी भी एक मुद्दे पर एकता है तो उसपर चलना चाहिए। यह विशेष सवालों पर मजदूर वर्ग के हिस्सों को नजदीक लायेगा तथा मजदूर वर्ग के अन्य हिस्सों के साथ सम्बन्धों और समझ के विस्तार की सम्भावना उत्पन्न करेगा।

१७१. इसे हासिल करने के लिये, कामरेड बीटीआर ने मजदूरों के सभी हिस्सों में अपनी स्वतन्त्र गतिविधियों को बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया था, ताकि नीचे के स्तर पर निर्मित साझा समझ प्रत्येक मुद्दे पर ऊंचे स्तर पर भी प्रतिबिम्बित होगी, भले ही उन सवालों पर एनसीसी एकजुट होकर काम न कर पा रहा हो। एकता तथा एकजुट कार्रवाई करने में हमारी स्वतन्त्र गतिविधि की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, हमारी कुछ ट्रेड यूनियनें इसे नहीं समझती हैं। हमारा यह अनुभव है कि जहां भी हमारी यूनियनें सक्रिय है तथा संयुक्त आन्दोलन के लिये पहलकदमी करती हैं, वहीं एनसीसी या सीपीएसटीयू या इसी प्रकार के एकजुट आंदोलन के अन्य मंच अच्छी तरह चलते हैं। जहां भी हमारी पहलकदमी में कमी होती है, वहां संयुक्त आन्दोलन भी नहीं के बराबर रह जाता है।

१७२. यह सच है कि एकता तथा एकजुट कार्रवाई में सीआईटीयू की सक्रिय भूमिका ने राष्ट्रव्यापी, राज्यव्यापी तथा स्थानीय स्तरों पर भी उसकी इज्जत और प्रभाव को बढ़ाया है। लेकिन इन एकजुट कार्रवाइयों की हमारी समीक्षा का महत्वपूर्ण तथा मुख्य हिस्सा यह होगा कि उन्होंने कितनी दूर तक शक्तियों के परस्पर सम्बन्धों को सीआईटीयू तथा सीआईटीयू की लाइन के पक्ष में किया है! वह किस हद तक हमारी सदस्यता में प्रतिबम्बित हुआ है और किस हद तक इन एकजुट कार्रवाईयों ने मजदूरों की चेतना के विकास में मदद पहुंचायी है।

१७३. विरोध और बाधाएं रहेंगी। खास तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के इस मुकाम पर जब विचारधाराविहीनता तथा

राजनीतिक दलों से स्वतन्त्रता के उपदेश दिये जा रहे हैं तथा भारत में कुछ ट्रेड यूनियनें इन्हीं विचारों को उगल रही हैं, तब ऐसी बाधाएं निश्चित रूप से और बढ़ेगीं। लेकिन दृढ़ता के साथ, उपरोक्त लाइन पर सर्वोपरि एक महासंघ के नारे के साथ हमें अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। राज्य तथा यूनियन स्तर पर हमारे अनुभव की रिपोर्ट हमारी समीक्षा के इस उद्देश्य के लिये जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्यवश सिर्फ असम, पंजाब, कर्नाटक और केरल ने इस विषय पर अपने अनुभव की रिपोर्ट दी है। इन तमाम महत्वपूर्ण पक्षों पर राज्यों से रिपोर्ट न मिलने की दशा में मैं आपके सामने कोई सामान्यीकृत निष्कर्ष प्रस्तुत करने में असमर्थ हूं। मैं प्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि वे बहस के दौरान इन पक्षों पर ठोस रूप में अपने-अपने राज्यों से जुड़े अनुभवों को रखेंगे ताकि आपके योगदान से इस कमी को पूरा किया जा सकेगा।

संगठन की स्थिति

१७४. कामरेड, कानपुर और बम्बई, दोनों सम्मेलनों से ही सीआईटीयू संगठन को मजबूत करने का जोरदार आह्वान किया गया था। इसमें शक नहीं कि बम्बई सम्मेलन के बाद के काल में सीआईटीयू में काफी उल्लेखनीय अभिवृद्धि हुई है। १९८५ में सालाना रिटर्न के साथ सदस्यता शुल्क सहित जमा की गयी सदस्यता, जिसके आधार पर हमारा बम्बई सम्मेलन हुआ था, उसके बाद के इन चार वर्षों में लगभग ६ लाख बढ़ गयी है। सिर्फ कर्नाटक को छोड़ कर, सभी राज्यों में सदस्यता बढ़ी है। इस काल में मिलबंदी, औद्योगिक बीमारी तथा तालाबंदी दिन दुना रात चौगुना गतिसे बढ़ी है। अर्थव्यवस्था संकट के गह्वर में चली गयी है। सभी चीजों की कीमतों तथा बेरोजगारी में लगातार वृद्धि हुई है। नयी तकनीक से अतिरिक्त श्रम बढ़ा है तथा रोजगार के विकास पर उल्टा असर पड़ा हैं। आईएलओ के अनुसार विकसित पूंजीवादी देशों तथा विकासशील देशों में इन सबका ट्रेड यूनियनों की सदस्यता पर विपरीत असर पड़ा है। उनकी सदस्य संख्या में कमी आयी है। ऐसी स्थिति में इन सारी प्रतिकूलताओं में भी सदस्यता में वृद्धि सीआईटीयू की एक सकारात्मक उपलब्धि है। मैं खास तौर पर पंजाब, त्रिपुरा तथा असम में हुई सदस्यता में वृद्धि की प्रशंसा करूंगा जहां गम्भीर परिस्थितियां रही हैं। खास तौर पर त्रिपुरा में, जहां अर्द्ध-फासिस्ट गुण्डे सीधे तौर पर सीआईटीयू यूनियनों पर हमले कर रहे हैं, जिसे आईएलओ तक ने स्वीकारा है, वहां सदस्यता में वृद्धि प्रशंसनीय है। इसीप्रकार पश्चिम बंगाल में सदस्यता में भारी वृद्धि हुई है जबकि मिलबंदी और तालाबंदी तथा केन्द्र में स्थित कांग्रेस (इ) की सरकार की भेद-भाव-मूलक औद्योगिक नीति का पश्चिम बंगाल सबसे अधिक शिकार रहा है। इसीप्रकार, केरल ने भी अपनी सदस्यता में उल्लेखनीय विशाल वृद्धि की है। जबकि वहां की कांग्रेस के नेतृत्व में हालतक चली आ रही यूडीएफ सरकार ने उसे तबाही के कगार पर लाकर खड़ा करदिया है। मैं उन सभी राज्यों की, विशेष तौर पर कमजोर क्षेत्र तथा हिन्दी भाषी क्षेत्रों की प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने सदस्यता में वृद्धि की है। यह अथक परिश्रम तथा पुलिस, मालिकों के भाड़े के गुण्डों और गुण्डा तत्वों के कातिलाना हमलों का मुकाबला करते हुए सीआईटीयू के झण्डे को ऊंचा उठा कर किये गये जुझारू संघर्षों का परिणाम है। जैसा कि हमने पहले के पृष्ठों में देखा है संगठन के विकास तथा संयुक्त सघर्षों की पहल के चलते देश के ट्रेड यूनियन आन्दोलन में सीआईटीयू का प्रभाव बढ़ा है।

सदस्यता

१७५. लेकिन कामरेड, हम सदस्यता में हुई अभिवृद्धि के प्रति संतुष्ट नहीं रह सकते! हमारी कार्य पद्धति के कई नकारात्मक पहलू भी हैं। जैसा कि हम बार-बार दोहरा रहे हैं, सदस्यता में वृद्धि के बावजूद सीआईटीयू की वास्तविक शक्ति से यह काफी पीछे है। इसके लिये यह शक्ति सदस्यता में प्रतिबिम्बित हो सके, अधिक व्यवस्थित मुहिम चलाने की जरूरत है। दूसरा, सदस्यता में वृद्धि के बावजूद, तालिका से आपको पता चलेगा कि सक्रिय यूनियनों की संख्या ४६४८ हैं। तथापि सिर्फ २७७६ यूनियनों ने सालाना रिटर्न भेजा है, जिसके आधार पर यह सम्मेलन हो रहा है। यह एक बहुत बड़ी सांगठनिक कमजोरी है कि लगभग २००० यूनियनें सालाना रिटर्न नहीं दे पायी तथा वे हमारी सदस्यता के हिसाब में नहीं पड़ रही हैं। वर्ना यह संख्या और ज्यादा होती। लगातार सर्कूलरों तथा वार्किंग कमेटी और जनरल कौंसिल की बैठकों में, खास तौर पर सरकारी जांच १९८९ की सदस्यता के आधार पर होने के कारण, लगातार इशारे करने पर भी यह कमजोरी जाहिर हुई है।

१७६. दूसरा, आप गौर करेंगे कि बम्बई सम्मेलन २७१४ यूनियनों की सदस्यता के आधार पर किया गया था जिन्होंने अपने सालाना रिटर्न जमा करा दिये थे। इस प्रकार सम्बद्ध यूनियनों की संख्या में बमुश्किल कोई वृद्धि हुई है। यह एक गम्भीर मामला है। मैं अपने प्रतिनिधियों से बहस के दौरान इस विरोधाभास पर रोशनी डालने के लिये कहूंगा।

१७७. जिस दूसरे गम्भीर पहलू पर आपको गौर करना होगा वह यह कि इन सारी अभिवृद्धियों के बावजूद संगठित और आधुनिक उद्योगों में हमारी सदस्यता काफी कम बढ़ी है। राज्य कमेटियों को भेजी गयी प्रश्नावली के इस नुक्ते का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, तथापि यह सच्चाई है कि आधुनिक बड़े उद्योगों में लम्बेकाल से सीआईटीयू की स्थिति एक जैसी बनी हुई है। उदाहरण के तौर पर इस्पात, एचईसी, बीएचइएल, फर्टीलाइजर्स तथा तथा अन्य कइयों को देखा जा सकता है। हमने अपने औद्योगिक फेडरेशनों को भी प्रश्नावली भेजी। लेकिन कंसट्रक्शन वर्कर्स फेडरेशन, बीसीएमयू तथा जेसीआई स्टाफ एसोसियेशन के अलावा अन्य किसी भी फेडरेशन ने उसका जवाब नहीं भेजा है। हमारे सांगठनिक

कार्य में यह एक बहुत बड़ी कमी को जाहिर करता है। यह तथ्य है कि हम अपने औद्योगिक फेडरेशनों की गतिविधियों के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं कर पाये हैं। यह आधुनिक उद्योग तथा आधुनिक उद्योग में उभर रहे मजदूर वर्ग के बारे में हमारी समझ में कमी से सम्बन्धित है। यहां तक कि बड़े एकीकृत संयंत्रों में काम करनेवाले कामरेड भी उद्योग के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं रखते हैं। इसीसे तकनीकी मामलों में सुरक्षा, भ्रष्टाचार आदि की तरह के प्रमुख मुद्दों पर हस्तक्षेप करने में हम विफल रहते हैं। बड़े उद्योगों में दूसरी कमी कार्यकर्ताओं के प्रयोग में योजना विहीनता, बहुत से स्थानों पर विभागीय या मशीन विभागों के स्तर की कमेटियां नहीं बनाये जाने की है। यूनियन सिर्फ कार्यकारिणी कमेटी के जरिये काम करती है। इस ढंग से हमारे सभी कार्यकर्ताओं को लगातार कामों में नहीं लगाया जा सकता है और इसीलिये हमारी सदस्यता में भी वृद्धि नहीं हो सकती है। हमें यह नोट करना होगा कि सदस्यता में वृद्धि यूनियनों के काम करने के जनतांत्रिक तरीकों से जुड़ी हुई है।

१७६. एक और पहलू है जो आज भी जारी है। वह यह कि हमारा विकास असमान रहा है। सबसे अधिक औद्योगित राज्यों में पश्चिम बंगाल में हमारी सदस्यता सबसे अधिक बढ़ी है। तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश में भी अग्रगति हुई है। लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात की तरह के देश के सबसे अधिक औद्योगीकृत ज्यों में सीआईटीयू आज भी अत्यन्त कमजोर शक्ति है। इन दो राज्यों के किसी भी प्रमुख उद्योग में हमारी यूनियन नहीं है। हम जानते हैं यह एक कठिन कार्य है, कई समस्याएं हैं लेकिन वे समस्याएं क्या हैं ? कठिनाइयां क्या हैं ? इन दो राज्यों में प्रवेश करने के लिये तथा विकासमान बड़े और नये उद्योगों में पांव रखने की जमीन हासिल करने के लिए कौन-से प्रयत्न किये गये हैं ? गुजरात तो यद्यपि केन्द्र से पत्राचार करता है और अपनी रिपोर्ट भी भेजता है। हम जानते हैं कि कार्यकर्ताओं के निर्माण तथा नेतृत्व की वहां समस्याएं हैं और उन्हें विकसित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है, केन्द्र पूरी तरह से अंधेरे में है। उसके पास कोई रिपोर्ट तक नहीं है। यहां तक कि केन्द्र से भेजे गये पत्रों का जवाब तक नहीं मिलता। सांगठनिक कामों में यह एक भारी त्रुटि है और इसके रहते संगठन कभी भी पनप नहीं सकता। उदाहरण के तौर पर कपड़ा मिलों के संकट को ही लिया जाय। यह देश के सबसे बड़े तथा प्रमुख उद्योगों में से एक है जिसमें १५ लाख से भी अधिक मजदूर काम करते हैं तथा जिसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव है। वह संकट से बुरी तरह जकड़ा हुआ है और रिपोर्ट से आपने देखा होगा कि हम इस उद्योग को बचाने के लिये संघर्ष में मजदूरों को गोलबन्द करने के गम्भीर प्रयास कर रहे हैं। कपड़ा मिलों के मामले में महाराष्ट्र और गुजरात दो नेतृत्वकारी राज्य हैं। लेकिन इन दोनों राज्यों की ही कपड़ा मिलों में हमारी क्या स्थिति है ? हम वहां बिल्कुल नहीं के बराबर हैं। दूसरा उदाहरण लिया जाय चीनी मिलों का। महाराष्ट्र शायद देश में प्रथम दर्जे का राज्य है जहां सबसे अधिक आधुनिक चीनी मिले हैं। महाराष्ट्र की राजनीति को चीनीशाह नियन्त्रित करते हैं। चीनी उद्योग में हमने चन्द वर्षों पहले एक फेडरेशन का गठन किया था। लेकिन आज की घड़ी तक महाराष्ट्र की चीनी मिलों में सीआईटीयू की एक भी यूनियन नहीं है। इस बारे में कौन-से प्रयास किये जा रहे हैं ? बात यह है कि यदि हमें अपने संगठन को फिर से चंगा करना है तो हमें बड़े संगठित और आधुनिक उद्योगों में प्रवेश करना होगा और इसीके अनुरूप प्रत्येक राज्य में योजनाएं बनानी होंगी। बंगाल-केरल की सदस्यता ही यदि हमारी सदस्यता का बड़ा हिस्सा बना रहता है तो वह हमारे सांगठनिक विकास का मापदंड नहीं बन सकता।

१७७. जहां तक असंगठित क्षेत्र का सम्बन्ध है यह एक अच्छी बात है कि हमारी कई राज्य कमेटियों ने उद्योगों के इस क्षेत्र से अपनी सदस्य सख्या को बढ़ाया है। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों की विभिन्न यूनियनें और फेडरेशन बनाये गये हैं। पंजाब में ईंट भट्टा मजदूरों की एक मजबूत यूनियन बनाई गयी है। हरियाणा में भी ईंट भट्टा मजदूरों की यूनियनें बनायी गयी है। बिहार, राजस्थान, त्रिपुरा कर्नाटक तमिलनाडु आदि कई राज्यों में बीड़ी मजदूरों की यूनियनें बनी हैं। हमने अपनी बीड़ी यूनियनों की एक अखिल भारतीय समन्वय समिति का गठन किया है। हथकरघा क्षेत्र में भी बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक ने प्रगति की है। पावरलूम में हमारी गतिविधियां सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित हैं। यह जरूरी है कि राज्य कमेटियां इसप्रकार असंगठित मजदूरों के विशाल हिस्सों में प्रवेश की योजनाएं बनाएं ताकि हम उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर संगठित कर सकें और प्रत्येक तबके के देशव्यापी संघर्ष शुरू कर सकें तथा कुल मिलाकर असंगठित मजदूरों के संघर्षों को आगे ले जा सकें। यह सिर्फ सदस्यता में वृद्धि की दृष्टि से ही नहीं बल्कि पिछड़ी हुई जाति के मजदूरों तथा महिलाओं को गोलबंद करने की दृष्टि से भी एक काफी महत्वपूर्ण काम है। पिछड़ी हुई जाति के मजदूर तथा महिलाएं ही असंगठित नजदूरों का विशाल हिस्सा है।

१७८. जहां तक कामकाजी महिलाओं का सम्बन्ध हैं मैंने पहले ही बताया है कि वहा हमारी सदस्यता स्थिर बनी हुई है। यह इस वजह से है क्योंकि हममें महिलाओं की विशिष्ट समस्याओं को लेकर कामकाजी महिलाओं को यूनियनों का सदस्य बनाने के लिये गोलबन्द करने की चेतना का अभाव है। मैं यह दोहराना चाहूंगा कि बिना समन्वय समितियों के गठन के हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। राज्य सम्मेलनों में पुरुषों की तुलना में महिला मजदूरों का प्रतिनिधित्व तथा राज्य कमेटियों में कामकाजी महिलाओं का प्रतिनिधित्व पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों में बहुत ही बुरी स्थिति में है। इसका केन्द्र में एक रेकर्ड रखने के

लिये ही केन्द्र की ओर से राज्य कमेटियों को एक सरकुलर भेजा गया था। मुझे आशा है कि राज्य कमेटियां उनका उत्तर भेजेंगी।

१७६. जहां तक हमारी सदस्यता के लिये अभियान का प्रश्न है हम कुल मिला कर राज्यवार प्रगति का रेकर्ड रखते आये हैं, लेकिन यही काफी नहीं है। और भी व्यवस्थित ढंग से अभियान चलाने के लिये सभी राज्य कमेटियों को उद्योगवार तथा जिलावार, संगठित क्षेत्र में और असंगठित क्षेत्र के विविध हिस्सों में, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में, मध्यम वर्गीय कर्मचारियों, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी कर्मचारियों में, महिला मजदूरों में, दक्ष और अत्यन्त दक्ष तकनीकी मजदूरों आदि में सदस्यता को बढ़ाने की ठोस योजनाएं बनानी होंगी। सांगठनिक विकास की दृष्टि के अलावा हमें इस तथ्य को भी मद्दे नजर रखना होगा कि सरकार की जांच प्रक्रिया विभिन्न औद्योगिक कमेटियों में प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिये भी उद्योगवार आकलन पर आधारित है। इस समूची प्रक्रिया में हमें नौजवानों तथा श्रम-शक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करनेवाले नये लोगों को अपनी कतार में शामिल करने के लिये अभियान चलाना होगा।

१८०. सदस्यता के प्रश्न पर ही, मैं सालाना रिटर्न भेजने के मामले में अपनी यूनियनों की कमी की बात को फिर से उठाना चाहूंगा। सम्मेलन के दौरान, दौड़-भागकर सालाना रिटर्न जमा कराने की प्रथा को समाप्त करना होगा। सभी राज्य कमेटियों को प्रति वर्ष रिटर्न मिल जाने चाहिये ताकि उनकी सदस्यता में वृद्धि का सही हिसाब रखा जा सके। केन्द्र को भेजी जानेवाली सदस्यता-शुल्क की राशि को रोके रखने की परिपाटी को भी बन्द करना होगा। मजदूरों द्वारा चुकायी गयी तथा राज्य में जमा करायी गयी सदस्यता की राशि को केन्द्र के पास तत्काल भेज दिया जाना चाहिए। इस सम्मेलन के लिए ही इस राशि को जल्द भेजने के लिये हमें कई सरकुलर भेजने पड़े थे! उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश ने सम्मेलन के एक महीने पहले तक सिर्फ एक यूनियन का सम्बद्धता शुल्क भेजा था। बाद में कई तार करने पर बाकी यूनियनों का सम्बद्धता शुल्क आया। यह एक बहुत ही बड़ी सांगठनिक कमजोरी है जिससे उबरना ही होगा। राज्य कमेटियों को प्राप्य लेवी राज्य कमेटियों को जमा करा दी जाय इस पर हमें नजर रखनी होगी।

१८१. एक और नुक्ते पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। यह है आय-व्यय का हिसाब रखने का मुद्दा जिसे सही ढंग से नहीं रखा जा रहा है। बहुत से राज्य सम्मेलनों में या तो हिसाब पेश नहीं किया जाता था वह आडिट किया हुआ नहीं होता है। इस परिपाटी को तत्काल बन्द करना होगा। सभी राज्यों को प्रतिनिधियों के समक्ष आडिट किया हुआ हिसाब पेश करना चाहिये।

जनतांत्रिक और सामूहिक कार्यप्रणाली

१८२. बम्बई सम्मेलन में हमने काफी गहराई से जनतांत्रिक कार्यप्रणाली के प्रश्न पर विचार किया था। इस बात पर बल दिया गया था कि जनतांत्रिक कार्यप्रणाली का अर्थ है यूनियनों के रोजमर्रे के कामों में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कमेटियों के सदस्यों की अधिकतम भागीदारी हो। इसके लिये यह भी जरूरी है कि निर्णय लेने और उस पर अमल करने की प्रक्रिया में आम मजदूरों की अधिकतम भागीदारी करायी जाय। यह सिर्फ निश्चित समय-समय में संविधान की शर्तों के अनुसार कमेटियों की बैठकें बुलाने तक सीमित नहीं रह सकता यद्यपि यह भी अत्यंत जरूरी है। जनतांत्रिक कार्यप्रणाली के महत्व को हमें इस परिदृश्य में देखना चाहिये कि हमारा कर्तव्य सामाजिक रूपान्तरण के आंदोलन के नेता के रूप में मजदूर वर्ग को गोलबंद करना है। वर्ग का विकास सिर्फ डर से नहीं हो सकता। सभी स्तरों पर संगठनों की जनतांत्रिक कार्य प्रणाली, ट्रेड यूनियन आंदोलन के समक्ष आने वाले सवालों पर, ट्रेड यूनियन आंदोलन के सही दृष्टिकोण और रुख पर, आर्थिक संघर्षों पर, राजनीतिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सवालों पर आम मजदूरों से विभिन्न स्तरों पर नेतृत्व की बातचीत और विचार-विमर्श को सुनिश्चित करती है। मजदूरों और नेतृत्व के बीच यह जीवन्त-सम्पर्क सामूहिक कार्य-प्रणाली की भावना तथा कामों के बंटवारे, जिम्मेदारियां और उनपर निगरानी रखने, कार्यकर्ताओं को तैयार करने तथा एक लगातार प्रक्रिया के रूप में भविष्य के नेतृत्व को विकसित करने में सूचनाओं के आदान-प्रदान की भावना को भी विकसित करता है। इसीसे मैदान में जुझारू गतिविधियां शुरू हो सकती हैं जो विचारधारात्मक शिक्षा के साथ मिलकर मजदूरों की वर्गीय चेतना को बढ़ाने में मददगार होंगी। आलोचना और आत्मालोचना इस जनतांत्रिक प्रक्रिया के अभिन्न हिस्से हैं। कामरेड बीटीआर इस मामले में हमारी कमजोरी की आलोचना किया करते थे। वे कहा करते थे कि "हम सर्वहारा जनतन्त्र के बजाय निम्न पूंजीवादी नौकरशाही तौर-तरीकों पर चलते हैं।" उच्चतर कमेटियों से निर्णय आ सकते हैं लेकिन इस बात के सचेत प्रयत्न किये जाने चाहिये कि उन निर्णयों तक जनतांत्रिक विचार-विमर्श के माध्यम से पहुंचा जाय।

१८३. विभिन्न सम्मेलनों में प्रतिनिधि भेजने तथा वक्ताओं का चयन करने की पद्धति भी जनतांत्रिक होनी चाहिये। हमें केन्द्र में अक्सर शिकायतें मिला करती हैं। ऐसा न करने पर सम्मेलन अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को खो देता है।

१८४. हमारी सांगठनिक कार्य प्रणाली में यह एक और निराशाजनक पहलू है। ऐसे कई कामरेड हैं जो दर्जनों यूनियनों और फेडरेशनों के नेता बने हुए हैं तथा कई उद्योगों को नियन्त्रित करते हैं और अपने सिर पर असंख्य जिम्मेदारियां लिये हुए हैं। यह चीज न सिर्फ यूनियनों की जनतांत्रिक कार्यप्रणाली को ही बल्कि नुकसान नहीं पहुंचाती कार्यकर्ताओं के निर्माण में भी सहायक नहीं हो सकती। यह नेतृत्व की नयी पीढ़ी के विकास के रास्ते में बाधा बनकर खड़ी हो जाती है। यह संगठन को एक नेता और

उसके स्वयंसेवकों के निकाय में बदल देती है और चमचागिरी तथा गुटबाजी की उर्वर जमीन तैयार करती है। हमें इस तौर-तरीके को निरुत्साहित और बन्द करना होगा।

१८५. अब जहां तक राज्य और जिला कमेटियों की बैठकों का प्रश्न है, यद्यपि जिन राज्यों ने केन्द्र द्वारा भेजी गयी प्रश्नावली का जवाब दिया है, उन्होंने कहा हैं कि वे नियमित रूप से बैठक किया करते हैं तथापि, ऐसे राज्य हैं जो नियमित बैठकें नहीं किया करते हैं। बैठकों में आम तौर पर लिखित रिपोर्टें नहीं पेश की जाती हैं तथा अक्सर दो या तीन घंटों में बैठकें समाप्त हो जाया करती हैं। संघर्षों की सही ढंग से समीक्षा नहीं की जाती है। बहुत बार बैठक सिर्फ केन्द्र द्वारा भेजे गये निर्देशों पर अमल कराने के लिये ही बुलायी जाती है। यह पद्धति जिला और यूनियन स्तर तक अपनायी जाती है। बहुधा सभी सदस्य सभा में उपस्थित नहीं रहते, कभी-कभी उपस्थिति बहुत कम रहती है। कई बार सभाओं की सूचना बहुत कम समय पर दी जाती है जिससे सदस्यों के लिये उनमें उपस्थित रहना सम्भव नहीं हो पाता और सभी सदस्यों या अधिकतम सदस्यों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के कोई प्रयास नहीं किये जाते। यह अभ्यास बंद किया जाना चाहिये। बैठकों में लिखित रिपोर्ट दी जानी चाहिये। परिस्थितियों की समीक्षा तथा उनका विवेचन राष्ट्रीय परिस्थितियां और राज्य तथा अखिल भारतीय स्तर से जोड़ते हुए की जानी चाहिये।

संचार व्यवस्था

१८६. कामरेड! एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में काम करने के लिए हमारे बीच में संचार सम्पर्क का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। हम लगातार इस बात पर बल देते रहे हैं कि केन्द्र से राज्यों को जाने वाले सभी संवादों को जिला, यूनियनों तथा बिल्कुल नीचे के स्तरों पर भेज दिये जाने चाहिये और इसी प्रकार केन्द्र के पास उत्तर आने चाहिये। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है! मसलन, संगठन सहित अन्य सभी प्रश्नों पर राज्यों तथा फेडरेशनों को एक प्रश्नावली भेजी गयी थी। सिर्फ दिल्ली, पंजाब, असम, त्रिपुरा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, अण्डामन नीकोबार तथा गोआ ने ही उनके उत्तर भेजे हैं। हमारे सबसे बड़े राज्य पश्चिम बंगाल सहित अधिकांश राज्यों ने इस प्रश्नावली का जवाब नहीं भेजा। यदि राज्य अपनी रिपोर्ट न भेजे तो कैसे महासचिव एक विश्लेषणमूलक अखिल भारतीय रिपोर्ट तैयार कर सकता है। दिल्ली ने प्रश्नावली के जवाब में लिखा है कि राज्य कमेटी की बैठकें नियमित रूप से होती हैं, समीक्षाएं की जाती हैं आदि। लेकिन इन गतिविधियों की नियमित रिपोर्ट कहा है? यहां तक कि न्यूनतम बेतन के लिये सात दिनों की ऐतिहासिक हड़ताल के दौरान भी केन्द्र को टेलीफोन करके रिपोर्टें मांगनी पड़ती थीं। महाराष्ट्र न तो रिपोर्ट भेजता है और न ही केन्द्र से भेजे गये किसी पत्र का जवाब देता है पश्चिम बंगाल पत्रों का जवाब देता है लेकिन नियमित रिपोर्ट नहीं भेजता है। केरल सिर्फ वर्किंग कमेटी या जनरल कौंसिल की बैठकों या सम्मेलनों के समय ही रिपोर्ट भेजा करता है। आंध्रप्रदेश से भी अनियमित रूप से रिपोर्टें आती हैं। छोटी राज्य कमेटियों में हिमाचल प्रदेश प्रायः खुद को केन्द्र से काट कर ही रखता है। बम्बई सम्मेलन ने इसे संघवादी रुझान बताया था। बम्बई सम्मेलन के बाद से सेक्रेटेरियट ने इस विषय पर विचार किया तथा रिपोर्टें मांगते हुए कई सरकुलर जारी किये। राज्य कमेटियों को राज्य कमेटी तथा पदाधिकारियों की बैठकों की रिपोर्ट भेजने के लिये भी कहा गया। लेकिन अब तक स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। हमें सिर्फ असम, त्रिपुरा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक तथा तमिलनाडु से रिपोर्टें मिलती है। लेकिन सभी राज्य कमेटी की बैठकों की रिपोर्ट नहीं मिलती। वस्तुतः तमिलनाडु ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो केन्द्र के साथ नियमित रूप से संचार सम्पर्क बनाये हुए है।

१८७. कामरेड मैं जानता हूं कि कई कठिनाइयां हैं। राज्य तथा कार्यकर्त्ता लगातार संघर्षों में व्यस्त रहते हैं। कार्यकर्त्ताओं की सदा एक कमी बनी रहती है। लेकिन इन्हीं सबके बीच एक सामूहिक कार्य-पद्धति विकसित करनी होगी तथा ऐसा तरीका अपनाना होगा जिससे ऊपर उल्लेखित ढंग से कामों का बंटवारा किया जा सके ताकि यह संचार सम्पर्क टूटने न पाये अन्यथा एक बड़े अखिल भारतीय संगठन के रूप में सीआईटीयू का विकास मुश्किल हो जायेगा। राज्य-केन्द्रों को और अधिक कार्यकर्त्ताओं के जरिये मजबूत बनाना होगा। अध्यक्ष तथा महासचिव सहित कई पदाधिकारियों को राज्य केन्द्रों में रहना होगा। पूरावक्ती कार्यकर्त्ताओं की संख्या बढ़ाने की कोशिशें करनी होंगी। मुझे आशा है कि आप इस आलोचना को सही भावना से ग्रहण करेंगे और तदनुरूप कार्य करेंगे।

ट्रेड यूनियन शिक्षा

१८८. अब मैं यहां पहले उल्लेखित ट्रेड यूनियन शिक्षा की जरूरत की ओर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। इस मामले में प्रायः सभी आठ राज्यों ने सहमतिमूलक उत्तर दिया है। यद्यपि कुछ राज्य ट्रेड यूनियन क्लासें किया करते हैं लेकिन अभी भी खास तौर पर यूनियन स्तर पर एक व्यवस्थित दृष्टिकोण को विकसित किया जाना बाकी है। इसके अलावा आमतौर पर ये क्लासें कुछ परम्परागत विषयों के साथ रुढ़िबद्ध तरीके से की जाती हैं। शिक्षा का कोई सही पाठ्य-क्रम नहीं तैयार किया गया है। जरूरत है मजदूरों, कार्यकर्त्ताओं तथा नेताओं की विचारधारात्मक और राजनीतिक चेतना को उन्नत करने की ताकि वे एक वर्ग के रूप में अपने राजनीतिक कर्तव्यों को समझ सके। इस कमी के लिये मैं आत्मालोचनात्मक ढंग से केन्द्र को अभियुक्त करूंगा। हमने सेक्रेटेरियट में इस पर विचार किया है। हमारे कुछ केन्द्रीय नेताओं

को एक पाठ्यक्रम तैयार करने तथा इस काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। हमें इस सम्मेलन के बाद सभी स्तरों पर इसे नियमित रूप से अपनाना होगा।

१८९. अब मैं सांगठनिक पक्ष के बारे में अपनी रिपोर्ट को इन सूचनाओं के साथ समाप्त करूंगा कि हम किस प्रकार अपने केन्द्रीय कार्यालय के कार्यों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसी बीच कामरेड आर० उमानाथ, कामरेड महम्मद अमीन तथा कामरेड वी भी चेरियन को केन्द्र में ला चुके हैं। केन्द्र में कार्यरत सभी सचिवों के बीच कामों का बंटवारा कर दिया गया है। सामूहिक कार्यपद्धति तथा सूचनाओं के परस्पर आदान-प्रदान के हिस्से के रूप में ही केन्द्र में उपलब्ध सभी पदाधिकारियों की नियमित बैठकें हुआ करती है। सभी महत्वपूर्ण चिट्ठियों पर विचार किया जाता है और उन पर अमल किया जाता है। पदाधिकारियों की गतिविधियों की रिपोर्ट साप्ताहिक बैठकों में की जाती हैं। कुछ कमजोर राज्यों की जिम्मेदारी कुछ सचिवों के बीच बांट दी गयी है। सचिवों की यात्राओं के बाद रिपोर्टिंग के लिये बैठकें हुआ करती हैं ताकि राज्यों की समस्याओं पर विचार किया जा सके और सामूहिक निर्णयों से उनसे निपटा जा सके। सेक्रेटेरिएट की बैठकें नियमित हुआ करती हैं तथा नियमित पत्र जारी किये जाते हैं। कुछ कामरेडों की बेहिसाब यात्राओं पर रोक लगायी गयी है ताकि वे सभी केन्द्र की गतिविधियों को मजबूत करने में अपना अधिकतम समय दे सकें। हमने यह शुरूआत की है और हमें यह आशा है कि क्रमशः हम केन्द्रीय कार्यपद्धति को सही लाइन पर ले आयेंगे। हमें अभी भी केन्द्र के कार्यों के बारे में हाल के अपने फैसलों पर अमल की समीक्षा करनी है जिसे हम सम्मेलन के बाद करेंगे।

भावी कर्तव्य

१९०. कामरेड! विकास के पूंजीवादी रास्ते तथा राजीव गांधी सरकार के ५ वर्षों के शासन ने देश को आर्थिक तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। मेहनतकश जनता के सभी हिस्सों की स्थिति बदतर होती चली गयी है। राजीव सरकार के बढ़ते हुए एकाधिकारवाद ने जनतांत्रिक व्यवस्था पर ही तीखा आघात किया था। मजदूर वर्ग को हड़ताल करने के उसके मूलभूत अधिकार से वंचित करने के लिये ट्रेड यूनियन आंदोलन के खिलाफ गम्भीर हमला किया गया। चुनावी लाभों के लिये, सिर्फ सत्ता पर बने रहने के लिये साम्प्रदायिक और विभाजनकारी शक्तियों के साथ समझौते की उसकी नीति ने उसे राष्ट्रीय बिखराव की सरकार बना दिया था। मजदूर वर्ग तथा मेहनतकश जनता के तमाम हिस्सों ने व्यापक आंदोलनों के जरिये उस सरकार को सत्ताच्युत किया और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की स्थापना की जिसका वामपंथी शक्तियों के साथ अच्छा सम्बन्ध था। लेकिन एक साल के अन्दर ही देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने की रक्षा के लिये राष्ट्रीय-मोर्चा सरकार को चले जाना पड़ा। चन्द्रशेखर के नेतृत्व में दल-तोड़कों के छोटे से गुट ने जनता को दगा दिया और उसी कांग्रेस (इ) के समर्थन से जिसके खिलाफ वे लड़े थे तथा जिसे जनता ने गद्दी से हटा दिया था, अत्यन्त अल्पमत की एक सरकार का गठन कर लिया। कांग्रेस (इ) के समर्थन से बनी चन्द्रशेखर गुट की सरकार फिर से एकाधिकारवाद के लौट आने का रास्ता सुगम बनाती है। वह ट्रेड यूनियन आंदोलन पर नये सिरे से हमले का खतरा पैदा करती है। धर्मनिरपेक्षता की तरह के सवाल पर उसके विश्वासघात तथा साम्प्रदायिक और विभाजनकारी शक्तियों के तुष्टीकरण की उसकी नीति ने इसी बीच इन शक्तियों को काफी बल पहुंचाया है। आत्मनिर्भरता को समाप्त करनेवाली, बहुराष्ट्रीय निगमों को नियन्त्रण देने, निजीकरण तथा सार्वजनिक क्षेत्र की महत्ता को कम करने और सर्वोपरि नये आईएमएफ कर्ज की जनविरोधी तथा राष्ट्रविरोधी आर्थिक नीति आर्थिक क्षेत्र में एक भयंकर परिस्थिति को उत्पन्न करेगी। जनता पर अभी से नये बोझ डाले जाने लगे हैं। खाड़ी युद्ध के बहाने प्रधानमन्त्री की चेतावनी तथा ट्रेड यूनियनों के साथ वित्तमन्त्री की हाल की पूर्व बजट बैठक में उसी चेतावनी को दिये गये अनुमोदन भविष्य की बजट स्थितियों का स्पष्ट संकेत देता है। इस पूरे दृश्य में बचाव की बात वामपन्थियों और राष्ट्रीय मोर्चा के बीच समन्वय समिति के गठन के साथ ही वामपन्थी और जनतांत्रिक शक्तियों का उदय है। अपने संगठन को मजबूत तथा और बलशाली बनाकर और वामपंथ—राष्ट्रीय मोर्चा समन्वय समिति के साथ हमारी सभी राज्य कमेटियों, यूनियनों और राष्ट्रीय फेडरेशनों के अधिकतम सहयोग से एकबार फिर जनता के साथ विश्वासघात करने वालों का सत्ताच्युत करने के लिये हमें देश व्यापी जनआंदोलन तैयार करना होगा। हमें इस जनआंदोलन के दायरे में सभी सहयोगियों—छात्रों, किसानों, नौजवानों, खेतिहर मजदूरों, महिलाओं आदि के जनसंगठनों को शामिल करना होगा जो पहले से ही इसप्रकार की जन-कार्रवाइयों के लिये तैयार हो रहे हैं।

१९१. उपरोक्त पृष्ठभूमि में भी हमें अपने तात्कालिक कर्तव्य के रूप में देशभर में ट्रेड यूनियन आंदोलन को निम्नलिखित क्षेत्रों में दिशान्वित करने में लग जाना होगा।

(१) सभी प्रकार की साम्प्रदायिक और विभाजनकारी शक्तियों के खिलाफ, कांग्रेस (इ) को सत्ता में आने से रोकने तथा साम्प्रदायिक और विभाजनकारी शक्तियों को अलग-थलग करने के देशव्यापी संघर्ष का कार्यक्रम।

(२) वामपन्थ-राष्ट्रीय मोर्चा समन्वय समिति के साथ सहयोग करते हुए कांग्रेस (इ) समर्थित चन्द्रशेखर सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ना।

(३) संसद-मार्च की तैयारी करते हुए बेरोजगारी के खिलाफ और काम के अधिकार के लिये अन्य जनसंगठनों के साथ मिलकर राज्यवर संघर्ष कार्यक्रम शुरू करना।

(४) मूल्य वृद्धि के खिलाफ जन-कार्रवाइयों को शुरू करना।

(५) मिलबन्दी, तालाबन्दी तथा औद्योगिक बीमारी के खिलाफ संयुक्त कन्वेन्शनों तथा अन्य कार्यक्रमों को संगठित करना।

(६) सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा के लिये निजीकरण के खिलाफ अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर संघर्ष के कार्यक्रम अपनाना।

(७) असंगठित मजदूरों को गोलबन्द करने के लिये लगातार प्रयत्न करना।

(८) कामकाजी महिलाओं के प्रश्न को उठाना और राज्य समन्वय समितियों का गठन करना।

(९) मजदूर-किसान-गठजोड़ स्थापित करना तथा वास्तविक भूमि सुधार के लिये लड़ना।

(१०) संगठन को तैयार करना तथा सदस्यता को बढ़ाने के लिये सुव्यवस्थित अभियान चलाना।

(११) व्यापक मजदूरों को तथा जनता के अन्य हिस्सों को शांति के पक्ष में तथा युद्ध के खिलाफ गोलबन्द करना।

सीआईटीयू—दीर्घजीवी हो
मजदूर वर्ग की एकता—दीर्घजीवी हो
दुनिया के मजदूर—एक हो।

हार्दिक अभिनन्दन के साथ—

समर मुखर्जी

महासचिव

(पृष्ठ ८ से आगे)

आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। जब कुछ छात्रों ने देश के कुछ हिस्सों में आत्मदाह शुरू कर दिया तो परिस्थिति और भी जटिल हो गयी। आरक्षण की नीति के खिलाफ अगड़ी जातियों ने अपनी पूरी शक्ति को उतार दिया तथा देश के कुछ भागों में पिछड़ी जाति के लोगों पर हमले भी किये गये।

सीआईटीयू ने अन्य पिछड़ी हुई जातियों के लिये आरक्षण का समर्थन किया था किन्तु यह सलाह भी दी थी कि आरक्षण के लिये आर्थिक कसौटी भी लागू की जानी चाहिये ताकि ऊंची जातियों और अन्य पिछड़ी हुई जातियों के वास्तविक जरूरतमंद लोगों को मदद मिल सके। प्रसिद्ध कर्पूरी ठाकुर फार्मूले का भी यही आधार था जिसका हमने आम तौर पर समर्थन किया था और अब भी हम चाहते हैं कि उसे स्वीकार कर उस पर अमल किया जाय। किन्तु, दुर्भाग्य की बात रही कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने अन्य पिछड़ी हुई जातियों के लिये आरक्षण की घोषणा अन्य पार्टियों तथा ट्रेड यूनियनों के साथ सलाह-मशविरा करके न की थी। यदि ऐसा किया गया होता तो आरक्षण के सवाल पर कमोबेश राष्ट्रीय स्तर पर प्रायः एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया होता जिससे प्रतिक्रियावादी शक्तियां अलग-थलग पड़ जातीं। लेकिन अस्वाभाविक जल्दबाजी ने अगड़ी जातियों के विशाल हिस्से को राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रति शत्रुतापूर्ण बना दिया।

वी० पी० सिंह सरकार ने बाद में ऊंची जातियों के गरीब लोगों के लिये भी ५ से १० प्रतिशत आरक्षण के अपने फैसले की घोषणा की थी।

सीआईटीयू ने सभी आरक्षण विरोधियों से हिंसा का रास्ता छोड़ने तथा बातचीत के जरिये एक हल ढूंढ़ने के लिये आगे आने की अपील की थी। लेकिन फिर भी उस आन्दोलन ने कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूर वर्ग को भी प्रभावित किया और मजदूरों का एक हिस्सा दूसरे के खिलाफ खड़ा हो गया। सीआईटीयू मजदूर वर्ग के सभी हिस्से से अपनी एकता की रक्षा की अपील करता है ताकि मिलजुल कर परस्पर विचार-विमर्श के जरिये इस समस्या का एक राष्ट्रीय समाधान प्राप्त किया जा सके।

सीआईटीयू इस बात पर भी बल देता है कि इस समस्या का टिकाऊ समाधान सभी को काम का अधिकार सुनिश्चित करने में निहित है। इस बारे में हमारे सही दृष्टिकोण से मजदूर वर्ग के सभी हिस्सों को शिक्षित करने के लिये एक व्यापक अभियान शुरू करने की जरूरत है ताकि हम मजदूर वर्ग की एकता की रक्षा करने तथा इसके साथ ही हमारे समाज के पिछड़े हुए कमजोर तबकों के हितों की रक्षा करने में हम अपनी पूरी शक्ति लगा सकें।

खतरनाक साम्प्रदायिक परिस्थिति

रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के सवाल पर भाजपा, विश्वहिन्दू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता देशभर में साम्प्रदायिक भावना की आग भड़काने के लिये सुनियोजित ढंग से काम कर रहे हैं। ३० अक्टूबर १९९० को विवादास्पद स्थल पर राम मन्दिर के निर्माण के लिये कार-सेवा की योजना के पहले पदयात्राएं, शिलापूजन, राम-ज्योति जुलूस तथा कार सेवकों की नियुक्तियां आदि की गयीं ताकि अयोध्या के विवादास्पद स्थल पर धावा बोला जा सके। उनकी कोशिश थी मस्जिद को ढहा कर मंदिर बनाने की। भाजपा के अध्यक्ष अडवाणी के नेतृत्व में हुई रथयात्रा के साथ ही मुस्लिम विरोधी भड़काऊ भाषण दिये जाते थे जो हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता पर गंभीर खतरे पैदा कर रहे थे।

३० अक्टूबर को अयोध्या में मस्जिद को ढहाने की कोशिश को नाकाम कर दिये जाने के बाद देश भर में साम्प्रदायिक दंगे शुरू कर देने की पूर्व-नियोजित योजना पर काम किया गया। विभिन्न जगहों पर दंगे कराने के लिये अस्थिकलश जुलूसों का इस्तेमाल किया गया। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश तथा बिहार में सैंकड़ों मासूम लोगों की सांप्रदायिक दंगों में जानें गयीं।

हम इस तथ्य को नहीं भुला सकते कि हिंदू तत्ववादियों ने औद्योगिक केन्द्रों को अपने हमलों का विशेष केन्द्र बनाया था। इन दंगों में आरएसएस के कार्यकर्त्ताओं ने प्रमुख भूमिका अदा की तथा भाई-भाई के विरुद्ध शुरू की गयी इस अविवेकशील लड़ाई में मजदूर वर्ग को भी शामिल करने की कोशिशें की गयीं। यह स्मरणीय है कि स्वतन्त्रता के ठीक बाद आरएसएस ने साम्प्रदायिक जहर फैलाया था तथा वातावरण को विषाक्त कर दिया था। उसी परिस्थिति में आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने गांधीजी की हत्या भी की थी।

कुछ केन्द्रों में ट्रेड यूनियनों ने जहां अल्पसंख्यक लोगों को संरक्षण प्रदान करने की कोशिशें की, वहीं किन्तु यह स्वीकार करना होगा कि साम्प्रदायिक और विभाजनकारी शक्तियों की चालों को परास्त करने में ट्रेड यूनियनों को और भी नेतृत्वकारी भूमिका अदा करनी चाहिये थी।

चूंकि धर्मनिरपेक्षता पर आज भी खतरा बना हुआ है तथा भाजपा, विहिप आदि नित-नयी धमकियां दे रहे हैं इसीलिये विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच साम्प्रदायिक सद्भाव पैदा करने में मजदूर वर्ग तथा ट्रेड यूनियनों को और भी सक्रिय भूमिका अदा करनी होगी। साम्प्रदायिक शक्तियों की घृणित गतिविधियों का एकजुट प्रतिरोध करने के लिये दोनों समुदायों के मजदूरों को संगठित प्रयत्न करने होंगे। धर्म को राजनीति से जोड़ने के कुछ तबकों के रुझान को रोकना होगा। जहां भी सम्भव हो ट्रेड यूनियनों को अपनी औद्योगिक कार्रवाई के जरिये एक सम्प्रदाय को दूसरे सम्प्रदाय के विरुद्ध उकसाने की साम्प्रदायिक शक्तियों की कोशिशों को रोकना होगा। मजदूर वर्ग की अग्रगति तथा राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने के लिये ही साम्प्रदायिक शक्तियों की पराजय जरूरी है।

बिगड़ती हुई आर्थिक परिस्थिति

भारत में आर्थिक परिस्थिति तेजी के साथ बिगड़ती जा रही है जो आम जनता की पहले से ही बदतर स्थिति को और बदतर बना रही है। भुगतान संतुलन की स्थिति गम्भीर हो गयी है तथा देश का विदेशी मुद्राकोष बिल्कुल कम हो गया है। खाड़ी संकट ने स्थिति को और भी बिगाड़ दिया है। इसके परिणामस्वरूप आशंका है कि विदेशी मुद्रा का और भी ज्यादा खर्च होगा।

आईएमएफ ने अपनी "मुआवजाकारी तथा आपात वित्तीय सुविधा" के अन्तर्गत ऋण देने की घोषणा की है। अर्थव्यवस्था को भुगतान सन्तुलन के वर्तमान संकट से बाहर निकालने के लिये भारत ने और अधिक कर्ज की मांग की है। जैसी कि खबर है, आमतौर पर इस प्रकार के कर्ज के साथ बहुत-सी जनविरोधी शर्तें जुड़ी होती हैं।

चन्द्रशेखर सरकार ने निर्यात को बढ़ाने के लिये कुछ कदमों की घोषणा की है जिसके कारण रोजमर्रे की कई जरूरी सामग्रियों को विदेशों में भेजा जा रहा है। इससे भारत में उनकी कीमतें बढ़ रही हैं। महंगाई की स्थिति पहले से ही संकटपूर्ण हो रखी है। बजट में चालू वित्तीय वर्ष के लिये ८५०० करोड़ रुपये का घाटा कूता गया था लेकिन ऐसा लगता है कि घाटे की राशि इससे भी कहीं ज्यादा होगी। पिछले वर्ष मुद्रास्फीति की दर दोहरे अंकों में आ गयी, जबकि आठवीं योजना में कीमतों में कुल १२ से १५ प्रतिशत तक वृद्धि का ही हिसाब रखा गया है। दिसम्बर १९८८ से दिसम्बर ८९ के मध्य कीमतें ७.९ प्रतिशत की दर से बढ़ीं। लेकिन दिसम्बर '८९ से दिसम्बर '९० के मध्य उनकी वृद्धि की दर ११.७ प्रतिशत रही। २२ जनवरी १९९१ के इकानोमिक टाइम्स में यह नोट किया गया कि "चालू वर्ष में कई सामग्रियों की जिनमें से बहुत-सी सामग्रियां व्यापक खपत की हैं, कीमतों में भारी वृद्धि से महंगाई की स्थिति गम्भीर हो गयी है।

आर्थिक परिस्थिति ने आठवीं योजना को प्रायः अचल-सा कर दिया है। यद्यपि योजना का आकार ६,१०,००० करोड़ रुपये समझा जाता है, लेकिन सुचिन्तित क्षेत्रों से यह सन्देह जाहिर किया जा रहा है कि इस आकार की योजना मुमकिन भी होगी या नहीं। आर्थिक योजना में शामिल किये गये कई प्रकल्पों को 'संसाधनों में कमी' के नाम पर धीरे से विसर्जित कर दिया जा रहा है। इस बात की पूरी सम्भावना है कि ऊर्जा सम्बन्धी लक्ष्यों में काफी कमी कर दी जायेगी जिससे निकट भविष्य में ऊर्जा संकट और गम्भीर हो जायेगा।

कामरेड, अब से दो हफ्ते बाद ही संसद में अगले वित्तीय वर्ष का केन्द्रीय बजट पेश किया जायेगा। प्रधानमन्त्री ने जनता से और ज्यादा त्याग के लिये तैयार रहने को कहा है। बजट के पहले ही अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा आय कर के भारी बोझ लाद दिये गये हैं। एक ओर बजट का भारी घाटा सामने आनेवाला है जो पहले से ही चले आ रहे मुद्रास्फीतिकारी चक्र में और ईंधन देकर आम जनता के जीवनमान को काफी कम कर देगा।

शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या इसी बीच साढ़े तीन करोड़ तक पहुंच गयी है जबकि देहाती क्षेत्रों में बेरोजगारों की संख्या को ७ करोड़ कूता जा रहा है। तेजी के आथ सिकुड़ते हुए घरेलू बाजार से बेरोजगारों की विशाल फौज तैयार हो रही है। औद्योगिक बीमारी अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच रही है। दिन-प्रतिदिन

रोजगार के नये अवसर कम होते जा रहे हैं जबकि श्रम के बाजार में नये लोगों का प्रवेश देशभर में बढ़ता जा रहा है।

आज जो अनिवार्य है वह यह कि आम जनता की क्रय शक्ति को बढ़ाया जाय ताकि अन्दरूनी बाजार को विस्तृत किया जा सके। निर्यात जरूरी है लेकिन हमारा देश अपनी अर्थव्यवस्था की मूल जरूरत के चलते ही निर्यात पर बहुत दूर तक निर्भर नहीं रह सकता। निर्यात के बाजार पर हमेशा नजर रखनी चाहिये तथा हमारे देश के हित में उसका उचित उपयोग किया जाना चाहिये। लेकिन आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिये घरेलू बाजार का निर्माण सबसे अधिक जरूरी है।

विज्ञान और तकनीक के मामले में हमें सर्वाधुनिक खोजों के प्रति जागरूक रहना चाहिये। हमारी शिक्षण संस्थाओं में आधुनिकतम ज्ञान को प्राप्त करने के लिये जरूरी अध्ययन और शोध कार्यों को महत्व दिया जाना चाहिये। इस दिशा में सरकारों तथा औद्योगिक घरानों को और अधिक खर्च करना चाहिये। तकनीक का आयात करते वक्त हमारा उद्देश्य खुद के पैरों के बल खड़े होने का होना चाहिये। तकनीक लाने के वक्त हमारी ठोस परिस्थितियों में क्या जरूरी है उसे ही हमें चुनना चाहिये। और इस मामले में सोच-विचार कर काम करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही कि हमारे देश में भारी मात्रा में श्रमशक्ति मौजूद है और विशाल पैमाने पर यहां बेरोजगारी है, हमें उचित तकनीक को महत्व देना चाहिए। यद्यपि, जहां पर भी जरूरी हो वहां उच्च तकनीक की अवहेलना भी नहीं करनी चाहिये।

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र

एक पूंजीवादी-सामन्ती ढांचे में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को काफी कठिनाइयों के अन्तर्गत काम करना पड़ता है। इसीलिये उनमें कई कमियां रह जाती हैं। हमारे देश में वर्तमान परिस्थिति में सीआईटीयू इन इकाइयों तथा वित्तीय संस्थाओं का समर्थन करता है और इन्हें कमजोर करने की हर कोशिश के खिलाफ खड़ा होता है। सार्वजनिक क्षेत्र की कमजोरियों को दूर करने में मजदूरों को एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है तथा अपनी समर्पित सेवाओं और अनुभव से हासिल की गयी अपनी विशेषज्ञता के प्रयोग से उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाना है। सिर्फ अपनी न्यायोचित मांगों के लिये लड़ने के अलावा उन्हें समय-समय पर पैदा होनेवाली समस्याओं तथा उनसे उबरने के उपायों के बारे में अपनी राय की ओर सरकार और प्रबन्धकों का ध्यान आकर्षित करना होगा। प्रबंधकों का यह कर्तव्य है कि वे मजदूरों का सहयोग प्राप्त करें, उन्हें सही ढंग से उत्प्रेरित करें तथा उनकी वाजिब शिकायतों को दूर करें। सभी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के अधिकारियों तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारों को अर्थव्यवस्था की भलाई के लिये हमेशा जिम्मेदार तथा रचनात्मक रवैया अपनाना चाहिये। सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों के कामों के बारे में अक्सर कड़ी आलोचना की जाती है। यहां यह सच है कि कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां भारी नुकसान पर चल रही हैं तथा वहां का प्रबन्ध बिल्कुल नालायक है। वहीं किन्तु ऐसी भी कुछ ऐसी इकाइयां हैं जो अच्छे परिणाम दे रही हैं। इसी प्रकार जहां निजी क्षेत्र में कुछ बहुत ही तथा पेशेवर दृष्टि से चलायी जा रही इकाइयां हैं वहीं ऐसी २ लाख बीमार और बन्द इकाइयां भी इसी क्षेत्र में हैं जो राजकीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कोष का बहुत बड़ा हिस्सा खींच लेती हैं। इसीलिये फिलहाल दोनों क्षेत्रों की इकाइयों में ही पेशेवर तथा चुस्त प्रबन्धन की जरूरत है जो सहयोगमूलक दृष्टिकोण अपना कर चले।

हमारी सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति में अर्थव्यवस्था के विकास में निजी क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। उद्यमकारी व्यक्तियों को नौकरशाही दखलन्दाजी से मुक्त रखना चाहिये। चीजों को हासिल करने में, उन्हें अनावश्यक विलम्ब का सामना नहीं करने देना चाहिये। वे अपने उद्योगों को सुचारू ढंग से चला सकें उसके लिए उन्हें निश्चित रूप से उचित अवसर दिये जाने चाहिये। बहुत बड़ी पूंजी की लागत से बननेवाले उद्योगों तथा लघु स्तरीय इकाइयों के बीच उचित सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिये जिसमें लघु स्तर के क्षेत्र को जरूरी संरक्षण दिया जाना चाहिये। कीमतों तथा मुनाफों के बारे में वर्तमान नियमों और कानूनों की नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। कालाबाजार के धंधों तथा अन्यायपूर्ण मुनाफाखोरी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था की प्रमुख शक्ति को कुतर लेती हैं। इनसे निपटने के लिये कड़े से कड़े कदम उठाये जाने चाहिये।

निजी क्षेत्र में भी न सिर्फ मजदूरों की न्यायोचित मांगों के लिये लड़ने में बल्कि इकाइयों के सुचारू ढंग से संचालन में भी सीआईटीयू को एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। उन्हें उत्पादन और उत्पादनशीलता में दिलचस्पी लेनी चाहिये। प्रबंधकों को भी मजदूरों को विश्वास में लेना चाहिये और उनसे सहायता लेकर चलना चाहिये।

मुझे संयुक्त क्षेत्र के उद्यम के कार्य का भी अनुभव है जिसमें राज्य तथा निजी क्षेत्र संयुक्त रूप से शिरकत करते हैं। मेरा मानना है कि यह भी एक काम चलाने लायक प्रस्तावना है बशर्ते ये दोनों क्षेत्र अपने दिमाग में अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को रखें।

पश्चिम बंगाल और केरल

इन दो राज्यों में जहां वामपंथी-जनतांत्रिक सरकारें अस्तित्व में हैं, मजदूर वर्ग यह जानता है कि ये सरकारें उनके साथ हैं और उनकी मांगों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखती हैं। इन राज्यों में इनके लिये जनतांत्रिक अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है तथा इस अवसर का लाभ उठाकर उन्हें अपने संगठन को विस्तृत तथा

मजबूत करना चाहिये। पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों तक को हड़ताल का अधिकार प्रदान किया गया है। यह ऐसा हथियार है जिसे मजदूरों को कभी नहीं छोड़ना चाहिये लेकिन तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिये जब बहुत जरूरी हो जाय। मालिक भी इस बात को जानते हैं कि इन सरकारों की स्थापना से परिस्थिति में एक बड़ा परिवर्तन आ गया है। उनमें से बहुत से मालिक मजदूरों की संगठित शक्ति तथा उनकी न्यायोचित मांगों को सरकार द्वारा समर्थन को समझते हुए औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों को हड़ताल पर जाने के लिये बाध्य किये बिना ही उनकी न्यायोचित मांगों को स्वीकार लेते हैं। जहां प्रबन्धक और मजदूर किसी समझौते पर पहुंचने में विफल होते हैं, समस्या के समाधान में श्रम विभाग उनकी मदद करता है। और मजदूर यह जानते हैं कि उनके हितों को कभी भुलाया नहीं जाता है। समझौताकारी प्रयत्न में विफल होने पर मजदूर अपनी न्यायोचित मांगों को हासिल करने के लिये हड़ताल पर जाते हैं। ऐसे कुछ घुटे हुए तथा गैर-जिम्मेदार मालिक भी होते हैं जो ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हैं जिसमें मजदूरों को हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ता है या तालाबदी घोषित कर दी जाती है। लेकिन तब भी सरकार का श्रम विभाग समझौता कराने कोशिश करता है। पश्चिम बंगाल में मजदूर यदि कोई गलत रास्ता अपनाते हैं तो राज्य सरकार उन्हें भी उचित सलाह देती है। इन दो राज्यों में जहां मजदूरों के लिये एक विशेष तथा अनुकूल परिस्थिति है वे विरोधियों की सभी साजिशों के खिलाफ इन राज्यों की सरकारों के पक्ष में भी खड़े होते हैं तथा उन सभी आंदोलनों को विफल बना देते हैं जो राज्य के हित में नहीं होते हैं।

पश्चिम बंगाल और केरल में राज्य अधिकृत इकाइयां

पश्चिम बंगाल और केरल में ऐसी कई राज्य अधिकृत इकाइयां हैं जो भारी नुकसानदेह रही हैं तथा इन दोनों सरकारों को अपने बजट के संसाधनों से इनकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। इनमें से बहुत सी इकाइयों में उत्पादनशीलता काफी कम है तथा उनके कामों में सुधार की काफी गुंजाइश है। यदि इन राज्य अधिकृत इकाइयों के कामों में सुधार करके कुछ भी संसाधन जुटाये जा सकते हैं तो ये दोनों राज्य सरकारें उन संसाधनों से राज्य में और भी बीमार इकाइयों का अधिग्रहण कर सकेंगी जिससे बेरोजगार लोगों को लाभदायक काम मिल सकेगा। राज्य अधिकृत इकाइयों की ट्रेड यूनियनों को रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये तथा इन इकाइयों के काम में सुधार और इन्हें लाभजनक इकाइयां बनाने के लिए ठोस कदम सुझाने चाहिये। इन इकाइयों में उत्पादनशीलता और माल की गुणवत्ता के मामले में सुधार, अनुशासन तथा समयबद्धता का पालन अत्यधिक महत्व की चीजें हैं।

ट्रेड यूनियनों को मजदूरों को लगातार अपने कामों में सुधार के लिए प्रेरित करने का काम करना चाहिये। उन्हें यह नोट करना चाहिये कि यद्यपि पश्चिम बंगाल और केरल की ये सरकारें मजदूरों को काम की सुरक्षा को बनाये रखने के हर सम्भव प्रयास करेंगी तथापि, इन राज्य सरकारों की अपने बजट के जरिये इन इकाइयों के नुकसानों को पूरा करने के वित्तीय संसाधनों के मामले में अपनी शक्ति की सीमा भी है।

मैं पश्चिम बंगाल और केरल में राज्य अधिकृत इकाइयों की ट्रेड यूनियनों से हार्दिक तौर पर यह अपील करूंगा कि ये इकाइयां और बेहतर ढंग से काम कर सकें ताकि राज्य सरकारें अपने बजट के जरिये उन्हें दे रही मदद को कम कर सकें तथा इस बचत को अन्य विकासमूलक कार्यों अथवा अन्य बीमार उद्योगों के हित में इस्तेमाल कर सकें। यह सुनिश्चित करना उनका सर्वप्रथम कर्तव्य है। मुझे विश्वास है कि हमारी यूनियनें इन इकाइयों में मजदूरों को अपनी जिम्मेदारी के निर्वाह के लिये प्रेरित करने तथा प्रभावशाली ढंग से इनमें एक काम की संस्कृति पैदा करने की पहलकदमी करेंगी जिससे इन इकाइयों के काम में उल्लेखनीय सुधार होगा।

कमजोर क्षेत्रों के प्रति विशेष ध्यान

देश के विभिन्न हिस्सों में सीआईटीयू के विकास के बावजूद हिन्दी-भाषी क्षेत्रों तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में हम अभी भी कमजोर हैं। इन क्षेत्रों में हमारे प्रभाव तथा संगठन में बिना उल्लेखनीय वृद्धि के साम्प्रदायिक और विभाजनकारी शक्तियों के खिलाफ हमारा संघर्ष अपने इच्छित परिणामों को हासिल नहीं कर पायेगा।

इस घड़ी में हिंदी-भाषी क्षेत्र में अपनी गतिविधियों और संगठनों को मजबूत बनाने के लिये एक विशेष योजना तैयार करने की जरूरत है तथा अन्य कमजोर क्षेत्रों में इन राज्य कमेटियों को मदद देने के लिये अपने प्रयत्नों को तेज करना होगा।

सीआईटीयू व कमजोर क्षेत्रों की इसकी राज्य कमेटियों के बीच एक बेहतर समन्वय से स्थिति में सुधार होगा। कमजोर राज्यों में कार्यकर्ताओं के विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिये ताकि इन क्षेत्रों में गतिविधियों को बल मिल सके। तभी मजदूर वर्ग के आंदोलन के प्रभाव को सारे भारत में और शक्ति के साथ महसूस किया जा सकेगा।

भूमि सुधार के लिये संघर्ष

पश्चिम बंगाल और केरल के अलावा देश के बाकी हिस्सों में सच्चे भूमि सुधार लागू करने में किये जा रहे असाधारण विलम्ब से मुट्ठीभर हाथों में जमीन के संकेन्द्रण की प्रक्रिया और अधिक मजबूत हुई है। बिना इन भूमि सुधारों के गरीबी हटाने तथा देहाती क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा पिछड़ी हुई जातियों की दशा को सुधारने की सारी बातें निरर्थक हैं। विभिन्न राज्यों में कांग्रेस सरकारें लगातार भूमि सुधारों पर अमल का विरोध करती

रही हैं यद्यपि बाहर से मौखिक तौर पर वे इनके पक्ष में काफी कुछ हांकती रही हैं। यदि गम्भीरता से भूमि सुधार लागू किये जाते हैं तो उससे हमारे औद्योगिक मालों के लिये एक बड़े बाजार का निर्माण होगा तथा बाजार की कमी के कारण जो बहुत-सी इकाइयां भारत में बन्द हो गयी हैं वे फिर से खुल जायेंगी। हमारी औद्योगिक इकाइयों की बीमारी की समस्या कम हो जायेगी।

योजना आयोग ने यह स्वीकार किया था कि पश्चिम बंगाल और केरल में भूमि-सुधारों पर सफलता के साथ अमल किया गया है जबकि अन्य राज्यों में इस दिशा में प्रगति धीमी रही है।

मजदूर वर्ग को भूमि-सुधारों के लिये संघर्ष में सक्रिय दिलचस्पी लेनी चाहिये क्योंकि यह एक राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है तथा औद्योगिक विकास की स्थिरता मुख्यरूप से भूमि सुधारों को लागू करने पर निर्भर करती है। किसानसभा और खेतीहर मजदूर यूनियन ने बिल्कुल सही गांवों में भूमिहीन गरीबों में जमीन का पुनर्वितरण करने तथा उन्हें कृषि में लगनेवाली अन्य सामग्रियां उपलब्ध कराने का कार्यक्रम अपनाया है।

सच्चे भूमि सुधार के लिये लड़ रही किसान जनता के साथ ट्रेड यूनियन आंदोलन को अपनी पूर्ण एकजुटता जाहिर करनी चाहिए, संगठित किसान जनता को उनके बढ़ते हुए संघर्षों में मदद देने के लिये भी उन्हें सक्रिय रूप में सामने आना चाहिए ताकि किसानों और खेतीहर मजदूरों को सफलता हासिल हो सके।

मजदूर वर्ग की नेतृत्वकारी भूमिका को स्थापित करने के लिये

कामरेड, सामन्तवाद के साथ समझौता करते हुए विकास का पूंजीवादी रास्ता भारत की जनता की मूलभूत समस्याओं के समाधान में विफल रहा है।

आज का ट्रेड यूनियन आंदोलन सामान्यतः रोज उठने वाले प्रश्नों पर आर्थिक संघर्षों में लगा रहता है। यहां-वहां कुछ सफलताएं हासिल करने के उपरांत आंदोलन एक गतिरोध के काल में चला जाता है और उस वक्त तक वही स्थिति बन रहती है जब तक एक बार फिर मजदूरों का असंतोष सतह पर नहीं आ जाता तथा ट्रेड यूनियनें एकबार फिर आर्थिक संघर्ष के लिये सक्रिय नहीं हो जातीं। लेकिन यह भी नोट किया जाना चाहिये कि बहुत से क्षेत्रों में मजदूर वर्ग के आंदोलन ने वृहतर जनतांत्रिक संघर्ष के हित को आगे बढ़ाने में भी काफी अच्छी भूमिका अदा की है।

हमारी यह लगातार कोशिश होनी चाहिये कि हम मजदूरों का राजनीतिकरण करें ताकि वे अपने अनुभव से भारत की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में ढांचागत तथा मूलभूत परिवर्तनों की एक पुरोधा शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ सकें। आर्थिक मांगों के लिये लड़ने के साथ ही उसे कभी भी अपने अंतिम लक्ष्यों को नहीं भूलना चाहिये। उसे जनता के सभी उत्पीड़ित हिस्सों के संघर्ष को नेतृत्व प्रदान करना होगा ताकि पूंजीवादी-सामन्ती ढांचे की नीतियों के विरुद्ध एक देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जा सके। हमने इसी बीच यह नोट किया है कि किस प्रकार सच्चे भूमि सुधारों को लागू करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनों के बीच जमीन के आबंटन के लिये संघर्ष में मजदूर वर्ग प्रभावशाली योगदान कर सकता है। इसी प्रकार मजदूर वर्ग को देश की समूची जनता के जनतांत्रिक संघर्ष को भी नेतृत्व देना होगा ताकि पूंजीवादी नीतियों को परास्त किया जा सके और जनता के पक्ष की सच्ची नीतियां सफल हो सकें।

मजदूर वर्ग के आंदोलन तथा संगठन की वर्तमान दशा में जहां मजदूर अभी भी विभाजित हैं तथा उनमें से बहुत बड़ी संख्या में असंगठित क्षेत्रों तथा पुरातनपन्थी राजनीतिक प्रभावों के अन्तर्गत हैं, वहां हमें उन कर्तव्यों की पूर्ति के लिये जिन्हें हमने अपनाया है मजदूरों की चेतना में परिवर्तन लाने के लिये एक लम्बा सफर तय करना है। अपने अन्तिम उद्देश्य को हासिल करने के लिये विचार-धारात्मक और सांगठनिक रूप से मजदूर वर्ग को तैयार करने में सीआईटीयू को नेतृत्व देना होगा। हमें समाजवादी देशों की सफलताओं और विफलताओं से सीखना होगा और खुद अपने अनुभवों से भी सीखना होगा ताकि अपनी ठोस परिस्थितियों में समाजवाद का निर्माण करने के लिये हम एक स्पष्ट परिप्रेक्ष्य तैयार कर सकें।

हमने मजदूर वर्ग को साझा सवालों पर संघर्ष में एकजुट करने के लिये महासंघ के विचार को पेश किया है। एकता और संघर्ष हमारा नारा रहा है। फिर भी हमें अपने मंच से भारत में समाजवाद को हासिल करने के अन्तिम लक्ष्य के लिये मजदूर वर्ग को स्वतन्त्र रूप से शिक्षित करना होगा।

वर्तमान काल में मजदूर वर्ग के कंधे पर जो ऐतिहासिक जिम्मेदारी आयी है, मजदूर वर्ग उसके पालन में समर्थ बने; निःसन्देह यह कार्य कठिन तथा जटिल है लेकिन यदि हम अडिग और दृढ़-निश्चय के साथ सही रास्ते पर चलते रहें तो हम मजदूर वर्ग को तथा हमारे देश की जनता को हमारे समाज के अत्यन्त जरूरी रूपान्तरण को पूरा करने के लिये जागृत और संगठित कर सकेंगे।

- **सीआईटीयू का ७वां सम्मेलन जिन्दाबाद !**
- **मजदूर वर्ग की एकता और एकजुटता को आगे बढ़ाओ !!**
- **साम्राज्यवादी हथकंडों को परास्त करो !!!**
- **सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद एवं विश्व शान्ति दीर्घजीवी हो !!!!**

स्वागत भाषण

मनोरंजन राय

महासचिव, स्वागत समिति

कामरेड अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथिगण तथा कामरेड प्रतिनिधिगण

हमारे निमन्त्रण पर सीआईटीयू के सातवें अखिल भारतीय अधिवेशन में शामिल होने के लिये आये विदेशी मेहमानों का स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा हैं। मुझे देश के तमाम हिस्सों से आये प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए भी बेहद खुशी हो रही है जिनके पास न सिर्फ मजदूरवर्ग के आर्थिक हितों के लिये बल्कि हमारे देश के खास तौर पर पंजाब में विभाजनकारी शक्तियों और तत्ववादियों तथा अन्य प्रतिक्रियावादी शक्तियों से लड़ने का समृद्ध और विविध अनुभव है। दार्जिलिंग, डुआर्स तथा पंजाब में अलगाववादियों से लड़ते हुए जिन्होंने अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी, मैं उन बहादुर कामरेडों के प्रति अपनी गहरी समवेदना व्यक्त करता हूं तथा उन क्षेत्रों से सम्मेलन में भाग लेने के लिये आये कामरेडों का अभिनन्दन करता हूं।

भारी मन से मैं सीआईटीयू के संस्थापक अध्यक्ष, दिशा-निर्देशक, चिन्तक और नेता कामरेड बी टी रणदिवे का स्मरण करता हूं जिनका ६ अप्रेल १९९० को देहान्त हो गया। जब तक जिन्दा थे, कामरेड बी टी रणदिवे के दिशा-निर्देशन और नेतृत्व के बिना हम सीआईटीयू के अखिल भारतीय सम्मेलन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अब से हमें खुद यह काम करना होगा। मैं आदर के साथ सीआईटीयू के संस्थापक महासचिव का० पी० राममूर्ति, सीपीआई (एम) के पोलिट ब्यूरो के सदस्य तथा उसकी पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के सचिव सरोज मुखर्जी, सीआईटीयू के सचिव का० नृसिंह चक्रवर्ती, कामरेड विजय पाल, सुबोध सेन तथा अन्य कामरेडों का स्मरण करता हूं जो १९८७ में बम्बई में हुए सीआईटीयू के छठे सम्मेलन के बाद के इस काल में दिवंगत हुए हैं। मैं सीआईटीयू के उपाध्यक्ष तथा हमारी राज्य कमेटी के अध्यक्ष का० महम्मद इस्माइल के चले जाने पर भी शोक व्यक्त करता हूं। वे मजदूरवर्ग के हित में आजीवन लड़ने वाले अपराजेय सेनानी थे।

कामरेड, इसी कलकत्ता शहर में सीआईटीयू के स्थापना सम्मेलन की मेज़बानी का हमें गर्व रहा है। इसकी स्थापना के २० वर्ष बाद आज यहीं ७वां सम्मेलन हो रहा है। इस शहर की ब्रिटिशकाल से ही साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्षों तथा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद की एक समृद्ध परम्परा रही है।

केरल के बाद इसी राज्य में कांग्रेस को १९६७ के बाद बार-बार पराजित किया जाता रहा है। कृपया मुझे इन पराजयों, पश्चिम बंगाल के मजदूरवर्ग, किसानों, छात्रों, महिलाओं तथा जनता के अन्य हिस्सों के संघर्ष की पृष्ठभूमि के बयान में चन्द शब्द कहने की अनुमति दीजिये। यहां यह उल्लेख करना अनावश्यक नहीं होगा कि १९५० से १९७६, अर्थात् २६ वर्षों के काल में वामपंथी पार्टियों के नेतृत्व में मजदूर वर्ग तथा जनता के अन्य हिस्सों ने ३७ बंगाल बन्द तथा आम हड़ताल संगठित किये। १९६० से १९६९ के सिर्फ १० वर्षों के काल में ही १७ बार बंगाल बन्द तथा आम हड़तालें हुई जिनमें एक ४८ घंटों की भी थी।

१९७०-७६ के काल में राज्य के मजदूर वर्ग, किसानों, छात्रों, नौजवानों तथा महिलाओं ने अर्द्धफासिस्ट आतंक के बुरे दिनों को भोगा है। इस काल में सीपीआई(एम) के ११०० कार्यकर्ताओं की, जिनमें ३३० मजदूर थे, हत्या की गयी, सीआईटीयू के १३० दफ्तरों पर प्रशासन से समर्थनप्राप्त कांग्रेसी गुंडों ने जबर्दस्ती कब्जा कर लिया तथा सीपीआई(एम) के लगभग २० हजार समर्थकों को उनके इलाकों से उजाड़ दिया गया। बहुत-से स्थानों तथा कारखानों में स्वतन्त्र रूप से काम तक करना सीआईटीयू यूनियनों के लिये असम्भव हो गया था। तब भी वामपन्थी ट्रेड यूनियनों तथा वामपन्थी पार्टियों ने इस आतंक के खिलाफ व अन्य मांगों पर १९७० में दो बार, १९७३ में दो बार तथा आपातकाल की घोषणा के ठीक पहले दिन आम हड़ताल और बंगाल बन्द संगठित किया। बंगाल बन्द के अलावा, विभिन्न उद्योगों के मजदूरों तथा किसानों ने कई संघर्ष चलाये। खास तौर पर बेदखली के खिलाफ बंटाईदारों ने तथा भूमिहीन और गरीब किसानों ने सरकार अधिकृत अतिरिक्त और बेनामी जमीन पर कब्जा करके संघर्ष चलाये। इन तमाम संघर्षों और बन्दों की शृंखला के बल पर ही १९७७ में वाम मोर्चा सरकार बनी तथा पिछले १४ वर्षों से बरकरार है।

वाम मोर्चा सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि गरीब और भूमि-हीन किसानों, खास तौर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के बीच सरकार अधिकृत अतिरिक्त और बेनामी जमीन का वितरण रही है। पश्चिम बंगाल के पास जहां देश की कुल कृषियोग्य जमीन का सिर्फ ४ प्रतिशत हिस्सा है, वहीं लेकिन अकेले वाम मोर्चा सरकार देश की कुल सरकार अधिकृत अतिरिक्त जमीन का २० प्रतिशत बांटने में समर्थ हुई है। दूसरा देहाती क्षेत्रों के विकास में त्रिस्तरीय पंचायतों की भूमिका भी देश में बिल्कुल अलग ही रही है। फिर भी, हम अपनी सांगठनिक कमजोरियों के प्रति सचेत हैं और यह महसूस करते हैं कि वाम मोर्चे के शासन के दौरान राज्य में सीआईटीयू की और ज्यादा अग्रगति होनी चाहिए थी।

कामरेड, मजदूर वर्ग आज मिल बन्दी, ताला बन्दी तथा देशभर में भारी संख्या में औद्योगिक इकाइयों की बीमारी के चलते गम्भीर परिस्थिति के सम्मुखीन है। पश्चिम बंगाल में इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित चटकलें हुई हैं। वे इस हद तक प्रभावित हुई हैं कि १९८६-८९ के दौरान राज्य की कुल ५९ चटकलों में लगभग १८ मिलें औसतन बन्द रहीं या हर महीने तालाबन्दी में रहीं। चटकल के अलावा इंजीनियरिंग, कपड़ा मिलों, दवा उद्योगों तथा अन्य उद्योगों की स्थिति भी बेहतर नहीं है। राज्य सरकार ने १३ बीमार इकाइयों का अधिग्रहण किया है। इनमें वे तीन इकाइयां भी शामिल हैं, जिन्हें राजीव सरकार ने पूरी तरह बन्द घोषित कर दिया था तथा उनमें से १० का राष्ट्रीयकरण कर लिया। सबसे बड़ी चटकल, जिसमें लगभग १५ हजार मजदूर काम करते हैं, फिलहाल मजदूरों तथा राज्य सरकार के संयुक्त प्रयत्नों से चल रही है। राज्य का मजदूरवर्ग यह समझता है कि उद्योगों की बीमारी की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है और जब तक केन्द्रीय सरकार अपनी औद्योगिक नीति नहीं बदलती, राज्य सरकार अपनी सीमित सत्ता और संसाधनों से इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। फिर भी, राज्य का मजदूर वर्ग तालाबन्दी और मिलबन्दी के रूप में किये जा रहे हमलों के खिलाफ लगातार संघर्ष चला रहा है।

यद्यपि इस राज्य में लघु पैमाने की औद्योगिक इकाइयों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है, जो ३,०८,३०५ तक पहुंच गयी है तथा जिसमें २१,३१,७७० मजदूर काम करते :हैं, तथापि देश में बेरोजगारी की चौंका देनेवाली संख्या को देखते हुए यह नगण्य है। देश में बेरोजगारों की संख्या १० करोड़ तक पहुंच गयी है जिनमें देहाती क्षेत्रों के ७ करोड़ बेरोजगार शामिल हैं तथा ३ करोड़ शहरों में रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत बेरोजगार हैं। संविधान में काम के अधिकार को मूलभूत अधिकार के रूप शामिल करने को अभी तक हासिल नहीं किया जा सका है। मुझे आशा है कि सम्मेलन इस मांग को हासिल करने के लिये संघर्ष के कार्यक्रम अपनायेगा।

कामरेड, हमारा देश एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा हैं जिसे आजादी के बाद से अबतक हमने कभी अनुभव नहीं किया था। पंजाब, कश्मीर, असम आदि में विभाजनकारी ताकतों द्वारा पैदा की गयी परिस्थिति हमारे देश की एकता और अखंडता के लिये एक गम्भीर खतरे का रूप ले चुकी है। विभाजनकारी शक्तियों द्वारा पैदा की गयी परिस्थिति के ऊपर, देशभर में, बिहार उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आन्ध्रप्रदेश आदि में फैले हुए साम्प्रदायिक दंगों ने हमारे संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र तथा हमारे समाज के धर्म-निरपेक्ष ताने-बाने को गम्भीर चुनौती दी है। देश का विभाजन करा देनेवाले १९४६ के दंगों के बाद हमने कभी इतने बड़े पैमाने पर दंगें नहीं देखे थे। इसने यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि देश की एकता की रक्षा की जा सकेगी या नहीं। पश्चिम बंगाल में तत्ववादी यद्यपि साम्प्रदायिक दंगें भड़काने की भरसक कोशिशें करते रहे हैं, लेकिन वे अबतक सफल नह हुए हैं। लेकिन हम इस मामले में आत्मतुष्ट नहीं हो सकते।

कामरेड, खाड़ी युद्ध के कारण एक नयी परिस्थिति पैदा हुई है जो गम्भीर रूप धारण करती जा रही है तथा इस पूरे क्षेत्र के परिवेश और आर्थिक समृद्धि पर खतरा पैदा कर रहा है। अपना विश्व-वर्चस्व कायम करने के लिये अमरीकी साम्राज्यवादियों ने शान्ति के सारे रास्तों को ठुकरा कर युद्ध छेड़ दिया है। वियतनाम युद्ध के बाद से इराक पर किये जा रहे हवाई हमले की बर्बरता और व्यापकता की कोई नजीर नहीं मिलती। यदि लम्बे काल तक युद्ध जारी रहता है तो हमारा देश अत्यन्त गम्भीर आर्थिक परिस्थिति में पड़ जायेगा। मुझे यकीन है कि सम्मेलन इस पर गौर करेगा तथा तदनुरूप निर्णय लेगा।

कामरेड, इसी बीच स्वतन्त्र भारत के इतिहास की सबसे बदनुमा घटना ने समूचे राष्ट्र को सकते में डाल दिया है। खाड़ी युद्ध शुरू होने के पहले से ही इन्का समर्थित चन्द्रशेखर सरकार ने अमरीकी लड़ाकू विमानों तथा नाभिकीय शस्त्रों से लैस पोतों को भारतीय हवाई अड्डों तथा बन्दरगाहों से फिर से तेल लेने की सुविधा देनी शुरू कर दी। यह अमरीकी साम्राज्यवादियों के सामने शर्मनाक समर्पण की ही घटना नहीं हैं बल्कि साम्राज्यवाद विरोध और गुट-निरपेक्षता की लम्बे काल से चली आ रही हमारी परम्परा के प्रति विश्वासघात भी है। इसमें शक नहीं कि इस बेशर्म समर्पण के पीछे आईएमएफ से ३२७५ करोड़ रुपये का कर्ज लेने की चन्द्रशेखर सरकार की कोशिश का हाथ रहा है।

हम तमिलनाडु में डीएमके सरकार को अचानक गिराने तथा वहां राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने की घटना से भी आहत हैं। इस अत्यंत अल्पमत की चन्द्रशेखर सरकार ने कांग्रेस (इ) और एआईडीएमके के कहने पर नग्न तानाशाहीपूर्ण कदम उठाया है। इन पार्टियों के समर्थन पर ही यह सरकार टिकी हुई है। हम इस अत्यन्त जनतन्त्र-विरोधी कदम की निन्दा करते हैं तथा अपने प्रतिवाद को जाहिर करने के लिये हमने पिछली ६ फरवरी को मुकम्मिल बंगाल बंद का पालन किया।

एकबार फिर मैं आप सभी कामरेडों का अभिनन्दन करता हूं तथा आशा करता हूं कि सम्मेलन मजदूरवर्ग और जनता के हितों में उपरोक्त तमाम मुद्दों पर निर्णय लेगा।

कामरेड, यहां आप का प्रवास अधिक से अधिक आरामदेह हो सके, इसकी हमने भरसक कोशिश की है। मुझे आशा है कि आपको यदि कोई कठिनाई या असुविधा होगी तो आप उसमें हमारे सहभागी बनेंगे।

क्रान्तिकारी अभिनन्दन के साथ

आपका

मनोरंजन राय

महासचिव, स्वागत समिति

शान्ति आन्दोलन पर प्रस्ताव

कलकत्ता में १३ से १७ फरवरी तक सम्पन्न सीआईटीयू का सातवां सम्मेलन साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा हाल में की जा रही जबर्दस्त युद्ध की तैयारियों और शान्ति के खिलाफ उनकी हमलावर मुहिम के प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त करता है। यह भी गौरतलब बात है कि साम्राज्यवादी, खासतौर पर अमरीका समाजवाद की मौजूदा दिक्कतों और शान्ति आन्दोलन की कमजोरी से फायदा उठा कर प्रत्येक क्षेत्रीय विवाद का इस्तेमाल विश्व पर हावी होने की अपनी नीति के तहत तीसरी दुनिया के देशों पर कई असमान युद्ध थोपने के लिये कर रहा है।

सम्मेलन चिन्ता के साथ यह भी गौर करता है कि सोवियत रूस और डब्लूएफटीयू नेतृत्व द्वारा साम्राज्यवादविरोधी संघर्ष से शान्ति आन्दोलन को अलग रखने और साम्राज्यवाद तथा एकाधिकारी वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष में उनकी बढ़ती हिचकिचाहट से आईएनएफ संधि की उपलब्धियों को आगे ले जा सकने में दिक्कत पैदा हो गयी हैं। खाड़ी युद्ध ने साम्राज्यवादी शोषण, दुनिया पर हावी होने की उसकी ललक और युद्ध के बीच सम्बन्धों को पुनः उजागर कर दिया है। आईएनएफ संधि पर हस्ताक्षरपूर्ण निशस्त्रीकरण की दिशा में एक स्वागतयोग्य कदम था हालांकि उससे केवल ४ से ५ प्रतिशत कम और मध्यम दूरी की मारवाले प्रक्षेपास्त्रों का ही खात्मा हुआ था लेकिन आज के वर्तमान सन्दर्भ में अब उसकी कम ही महत्व रह गई है जबकि साम्राज्यवादियों द्वारा तमाम हथियारों का ढेर लगाने और हथियारों को आधुनिकतम बनाने की कार्यवाहियां तेज हो गई हैं। अन्तरिक्ष से युद्ध लड़ने की एसडीआई योजना की तैयारियां अभी भी जारी हैं। अमरीकी नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय सेनाओं का इराक के खिलाफ उच्च तकनीकी युद्ध अमरीका की मारक क्षमता में अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी का द्योतक हैं, सटीक निशानेबाजी और विध्वंसक क्षमता दोनों में ही यह बात सामने आ चुकी है। सम्मेलन आईएनएफ संधि और निशस्त्रीकरण की वार्ता के नतीजों को साम्राज्यवाद के खिलाफ विश्वव्यापी शान्ति आन्दोलन उससे जुड़ी सोवियत संघ की प्रतिरक्षात्मक तैयारियों तथा युद्ध के खिलाफ स्वयं अमरीका में पैदा हुई जन चेतना के सन्दर्भ में देखता है। सम्मेलन चिन्ता के साथ यह भी गौर करता है कि भारत में भी शान्ति आन्दोलन के धीमा होने का प्रभाव पड़ा है। इसके बावजूद खाड़ी युद्ध के खिलाफ अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इराक-विरोधी गठबंधन के देशों सहित सम्पूर्ण दुनिया में विशाल जन-प्रदर्शनों की लहर बढ़ रही है, जो विश्व शान्ति आन्दोलन की जबर्दस्त क्षमता को प्रदर्शित करती है।

सम्मेलन मजदूर वर्ग और जनता से आह्वान करता है कि वह अपनी पहल और जोश को आगे बढ़ाते हुए निशस्त्रीकरण के पक्ष में तथा विश्व शान्ति को खतरे में डालनेवाली साम्राज्यवादी ताकतों और उनकी मुहिम के खिलाफ एक विशाल जन-आन्दोलन को खड़ा करें। यह राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों से भी आह्वान करता है कि वे संयुक्त ट्रेड यूनियन आन्दोलन के महत्वपूर्ण विषय के रूप में शान्ति के सवाल को उठायें और खाड़ी युद्ध को तत्काल रोकने तथा फिलिस्तीन एवं कुवैत सहित मध्य-पूर्व की समस्त समस्याओं के समाधान के लिये व्यापकतम सम्भव लोगों को इस मुहिम में जुटायें।

डीएमके सरकार को बर्खास्त करने के विरोध में प्रस्ताव

कलकत्ता में १३ से १७ फरवरी १९९१ को सम्पन्न सीटू का यह सातवां राष्ट्रीय सम्मेलन, चुनी हुई डीएमके सरकार व तमिलनाडु विधानसभा भंग करने की चन्द्रशेखर सरकार द्वारा किये गए राजनीतिक जुर्म के लिए यह सम्मेलन सरकार की भर्त्सना करता है।

सम्मेलन महसूस करता है कि यह कार्य देश के जनतान्त्रिक व संघीय ढांचे पर तानाशाही पूर्ण प्रहार है। प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर की अपनी घोषणाओं व बयानों के बावजूद सरकार द्वारा संविधान पर हमला किया गया और इसकी अवहेलना की गई।

कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होने की बात न केवल झूठी है बल्कि मनगढ़न्त है, जबकि यह सरकार त्रिपुरा में कांग्रेस(इ)-टीयूजेएस गठबन्धन सरकार को सहन कर रही है जहां कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी है। यह बात मौजूदा वित्तमन्त्री के नेतृत्व में सांसदों के एक दल ने त्रिपुरा के दौरा करने के बाद बताया है। डीएमके सरकार व लिट्टे के सम्बन्धों में कोई वास्तविकता नहीं है यहां तक कि डीएमके सरकार द्वारा लिट्टे के विरुद्ध कदम उठाए। जिस पर लिट्टे ने करुणानिधि सरकार की आलोचना की। सच्चाई तो यह है कि लिट्टे ने खुला बयान दिया जिसमें डीएमके सरकार के तामिलों को गद्दार कहा गया। चन्द्रशेखर सरकार की दोनों दलीलें इतनी झूठी हैं कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने अधिकाधिक दबाव के बावजूद उन्हें मानने से इनकार कर दिया।

यह सम्मेलन समझता है कि ऐसी केन्द्रीय सरकार जिसे जनता का विश्वास हासिल नहीं है उसने एआईएडीएमके व कांग्रेस(इ) के इशारे पर जनता द्वारा चुनी गई सरकार को गिरा दिया।

इस सम्मेलन का आरोप है कि चन्द्रशेखर सरकार ने अपने को सत्ता में बनाए रखने व एआईएडीएमके के नेता को किसी भी तरह मुख्यमन्त्री बनाने के लिये तमिलनाडु सरकार को गिराया गया।

यह सम्मेलन तमिलनाडु, पांडिचेरी, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल व पूरे देश की जनता को विरोध स्वरूप बन्द, प्रदर्शन व रैलियां आयोजित करने के लिये बधाई देता है।

यह सम्मेलन मजदूर वर्ग व देश की जनता को आगाह करता है कि चन्द्रशेखर द्वारा प० बंगाल की सरकार व केन्द्रीय मन्त्री

सुबोध कान्त सहाय द्वारा बिहार सरकार को गिराने की धमकी से स्पष्ट है कि चुनी हुई राज्य सरकारों को गिराए जाने का खतरा है।

यह सम्मेलन मजदूर वर्ग व जनवादी ताकतों का आह्वान करता है कि बड़े पैमाने पर जबर्दस्त अभियान चला कर कांग्रेस(इ) की इस घिनौनी चाल को नाकाम करें।

फिलिस्तीनी जनता के साथ एकजुटता पर प्रस्ताव

सीआईटीयू का सातवां सम्मेलन फिलिस्तीनी जनता और इंतिफदा आन्दोलन का गर्मजोशी से अभिनन्दन करता है तथा अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा समर्थित यहूदीवादी हमलावरों के खिलाफ उनके अथक राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के साथ एकजुटता व्यक्त करता है।

कुख्यात इजराइली सत्ता निर्मम तरीके से फिलिस्तीनी जनता का बर्बर दमन, आदमियों, औरतों और बच्चों की हत्यायें अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा प्रदत्त भारी हथियारबंद ताकत की मदद से करती रही है। अमरीकी सरकार इजराइल का इस्तेमाल पश्चिम एशिया में अपने सैनिक अड्डे के रूप में कर रहा है। यहां तक कि वहां नाभकीय हथियार अरब जनता को केवल आतंकित करने और धौंसियाने के लिये तैनात किये जा रहे हैं।

यासिर अराफात के नेतृत्व में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन ने फिलिस्तीनी जनता को अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने के संघर्ष में एकजुट करने में ऐतिहासिक भूमिका अदा की है। सरहदों पर इजराइली कब्जे का प्रतिरोध करते हुए हजारों शहीदों ने अपना खून बहाया है। रोजाना ही आधुनिक स्वचालित हथियारों से लोग मारे जा रहे हैं जबकि टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल प्रत्येक प्रदर्शन को कुचलने के लिये किया जा रहा है।

अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा थोपे गये खाड़ी युद्ध ने इजराइली अधिकारियों को फिलिस्तीनी जनता और इंतिफदा आन्दोलन के खिलाफ और ज्यादा बर्बर दमन करने का मौका प्रदान कर दिया है। समस्त कब्जा किये गये क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है।

यह अत्यन्त निन्दाजनक है कि जहां अमरीकी साम्राज्यवादियों ने कुवैत खाली कराने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव को लागू कराने के नाम पर ईराक के खिलाफ बर्बादी ढाने वाली जंग छेड़ दी है, वहीं वह इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों के जमीन पर किये गये अनधिकृत कब्जों को खाली कराने के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ के अनगिनत प्रस्तावों को लागू न होने पर सालों से चुप्पी साधे हुए हैं और उल्टे खुले तौर पर यहूदीवादियों को कब्जायी हुई जमीन पर कब्जा बनाये रखने का खुला समर्थन कर रहे हैं। और उन्हें फिलिस्तीनियों के खिलाफ करने में मदद और उकसावा दे रहे हैं।

सीआईटीयू अल्जीयर्स में पीएलओ के दो नेताओं की यहूदीवादी दलालों द्वारा की गयी जघन्य हत्याओं की तीव्र निन्दा करता है। लेकिन इन आतंकवादी हमलों से फिलिस्तीनी जनता के हौसले को तोड़ा नहीं जा सकता है जो अपनी मातृभूमि को मुक्त करा लेने तक संघर्ष जारी रखने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ हैं।

सीआईटीयू मांग करता है कि इजराइल फिलिस्तीन पर से अपना कब्जा तुरन्त खाली करे ताकि फिलिस्तीनी जनता आजादी से रह सके और अपनी इच्छाओं के अनुरूप अपने देश का विकास कर सके।

सीआईटीयू फिलिस्तीनी जनता को दिये गये अपने इस आश्वासन को पुनः दोहराती है कि अमरीका द्वारा समर्थित यहूदीवादी सत्ता के खिलाफ फिलिस्तीनी जनता के राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन में भारत का मजदूरवर्ग औ जनता मजबूती से उनके समर्थन में रहेगी।

त्रिपुरा पर प्रस्ताव

१३ फरवरी से १७ फरवरी को कलकत्ता में आयोजित सीटू का यह सातवां सम्मेलन, त्रिपुरा की कांग्रेस (इ) टीयूजेएस गंठजोड़ सरकार की कड़ी निन्दा करता है जो राज्य मशीनरी की मदद से तमाम राज्य में सीटू, सीपीआई (एम) व अन्य जनसंगठनों पर हिंसा कर रहा है और वामपन्थी पार्टियों व उनके कार्यकर्त्ताओं तथा उनके परिवारजनों पर अशोभनीय व बेमिसाल अवैधानिक हिंसा कर रहा है, जिसमें हत्याएं, कार्यालयों को जलाना तथा सम्पति का नुकसान शामिल है। बलात्कार आम दिनों की घटनाएं बन गई हैं। १९८८ केन्द्र में राजीव गांधी के शासन काल में जब कांग्रेस (इ) टीयूजेएस का गठजोड़ चुनाव में धांधली तथा हिंसा करके और सेना की मदद के कारण सत्ता में आया है। तब से राज्य में कानून नाम की कोई चीज नहीं हैं बची है और जंगल राज है। कांग्रेस (इ) के गुन्डे राज्य पुलिस की मदद से आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं, यहां तक कि अर्ध सैनिक बलों और सैनिकों द्वारा सामूहिक बलात्कार की घटनाएं रोजमर्रे की बात बन गई है।

उक्त हिंसा का मुख्य निशाना प्रदेश की जनतांत्रिक संस्थाएं तथा जनवादी मुल्य और जनवादी परम्पराए हैं। यह गंठजोड़ हिंसा के बल पर, लोगों के मन में लोगों के मन में दहशत पैदा कर, पूरे समाज को अपने कदमों पर झुकाना चाहता है। राज्य मशीनरी में गुण्डा तत्वों को शामिल कर हिंसा करवायी जा रही है। हिंसा, हत्याओं के इस माहौल में ही लोकसभा स्वाथ्य परिषद, जिला परिषद के चुनाव जबरदस्त धांधली व हिंसा के द्वारा बूथ पर कब्जे किए गए। सैकड़ों सीटू व सीपीआई (एम) कार्यकर्त्ताओं की हत्या कर दी गई। यहां तक कि सम्मानीय नेताओं जैसे का० नृपेन चक्रवर्ती और का० दशरथ देव पर भी शारीरिक हमले किए गए। सवायत्त जिला परिषद के चुनाव में १८ कामरेड शहीद हो

गए तथा हजारों घायल हो गए। त्रिपुरा की जनसंख्या, खासकर आदिवासी जनसंख्या का हिस्सा अपने जनवादी अधिकारों से वंचित कर दिया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह माना गया है कि इस प्रशासन ने राजनैतिकों को खत्म करने के लिए खुनियों से हाथ मिला लिए हैं। सीटू द्वारा की गई शिकायतों को भारत सरकार द्वारा अनदेखा किए जाने के बावजूद, आईएलओ ने यह माना है त्रिपुरा में हिंसा विहिन वार्तावरण तथा ट्रेड यूनियन की गतिविधियों के लिए स्वतन्त्र माहौल का अभाव है। इसी सन्दर्भ में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा नियुक्त जांच कमेटी जिसके अध्यक्ष वित्तमन्त्री यशवंत सिन्हा थे, उन्होंने भी स्वाकार किया है कि त्रिपुरा में जनतान्त्रिक अधिकार समाप्त हो गए हैं।

सम्मेलन का यह:मानना है कि त्रिपुरा कांग्रेस (इ) टीयूजेएस का गठजोड़ व उसकी सरकार मानवता के प्रति सभी तरह के अपराधों में सलग्न है तथा सभ्य समाज में जनवादी अधिकारों को कुचल रही है। यह सरकार गुण्डों की गिरोह की तरह काम कर रही है। यह सत्ता में बने रहने का अधिकार खो चुकी है। इस गिरोह का सत्ता में बने रहना भारत की जनता के लिए एक चुनौती है। जिस जनता ने पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंका था।

यह सम्मेलन त्रिपुरा की जनता को उनकी बहादूरी तथा अतुलनीय त्याग, जो वह अर्धफासीवादी आतंक की चुनौती का मुकाबला करके दिखा रही है, गर्मजोशी से अभिनन्दन करता है। यह सम्मेलन तमाम मेहनतकश अवाम व सभी जनवाद समर्थक ताकतों का आह्वान करता है कि वे उक्त संघर्ष में अपना भरपूर समर्थन दें तथा एक व्यापक जनवादी आन्दोलन विकसित करें जो कांग्रेस(इ) टीयूजेएस गठजोड़ को सत्ता की लगाम छोड़ने पर विवश कर दे।

बगदाद में नागरिक बंकर पर अमेरिका द्वारा सीधी बमबारी की कार्यवाही के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव

बी० टी० रणदिये नगर कलकत्ता में १३ से १७ फरवरी १९९१ तक आयोजित सीटू का सातवाँ सम्मेलन अमेरिकी सेनाओं द्वारा दिनांक १३ फरवरी, ९१ को बगदाद स्थित नागरिक बंकर पर की गयी बर्बर बमबारी पर गहरी क्षोभ व्यक्त करते हुये इसकी कड़ी निन्दा करता है। इससे जहां एक ओर बड़े पैमाने पर विनाश हुआ वहीं इस कार्यवाही ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई क्रूरतापूर्ण अमानुषिक घटनाओं को भी पीछे छोड़ दिया है। इस विनाशकारी खाड़ी युद्ध को अविलम्ब रोकने के पक्ष में जुटे प्रबल विश्वजनमत के व्यापक समर्थन के कारण अमेरिका निरंतर अलग-थलग पड़ता गया, जिससे बौखला कर अमरीकी साम्राज्यवादी सेनाओं द्वारा ईराक को बर्बाद करने की नीयत से अब तक के मानवीय इतिहास में किया गया सबसे जघन्य हमला है। इस हमले द्वारा, स्कूल, नर्सरी तथा नागरिकों के भूमिगत शरणस्थल को निशाना बनाया गया जिसमें कम से कम २००० निर्दोष नागरिकों जिनमें अधिकांश महिलायें व बच्चे शामिल हैं की हत्या की गई है जिससे अमरीका का यह दावा गलत सिद्ध हो जाता है कि आम नागरिकों को हवाई हमले का शिकार नहीं बनाया जा रहा है।

यह सम्मेलन विश्व जनमत एवं भारत सरकार से आग्रह करता है कि सुरक्षा परिषद पर दबाव डाल कर अमेरिकन साम्राज्यवादी सेनाओं द्वारा जारी युद्ध को समाप्त कराने के लिये बाध्य करें। सम्मेलन मजदूरवर्ग का आह्वान करता है कि अमेरीकन सामराजी ताकतों द्वारा मानवता के विरुद्ध किये जा रहे भयानक हमले के खिलाफ व्यापक जन अभियान तेज करें।

चन्द्रशेखर सरकार के वर्तमान तानाशाही रवैये के विषय में प्रस्ताव

कलकत्ता में सीआईटीयू का १३ फरवरी से १७ फरवरी का सातवां सम्मेलन, बिहार के राज्यपाल श्री मोहमद यूनुस सलीम को मनमानें ढंग से बर्खास्त करने तथा तामिलनाडु के राज्यपाल श्री सुरजीत सिंह बरनाला को त्याग पत्र देने के लिए विवश करने के केन्द्र सरकार के अलोकतान्त्रिक व असंवैधानिक कार्य का घोर विरोध करता है। चन्द्रशेखर सरकार का यह कदम, सरकारिया कमीशन की उन सिफारिशों के विरुद्ध है जिसमें राज्यपाल सम्बन्धित नियुक्ति, तबदीली व बर्खास्तगी सम्बन्धित राज्य सरकार की सहमति से होनी चाहिये।

यह दोनों राज्यपाल, चन्द्रशेखर सरकार के कथनानुसार हस्ताक्षर न करने पर प्रतिशोधात्मक कार्यवाही के शिकार बने। सीटू सभी जनता के जनवादी हिस्सों का आवाहान करती है कि वे चन्द्रशेखर सरकार के इस तानाशाही कदम का विरोध करें।

असम पर प्रस्ताव

सीटू का यह ७वां सम्मेलन जो १३ से १७ फरवरी, १९९१ तक कलकत्ता में आयोजित हुआ चन्द्रशेखर सरकार के उस काम की कड़ी आलोचना करता है जो कांग्रेस (इ) के दबाव में उसने असम की चुनी सरकार को बर्खास्त कर दिया और २७ नवम्बर, १९९० से पूरे राज्य में डिस्टर्बड एरिया एक्ट और आर्मड पोसिज स्पेशल पावर एक्ट के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी। जबकि असम गण परिषद सरकार के समय उत्पन्न बिगड़ी कानून और व्यवस्था से राजनैतिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार के विकल्पों से प्रभावशाली रूप से हस्तक्षेप किया जा सकता था। राष्ट्रपति शासन के लागू होते ही नागरिकों की स्वतन्त्रता का हनन हुआ।

साथ ही कांग्रेस का यह भी स्पष्ट मत है कि असम गणपरिषद सरकार बिगड़ती कानून और व्यवस्था को नियन्त्रित करने में पूरी

तरह असफल रही है जिसके कारण अलगाववादी और पृथकतावादी ताकतों की बढ़ती धमकियों बढ़ते आतंकवाद हिंसा और असम की एकता को खतरा के साथ-साथ पूरे देश की एकता को खतरा बढ़ा जिससे चन्द्रशेखर सरकार को हस्तक्षेप करने का मौका मिला।

सीटू का यह दृढ़ विचार है कि राष्ट्रपति शासन और दमनकारी कानून असम की बिगड़ती कानून और व्यवस्था का सही विकल्प नहीं है। केन्द्र सरकार द्वारा अलोकतांत्रिक ढंग से उठाया गया यह कदम उल्टा पड़ेगा जिससे देश की प्रजातान्त्रिक प्रणाली तथा एकता और अखंडता को खतरा बन जाएगा।

कांग्रेस हाल ही में असम में भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों द्वारा किए गए सांप्रदायिक प्रचार से भी वास्ता रखती है जिसके कारण कई स्थानों, विशेष रूप से दक्षिणी असम में बरक घाटी में सांप्रदायिच दंगे हुए जिसके परिणाम स्वरूप प्रभावित इलाकों में सांप्रदायिक शांति को खतरा पहुंचा और कई निर्दोष लोगों की जानें चली गईं। कांफ्रेंस भाजपा के इस सांप्रदायिक प्रचार की कड़ी निन्दा करती है और मांग करती है कि सरकार शीघ्र ही उनके विरुद्ध कड़े कदम उठाएं।

कांफ्रेंस यह भी नोट करती है कि कांग्रेस (इ) ऐसी ताकत है जो दमनात्मक हथकंडे अपना कर चुनाव कराने का प्रयत्न कर सकती है। असम गण परिषद भी इलाकावादी भावनाओं को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। राज्य के विभिन्न भागों में जातिवादी और सांप्रदायिक-ताकतें भी कम भाग नहीं ले रही हैं। कांफ्रेंस मजदूर वर्ग से और साथ ही साथ असम की जनता से भी अपील करती है कि लोकतन्त्र पर बढ़ते हमलों का एकजुट हो कर जवाब दें और अलगाववादी और साम्प्रदायिक ताकतों द्वारा उत्पन्न स्थितियों को भी विफल करें।

कांफ्रेंस मांग करती है कि पूरे राज्य में डिस्टर्बड एरिया एक्ट और आर्म्ड स्पेशल पावर एक्ट को वापिस लिया जाए। कांफ्रेंस मांग करती है कि वहां की परिस्थितियों को सामान्य बनाया जाए ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की जाए और शीघ्र से शीघ्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जा सके, साथ ही जनतांत्रिक लोगों को इकट्ठा करने के लिए गम्भीर प्रयत्न करने होंगे ताकि न्याय संगत प्रशासनिक कदम उठाते हुए, सभी लोग पृथकतावादी ताकतों का मुकबिला कर सकें।

पंजाब पर प्रस्ताव

सीआईटीयू का यह सातवां अखिल भारतीय सम्मेलन जो कलकत्ता में १३ से १६ फरवरी से हो रहा है, पंजाब में बिगड़ती हुई परिस्थिति पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करता है। खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा निर्दोष व्यक्तियों राजनैतिक विरोधियों और सुरक्षा कर्मियों की हत्याओं खतरनाक अनुपात से बढ़ रही हैं। पिछले ३ वर्षों मेंइन हत्याओं की संख्या ७०० से अधिक हो गयी है। बैंक डकैतियों और अपहरण द्वारा धन की फिरौती वसूलने की घटनाएं प्रतिदिन बढ़ रही हैं। यह राष्ट्रविरोधी अपराधी जिनको साम्राज्यवादियों और प्रतिक्रियावादी पाकिस्तानी प्रशासन से प्रशिक्षण और अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रों की शक्ल में समर्थन प्राप्त है, अल्पसंख्यक समुदाय की जनता को अपना विशेष निशाना इसलिये बनाते हैं कि साम्प्रदायिक झगड़े छेड़े जा सकें और उसके फलस्वरूप पंजाब के बाहर सिखों के विरुद्ध जवाबी आक्रोश उभाड़ा जाये जिससे पृथकतावादी भावनाओं को भड़काया जा सके। प्रशासन आम जनता के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा को सुनिश्चित करने में असफल रहा है। सीमावर्ती जिलों में लगभग सभी गांवों और कसबों से हिन्दू और खाते-पीते सिख शहरों की ओर और कुछ हालात में पंजाब के बाहर भी पलायन कर रहे हैं। अबाध गति से बढ़ रहे आतंकवाद के चलते राज्य की अर्थव्यवस्था निरन्तर बिगड़ती जा रही है और मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता के अन्य हिस्सों का जीवनस्तर गिर रहा है। यह सम्मेलन गम्भीर चिन्ता और दुख के साथ यह नोट करता है कि प्रशासन का एक भाग परिस्थिति का बेजा फायदा उठा रहा है और बड़े पैमाने पर व्यापक भ्रष्टाचार द्वारा धन एकत्र कर रहा है। कई स्थानों पर वे मालिकों के आदेश पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और धारा १४४ का इस्तेमाल मजदूर वर्ग के विरुद्ध करने में भी नहीं संकोच करते हैं। यहां तक कि न्यायोचित और शान्तिपूर्ण ट्रेड यूनियन कार्यवाही की भी इजाजत नहीं दी जाती।

राजीव गांधी सरकार की संकीर्ण पक्षपातपूर्ण नीति ने पंजाब की परिस्थिति को बद से बदतर बना दिया। यह दूर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने प्रारम्भ के कुछ सकारात्मक पहल लेने के बाद इस समस्या के राजनैतिक समाधान के प्रति आवश्यक प्राथमिकता देना बन्द कर दिया। यह सम्मेलन और चिन्ता के साथ यह नोट करता है कि चन्द्रशेखर सरकार की गलत नीति से पंजाब की परिस्थिति और भी बिगड़ गयी है क्योंकि गलत संकेत दिये गये जिससे राष्ट्रविरोधी आतंकवादियों से लड़ रहे प्रशासन और अन्य शक्तियों में पस्ती आयी है और आम जनता में असुरक्षा की भावना बढ़ी है और खालिस्तानी आतंकवादियों का उत्साह बढ़ा है। खालिस्तानियों ने समाचारपत्रों और प्रसार माध्यमों के लिये तथाकथित आचार संहिता प्रसारित की हैं और दूर्भाग्य का विषय है कि सरकारी प्रसार माध्यमों ने इस घृणित संहिता के सामने आत्म-समर्पण कर दिया है। यह सम्मेलन सरकार द्वारा जनता के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा के प्रति मुजरिमाना लापरवाही की सख्त निन्दा करता है, और यह समझता है कि केन्द्रीय सरकार की पंजाब समस्या के प्रति वर्तमान गलत नीति के जारी रहने से देश के विघटन का गम्भीर खतरा है।

यह सम्मेलन पंजाब की जनता को बधाई भी देता है कि उन्होंने गम्भीर उसकावे के बावजूद अपने परम्परागत साम्प्रदायिक सद्भाव को कायम रखा है। यह सम्मेलन मजदूर वर्ग को हार्दिक बधायी

देता है कि उसने अपनी वर्गीय एकता को कायम रखा और सीआईटीयू कार्यकर्ताओं, सीपीआई(एम) और सीपीआई सदस्यों के साथ साथ अभूतपूर्व शौर्य और बलिदानी भावना जो उन्होंने पृथकतावादी अतिवादियों के विरुद्ध और साम्प्रदायिक सद्भावना और देश की एकता और अखंडता के लिये संघर्ष प्रदर्शित की। उन्होंने निरन्तर चलानेवाले विचारधारात्मक आन्दोलन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और देशभक्ति के परचम को ऊंचा उठाये रखने में गौरवशाली भूमिका अदा की और दृढ़ प्रतिरोध का प्रदर्शन किया और इस संघर्ष में अपने सैकड़ों पुत्रों का बलिदान दिया।

यह सम्मेलन केन्द्रीय सरकार से मांग करता है कि वह तत्काल एक समग्र नीति अपनाये जिससे पंजाब में शान्ति सामान्य स्थिति पुर्नस्थापित की जा सके, जिसमें सख्त प्रशासनिक कदम, राजीव लोगोंवाल सझौते के ढाचे के अन्तर्गत चंडीगढ़ के हस्तांतरण, मार्ग और क्षेत्रीय विवादों का समाधान, रोजगार और विकास को बढ़ाने के आर्थिक कदम का पैकेज, और संयुक्त अभियान द्वारा राष्ट्रविरोधी अतिवादियों के विरुद्ध जनता को जागृत और आन्दोलित करना शामिल हो।

यह सम्मेलन सीआईटीयू की इकाइयों और देश के मजदूर वर्ग का आह्वान करता है कि वे पंजाब के मजदूर वर्ग और संघर्षशील जनता से जो देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिये संघर्ष कर रही है, के प्रति अपना भाईचारा और मजबूत करे।

काश्मीर पर प्रस्ताव

सीआईटीयू का सातवां अखिल भारतीय सम्मेलन जो कलकत्ता में १३ से १७ फरवरी १९९१ को हुआ, काश्मीर में अबाध गति से बढ़ती हुई पृथकतावादी कार्यवाहियों पर और पाकिस्तान के माध्यम से बढ़ते हुए साम्राज्यवादी हस्तक्षेप पर जिसके के द्वारा उग्रवादियों को पाकिस्तानी कैम्पों में प्रशिक्षित किया जा रहा है, और उन्हें भारत की धरती पर विद्रोही कार्यवाहियां करने के लिए आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है — गम्भीर चिन्ता व्यक्त करता है।

कश्मीर के पृथकतावादी और तत्ववादी कश्मीर की आम जनता की गरीबी, बेरोजगारी और तकलीफों का इस्तेमाल धार्मिक उन्माद भड़काने में आम जनता पर अभूतपूर्व आतंक फैलाने के लिए कर रहे हैं। जिसका उद्देश्य जनतांत्रिक शक्तियों और राज्य प्रशासन को पंगु बनाना है। हत्या, धन की जबरिया वसूली, आदमियों और औरतों का अपहरण रोजाना की घटना हो गयी है। मारे जाने वालों में वामपन्थी और धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के नेताओं के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी और प्रमुख व्यक्ति भी हैं जम्मू कश्मीर विश्व विद्यालय के उप-कुलपति और मीर वाइज मौलवी फारूक जैसे उदारवादी मुस्लिम धार्मिक नेता को भी नहीं बख्सा गया। अल्पसंख्यकों पर पृथकतावादियों के हमलों और असुरक्षा की अतिभावना के कारण अल्पसंख्क जनता का पलायन हो गया है। उनका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और सामाजिक ताने-बाने को समाप्त करने का है।

कश्मीर की दयनीय स्थिति यह स्पष्ट करती है कि कांग्रेस (इ) की लापरवाह और अदूरदर्शी नीतियों का कितना कड़ुवा फल निकलता है। घाटी की जनता जो पहले धर्मनिरपेक्षता और देश भक्ति की मूर्तिमान रूप थी अब बड़े पैमाने पर **alienate** शत्रुवत हो गयी है। इसके पीछे आर्थिक और राजनैतिक कदम हैं। जैसे निर्वाचित सरकारों की बरखास्तगी जिससे न केवल चुनावों में खुली धांधली, बल्कि शान्ति प्रिय जनता के आत्मसम्मान को ठेस लगी है। बल्कि आम जनता की बढ़ती हुई गरीबी की कीमत पर अकूत धन बटोरने वाले लुटेरे शासकों की एक छोटी सी टोली जनता पर लाद दी गयी है। यह प्रक्रिया राजीव गान्धी के शासन काल में बहुत तेजी से बढ़ी है।

भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान की धारा ३७० के अन्तर्गत विशेष प्राविधान को समाप्त करने की शर्मनाक मांग ने राष्ट्र-विरोधी तत्व वादी शक्तियों की प्रचार मशीनरी को बल दिया है।

राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार की **Dettring** कश्मीर समस्या के प्रति ढुलमुल रवैय ने भी समस्या को हल करने में कोई सहायता नहीं की एक निर्वाचित सरकार की बरखास्तगी और खुले पक्षपात-पूर्ण व्यक्ति को कश्मीर के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति से कश्मीरी जनता के मन में केन्द्रीय सरकार की नेकनियती पर अविश्वास पैदा कर दिया है। सरकार जनता की आहत भावना पर मलहम लगाने लिए कोई स्पष्ट नीति निर्धारित करने में भी असफल रही है।

केन्द्र की वर्तमान सरकार ने जो आड़ से चलाई जा रही है कई मुद्दों पर और कश्मीर समस्या के सम्बन्ध में भी साम्राज्यवादियों के प्रति विशेष रूपसे नर्मी दिखाई है और साम्राज्यवादी हस्तक्षेप के खतरे को कम करके दिखाने का प्रयास किया है। वे पाकिस्तान के रोल और हस्तक्षेप और इस प्रकार साम्राज्यवाद के रोल और हस्तक्षेप पर पर्दा डालने का प्रयास किया है और जनता में विश्वास की पुर्नस्थापना के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है।

यह मेम्मेलन मांग करता है कि भारत सरकार शिघ्र उपयुक्त आर्थिक और राजनैतिक कदम उठाए जिससे भारत सरकार के प्रति जनता में विश्वास पुर्नस्थापित हो सके। यह सम्मेलन भारत के मजदूरवर्ग और मेहनतकश जनता का आह्वान करता है कि वे धर्मनिपेक्षता की परम्पराओं को जारी रखते हुए सभी विघटनकारी और साम्प्रदायिक शक्तियों से लड़े और सभी जनतान्त्रिक और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को एक करे।

सीआईटीयू के पदाधिकारी

अध्यक्ष

ई. बालानन्दन

महासचिव

एम. के. पंधे

कोषाध्यक्ष

रंजीत बसु

उपाध्यक्षगण

१. समर मुखर्जी
२. ज्योति बसु
३. मनोरंजन राय
४. सुशीला गोपालन
५. सी. कान्नन
६. एन. प्रसाद राव
७. पी. पी. संजगिरि
८. एस. सूर्यनारायण राव
९. अहिल्या रांगनेकर
१०. आर. उमानाथ
११. चंडी प्रसाद
१२. अमल घोष दोस्तीदार
१३. बैद्यनाथ मजुमदार
१४. कमल सरकार

सचिवगण

१. विमल रणदिवे
२. एम. एम. लारेन्स
३. के. एन. रवीन्द्रनाथ
४. नीरेन घोष
५. पी. के. गांगुली
६. मो. अमीन
७. कनाई बनर्जी
८. जीवन राय
९. चित्तब्रत मजुमदार
१०. श्यामल चक्रवर्ती
११. बलवन्त सिंह
१२. वी. बी. चेरियन
१३. ए. के. पद्मनाभन
१४. के. एल. बजाज

स्थायी आमन्त्रित

शान्ति घटक

जनरल कौंसिल एवं कार्यकारिणी के सदस्य

अण्डमान निकोबर

१. बी. चन्द्रचूड़न

आन्ध्र प्रदेश

*१. परसा सत्यनारायण
*२. वी. श्रीहरि
*३. के. वेंकटेश्वरलु
*४. बी. के. रागावुलु
*५. सी. नरसिंह राव
*६. जी. एस. बालाजी दास
७. अल्लुरी सत्यनारायण
८. वी. उमा महेश्वर राव
९. एम. ए. गफ्फूर
१०. के. जर्ज
११. एस. नरसिंह राव
१२. जे. रंगारेड्डी
१३. जी. कल्यादरी
१४. एस. पुण्याभाई
१५. सरोज
१६. बाद में लिया जायेगा

असम

*१. धनीराम खोसला
*२. बाद में भरा जायेगा
*३. अचिन्त्य दत्त
४. प्रकाश राजखोवा
५. सरबेश्वर दास
६. गजेन बोरा
७. निर्मल दत्त विश्वास

बिहार

*१. जे. एस. मजुमदार
*२. एस. के. बख्शी
*३. रमणिका गुप्ता
*४. के. के. त्रिपाठी
५. नरेन्द्र मिश्र
६. अमरेन्द्र मिश्र
७. गणेश शंकर सिंह
८. ए. के. राय
९. जमुना सहाय
१०. राजनन्दन सिंह
११. जी. के. शुक्ल
१२. मिहिर चौधरी
१३. यादव प्रसाद
१४. अख्तर हुसेन

दिल्ली

*१. सुरजभान भारद्वाज
*२. मोहन लाल
*३. के. एम. तिवारी
४. भगवान प्रसाद
५. पुरन चन्द
६. ब्रह्मजीत सिंह
७. पुष्पिन्दर ग्रेवाल
८. जगदीश मनोचा
९. बाली राम वर्मा

गोवा

१. सीताराम मंडीकर

गुजरात

*१. सुबोध मेहता
२. नागिन भाई पटेल
३. मनिकृष्ण साहा

हरियाणा

*१. एस. एन सोलंकी
२. इन्द्रजीत सिंह
३. राम वृक्ष

हिमाचल प्रदेश

*१. डी. एन. कपूर
२. अशोक वैद्य

कर्नाटक

*१. वी. जे. के. नैय्यार
*२. सी. नंजुनदप्पा
*३. के. मूसावा
५. के. शंकर
६. एम. बी. काट्टी
७. टी. एस. मनि
८. ई. के. राजन

केरल

*१. पी. राघवन
*२. ओ. भरतन
*३. पी. विजयन
*४. एम. वासु
*५. ई. के. इ बिचीबावा
*६. पी. उन्नी
*७. के. पद्मानभान
*८. सी. ओ. पाउलोस
*९. वी. जो. भाष्करन नैय्यर
*१०. ई. के. नारायणन
*११. के. के. चेल्लाप्पन
*१२. वी. के. दासप्पन
*१३. पी. आर. गोपालकृष्ण
*१४. के. एम. अब्राहम
*१५. बी. एस. चन्द्रशेखर पिल्लई
*१६. एन. पद्मलोचन
*१७. सी. पी. करुणाकरण पिल्लई
*१८. पी. केशवन नैय्यर
*१९. ओ. जे. जोशेफ
*२०. अन्थालवोत्तम आनन्दन
*२१. पेरुरकाडा सदाशिवन
*२२. के. ओ. हबीब
*२३. के. के. दिवाकरण
*२४. पी. सरेसप्पन
*२५. ए. नजीमुन्निसा
*२६. के. मूसकुट्टी
*२७. ए. के. नारायणन
२८. के. बालकृष्णन
२९. के. पी. सहदेवन
३०. पी. वी. बालगोपालन
३१. सी. कृष्णन
३२. पी. वी. कृष्णन
३३. पी. गोविन्दन
३४. पी. रामचन्द्रन
३५. इ. नलिनी
३६. पी. कुन्हीकान्नन
३७. टी. पी. रामकृष्णन
३८. टी. एच. के. वारियर
३९. इलामरम करीम
४०. के. दासन
४१. पी. टी. राजन
४२. एच. के. पिशारौटी
४३. पी. नन्दकुमार
४४. एन. पी. सैदालवी
४५. एम. एस. स्कारिया
४६. एम. ए. कृष्णन
४७. इ. के. मेनन
४८. वर्गीज कुमारीकाल
४९. के. एस. डेविड
५०. बी. रामकृष्णन
५१. टी. एम. मुहम्मद
५२. के. चन्द्रन पिल्लई
५३. के. ए. पुष्पकरन
५४. के. आर. गंगाधरन
५५. आर. पिशरोटी
५६. पी. एस. गंगाधरण
५७. वी. के. देवास्सुकुट्टी
५८. सी. के. वासु
५९. बी. सुरेन्द्रन

६०. वी. एच. मणि
६१. के. आर. गंगाधरन
६२. एस. दामोदरन
६३. के. दाशन
६४. पी. रत्नामल
६५. के. के. जयचन्द्रन
६६. के. के. कृष्णन कुट्टी
६७. के. आर. सोदारन
६८. एस. सुन्दरन मनिक्कम
६९. एन. पी. राधामनि
७०. वी. आर. भास्करन
७१. वी. एन. वसवन
७२. के. पी. सुगुनन
७३. पी. के. सोमाराजन
७४. के. तुलसी धरण
७५. के. पी. वीश्वावालसलन
७६. ओचिरा धन्कप्पन
७७. इ. कासीम
७८. के. सुन्दरेशम
७९. लालाजी बाबू
८०. एन. सुन्दरेसन
८१. इन्दिरा
८२. वी. बी. शशिधरन
८३. आर. परमेश्वरन पिल्लई
८४. के. अनिरुद्धन
८५. एस. एस. पोट्टी
८६. आर. राघवन पिल्लई
८७. कत्तकादा शशि
८८. गोपालकृष्णन कुरूप
८९. वी. जयप्रकाश
९०. एम. आर. रवि
९१. एस. जयकुमार
९२. पी. वी. गंगाधरन
९३. एम. राजन
९४. सूसाई एन्टोनी
९५. सी. जे. जोसेफ
९६. पी. मोइडु
९७. कुट्टीईल सोमान
९८. एम. के. कमलाम्मा
९९. भोम धाचान्केरी
१००. ए. पी. वासु
१०१. सी. वी. जय
१०२. वी. एम. श्रीधरन
१०३. टी. एन. राजन.
१०४. जी. राजाम्मा
१०५. लीला वासुदेवन
१०६. ई. बी. कालीदास
१०७. सी. बी. सी. वारियर
१०८. के. ए. आलीअकबर

मध्यप्रदेश

*१ एस. कुमार
२. मोतीलाल शर्मा
३. शैलेन्द्र शैली
४. सी. के. मुखर्जी

महाराष्ट्र

*१. के. एल. मालावडे
*२. यशवन्त कोली
*३. बी. पी. कश्यप
४. पी. सार. कृष्णन
५. सइद अहमद
६. ए. डी. शास्त्री
७. नरसैय्या आदम
८. दिनकर कादब

उड़ीसा

*१. शिवाजी पटनायक
*२. लम्बोदर नायक
*३. अजय राऊत
४. जनार्दन पति
५. दुश्यन्त दास
६. जगत जीवन दास
७. मनमोहन नायक
८. एस. एन. मुदारी

पंजाब

*१. भगत राम
*२. चन्द्रशेखर
*३. विजय मिश्र
*४. बाद में भरा जायेगा
५. रघुनाथ सिंह
६. मुल्क राज
७. भाग सिंह सज्जन
८. इन्द्रजीत सिंह
९. सतपाल भारती
१०. तासीम लाल जोधन
११. अमरनाथ कूमकालम
१२. त्रिलोचन सिंह
१३. बाद में भरा जायेगा

राजस्थान

*१. हेतराम बेनीवाल
*२. के. के. वर्मा
३. रवीन्द्र शुक्ल
४. आर. के. स्वामी

तमिलनाडु

*१. के. रमानी
*२. के. वैद्यिनाथन
*३. टी. के. रंगाराजन
*४. ए. सौन्दर राजन
*५. डब्लू. आर. वरदराजन
*६. एम. नांजाप्पन
*७. जी. रामकृष्णन
*८. के. एम. हरि भट्ट
*९. डी. जानकी रमन
*१०. पी. वी. रामदास
११. एस. चन्द्रशेखरन
१२. वी. कर्मेगम
१३. पी. जी. के. कृष्णन
१४. जे. एल. वीनसेंट
१५. यू. के. बेल्लिगिरी
१६. वी. गणेशन
१७. सी. गोविन्दराजन
१८. पी. एम. कुमार
१९. वी. बालाकृष्णन
२०. एस. ए. थंगराजन
२१. जे. हेमचन्द्रन
२२. पी. सम्पत
२३. के. करुणाकरण
२४. आ. सिंगाराबेलु
२५. टी. आर. पुरुषोत्तमन
२६. एस. कस्तूर रंगन
२७. पी. मरिमुथु
२८. देराई अरुमुगम

२९. एम. राजंगम
३०. एस. पंचरतनम
३१. आर. ईलांगोवन
३२. देवी परमेश्वरी

त्रिपुरा

*१. विमल सिंह
*२. सुदर्शन दास
३. मानिक दे
४. हरिलाल देवनाथ
५. बाद में भरा जायेगा

उत्तर प्रदेश

*१. हर सहाय सिंह
*२. दौलत राम
३. के. एन. भट्ट
४. गुलाब सिंह
५. लक्ष्मी सहगल
६. अरविन्द कुमार

पश्चिम बंगाल

*१. रविन मुखर्जी
*२. हरि साधन मित्र
*३. रविन सेन
*४. नीरेन राय
*५. क्षिति बर्मन
*६. शान्ति घटक
*७. हरिदास मालाकार
*८. राजदेव ग्वाला
*९. आनन्द पाठक
*१०. बामापद मुखर्जी
*११. मानिक सन्याल
*१२. प्रवीर सेन
*१३. सुभाष चक्रवर्ती
*१४. काली घोष
*१५. आरती दास गुप्ता
*१६. मृणाल दास
*१७. शिवप्रसाद भट्टाचार्य
*१८. रघुनाथ कुशारी
*१९. मृणाल बनर्जी
*२०. शान्तश्री चटर्जी
*१२. दीपक दासगुप्त
*२२. लखन सेठ
*२३. लक्ष्मी सेन
*२४. सोमेन कुण्डू
*२५. सुखमय पाल
*२६. निशा राय
*२७. मधु गुहा
*२८. के. के. राय गाङ्गुली
*२९. डी. के. बोस
*३०. देवांजन चक्रवर्ती
*३१. के. एम. बटब्याल
*३२. विमल चटर्जी
*३३. जयन्त दासगुप्त
*३४. रथिन सेन
*३५. नारायण साहा
*३६. गोपाल बसु
*३७. टी. के. तिवारी
*३८. जामिनी साहा
*३९. तड़ित तोपदार
*४०. अजीत चौधरी
*४१. जमदीश दास
*४२. गोपाल भट्टाचार्य
*४३. सुनील बसु राय
*४४. हाराधन राय
*४५. विनय चक्रवर्ती
*४६. कमल भट्टाचार्य
*४७. दिलीप चटर्जी
*४८. निमाई सामन्त
*४९. अब्दुल बशर
*५०. मन्टू बोस
*५१. एस. पी. लेपचा
*५२. अजित सरकार
*५३. सुभाष बोस
*५४. निखिल मुखर्जी
*५५. तुषार दे
*५६. किंकर पोशाक
*५७. एस. आर. घोष
*५८. दिलीप मजुमदार
५९. प्रशान्त घोष
६० सौमित्र दास
६१. हीरालाल मित्र
६२. पतित पावन पाठक
६३. एम. ए. सईद
६४. प्रशान्त नन्दी चौधुरी
६५. समर भौमिक
६६. केदार मुखर्जी
६७. दिलीप दत्त
६८. अजीत विश्वास
६९. गोपाल आचार्य
७०. निलीमा मैत्र
७१. निरूपमा चटर्जी
७२. सिहरन आचार्य
७३. पीयूष सरकार
७४. तपन दत्त
७५. रतन दाशगुप्त
७६. अइनुल हक
७७. नयन भौमिक
७८. समीर बनर्जी
७९. मिहिर बाइन
८०. बीरेन चक्रवर्ती
८१. निरंजन चटर्जी
८२. निर्मल राय
८३. जयगोपाल राय
८४. मोहम्मद निजामुद्दीन
८५. बादल कर
८६. लीला दास
८७. सचिन सेन
८८. गोविन्द गुहा
८९. प्रलय दाशगुप्तः
९०. शिवानी सेनगुप्त
९१. रवीन चक्रवर्ती
९२. ए. बी. झा
९३. अतुल दत्त
९४. विश्वनाथ सिंह
९५. गार्गी मुखर्जी
९६. शिशिर चक्रवर्ती
९७. लक्खी दे
९८. रवीन मजुमदार
९९. सुधीर चटर्जी
१००. हेमलाल चटर्जी
१०१. विजय तिवारी
१०२. आशीष दे
१०३. सुजीत दास

१०४. विजय भट्टाचार्य
१०५. असीम बनर्जी
१०६. अमर गांगुली
१०७. आशु बनर्जी
१०८. सीताराम गुप्त
१०९. लक्खन भट्टाचार्य
११०. विशु दास
१११. ननी कर
११२. रंजीत कुण्डू
११३. नेपालदेव भट्टाचार्य
११४. विद्युत गांगुली
११५. मोहम्मद शमिउल्लाह
११६. बीरेन गुप्त
११७. प्रदीप चक्रवर्ती
११८. शान्ति चटर्जी
११९. गोपाल विश्वास
१२०. वासदेव मंडल
१२१. समिरन यादव
१२२. जहरलाल साव
१२३. तारापद बसाक
१२४. अजित बसु
१२५. बादल बसु
१२६. प्रलय तालुकदार
१२७. देवी पाठक
१२८. गोपाल विश्वास
१२९. कमल बक्शी
१३०. शिबू चक्रवर्ती
१३१. पी. गंगाम्मा
१३२. शेख सुल्तान
१३३. के. के. राय
१३४. विजय मोदक
१३५. रवीन्द्र सिन्हा
१३६. मोहम्मद इसराइल
१३७. अजित भौमिक
१३८. अशोक बनर्जी
१३९. शैलेन चटर्जी
१४०. सनातन मल्लिक
१४१. सुखेन्दु विश्वास
१४२. गौतम घटक
१४३. अजित मुखर्जी
१४४. एस. बी. देव राय
१४५. विभूति दास मंडल
१३६. काली शंकर पाल
१४७. डी भट्टाचार्य
१३८. हाराधन झा
१४९. लखन बागदी
१५०. अमलेन्दु घटक
१५१. दीपाली बोस
१५२. एस. के. एम. चौधरी
१२३. ए. दाखी
१५४. विकास चौधरी
१५५. मोहन महतो
१५६. गौरांग चटर्जी
१५७. गंगा यादव
१५८. निरूपन सेन
१५९. सुखेन सरकार
१६०. देवव्रत बनर्जी
१६१. बलराम गोस्वामी
१६२. सुकुमार सेनगुप्त
१६३. दीपक सरकार
१६४. निर्मल जाना
१६५. हेम भट्टाचार्य
१६६. प्रणव दास
१६७. हिमांशु दास
१६८. काली नायक
१६९. शान्तिमय भट्टाचार्य
१७०. मैनेजर सिंह
१७१. निर्मल मुखर्जी
२७२. दिलीप दास
१७३. सिराजुद्दीन मोल्ला
१७४. काशीनाथ आदक
१७५. वीरसेन कुजुर
१७६. बाबूलाल गोप
१७७. मोहनलाल उरांव
१७८. जियाउल आलम
१७९. काजिमन गोले
१८०. आदित्य मिश्र
१८१. कृशेन्दु बनर्जी
१८२. लक्ष्मीमाया क्षेत्री
१८३. एच. वरोाई
१८४. वीरेन बोस
१८५. अचिन्त्य घटक
१८६. के. बी. सुब्बा
१८७. प्रकाश मिन्ज
१८८. विकास गोतामे
१८९. दिवस चौबे
१९०. जेठीमाया राई
१९१. जरिमिना टोपो
१९२. काला तमांग
१९३. महादेव मुखर्जी
१९४. वासुदेव आचार्य
१९५. प्रद्युत सेन
१९६. कृष्णाप्रसाद सिंह देव
१९७. कृष्णार्जुन मित्र
१९८. वैद्यनाथ चन्द
१९९. राधामदन हेंस
२००. नवनी बउरी
२०१. अबुल हसनत खान
२०२. चित्तरंजन सरकार
२०३. अशरफ किरमानी
२०४. सैय्यद मासुदल हुसेन
२०५. अमृतेन्दु मुखर्जी
२०६. सुबोध गाँगुली
२०७. विश्वनाथ मित्र
२०८. दिलीप गांगुली
२०९. सुहास सरकार
२१०. गोपाल साहा
२११. रूपम सेन
२१२. सुबीर विश्वास

केन्द्र

*१. परमेश्वर सिंह
*२ एस. देवराय
*३ तपन सेन

* तारांकित नाम कार्यकारिणी के सदस्य हैं।

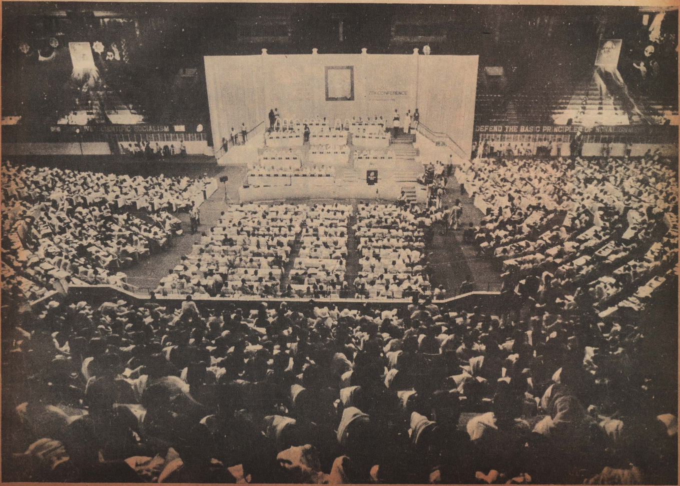
7TH CONFERENCE

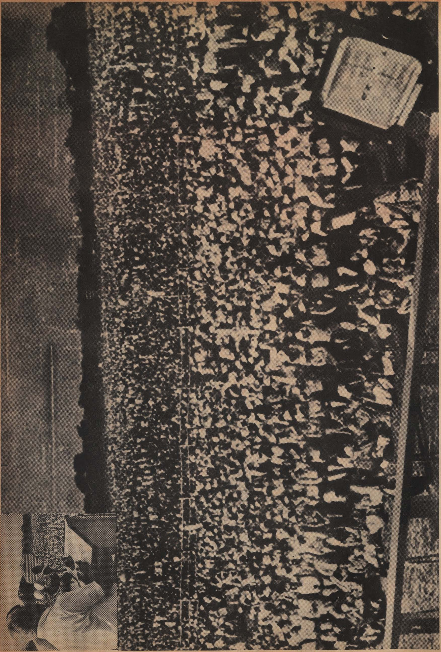

एम. के. पंधे द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियंस के लिए 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली 110001 (फोन 3714071) से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-1 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, जी. टी. रोड शाहदरा दिल्ली-110032 से मुद्रित।